खण्ड-474, अंक-4
बुधवार, 20 श्रावण, शक संवत् 1932
(11 अगस्त, 2010 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2010)

(खण्ड 474 में 06 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2010

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
अल्प संख्यकों को सुविधा विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7
प्रश्नोत्तर (जारी)	8
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम प्रायः कार्य–सूची में पहले आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	8–9
प्रश्नोत्तर	9–134
दारूलशफा, लखनऊ में बिजली की अव्यवस्था तथा चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	134
संयुक्त दायित्व के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	134–135
बहुखण्डी विधायक निवास, लखनऊ में गाड़ियों की चोरी होने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	135
विधायक निवास–5 मीराबाई मार्ग, लखनऊ में मेन्टीनेन्स व्यवस्था ठीक न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	135–136
लखनऊ के विधायक निवासों की सुरक्षा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	136
दारूलशफा–बी ब्लाक, लखनऊ में व्याप्त गंदगी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	136–137
रमजान में बिजली व्यवस्था ठीक रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	137
डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराये जाने की मांग	137–139
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	139–140
कानपुर महानगर में बिजली की भीषण कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में करोड़ों रुपये की हानि के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	140–141

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	141
देवी पाटन मण्डल के गोण्डा एवं बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम –301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
जनपद चन्दौली की तहसील चकिया में चन्द्रप्रभा नदी का पानी ग्राम गनेशपुर बंधी में गिराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	142–143
जनपद बागपत की पूर्वी यमुना नहर तथा अल्पिकाओं की सिल्ट सफाई तथा टूटे हुए पुल का निर्माण एवं देवबंद चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामगढ़ में मगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के कतिपय मार्गों को मुख्यधारा से जोड़ कर मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	144
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम बिडवानगला में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	145
सहारनपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं एवं कर्मचारियों/अधिकारियों की निरंकुशता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	145–146
गाजियाबाद नगर निगम के हिन्डन पार क्षेत्र में भूमिगत जल नमकीन होने के कारण पेयजल की भारी समस्या के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	146
जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	146–147
जौनपुर शहर में तालतला से अलहादी प्रेस जाने वाली कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	147
अलीगढ़ शहर की जर्जर एवं टूटी सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	147–148
सिद्धार्थनगर जनपद के इटवा क्षेत्र में बिसकोटर से बांसी सड़क तथा डुमरियागंज बढ़नी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	148

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में नदियों की बाढ़ से रास्ता कटने एवं घरों में पानी घुसने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	148–149
जनपद कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित विस्थापितों को वन विभाग की भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	149
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	150
विधानसभा के अधिवेशनों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय–4 के नियम–14 का पालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	150–158
जनपद सुल्तानपुर में विकास कार्यों हेतु दिये गये प्रस्तावों पर विधायक निधि की धनराशि निर्गत किये जाने में बरती जा रही शिथिलता के संबंध में औचित्य का प्रश्न	158–160
पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	160–162
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश, दिनांक 25 जून 1991 के अनुसार निर्वाचित सभापतियों के नाम से बैंक में खाता न खोलने व नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में औचित्य का प्रश्न	162–163
यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर शासन द्वारा किसानों की भूमि बड़े सरमायेदारों को टाउनशिप बनाने के लिये देने व पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त किये जाने के विषय में प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–167/168 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	163–164
पूर्वांचल जिलांश का पैसा मदवार विभाजित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	164
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–2007 की प्रथम रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	164
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–07 की प्रथम रिपोर्ट में की गई प्रेक्षण एवं संस्तुतियों पर राज्य सरकार का अभिमत/कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	165
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	165

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के वर्ष 2008–09 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	165
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1995–1996 (1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	165
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1996–97 (1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	166
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1997–98 (1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	166
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1998–99 (1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	166
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1999–2000 (1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	166
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2000–2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च 2001) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	167
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2001–2002 (1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च 2002) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	167
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2002–2003 (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च 2003) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	167
उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2003–2004 (1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च 2004) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा (सदन के पटल पर रखा गया) ...	167–168
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	168–212
वित्तीय वर्ष 2010–2011 के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान ...	212
अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	213
अनुदान संख्या–02 आवास विभाग (स्वीकृत)	213

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)...	213
अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	213
अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) (स्वीकृत) ...	213
अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	214
अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग	214
अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	214
अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	214
अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	214
अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	215
अनुदान संख्या–14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	215
अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	215
अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	215
अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ...	215
अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	216
अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत) ...	216
अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	216
अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	216

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	217
अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	217
अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	217
अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत) ...	217
अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत) ...	217
अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत) ...	218
अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत)	218
अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	219
अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	219
अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	219
अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	219
अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)(स्वीकृत) ...	219
अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	220
अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)–	220
अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत) ...	220
अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत) ...	220
अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत) ...	220

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत) ...	221
अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) (स्वीकृत) ...	221
अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत)...	221
अनुदान संख्या–60 वन विभाग (स्वीकृत)	221
अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...	222
अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	222
अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ...	222
अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...	222
अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	222
अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	223
अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षां) (स्वीकृत) ...	223
अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	223
अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	223
अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	223
अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग (स्वीकृत)	224
अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	224
अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत) ...	224

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	225
अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	225
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत) ...	225
अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	225–226
उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधयेक, 2010 (पारित) ...	226–233
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	233–236
नत्थियां	236–247

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 अगस्त 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–359

1. अंगद यादव, श्री आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री मुरादाबाद
4. अजय तोमर, डा0 बागपत
5. अजय पाल सिंह, कुंवर रायबरेली
6. अजय यादव, श्री एटा
7. अजय सिंह, श्री जालौन
8. अनन्त कुमार मिश्रा, श्री फर्रुखाबाद
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार अहिरवार, श्री महोबा
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
13. अनिल कुमार मौर्य, श्री मिर्जापुर
14. अनिल चौधरी, डा0 हाथरस (महामायानगर)
15. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
19. अब्दुल कलाम, श्री सन्तकबीरनगर
20. अब्दुल मन्नान हरदोई
21. अब्दुल समद अंसारी, हाजी वाराणसी
22. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री फैजाबाद
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री बाराबंकी
24, अमीता सिंह, श्रीमती सुल्तानपुर
25.अमेरिका प्रधान, श्री गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री बलिया
27. अम्बिका सिंह, श्री गोरखपुर
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
30. अरविन्द गिरि, श्री लखीमपुर खीरी
31. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
32. अरशद खान, श्री पीलीभीत
33. अरूणा तोमर, श्रीमती कानपुर नगर
34. अलाउद्दीन, श्री बलरामपुर
35. अलीम हाजी, श्री बुलन्दशहर
36. अवध पाल सिंह यादव, श्री एटा
37. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
38. अवधेश वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
39. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री महराजगंज
40. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
41. अशोक कंसल, श्री मुजफ्फरनगर
42. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
43. अशोक कुमार सिंह, श्री रायबरेली
44. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री हमीरपुर
45. अशोक सिंह चौहान, श्री मैनपुरी
46. आदित्य पाण्डेय, श्री फतेहपुर
47. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
48. आर0 ए0 उस्मानी (डा0), श्री लखीमपुर खीरी
49. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
50.आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
51. आरिफ अनवर हाशमी,, श्री गोण्डा
52. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
53. आसिफ, श्री हरदोई
54. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
57. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
58. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
59. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
60. उदयराज, श्री उन्नाव

61. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
62. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
63. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
64. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
65. कमलेश चन्द दिवाकर, श्रीकानपुर देहात
66. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
67. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
68. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
69. काशीराम, श्री रामपुर
70. कुवेर सिंह, श्री एटा
71. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रुखाबाद
72. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
73. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
74. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
75. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
76. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
77. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
78. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
79. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
80. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
81. कैलाश साहू, श्री, झांसी
82. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
83. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
84. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
85. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
86. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
87. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
88. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
89. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
90. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (मायानगर)
91. घूराराम, श्री बलिया
92. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
93. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
94. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
95. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
96. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
97. छोटे सिंह, श्री जालौन
98. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
99. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
100. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
101. जगपाल, श्री सहारनपुर
102. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
103. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
104. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
105. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
106. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
107. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनुपर
108. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
109. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
110. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
111. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
112. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
113. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
114. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
115. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
116. दयाराम, श्री कौशाम्बी
117. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
118. दाउद अहमद, श्री हरदोई

119. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
120. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
121. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
122. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
123. दीप नारायण सिंह
दीपक यादव, श्री झाँसी
124. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
125. दूधराम, श्री बस्ती
126. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
127. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
128. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
129. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
130. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
131. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
132. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपरु
133. धू राम लोधी, चौधरी, श्री हमीरपुर
134. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
135. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
136. नरेन्द्र सिंह, श्री फर्रुखबाद
137. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
138. नारायण सिंह, श्री आगरा
139. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
140. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
141. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
142. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
143. पशुपति, श्री गाजीपुर
144. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
145. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
146. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. प्रजापालन, श्री एटा
149. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
150. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूँ
151. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
152. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
153. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
154. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
155. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
156. फसीहा बशीर चौधरी
(गजाला लारी), श्रीमती देवरिया
157. फागू चौहान, श्री मऊ
158. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
159. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
160. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
161. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
162. वासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
163. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
164. बिरजू राम, श्री जौनपुर
165. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
166. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
167. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
168. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
169. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
170. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
171. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
172. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
173. भीमराव अम्बेडकर
एडवोकेट, श्री इटावा
174. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
175. मंजू, श्रीमती बलिया
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन भैया उर्फ
मदन गोपाल, श्री बागपत
178. मधुबाला, श्रीमती संत रविदास नगर (भदोही)
179. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
180. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
181. ममतेश शाक्य, श्री एटा
182. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
183. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
184. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
185. महेन्द्र कुमार सिंह
उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
187. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
188. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया

189. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
190. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
191. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
192. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
193. मिथलेश कटियार, श्रीमतीकानपुर देहात
194. मिथलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
195. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
196. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
197. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
198. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
199. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
200. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
201. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
202. मोहम्मद ताबिश खां, श्रीसन्तकबीरनगर
203. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
204. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
205. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
206. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
207. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
208. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
209. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
210. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
211. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
212. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
213. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
214. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
215. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
216. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
217. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
218. रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
219. रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
220. रविन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
221. राकेश कमार गोस्वामी, श्री महोबा
222. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
223. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
224. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
225. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
226. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
227. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
228. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
229. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
230. राजपाल सिह, श्री गाजियाबाद
231. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
232. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
233. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
234. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
235. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
236. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
237. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
238. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
239. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
241. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
242. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
243. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
244. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
245. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
246. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
247. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
248. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
249. राम कुमार तिवारी, पण्डित ललितपुर
250. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
251. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
252. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
253. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
254. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
255. राम प्रसाद जायसवाल, श्री देवरिया

256. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
257. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
258. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
259. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
260. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
261. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
262. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
263. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
264. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूले नगर
265. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
266. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
267. लखीराम नागर, श्री मेरठ
268. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
269. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
270. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
271. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
272. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
273. वारिस अली, श्री बहराइच
274. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
275. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
276. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
277. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
278. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
279. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
280. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
281. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
282. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
283. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
284. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
285. विशम्भर सिंह निषाद, श्री बांदा
286. विशम्भर प्रसाद यादव, श्री बांदा
287. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
288. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
289. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
290. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
291. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
292. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
293. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
294. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
295. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
296. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
298. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
299. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
300. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
301. शिवशंकर, श्री बलिया
302. शीशराम, श्री बिजनौर
303. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
304. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
305. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
306. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
307. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
308. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
309. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
310. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
311. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
312. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
313. संजय कपूर, श्री रामपुर
314. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
315. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी'', श्री कानपुर नगर
316. संध्या, कुमारी मैनपुरी
317. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
318. सत्यनारायण जैसल, श्री सोनभद्र
319. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
320. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
321. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
322. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
323. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
324. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
325. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
326. सलिल बिश्नोई, श्री कानपुर नगर

327. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
328. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
329 सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
330. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
331. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
332. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
333. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
334. सुखलाल, श्री पीलीभीत
335. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
336. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
337. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
338. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
339. सुभाष, श्री बलिया
340. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
341. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
342. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
343. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
344. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
345. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
346. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
347. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
348. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
349. सुल्तान बेग, श्री बरेली
350. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
351. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
352. सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
353. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
354. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
355. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
356. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
357. हरपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
358. हसरत उल्ला, श्री एटा
359. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
*360. रिक्त चन्दौली
**361. रिक्त एटा
***362. रिक्त लखीमपुर खीरी

नोट :– लोक निर्माण सिंचाई, आबकारी, आवास एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) एवं भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

अल्पसंख्यकों को सुविधा विषयक नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैंने नियम–311 में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाइये। मैंने लिया है, सुन लूंगा। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, आप बैठ जाइये।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने नियम–311 में नोटिस दी है। अल्पसंख्यकों की स्थिति दलितों से भी बदतर हो गयी है। सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट है और रंगनाथ मिश्रा की भी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठ जाइये।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

और यहां तक कि फीस के मामले में इस समय अल्पसंख्यकों.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने ले लिया है, जिस समय आयेगा उस समय आप अपनी बात कह लीजियेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

फीस का मामला है, फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। इंजीनियरिंग कालेजों में 4–4 लाख फीस 2–2 लाख फीस तो अल्पसंख्यकों के लड़कों के लिये बहुत परेशानी है। मोहल्लों-मोहल्लों में बीमारियां फैल गयी हैं। माननीय सदस्यों ने 311 में दिया है तो माननीय अध्यक्ष जी इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको नियम–56 में परिवर्तित करके सुन लूंगा। मैंने इसको ले लिया है। मैंने परिवर्तित करके सुनने के लिये ले लिया है, मैं सुन लूंगा नेता प्रतिपक्ष जी।

प्रश्नोत्तर
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी

****1–चौ0 रविन्द्र प्रताप–(अनुपस्थित)**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु राजकीय अध्यापकों की भांति 62 वर्ष करने पर विचार करेगी ?
यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति इसका औचित्य नहीं है।

(नत्थी क अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0–1 पुकारे जाने पर चौधरी रविन्द्र प्रताप उपस्थित नहीं थे।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, रूचि है इसमें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम प्रायः कार्य सूची में पहले आने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक निवेदन है, कि आप कृपया 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख की कार्य–सूची देखने का कष्ट करें। अल्पसूचित प्रश्न सं0–1, 9 तारीख 10 तारीख और आज 11 तारीख। मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में भी आपसे निवेदन किया था कि जब महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन को आहूत करते हैं और आपकी आज्ञा से हम सब लोग यहां बैठते हैं। हम सभी सदस्यों का मान्यवर बराबर का अधिकार है। हम सब लोग प्रदेश में जो संबंधित समस्याएं होती हैं उसको उठाते हैं। मान्यवर, मैं सीधी बात पर आता हूं कि हम लोग जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय का नोटिफिकेशन जारी होता है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न लगाते हैं मान्यवर, रोज ही एक माननीय सदस्य का पहले नम्बर पर प्रश्न होता है और विषय मान्यवर, घुमा फिराकर लगभग वही होता है। अगर मान्यवर, सरकार की रूचि है तो इस पर कोई जवाब आ जाय और अगर माननीय सदस्य की उसमें इतनी रूचि है तो वे रोज अनुपस्थित रहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, ठीक है, मैं इसको दिखवा लूंगा।

सतीश महाना–

मान्यवर, आप पिछले तीन दिनों की कार्य सूची उठाकर देख लें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं नहीं, मैं समझ गया हूं। मैं इसको दिखवा लूंगा। अब आप बैठ जायें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा निवदेन सुन लें। आपने पिछली बार व्यवस्था दी थी। आपकी व्यवस्था के बाद अगर हम सब लोगों का अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य का ही प्रश्न रोज पहले नम्बर पर आना है तो हम लोग अपना छोड़ दें। विषय अगर इतना महत्वपूर्ण है तो सरकार उसके लिये एक वक्तव्य यहां पर लाकर बता दें।

श्री अध्यक्ष–

आप सही संज्ञान में लाये हैं, मैं इसको दिखवा लूंगा।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना एवं उद्योगों के पलायन रोकने तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने की योजना

****2–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–**

क्या लघु उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2010–11 में 33000 लघु उद्योगों की स्थापना के जरिये लगभग सवा लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार उक्त लघु उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश स्वयं करेगी या निजी स्रोत्रों की सहायता ली जायेगी ? क्या सरकार की जानकारी में है कि अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, कानून और व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, बिजली की कमी आदि के कारण स्थापित उद्योग भी लगातार अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थितियों में परिवर्तन करने, उद्योगों के पलायन को रोकने एवं नये निवेशकों को आकर्षित करने हेतु कोई योजना बनाने व उसे प्रभावी ढंग से लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री चन्द्र देव राम यादव)–

जी हां। निजी क्षेत्र के निवेश को आधार मानकर कार्यवाही की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न इसलिये किया था कि कई बार इस आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में प्रगति नहीं हो रही है। और यहां से इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की कमी के कारण उद्योग भाग रहे हैं मैंने इसलिए यह प्रश्न किया था, और सरकार ने यह तो कहा कि वर्ष 2010–11 में 33000 लघु उद्योगों की स्थापना के जरिये लगभग सवा लाख लोगों को रोजगार उपलबध कराये जाने की सरकार की योजना है ? अगे यह भी कहा है कि निजी क्षेत्र के निवेश को आधार मानकर कार्यवाही की जा रही है, मैंने यह भी प्रश्न किया है कि क्या सरकार की जानकारी में है कि अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, कानून और व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, बिजली की कमी आदि के कारण स्थापित उद्योग भी लगातार अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं ? सरकार ने कहा कि नहीं, तो मैं आपके माध्यम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर यह सत्य है तो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जब 2007 में आपने सत्ता संभाली तो उस समय उद्योगों की स्थिति प्रदेश में क्या थी उसके बाद आपने कितनी प्रगति की है ? कितने उद्योग यहां से पलायन कर गए। यह जानकारी तो होगी आपके पास ? आपके सत्ता में आने के बाद कितने नये उद्योग लगे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी सूचना है आपके पास ?

श्री चन्द्र देव राम यादव–

इसकी सूचना नहीं है जो सूचना है उसको बता दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इतनी ईमानदारी से कह रहे हैं जो सूचना है उसको जरूर बता देंगे।

श्री चन्द्र देव राम यादव–

चौधरी साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लघु उद्योग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा स्वयं कोई निवेश नहीं किया जाता है। बल्कि निजी स्रोतों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अवस्थापना में सुविधाएं प्रदान की जाती है इसके अन्तर्गत ऋण अनुदान और सब्सिडी दिलवाई जाती है। लघु उद्योग की स्थापना में आपका कहना है कि यहां से उद्योग का पलायन हो रहा है अब इसके बारे में मैं आपको

जानकारी देना चाहूंगा आप बहुत ज्यादा वरिष्ठ सदस्य हैं। लघु उद्योग की स्थापना में वर्तमान सरकार द्वारा निम्नानुसार पूंजी निवेश कराया गया। वर्ष 2006–07 जब हमारी सरकार नही थी, बहनजी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री नहीं थी उस समय 593 करोड़ का निवेश हुआ और 2007–08 में जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी और यह सरकार बनी तो यह 2104 रुपये का निवेश हुआ। (मेजें थपथपाई गई।)

यह वर्ष 2008–09 में बढ़कर 3667 करोड़ का निवेश हुआ। वर्ष 2009–10 में 4300 करोड़ का निवेश हुआ। वर्ष 2010–11 में अभी जबकि तीन माह बीता है 673 करोड़ रुपये का निवेश हुआ तो जब लगातार निवेश बढ़ रहा है तो उद्योगों का पलायन कैसे हो रहा है ?

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए बताया कि चार सालों में कितना निवेश हुआ। 2100, 2600, 4300, 600 करोड़ का निवेश हुआ, कुल मिला कर लगभग 10 हजार करोड़ का निवेश हुआ। सरकार ने जब 11वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर पहले वर्ष का बजट प्रस्तुत किया था, तो पूरे के पूरे बजट का जो अनुमान था उसके हिसाब से 5 लाख 94 करोड़ का निवेश निजी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में होना था। मैं यह जानना चाहता हूं, यह जो निवेश हुआ है, मान्यता यह है कि उत्तर प्रदेश का 80 से 90 परसेन्ट निवेश दो लिजों के अन्तर्गत होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो जिले सीमित हैं सारे विकास को लेकर, यह जो लघु उद्योग में निवेश हुआ है, उत्तर प्रदेश के चार आर्थिक जोनों में किन-किन क्षेत्रों में हुआ है ? क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को लेकर आते हैं कि पूर्वा उत्तर प्रदेश विकास पिछड़ रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सारे निवेशों में से कौन सा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहुंचा है। यह तो सिद्ध हो गया है कि निजी उद्योग और लघु उद्योगों में सरकार कोई धन नहीं लगाती, लेकिन सरकार वह स्थितियां पैदा करती है, जिससे पूंजी निवेश हो। कोई भी कहे लेकिन उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा है, हिमांचल प्रदेश में हमारा व्यवसाय चला जा रहा है। मंत्री जी जवाब चाहे जो भी दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार जो पूंजी निवेश हिमाचल प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश भाग रहा है, आप यह मत कहिए कि यहां उद्योग आ रहे हैं, सत्य यह है कि यहां उद्योग नहीं आ रहे हैं, तो यह उद्योग उन प्रान्तों से हटकर हमारे प्रदेश में आ सकें और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े प्रान्त में आ सकें, इसके लिए कोई विशेष छूट, कोई योजना जिससे कि यह निवेश हो सके, सरकार देने का प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई आपके पास योजना है ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव–

जी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि जो पूंजी निवेश हुआ है, वह प्रदेश के किन क्षेत्रों में हुआ है, क्या केवल उन्हीं दो जिलों में हुआ है या कोई दो–चार छिटक करके पूर्वी उत्तर में भी आए हैं ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव–

मान्यवर, मा0 सदस्य बहुत विद्वान हैं, हमारे बगल के हैं, आजमगढ़ के बगल गोरखपुर हैं और ,खासतौर से हमारे चौधरी साहब बनारस के रहने वाले हैं। बनारस की सूचना मेरे पास हैं। अगर आपको जरूरत होगी, मैं समझ रहा हूं कि आपको जरूरत होगी, तो मैं गोरखपुर की सूचना मंगाकर आपको दे दूंगा।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, चार आर्थिक जोनों में इस सरकार ने प्रदेश को बांटा है, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस निवेश का कितना हिस्सा पहुंचा, कोई एक-आध उद्योग भूले-भटके पहुंचा या एक भी नहीं पहुंचा ? मैं केवल बनारस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन की बात कर रहा हूं, क्या मंत्री जी यह जानकारी देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस भी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस भी है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 जिले हैं और यह सभी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने उद्योग आए ?

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बनारस की सूचना मेरे पास है, अग्रवाल जी उद्योग और लघु उद्योग को एक साथ मिक्स कर रहे हैं, यह प्रश्न लघु उद्योग के सम्बन्ध में है और लघु उद्योग के बारे में मंत्री जी ने स्पष्ट बताने का काम किया कि 3 वर्षो में कितना पूंजी निवेश हुआ है। साथ ही साथ उनके पास जो बनारस की सूचना है यदि उसको जानना चाहें तो मंत्री जी बता देंगे, बाकी जिलों की जिसकी सूचना चाहेंगे, उसको मंगाकर दे दिया जायेगा।

श्रो अध्यक्ष–

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, यह प्रश्न विधान सभा में लगा है यदि मंत्री जी उसकी भी तैयारी करके नहीं आयेंगे, लघु उद्योग का प्रश्न है, मंत्री जी यह तो बता ही सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन उद्योग लगा, अगर इतनी भी जानकारी नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री चन्द्रदेव राम यादव–

मान्यवर, वाराणसी के बारे में बताना चाहता हूं, चूंकि चौधरी साहब का सवाल था, वहां 558 उद्योग स्थापति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें माह जून, 2010 तक 140 लघु उद्योगों की स्थापना कराई जा चुकी है, जिसमें 15 करोड़ 34 लाख रुपये का पूंजी निवेश कराया गया है।

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, 10 हजार करोड़ में से 15 करोड़ रुपया बनारस पहुंचा, इससे समझ में आता है कि यह सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कितने सीरियस तरीके से काम कर रही है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या लघु उद्योग में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सहायता के लिए भी कोई इन्होंने विशेष योजना बनाई है, क्योंकि इस सरकार की मुखिया एक महिला है और मान्यवर, बनारस से कुछ आगे गाजीपुर है, पूंजीनिवेश गाजीपुर तक कर दें तो अच्छा है ?

श्री अध्यक्ष–

महिला और पुरूष सब बराबर उद्योग करेंगे, क्यों इनको अलग कर रही है। मंत्री जी, फातिमा जी जानना चाहती है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग में क्या कोई योजना है ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें महिला और पुरूष अलग-अलग नहीं है, उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं। अब इतना विस्तृत कि कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं। मान्यवर, इसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि महिलाओं के लिए लघु उद्योगों के लिए कोई नीति है ? क्योंकि जो लघु उद्योग हैं चाहे चिकनकारी का हो, दस्तकारी का हो उसमें तमाम महिलाएं काम करती हैं। धूप बत्ती बताने, अगरबत्ती बनाने जैसे तमाम लघु उद्योग हैं जिसमें महिलाएं काम करती हैं तो उसमें महिलाओं के लिए क्या नीति बनायी गयी हैं ? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपने पूछना चाहा है कि जैसे महिलाएं छोटे–मोटे कारोबार करती हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग से कोई योजना है। उसमें माननीय मंत्री जी ने योजना को स्पष्ट रूप से बता दिया।

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं कि जनपद सिद्धार्थ नगर तो पहले से उद्योग शून्य है, वहां कितने लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है जिससे हमारे जनपदवासियों को फायदा हो रहा है। यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय शुक्ला जी, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि केवल बनारस के बारे में सूचना है शेष सूचना नहीं है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मान्यवर मेरा उत्तर अभी नहीं आया। मान्यवर, लघु उद्योग में महिलाएं हैं और अधिक संख्या में हैं। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की क्या नीति है ? यदि नीति है तो माननीय मंत्री जी बता दें यदि नीति नहीं है तो सदन को बता दें कि कोई नीति महिला उद्यमियों के लिए नहीं है। इतना उत्तर माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

लघु उद्योगों में महिलाओं की सहभागिता है। माननीय फातिमा जी एक लघु उद्योग नीति है उसमें कहीं महिला पुरूष को बांटा नहीं गया है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, अब तो जेंडर बजटिंग का चल रहा है। मैं आपके माध्यम से केवल इतना जानना चाह रही हूं अपने ज्ञानवर्धन के लिए कि क्या इस सरकार के पास लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों के लिए कोई नीति है, यदि नीति है तो माननीय मंत्री जी बता दें यदि नहीं है तो बता दें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताया कि महिलाओं के लिए अलग से उनको जमीन खरीदने में रजिस्ट्री में छूट है। इस तरह की पहले ही छूट है। मान्यवर, बाकी जो योजनाएं हैं । मान्यवर, जरा आप इसको देख लें जो प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने बखूबी पूरी तरह से उसका उत्तर दे दिया है। यह जो प्रश्न किये जा रहे हैं उसका इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय फातिमा जी, जरा प्रश्न की भाषा देख लें। इसके लिए अलग से जानकारी लेनी पड़ेगी या आप अलग से प्रश्न लगा लें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी , आप इतना झुलाकर के तब जवाब देते हैं।

(हंसी)

श्री चन्द्रदेव राम यादव–

मान्यवर, जरदोजी उद्योग के लिए बाराबंकी में एक क्लस्टर प्रोजेक्ट है, जो महिलाओं के लिए है और हमारे यहां जो उद्योग और हस्तशिल्पी जितने भी हैं प्रदेश में, उसमें महिलाओं को भी बराबर की सुविधा दी जाती है।

श्री अध्यक्ष–

महिलाओं के लिए है। चलिए ठीक है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, महिलाओं की जिज्ञासा जो आपने कही, मान्यवर, मा0 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना में महिलाओं को 35 परसेण्ट अनुदान का प्राविधान है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का मतलब यह था कि जो भी सरकारें आयीं, उन सारी सरकारों के कार्यकाल में पूर्वी उत्तर प्रदेश हमेशा पिछड़ा ही रह गया और मा0 सदस्य डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी ने कहा कि उन्होंने भी यही अनुपूरक करना चाहा कि इस सारे निवेश में, जो दस या साढ़े दस हजार करोड़ के निवेश का यहां आपने हवाला दिया, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, तो सिर्फ एक उत्तर आया कि बनारस में 10 करोड़, 10 सौ भी नहीं, 10 हजार भी नहीं, 10 करोड़ रुपया वह निवेश हुआ है। तो इससे यह जाहिर होता है मा0 अध्यक्ष महोदय, कि मेरा जो आगे सवाल है कि क्या सरकार की जानकारी में है कि अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, कानून-व्यवस्था की निराशाजनक स्थिति, बिजली की स्थिति, ये तो जगजाहिर है कि पूर्वी

उत्तर प्रदेश में न तो कायदे की सड़कें हैं, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, न कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, तो कैसे कोई उद्योग लगायेगा। मैंने देखा कि अब इस सवाल के पीछे सारे वरिष्ठ और योग्यतम मंत्री लग गये, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि आप सारे लोगों का सहयोग हो तो पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता है। क्या सरकार मेरे इस सवाल के आने के बाद और आपके पास उत्तर नहीं है, इसको दृष्टिगत रखते हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना की दृष्टि से लोगों को आकर्षित करने के लिये क्या कोई विशेष छूट प्रदान करने की कृपा करेगी ? ताकि जो उद्योगपति हैं, वह उद्योग लगाने की दिशा में आगे बढ़ें ?

श्री अध्यक्ष–

अग्रवाल साहब, आपने सवाल पूछा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने उद्योग लगे हैं, उसका इन्होंने जनपद बनारस का स्पेसिफिक कह दिया है।

आप पूछना चाहते थे कि क्या आप पूर्वांचल में कोई सुविधा देंगे, अलग से कुछ देंगे। इन्होंने एक ब्रेकअप बता दिया कि हमारा पूंजी निवेश पूर्वांचल में और पश्चिम में सब जगह हुआ है। बनारस की इनकी स्पेसिफिक रिपोर्ट रही है, तो उस पूंजी निवेश में इन्होंने पूर्वांचल का नाम भी लिया है। अब आपकी पूरी बात आ गयी है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पूर्वांचल के लिये मा0 चौधरी साहब और मा0 डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने पूर्वांचल के विकास के लिये महत्वपूर्ण काम शुरू किया है और जिसमें कुशीनगर में अन्तर राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाकर और उसको पूरी तरह से विकसित करके पूर्वांचल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विशेष कार्य–योजना बनाने का काम किया गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, इनके जवाब से ही प्रश्न पैदा होता है। कल ही बजट प्रस्तुत हुआ है और मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि पूर्वांचल के विकास के लिये वह व्यवस्था कर रहे हैं। 5 हजार करोड़ रुपये में से केवल 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, नहीं हो गया, अगला प्रश्न ले लिया गया, पूर्वांचल पर अब कुछ नहीं, इसीलिये आपका अनुपूरक बाद में रखा गया है, मूल प्रश्न कर्ता से। अब कुछ नहीं, चलिये जानकारी के लिए अलग से कोई नीतिगत प्रश्न लगा लीजिएगा कि पूर्वांचल के लिए कोई अलग से योजना सरकार ने बनाई है या नहीं बनाई है, इसके सम्बन्ध में अलग से प्रश्न लगा लीजिएगा। जोखू लाल यादव जी, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सूखे से निजात हेतु कार्य-योजना सम्बन्धी जानकारी

श्री जोखू लाल यादव–

*1–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे से निजात हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रदेश में सूखे की स्थिति नही है। अतः कार्य-योजना का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखे की स्थिति न होने के कारण सूखे से निपटने की कार्य-योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से यह सवाल किया था कि क्या सिंचाई मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे से निजात हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार का जवाब आया है कि प्रदेश में सूखे की स्थिति नहीं है। अतः कार्य-योजना का प्रश्न नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। प्रदेश में सूखे की स्थिति न होने के कारण सूखे से निपटने की कार्य-योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस सवाल को लगाया था पिछली 12 जुलाई को तो प्रदेश में वर्षा नहीं हुई थी, पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में था और यह सच है कि कुछ भू-भाग में वर्षा हुई पूरे प्रदेश में और यहां मान्यवर, आप भी पूर्वांचल से चुनकर आजमगढ़ जनपद से आते हैं, बहुत सारे लोग पूर्वांचल के हमारे माननीय सदस्यगण चुनकर आते हैं, बुन्देलखण्ड से है, वह भी कोई अलग से अकेली उनकी ही पीड़ा नहीं है पूरे सदन के माननीय सदस्यों की पीड़ा है और इस प्रदेश के किसानों की ज्वलन्त समस्या है, पूरे प्रदेश का किसान खासतौर से पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड का सूखे की चपेट में है। वर्षा पर्याप्त नही हुई मान्यवर, अघोषित विद्युत की कटौती रही, नलकूप खराब पड़े रहे, उसके बावजूद भी किसानों ने अपनी पूंजी धान की रोपाई के रूप में खेतों में डाल दी। आज बरसात नहीं हो रही है मान्यवर, यह प्रदेश के पूरे के पूरे 80 फीसदी

लोगों का मामला है इससे बड़ी कोई ज्वलन्त समस्या हो नहीं सकती मान्यवर, पूरा प्रदेश पूरा पूर्वांचल सूखे की चपेट में है, मंत्री जी का जो जवाब आया है उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है,

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, इनसे कहें सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री जोखू लाल यादव–

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। मान्यवर, सावन के अन्धे को हरा-हरा ही दिखाई देता है और एक कहावत मुझे याद आ रही है, रोम जल रहा था नीरो चैन की बन्शी बजा रहा था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि अच्छी फसल के लिए बरसात का मानक क्या है, कितनी बरसात होनी चाहिए धान की अच्छी फसल के लिए, उसका मानक क्या है और उस मानक के अनुरूप जिन जनपदों में बारिश नही हुई है, क्या उन जनपदों का सर्वे करा करके उसे सूखाग्रस्त घोषित करने का काम करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जहां तक वर्षा का सवाल है तो वर्षा तो अभी भी बाहर हो रही है। मान्यवर, जहां तक आपने पूछा है कि कितनी कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त घोषित किया जात है, मैं जहां तक समझ पाया हूं, क्योंकि पूरा इतिहास, भूगोल, बन्शी सब कुछ आ गया। अब मैं बन्शी तो नहीं बजा सकता हूं, मुझे सीधा उत्तर देना है। मैं अगर बन्शी बजाऊंगा तो आप सब यहां से चले जायेंगे, मेरी बन्शी ऐसी बजती है। अब आप जवाब सुन लीजिए, मान्यवर, पचास परसेण्ट से यदि कम वर्षा होती है तो सूखा घोषित किया जाता है लेकिन उसकी भी एक समय सीमा है कि इस समय तक यदि इतने परसेण्ट से कम वर्षा होती है तो सूखा घोषित किया जाता है। मान्यवर, अभी वह समय सीमा पार नहीं हुई, अभी आप देख रहे हैं, सावन की जो बात आपने कही, सावन का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है। खरीफ की जहां तक फसल की बात है, मैं फसल की पूरी जानकारी मान्यवर, दे दूं, खरीफ की बात बता दूं, धान की रोपाई का जो सवाल है, मान्यवर आठ अगस्त तक की सूचना मैं आपके माध्यम से सदन को दे रहा हूं।

मान्यवर, इस समय 8 अगस्त तक 90.51 प्रतिशत धन की रोपाई हो चुकी थी। तो कैसे मान लें कि धान की रोपाई नही हो पा रही है।

माननीय सदस्य जो सूचना चाहते थे वह मैंने बता दिया।

डा0 पी0 के0 राय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह सरकार पूर्वांचल के विकास के लिये बहुत ज्यादा चिन्तित है। कुशीनगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की

बात हो रही है। मान्यवर, कुशीनगर जनपद में लाईफ लाइन कही जा सकती है मुख्य पश्चिमी गण्डक कैनाल उसकी पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। कई बार मैंने इसे सदन में उठाया है। यह कहा जाता है कि उस पश्चिमी गण्डक कैनाल की सफाई के लिये उसके पुनरीक्षण के लिये भारत सरकार से आपने पैसा मांगा हुआ है। आप उसकी अद्यतन स्थिति बताने का कष्ट करें और यह बताने का कष्ट करें कि उसकी क्षतिग्रस्त पटरियों, रेगुलेटर को कब तक ठीक करवा देंगे ताकि किसानों तक उसका पानी पहुंच सकें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो आपकी समस्या है वह आप लिखित रूप में हमें दे दें जो आपने क्षतिग्रस्त पटरियों की बात कही है। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर हम उसमें निर्णय लेंगे।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 8 अगस्त तक 90 प्रतिशत तक धान की रोपाई हो चुकी है। मान्वर, माननीय मंत्री जी अपने गृह जनपद बांदा जब जाते होंगे तो उन्नाव होते हुए जाते होंगे। उन्होंने वहां की स्थिति को देखा होगा। वहां पर 20 से 25 प्रतिशत तक ही धान की रोपाई हो पायी है। उसका कारण है कि नहरों में पानी नहीं है। बारिश नहीं हो रही है। क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी जनपद उन्नाव का सर्वे कराकर यह सुनिश्चित करा लेंगे कि कितनी रोपाई हुई धान की। अगर वहां 90 प्रतिशत से कम हुई और मात्र 20 से 25 प्रतिशत तक हुई है तो क्या जनपद उन्नाव को सूखाग्रस्त घोषित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने नहरों में पानी की कमी की बात कही है तो उसमें पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रश्न नही उठता है।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बरसात हो रही है और धान की रोपाई हो रही है। मान्यवर, इलाहाबाद के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर बुंदेलखण्ड का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां के किसान पूरी तरह से जलाशयों के पानी पर निर्भर हैं। जब जलाशय भर जाते हैं तो पानी की सुविधा उन्हें उपलब्ध हो जाती है। मान्यवर, इलाहाबाद का खीरी से कोरांव का पूरा जो बेल्ट है वहां पर पानी मिलता है किसानों को वह जलाशय के माध्यम से मिलता है। मान्यवर, वहां पर बारिश नहीं हुई है। आपने अभी कहा कि अगर 50 प्रतिशत तक बारिश हो जाती है कहीं तो उसे सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है। वहां पर पानी की कमी है। मान्यवर, वहां का जो मुख्य व्यवसाय है वह धान की खेती है। मान्यवर, जिन जगहों पर जलाशय के माध्यम से खेतों को पानी दिया जाता है और वह जलाशय सूखे पड़े हैं वहां पर कैसे खेतों में पानी पहुंचे क्या माननीय मंत्री जी इसके लिए कोई जवाब दे पायेंगे और क्या उसके लिये कोई योजना बनाकर उनको लाभ दिया जा सकेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, अगर किसी जलाशय की बात अगर पूछना चाहते हैं कि किस जलाशय में कितना पानी उपलब्ध है वह मैं बता दूं। लेकिन एक सामान्य जलाशय कह देने की बात, मेरे पास हर जलाशय की रिपोर्ट है, किस जलाशय की रिपोर्ट चाहते हैं मैं बताता हूं कितना पानी है और क्या स्थिति है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सिर्फ दो अनुपूरक सवाल हैं पहला यह है कि यह सरकार जनपद के आधार पर सूची का मूल्यांकन करती है मैं आपको गोरखपुर की स्थिति बताता हूं। 19 तहसीलों में सदर और चौरीचौरा में खूब पानी बरसा बाकी तहसीलों में पानी नहीं बरसा जब आप जनपद का औसत निकालेंगे तो पता चलेगा कि सूखे में क्यों नहीं आया क्योंकि शहर में बहुत पानी बरसा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सूखे का मूल्यांकन तहसीलवार करने पर विचार करेंगे ? दूसरा सवाल, आपने कहा कि अभी सूखे के मूल्यांकन का समय नहीं आया। बिहार सरकार ने 38 में से 28 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करके केन्द्र सरकार से सहायता मांग ली, झारखण्ड ने 24 में से 12 को सूखाग्रस्त घोषित करके सहायता मांग ली और आप कह रहे हैं कि आपके लिए समय नहीं आया आखिर यह समय निर्धारण करने का तरीका किस आधार पर आप कर रहे हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं गाइडलाइन्स के हिसाब के दिखवा लेता हूं तहसीलवार जो कह रहे हैं अगर गाइडलाइन्स में ऐसा है तो हम तहसीलवार कर लेंगे हम उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं।

प्रदेश में गत वर्ष की कृषि विकास दर एवं लक्ष्य प्राप्त की योजनाओं सम्बन्धी जानकारी

***1–श्री मदन चौहान–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–2010 में कृषि विकास दर का क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कितना तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु कौन-कौन सी योजनायें प्रारम्भ की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

कृषि विकास दर 5.1 प्रतिशत निर्धारित की गयी है तथा वर्ष 2009–10 में कोई नयी योजना प्रारम्भ नहीं की गयी।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में प्रतिवर्ष 5.1 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन, केन्द्र पुरोनिधानित ''प्रसार सुधार'' योजना,

किसान हित योजना एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन योजना आदि विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ की गयी।

श्री मदन चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कृषि विकास दर के सम्बन्ध में 2009–10 में कृषि विकास दर बताई 5.1 प्रतिशत। मान्यवर, देश या प्रदेश की उन्नति कृषि नीति पर आधारित है जिस तरह से आज किसान पलायन कर रहा है कृषि के जितने भी खाद, बीज, उर्वरक हैं और जिस तरह से विद्युत आपूर्ति और डीजल का खर्च बढ़ा है उस हिसाब से जिस तरह से पलायन कर रहा है जब तक विकासदर नहीं बढ़ेगी किसान की या मजदूर की तब तक उन्नति का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे अनुपूरक करिये।

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, 5.1 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित था तो मैं पूछना चाहता हूं मेरी जिज्ञासा है कि लक्ष्य के मुताबिक कितना वर्तमान में विकासदर है ? और लक्ष्य और वर्तमान में कितना अन्तर रहा और उस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या योजना अथवा कोई उपाय किये हैं, मैं यह जानना चाह रहा हूं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, वर्ष 2009–2010 में उत्तर प्रदेश को जो प्राप्ति हुयी, उसमें लक्ष्य तो 5.1 था और प्राप्ति 1.2 हुयी। इसी प्रकार भारत सरकार का लक्ष्य 4.1 था और प्राप्ति 0.20 हुयी यानि उत्तर प्रदेश ने 1.2 प्राप्त किया और भारत सरकार ने 0.20 प्राप्त किया, उसके कारण यह रहे कि वर्ष 2009–10 में सूची के कारण खरीफ का उत्पादन प्रभावित हुआ और लगभग 20 लाख हेक्टेयर बुवाई नहीं हो पाई। रबी के मौसम में माह फरवरी में, जैया सभी लोग परिचित है, अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ष 2010 में तापमान में अचानक वृद्धि हुयी जिसके कारण गेहूं सिकुड़ गया और उसका वजन घट गया और वर्ष 2009–10 में कुल खाद्यान्न 434.87 लाख मीट्रिक टन हासिल किया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कृषि विकास के लिये आवश्यक है कि उसमें जो लगने वाले अवयव है जैसे फर्टीलाइजर, पेट्रोल, डीजल, उसकी बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जाये। मान्यवर, मेंरी जानकारी में इस देश में ऐसे बहुत से प्रदेश हैं, जहां पर वैट कानून को खत्म कर दिया गया, जिससे वहां के किसानों को सस्ती दर पर पेट्रोल, डीजल और उर्वरक मिल रहा है । तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी वैट कानून

को, किसानों से संबंधित, उनके उत्पादन से संबंधित जो अवयव हैं, उन पर वैट कानून वापस लेने पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, इस बात का प्रश्न से कोई मतलब ही नहीं है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी, आप वरिष्ठ सदस्य है और जिन संदर्भों में जिन उर्वरकों के संबंध में वैट की बात पूछ रहे हैं, सिंचाई मंत्री जी ने कृषि के लक्ष्य को बताया, उससे मदन चौहान जी संतुष्ट हो गये। अब वैट खत्म करायेगें कि नहीं करायेगें, इसके लिये दूसरा विभाग है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, किसान को डीजल चाहिये और तमाम प्रदेशों में डीजल और उर्वरकों पर वैट कानून को हटा दिया गया है। तो क्या यह सरकार भी किसानों के हित में कृषि की विकास दर को बढ़ाने के लिये कम से कम डीजल और उर्वरक पर वैट कानून को हटाने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

आपने जो प्रश्न पूछा है, उस पर माननीय मंत्री जी ने इतना उत्तर दिया, मूल प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। अब आप जानना चाहते हैं कि उर्वरक और डीजल पर वैट कानून में रिलेक्सेशन करेगें, इसके लिये यह विभागीय मंत्री नहीं है, यह बतायेंगे कैसे ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी यहां बैढ़ी हुई हैं, आप हमें संरक्षण दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

वैट कानून को लागू करना न करना माननीय कृषि मंत्री जी कैसे निर्धारित कर देगें।

डा0 पी0 के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, बगल के प्रदेश में किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जा रही है जिससे कि वह अपने खेतों की सिंचाई कर सके। इसलिये माननीय ओझा जी ने प्रश्न किया है कि क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी खेती का उत्पाद बढ़ाने के लिये डीजल पर सब्सिडी देने के लिये क्या सरकार विचार करेगी ? माननीय मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, इसलिये प्रश्न आया है।

श्री अध्यक्ष–

वैट कानून का प्रश्न आया है अब उसको कम करेगें नहीं करेगें, मुक्त करेगें, अब सिंचाई मंत्री जी उसके बारे में कैसे बता पायेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, लक्ष्य 5.1 था। प्राकृतिक अनुकूलता न होने के कारण जेसा कि सिंचाई मंत्री जी ने अभी कहा कि कृषि की प्रगति 1.2 रह गई। सूखे की स्थिति पर सही कहा कि सूखा नहीं है और सूखा घोषित करने के लिए अभी समय शेष है। लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखण्ड के बीसों जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से वर्षा कम हो रही है। लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि इस बार भी अनेक जिलों में प्रकृति की प्रतिकूलता रहेगी तो क्या आप प्राकृतिक प्रतिकूलता की स्थिति पिछले वर्ष और इस वर्ष देखते हुए जो हमारी कृषि प्रगति 1.2 रही, इस प्रगति को बढ़ाने के लिए क्या सरकार किसी विशेष योजना बनाने पर विचार करेगी ? किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता विशेष योगदान, कुछ विशेष प्लान बनाने का काम सरकार ने किया है या नहीं ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रगति 1.2 या इससे कम होगी और कृषि के क्षेत्र में पिछड़ने का मतलब है गरीबी का बढ़ना, अभाव का बढ़ना, कानून व्यवस्था का गिरना, समस्याएं पैदा होना, इसलिए मैं स्पष्ट पूछ रहा हूं कि पिछले वर्ष की प्राकृतिक प्रतिकूलता का अनुभव करते हुए इस वर्ष की सम्भावना के आधार पर क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनायी है या बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने बुन्देलखण्ड से लेकर पूर्वांचल तक की समस्त योजनाओं का उल्लेख अपने उत्तर में ही कर दिया है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं यही बता रहा हूं कि कोई बात छिपायी नहीं गयी है, अगर मा0 सदस्य हमारे उत्तर को देख लें तो जो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं उसका पूरा उत्तर हमारे उत्तर में है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी बहुत विद्वान है और उत्तर देने में बहुत कुशल हैं इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। यह योजनाएं पिछले वर्ष भी थी और तब प्रगति 1.2 रही तो यदि हम इन्हीं योजनाओं पर सीमित हैं तो हम यह मान लें कि इस वर्ष भी प्रगति नहीं होगी और प्रगति करने के प्रति यह सरकार जागरूक नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं मा0 सदस्य को योजनाओं के बारे में भी बता देता हूं और जो इस वर्ष की भौतिक प्रगति है उसके बारे में भी बता देता हूं। मान्यवर, 182 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। मान्यवर, मृदा परीक्षण नमूनों के विश्लेषण का लक्ष्य 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। 1.79 लाख वर्मी कम्पोज्ड की स्थापना की गई है मान्यवर, 29.50 लाख बायो फर्टिलाइजर एसिड का वितरण किया गया है। 3.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तृत मृदा परीक्षण सर्वेक्षण कराया

गया है। मान्यवर, 558 एडाप्टिव ट्रायल पर्यवेक्षण का आयोजन किया गया है। मान्यवर, रामगंगा नदी के तटीय क्षेत्र में 3127 हेक्टयर बीहड़ भूमि का सुधार किया गया है। मान्यवर, 10,510 हेक्टेयर के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को रसायन पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, विभिन्न फसलों पर 140 किसान आई0पी0एम0 प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को 12,310 आई0पी0एम0 प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन किये गये। 26,044 हेक्टेयर आवंटित भूमि के 12,804 कृषकों की भूमि पर 6,320 मृदा नमूनों का एकत्रीकरण करके 3,663 नेफड उर्वरक 3940 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। मान्यवर, 3,473 कृषकों का प्रदेश के बाहर एवं 8,089 कृषकों को प्रदेश के अन्दर अध्ययन एवं भ्रमण कराया गया। कृषि के चिन्तन की मासिक न्यूज की 4 लाख 32 हजार प्रतियों का वितरण कराया गया। बीज निगम के द्वारा मान्यवर, 9 कृषि सीड प्रोसेसिंग प्लांट का परिशुद्धीकरण किया गया है। इसी तरह से कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है और इसी तरीके से फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में किया गया है। अगर आप कहें तो पूरा बता दें, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, योजनाएं यह सरकार पिछले तीन वर्ष से लागू कर रही है। प्रतिवर्ष योजनाएं लागू कर रही है, फिर भी प्रगति 1,2 प्रतिशत हुई है। यह प्रगति यह सिद्ध करती है कि यह सरकार किसानों की प्रगति के लिए कोई विशेष योजनाएं, विशेष छूट, विशेष योगदान और विशेष निवेश की कोई योजना लागू नहीं करना चाहती है, और कृषि के उत्थान में इनकी रूचि नहीं है इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल अपने दल के साथ नारेबाजी करते हुए सदन का त्याग किया।)

श्री मदन चौहान–

मान्यवर, प्रदेश सरकार का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत का था और प्रगति हुई 1.2 इस तरह से 4 प्रतिशत का अंतर आया है। मान्यवर, 4 प्रतिशत का जो यह अंतर है, इसके संबंध में मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं, कि जिस तरह से 2007–08 में विभिन्न योजनाएं शुरू की गयीं तो इन योजनाओं का लाभ हुआ कि हानि हुई और यह विकास दर बढ़ी है या घटी है। यदि विकास दर बढ़ी है तो कितने प्रतिशत बढ़ी है। दूसरा मेरा अनुपूरक है कि क्या इस परिस्थिति को देखते हुए, किसानों और मजदूरों की स्थिति को देखते हुए विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार खेती को उद्योग का दर्जा देने का काम करेगी ? मेरा अन्य अनुपूरक है कि क्या डीजल पर यदि सरकार टैक्स कम कर दें तो उसका किसानों को लाभ मिलेगा ? क्या इसको योजना में शामिल किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

मा0 चौहान जी, अभी मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 5 प्रतिशत के सापेक्ष 1.2 प्रतिशत विकास दर हुई है। इस बात को उन्होंने एडमिट किया है। मंत्री जी ने भारत सरकार का भी संदर्भ दिया है, शेष उन्होंने कहा कि अपनी योजना के साथ.साथ उन्होंने 15–20 कार्यक्रम और भी चालू

किये है। उन्होंने सब्सिडी भी दी है, जगह-जगह पर भूमि परीक्षण केन्द्र खोले हैं, तहसील स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इस तरह के काम चल रहे हैं। यह इसको कारपोरेट कर रहा है कि कृषि का विकास दर बढ़ाने के लिए वे नीचे स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर तो मा0 मंत्री जी ने दे दिया है।

***2–श्री जोखू लाल यादव–**

[तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कालाबाजारी एवं घोटालों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु योजना

***3–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–**

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री के संज्ञान में है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाला खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल आदि के वितरण की कोई पारदर्शी व्यवस्था न होने के कारण वस्तुओं की कालाबाजारी एवं घोटाले के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कालाबाजारी एवं घोटालों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कोई पारदर्शी एवं प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाले खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल आदि के वितरण की पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था की गयी है। जो मामले प्रकाश में आते हैं, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल प्रस्तुत करने का आशय यह था कि यह जो मिट्टी का तेल है, जिसके ऊपर आज भी गरीबों का जीवन निर्भर है। अब यह अलग बात है कि केन्द्र सरकार ने उसकी कीमतों में वृद्धि भी लागू कर दी है, लेकिन जो राशन है, जो मिट्टी का तेल है, उसका सही वितरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में लोकसभा में भी और हमारी विधान सभाओं में भी समय-समय पर चिंता प्रकट की जाती रही है तो इसलिए मैंने कहा कि कोई पारदर्शी व्यवस्था हो, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, उसे मैं यहां रखना चाहूंगा। मैं इसके संदर्भ में अनुपूरक करना चाहूंगा कि न तो दुकानों के खुलने का समय निश्चित है और न ही वहां जो कार्ड लगे हैं उनको कब राशन मिलेगा, कब उनको मिट्टी का तेल वितरित होगा, इसके लिए कोई निश्चित समय तय नहीं है। सरकार यह कह सकती है कि इसके लिए व्यवस्था है, इसके लिए सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, डी0एस0ओ0 है, ए0डी0एल0 सप्लाई है, लेकिन अगर ये लोग जागरूक

हों तो कोई ऐसी व्यवस्था लागू करें कि दुकानें निश्चित समय से खुलें, निश्चित तिथि पर उनको राशन मिले और मिट्टी का तेल भी मिलें और वह भी सही मात्रा में मिले। यह भी शिकायत है कि दुकानों से सही मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं होता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत तो यह नहीं हो पा रहा है इसलिए क्या सरकार कोई ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगी, जिससे कि जो कार्ड धारक हैं, उनको मिट्टी का तेल सही मात्रा में, सही वजन का सही दाम पर एवं सही समय पर मिल जाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप अनुपूरक करिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, अनुपूरक हम कर रहे हैं, कोई ज्यादा सवाल भी इस पर होने नहीं है, शायद इसमें लोगों की रूचि नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

चौधरी जी, अनुपूरक प्रश्न करिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, अनुपूरक कर रहा हूं। इस पर ज्यादा सवाल नहीं होने हैं, शायद लोगों की रूचि नहीं है....।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे हैं कि रूचि नहीं है, आप पीछे देखिये कई मा0 सदस्यों ने हाथ खड़े कर रखे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, मैं एक अनुपूरक करके बैठ जाता हूं। आज ही लखनऊ के अन्दर एक समाचार छपा है कि 2.33 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिये गये और मजेदार बात यह है कि उन 2.33 लाख निरस्त कार्डों पर भी सप्लाई विभाग ने मिट्टी का तेल आदि जारी कर दिया। अब

यह सवाल है कि यह जो निरस्त कार्ड हैं, उन पर जारी किया गया मिट्टी का तेल है, यह निश्चित है कि खेल है और यह मिट्टी का तेल जायेगा कहां, यह तेल में खेल हो रहा है। आज बड़ा अच्छा अवसर है कि मा0 मुख्यमंत्री जी भी बैठी हैं। मैं आपको ही सम्बोधित करके यह पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी कि जो व्यवस्था में कमी है, जो लोगों को दिक्कतें हैं उसकी पूर्ति हो सके ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी बी0पी0एल0 के कार्ड हैं सबको कम्प्यूटराइज्ड कर दिया गया है। अब ए0पी0एल0 कार्डों की जांच चल रही है। निश्चित रूप से ए0पी0एल0 कार्ड पहले से गलत बने थे, धांधली हुई थी। पूरे लखनऊ की जांच हुई है और मा0 सदस्य चौधरी साहब ने जो कहा है यह सच है कि करीब 2.00 लाख कार्ड ए0पी0एल0 के अपात्र पाये गये। निश्चित रूप से जो ए0पी0एल0 के कार्ड बढ़ाये गये हैं उस तेल को देहाती क्षेत्रों में बढ़ाने का काम हम करने जा रहे हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया। मिट्टी का तेल गरीब आदमी की मूलभूत आवश्यकता है और उससे घर का खाना बनाने का काम होता है। वह मिट्टी का तेल आज पूरे प्रदेश में उस गरीब आदमी को न मिल करके कहीं और जाने का काम हो रहा है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है लेकिन लाखों लीटर तेल प्रतिमाह डीजल के रूप में परिवर्तित होकर टैंकरों में भरकर पेट्रोल पम्पों पर जाने का काम होता है क्योंकि उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। मैं पहले भी हाऊस में कह चुका हूं कि अगर सरकार चाहे तो लाखों कोटा तेल मैं पकड़वाने को तैयार हूं, सरकार को, लेकिन सरकार पकड़ने का काम नहीं कर रही है। जो इस तरह के माफिया हैं वह पहले भी जेलों में जा चुके हैं, वह आज भी मिट्टी के तेल को डीजल में बदलकर बेचने का काम कर रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, क्या सरकार ऐसे माफियाओं पर लगाम कसने के लिए कोई योजना बनायेगी जिससे मिट्टी का तेल गरीब आदमी को मिल सके ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, नई सरकार के आने के बाद पारदर्शिता के लिए ही शासनादेश जारी करके सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वितरण के लिए दूसरे विभाग के कर्मचारी लगा करके वितरण का काम सरकार ने शुरू कराया है। त्रिस्तरीय जांच की व्यवस्था तो पहले से है और दूसरे विभाग के कर्मचारी फिक्स तारीखों में जा करके वितरण कराने का काम करते हैं। अगर माननीय सदस्य को कहीं से सूचना हो तो उसकी जांच कराने का काम हम करायेंगे।
(डा0 अनिल चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री सत्यपाल सिंह, श्री उदयराज यादव, श्री अजय तोमर व श्री सत्येन्द्र सोलंकी के एक साथ खड़े होकर अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

उदयराज जी, तोमर साहब आप सब बैठ जाइये। श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही को हमने बुला लिया है। सोलंकी साहब, आपके अनुपूरक का जवाब मा0 मंत्री जी ने दे दिया है और स्पष्ट बता दिया कि जिलाधिकारी के स्तर पर दूसरे विभाग के कर्मचारी एक निश्चित तिथि पर जाकर वितरण का काम कराते हैं। यह भी बता दिया कि अगर आपके संज्ञान में हो तो बता दीजिए उस पर कार्यवाई करा देंगे। अब आप बैठ जाइये। अनिल चौधरी जी, बैठ जाइये, हमने सिरोही जी को बुला लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

माननीय अध्यक्ष जी, मिट्टी के तेल के वितरण के बारे में जहां से दिक्कत होती है। आपके डी0एस0ओ0 विभाग के जो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, आपके विभाग में दिक्कत क्या है जब यह तेल डिपो से डीलर के पास जाता है तो सप्लाई इंस्पेक्टर 50 प्रतिशत तेल वहीं रख लेते हैं वह तेल पेट्रोल पम्प या कहीं न कहीं चला जाता है मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं माननीया मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठी हुई है यह जो सप्लाई विभाग है और इसमें जो इंस्पेक्टर राज है उस इंस्पेक्टर राज की अगर कमर तोड़ दी जाय तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। क्या सरकार इंस्पेक्टर राज को समाप्त करके तेल के वैकल्पिक वितरण की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? अध्यक्ष जी सौभाग्य से मुख्यमंत्री जी यहां बैठी हुई हैं वह हमारे पड़ोस की रहने वाली हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा अगर इंस्पेक्टर राज को ठीक कर दिया जाय तो सप्लाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी।

श्रो अध्यक्ष–

आपने सुझाव दे दिया अच्छी बात है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ प्रश्न पूछने पर)

आप लोग बैठ जाएं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नए सदस्यों को अनुपूरक करने के लिए मौका दे दें।

चौ0 सत्यपाल सिंह–

अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र अलीगढ़ जनपद में जब से यह सरकार आई है मिट्टी का तेल तीसरे चौथे महीने में बंटता है सब तेल ब्लैक कर लिया जाता है। हमने मंत्री जी को लिखित रूप में बताया है डीलर का नाम भी बताया है लेकिन आज तक सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे गरीबों को बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 श्रेणी के लोगों को मिट्टी का तेल मिल सके। पूरा का पूरा तेल अलीगढ़ जनपद का तेल माफियाओं के द्वारा पेट्रोल पम्पों पर बेचा जाता है पिछली सरकार में ऐसा नहीं था लेकिन जब से बहन मायावती की सरकार आई है तब से यह धन्धा फल फूल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी सदस्य की व्यक्तिगत शिकायत है। उसका संज्ञान ले लें।

चौ0 सत्यपाल सिंह–

मैंने लिखित रूप में भी मंत्री जी को दिया है।

श्री रामप्रसाद चौधरी–

मैंने संज्ञान ले लिया है। मान्यवर, इनके खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं उनका डिपो है उनके खिलाफ यह शिकायत करते रहते हैं। इनकी व्यक्तिगत लड़ाई है।

चौ0 सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी शिकायत की जांच करवा लें अगर शिकायत गलत पाई जाय तो मैं आज ही विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूँगा। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम कभी भी तेल नहीं लेते।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित में दे दीजिए।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मान्यवर, मैं इनकी शिकायत की जाँच करवा लूँगा यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली तो सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहती हूं कि जो तेल के कालाबाजारी की बात हो रही है वह हमारे जनपद में भी हो रही है। कुल कितने मामले इस तरह के घोटाले के माननीय मंत्री जी के संज्ञान में उत्तर प्रदेश में आये ? उसमें कितने कालाबाजारियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी, कितनों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की है, कृपया इसका उत्तर माननीय मंत्री जी देने का कष्ट करें ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। आप लोग बैठ जायं इतना भावुक मत हुआ करिये। बैठ जाइये, मंत्री जी आप उत्तर दीजिये।

डा0 अनिल चौधरी–

तेल माफिया, हमारे खिलाफ चुनाव लड़े और हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

मैंने कहा कि फिर से जाँच कराई जायेगी और सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ तो गया कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी अब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप। कौकब साहब आप लोग सुनते नहीं हैं बात किसी की। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं पुनः जाँच कराऊँगा और जो जाँच रिपोर्ट आयेगी उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। इतना स्पष्ट तो कह दिया।

श्री कौकब हमीद खां–

नहीं नहीं मान्यवर, जो व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है, वह हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष–

बहुत स्पष्ट जवाब दे दिया है। हाँ फातिमा जी के अनुपूरक का जवाब दे दें।

श्री राम प्रसाद चौधरी–

माननीय सदस्या जी ने जानना चाहा है 2007–2008 में 4,672 छापे मारे गये, दर्ज एफ0आई0आर0 2080, गिरफ्तार किये गये 978, निलम्बित दुकानों की संख्या 12,265, निरस्त किये गये 5,603 मान्यवर, यह कार्यवाही की गई है 2007–2008 में।

धान की बुआई से पूर्व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता

***4–श्रीमती मिथलेश पाल–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010 की धान की बुआई से पूर्व प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हाँ।

खरीफ, 2010 में दिनांक 31 जुलाई, 2010 तक उर्वरकों के वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उर्वरकों की उपलब्धता निम्नवत् सुनिश्चित की गयी :–

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र0 सं0	उर्वरक का नाम	दिनांक 31, जुलाई 2010 तक का लक्ष्य	दिनांक 31, जुलाई 2010 तक की उपलब्धता	उपलब्धता प्रतिशत
1.	यूरिया	18.00	17.59	98
2.	डीएपी	3.05	5.24	172
3.	एनपीके	2.25	4.85	216
4.	एमओपी	0.75	1.26	168

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मिथलेश पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि धान की बुवाई जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होती है। मैं जानना चाहता हूं कि यूरिया, डी0ए0पी0, एम0ओ0पी0 के माँग के सापेक्ष कितना उपलब्ध था। माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, मैं 1 जुलाई क्या 31 जुलाई तक बता देता हूं। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) वो तो मैंने बता दिया। उसका उत्तर दे दिया। अगर उसको कहेंगे तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वह तो मूल प्रश्न के उत्तर में दे दिया लेकिन उनको भी यह लगे कि हाँ मेरी बात का उत्तर दिया, उनको भी सम्मान मिले। वरना जो वह पूछ रही हैं वह मूल प्रश्न के उत्तर में आ गया है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। राय साहब, आप भी समझ रहे हैं। मैं बताना चाह रहा था। आप रोक रहे हैं।

डा0 अजय तोमर–

मान्यवर, धान की रोपाई, बुआई का कार्य जून के अन्तिम सप्ताह और जुलाई के अन्तिम सप्ताह में रोपाई का काम पूरा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस समय धान की बोआई रोपाई का कार्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा था उस समय धान की बुआई के समय सभी यूरिया, डी0ए0पी0, एम0पी0के0 क्या माँग के सापेक्ष पूरी कर दी गई थी ? यह आँकड़े 31 जुलाई तक के हैं यह करीब-करीब बुआई समाप्त होने का समय था, माननीय सदस्या ने जानना चाहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में माँग के सापेक्ष या प्रदेश में जितनी धान की बोआई रोपाई होनी थी उसके हिसाब से खाद उपलब्ध थी।

श्री अध्यक्ष–

धान की उपलब्धता बताई है वितरण नहीं बताया है जो रिस्टोर हो गया था 31 जुलाई तक, तो उसको अगस्त तक वितरण कर सकते हैं।

डा0 अजय तोमर–

धान की बोआई के बाद उसके वितरण का कोई मतलब नहीं है जब धान जून के अन्तिम सप्ताह से बोना शुरू कर दिया और 31 जुलाई तक हम बो चुके तो अगर अगस्त में मिला तो यह राष्ट्रीय हानि है। किसान की व्यक्तिगत हानि तो है ही क्योंकि बुआई के समय नहीं मिला यह राष्ट्रीय हानि भी है। मैं जानना चाहता हूँ जिस समय बुआई शुरू हुई उस समय धान की बुआई के समय सभी जनपदों में खाद माँग के सापेक्ष उपलब्ध थी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं मिली कि माँग के अनुरूप खाद नहीं मिली अगर माननीय सदस्य की जानकारी में ऐसा हो तो वह दे दें मैं दिखला लूँगा, न कमी थी और न कमी है।

डा0 अजय तोमर–

धान की बुआई नहीं हुई लाइनें लगी रही।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए आपकी बात आ गई।

डा0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी कहते हैं प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है ऐसा माननीय मंत्री जी ने कहा, लेकिन चाहे गन्ने की बुआई हो, चाहे धान की बुआई हो, गेहूँ की बुआई हो उसमें भयंकर खाद की शार्टेज होती है और मेरा क्षेत्र नेपाल बार्डर से लगा हुआ है करीब 160 किलोमीटर। नेपाल के लिए मैं कई बार अधिकारियों से भी कह चुका हूं, जिला मजिस्ट्रेट से भी कह चुका, जितनी भी खाद लखीमपुर खीरी में जाती है लखीमपुर खीरी के 15 ब्लाक हैं 15 ब्लाकों में से 13 ब्लाकों में उतनी खाद नहीं पहुंचती जितनी दो ब्लाक पलिया और निघासन में खाद पहुंचती है। पलिया और निघासन की जितनी भी खाद है वह सारी की सारी नेपाल में स्मगलिंग हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी खाद की स्मगलिंग जो नेपाल में हो रही है इसको देखते हुए क्या मंत्री जी ने इसको रोकने के लिए कोई कार्य सूची बनाई या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, स्मगलिंग हो रही है, नहीं हो रही है माननीय सदस्य से मैं भी सुन रहा हूँ और सुनता रहता हूँ। इसको लेकर कार्यवाही की गई है एक यह आदेश है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश का, यह 23 मार्च 2010 का है और एक शासनादेश प्रमुख सचिव का है यह 26 मई 2010 का है इसमें दोनों में व्यवस्था की गई है कि जो शिकायत आती थी कि नेपाल में खाद जा रही है इसके लिए मान्यवर यह व्यवस्था कर दी गई है कि भारत नेपाल सीमा से लगे हुए जो जनपद हैं उन सभी जनपदों में 10 किलोमीटर क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक विनियमन प्रभावित क्षेत्रों में निगमन पर प्रतिबन्ध विक्रय केन्द्र नहीं होगा क्योंकि शिकायत निजी केन्द्र से होती थी इसलिए वहां पर रोक लगा दी गई है कि 10 किलोमीटर तक कोई निजी खाद्य बिक्री केन्द्र नहीं होगा। अध्यक्ष जी, मैं मा0 सदस्यों से फिर कह रहा हूँ यदि किसी एक जनपद में, किसी एक जगह पर कहीं अगर खाद की कमी है तो हमको जानकारी दीजिए।

श्री इरफान सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने कहा कि स्मगलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, अगर मंत्री जी ऐसा जवाब देंगे..

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने यह कहाँ कहा ? स्मगलिंग हो रही या नहीं हो रही है, उसके आगे व्यवस्था उन्होंने बताया, उसको भी सुना करिए।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि जो नेपाल बार्डर से लगे हुए जनपद हैं, उनमें इस तरह की शिकायतें हैं, जिसके लिए आदेश किए गए हैं। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता

हूँ, यह स्पष्ट है कि जितने नेपाल से लगे हुए जिले हैं, पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ स्मगलिंग हो रही है और जिसके कारण 10 कि0मी0 एरिया में कोई भी केन्द्र नहीं होंगे, इससे यह स्पष्ट हो गया कि एक तरफ से तो स्मगलिंग हो रही है और दूसरी तरफ पूरे 10 कि0मी0 एरिया में वहाँ के जितने किसान हैं, वह परेशान हैं, उनके लिए कहां से उर्वरक की व्यवस्था हो, कौन सी सरकारी या गैर सरकारी संस्था व्यवस्था करेगी, इसका अभी तक कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा और यह चाहूँगा कि क्या इन 10 कि0मी0 एरिया के किसानों के लिए कोई व्यवस्था की जायेगी ? दूसरी बात जो है, पूरे सदन को विश्वास में ले लें, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जनपद में एसएसबी और पुलिस के यह दोनों लोग मिलकर स्मगलिंग करा रहे हैं, इसमें जो हस्तक्षेप करता है, जिसके कारण आज 3 लोगों की हत्या हो गयी। एसएसबी की गोली चलाने से 2 हमारे किसान मारे गये। मान्यवर, इस गंभीर समस्या को आप संज्ञान में लें और उस पर सख्त कार्यवाई करें, यह मेरा अनुरोध है और क्या आप वहाँ के 10 कि0मी0 एरिया के किसानों के लिए कोई ठोस योजना बनाने का काम करेंगे, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, जिस 10 कि0मी0 का मैंने जिक्र किया है, वहाँ पर कोआपरेटिव को पूरा प्रबन्धन दे दिया गया है और यह कह दिया गया है कि आवश्यकतानुसार जितने भी बिक्री केन्द्र खोलने की जरूरत पड़ती है, खोलें, उनको खाद भरपूर उपलब्ध कराई जायेगी।

डॉ0 पी0के0 राय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक छोटा सा अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। चूंकि बिहार सीमावर्ती क्षेत्र की मैं नुमाइंदगी करता हूँ और खाद की उपलब्धता के जो आंकड़े आपने दर्शाए हैं, उसमें खाद की जो मांग थी उससे ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। लेकिन निश्चित तौर मा0 मंत्री जी, जो वितरण होना चाहिए और जो खाद मिलनी चाहिए, वह खाद किसानों को उस सहजता के साथ नहीं मिली है और कहीं न कहीं स्मगलिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो जो नेपाल बार्डर के क्षेत्र की 10 कि0मी0 की सीमा निर्धारित की है कि उसमें कोई दुकान नहीं होगी, क्या बिहार से लगे हुए एरिया के लिए भी 10 कि0मी0 की ही बाध्यता है या उससे कम की है और उस इलाके के किसानों के लिए जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा है, उनको खाद उपलब्ध कराने के लिए कोई अलग से व्यवस्था की जायेगी ? और दूसरा स्मगलिंग को रोकने के लिए चूँकि आपके पास पहले व्यापार कर के बैरियर लगे थे, वह बैरियर सब समाप्त हो गए हैं, बैरियर समाप्त हो जाने के बाद से क्या कोई और दूसरी प्रभावी कार्यवाही सरकार के द्वारा की गई है जिससे कि बिहार को उत्तर प्रदेश से तस्करी न की जा सके, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, वहाँ से तस्करी की कोई सूचना नहीं है और न ही खाद की कमी की सूचना है जो हमारे बिहार से लगे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, कोई ऐसी सूचना नहीं है। मैं पहले

ही कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जनपद में, किसी भी तहसील में यदि कमी है, मा0 सदस्य लिखकर दे दें, हम उस कमी की पूर्ति करेंगे। खाद की आवश्यकतानुसार पूरी की पूरी उपलब्धता है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में गेहूँ क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

***5–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–**

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूँ क्रय का घोषित सरकारी मूल्य 1100 रुपये प्रति कुन्तल है ? क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषकों को अपना गेहूँ 900–1000 रुपये प्रति कुन्तल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को घोषित मूल्य दिलाने के लिए कोई कारगर कार्य योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हाँ।

जी नहीं।

गेहूँ क्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना पूर्व से ही लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के डार्क घोषित विकास खण्डों में सिंचाई हेतु केन्द्र पोषित माइक्रो इरीगेशन योजना

***6–डा0 अनिल चौधरी–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डार्क घोषित (अतिदोहित/क्रिटीकल) विकास खण्डों में भू–गर्भ जल स्तर के क्षरण के नियंत्रण हेतु क्या सरकार किसानों को निःशुल्क/अनुदानित मूल्य पर सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर एवं ड्रिप इरीगेशन संयंत्र उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

समस्त प्रदेश में केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आइसोपॉम योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सेट पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 7500 (रु0 सात हजार पांच सौ मात्र) एवं

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के 64 जनपदों में केन्द्र पोषित माइक्रो इरीगेशन योजना के अन्तर्गत औद्यानिक फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्र पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 60 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

प्रदेश में दलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रम

***7–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 71 जनपदों में दलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत खरीफ 2010 हेतु प्रदेश के आठ अधिक दलहन उत्पादक क्षमता वाले जनपदों फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 524 गांवों का चयन किया गया है। जिसमें 260 गांवों अरहर हेतु तथा 264 गांवों को उर्द के अन्तर्गत लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु तटबन्ध निर्माण की नीति

***8–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड में वर्ष 2010 में बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

बुन्देलखण्ड में अभी वर्ष 2010 में बाढ़ की समस्या नहीं आयी है। पूर्व में बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर बाढ़ से प्रभावित जल प्लावित क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण की नीति पूरे प्रदेश में प्रचलित है। बुन्देलखण्ड में भी इसी नीति के तहत जनपद हमीरपुर में यमुना एवं बेतवा नदी से तथा बाँदा शहर को केन नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबन्ध निर्मित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

गरीबी रेखा से नीचे बी0पी0एल0 परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की नीति

***9–श्री हुकुम सिंह–**

क्या खाद एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के परिवारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ? क्या खाद्यान्न की उक्त मात्रा लाभार्थियों को आवश्यक पौष्टिक तत्व (कैलोरीज) उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से अतिरिक्त पुष्टाहार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

गरीबी रेखा से नीचे बी0पी0एल0 परिवारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रतिमाह 373764.00 मी0टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

लाभार्थियों को आवश्यक पौष्टिक तत्वों/कैलोरीज की पूर्ति खाद्यान्न के साथ-साथ अन्य खाद्य पदार्थों से भी होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-पीलीभीत की तहसील पूरनपुर की शारदा नदी टान्स शारदा क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर बाढ़ के कटान को रोकने हेतु परियोजनायें

***10–श्री सुखलाल–**

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के ट्रान्स शारदा क्षेत्र में शारदा नदी प्रतिवर्ष राणा प्रताप नगर नहरोसा, कबीरगंज नगरीय खुर्दकला, राम नगरा थाना माधौ टांडा अन्तर्गत नौजल्हा नम्बर 2 (कुतिया कवर) में भारी कटान करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों को बचाने के लिये इस वर्ष समय रहते बाढ़ नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हाँ। शारदा नदी, ट्रांस शारदा क्षेत्र के इंगित स्थानों पर बाढ़ अवधि में सामान्य से भारी कटान होती है।

जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के ट्रांस शारदा क्षेत्र में ग्राम राणा प्रताप नगर, नहरोसा, कबीरगंज को शारदा नदी की कटान से बचाने के लिये कटाव निरोधक परियोजनायें

तैयार की गयी हैं तथा उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् से अनुमोदनोपरान्त भारत सरकार के गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी हैं।

उपरोक्त ग्रामों के अतिरिक्त शेष नगरीय खुर्दकला, राम नगरा थाना माधौ टाण्डा अनौगत नौजल्हा नम्बर–2 (कुतिया कबर) आदि ग्रामों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कोई प्रस्ताव अलाभकारी होने के कारण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाढ़ के स्थाई समाधान हेतु परियोजनायें

***11–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार वर्ष 2010 हेतु बाढ़ के स्थाई समाधान की कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2010–11 में नदियों के किनारे संवेदनशील/अति संवेदनशील 130 अद्द स्थलों को चिन्हित कर बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अन्तर्गत सीमान्त बांध, कटाव निरोधक व जलोत्सारण की परियोजनाओं पर बजट व्यवस्था के अन्तर्गत यथा आवश्यकतानुसार कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में गेहूं की खरीद एवं उसका समर्थन मूल्य सम्बन्धी जानकारी

***12–श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2010 में गेहूं की खरीद का कितना लक्ष्य था एवं कितना गेहूं क्रय किया गया ? क्या यह सही है कि लक्ष्य से कम गेहूं की खरीद की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसका परीक्षण कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2010–11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 40.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष 16.7 लाख मी0टन गेहूं क्रय किया गया।

यह सही है कि कार्यकारी लक्ष्य से कम गेहूं की खरीद की गयी है। यह कार्यकारी लक्ष्य केवल व्यवस्थाएं करने के दृष्टिगत निर्धारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि खरीद योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना है।

इस वर्ष कार्यकारी लक्ष्य से कम गेहूं खरीद होने के मुख्य कारण निम्नवत् हैं :–

(क) प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं पर स्टाक लिमिट 27 अप्रैल, 2010 को अधिसूचना जारी करके समाप्त कर दी गई, अब प्रदेश में गेहूं के क्रय, भंडारण और संचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं

है, जिससे गेहूं की व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इस कारण किसानों को मिलने वाले मूल्य में वृद्धि आयी और किसानों को लाभ पहुंचा।

(ख) इस वर्ष माह मई, 2010 में ही मंडी में गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हो गया था।

(ग) मार्च, 2010 में पड़ी अत्यधिक गर्मी के कारण गेहूं का दाना सिकुड़ गया। भारत सरकार द्वारा सिकुड़न हेतु निर्धारित मानक से अधिक सिकुड़न वाला गेहूं (7 प्रतिशत मानक है, जिसे भारत सरकार ने अपने पत्र सं0–7–3–2010 एस एण्ड डी दिनांक 29–4–2010 द्वारा मूल्य कटौती के साथ बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया) योजनान्तर्गत खरीदना अनुमन्य नहीं है।

गेहूं क्रय योजना में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध परीक्षणोपरांत कार्यवाही की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जहरीली शराब से जनहानि की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की मांग

***13–श्री सुनील शर्मा–**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतों के लिये जिला आबकारी अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से होने वाली जनहानि की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा मिसाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग को समाप्त किये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त आबकारी विभाग एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश शासन के पत्र दिनांक 18–02–2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जहरीली शराब के पीने से हो रही मौतों के लिये आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की सीधे जवाबदेही सुनिश्चित किये जाने के स्पष्ट निर्देश शासनादेश, दिनांक 26–02–2010 द्वारा निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन पुलिस अधिकारियों द्वारा भी कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

उपर्युक्त के क्रम में एक अन्य शासनादेश दिनांक 12–04–2010 के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल से सम्बन्धित नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नोडल समिति गठित किये जाने के आदेश भी निर्गत किये गये हैं, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को भी सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना है।

इस प्रकार इस दिशा में पर्याप्त एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय व अन्य राजमार्गों के निर्माण पश्चात् दोनों ओर छायादार वृक्षों के लगाये जाने की मांग

***14–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य राजमार्गों के निर्माण में बाधक हरे छायादार वृक्षों के काटने के बाद निर्माण कार्य करने वाली संस्था द्वारा मार्गों के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाने तथा पांच वर्ष तक उन्हीं के द्वारा वृक्षों की देखभाल करने सम्बन्धी कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसोमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

मार्गों के किनारे वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा कराया जाता है।

प्रदेश में कृषि कार्य हेतु डीजल पर अनुदान दिलाये जाने की मांग

***15–श्री सोबरन सिंह यादव–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर या इंजन में प्रयोग होने वाले डीजल पर कोई अनुदान देने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ऐसी कोई योजना नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत शहवाजनगर ब्लाक ददरौल के भूपेन्द्र सिंह के रेलवे स्टेशन से बेहटा ग्राम तक सड़क पर लेपन का कार्य कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

1–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8–2–2010 के साथ संलग्न भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, नि0 मजरा बेहटा ग्राम पंचा0 शहवाजनगर, ब्लाक ददरौल, शाहजहांपुर का पत्र जो रेलवे स्टेशन से बेहटा ग्राम तक सड़क लेपन स्तर तक बनवाने

के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हाँ।

प्रश्नगत रेलवे स्टेशन से बड़ा मोहल्ला होते हुए बेहटा ग्राम तक 1.50 कि0मी0 लम्बाई है, जिस पर ईंट का खड़न्जा लगा है। जिसका लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद-लखीमपुर खीरी में नलकूपों की नालियों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गई धनराशि की जानकारी

2–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी में नलकूपों की नालियों के निर्माण हेतु प्रति छः माह, 20 हजार रुपये प्रति नलकूप हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि को नालियों का निर्माण न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त अनियमितता की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई (यांत्रिक) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयवीर सिंह)–

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थापित नलकूपों की नालियों के निर्माण हेतु प्रति 06 माह, रु0 20,000/–प्रति नलकूप की दर से धनराशि शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, अतः धन के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ट्यूबवेल पर लगे पेड़ों को काटने पर कार्यवाही की मांग

3–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के ट्यूबवेल नं0–12 एम0डब्लू0, 13 एम0डब्लू, 150 एम0डब्लू0, 10 एम0डब्लू0,

84 एम0डब्लू0, पर लगे हुए आम, सागौन, शीशम, नीम के पेड़ काटकर बेच दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित कोई भी नलकूप जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड, मोहम्मदी में स्थापित नहीं है, बल्कि ये नलकूप विकास खण्ड पसगवां में स्थापित है, जिसमें से 12 एम0डब्लू0 राजकीय नलकूप पर दिनांक 07–3–10 को सेमल के एक पेड़ की डालों को अवैध रूप से काटा गया था। घटना की प्राथमिकी पसगवां थाना में दिनांक 08–3–10 को दर्ज कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण हेतु गत वर्षों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण

4–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 व 2008–09 में जनपद-लखीमपुर खीरी में बाढ़ नियंत्रण हेतु कितनी धनराशि किस माह में दी गयी व उसका उपयोग किस माह में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद–लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड शारदा नगर, लखीमपुर खीरी को बाढ़ नियंत्रण मद में वर्ष 2007–08 में रु0 38.00 लाख एवं 2008–09 में रु0 397.41 लाख आवंटित धनराशि के सापेक्ष शत्-प्रतिशत व्यय किया गया। माह वार आवंटित एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष 2007–08				वर्ष 2008–09			
आवंटित धनराशि (लाख रु0)	माह	व्यय धनराशि (लाख रु0)	माह	आवंटित धनराशि (लाख रु0)	माह	व्यय धनराशि (लाख रु0)	माह
8.00	06/07	0.83	06/07	75.00	06/08	75.00	06/08
25.50	12/07	2.66	07/07	73.41	10/08	1.800	09/08
4.50	01/08	0.18	08/07	249.00	02/09	0.700	11/08
		3.62	09/07			73.41	11/08
		0.71	10/07			251.46	02/09
		1.58	01/08				
		5.74	02/08				
		22.68	03/08				
38.00		38.00		397.41		397.41	

प्रश्न नहीं उठता।

लोअर आगरा कैनाल मथुरा को किसान हित में अपर आगरा कैनाल मथुरा में समावेश करने के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री पूरन प्रकाश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के सिंचाई विभाग की लोअर आगरा कैनाल मथुरा को जनहित, किसान हित में अपर आगरा कैनाल मथुरा में समावेश करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत कोई कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा के अन्तर्गत मथुरा जनपद के परिक्षेत्र के कृषकों के हित में पूर्व से ही एक उपखण्ड जनपद मथुरा में क्रियाशील है।

प्रदेश में निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की संख्या एवं उन पर किसानों की बकाया धनराशि का ब्याज सहित भुगतान कराने के मांग

6–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी मिल मालिकों की कितनी चीनी मिलें हैं और इन चीनी मिलों पर किसानों की कितनी धनराशि बकाया है ? क्या सरकार किसानों की बकाया धनराशि को ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रदेश में निजी क्षेत्र की वर्तमान में कुल 93 चीनी मिलें हैं। दिनांक 26–07–2010 तक पेराई सत्र 2009–10 का कुल रु0 237.50 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है।

पेराई सत्र 2009–10 में निजी क्षेत्र की कुल 92 चीनी मिलों ने पेराई कार्य किया। 72 चीनी मिलों द्वारा सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। 20 चीनी मिलों पर उक्त अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त द्वारा चीनी मिलों के विरूद्ध समय-समय पर नोटिस/वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं तथा शत-प्रतिशत गन्ना, मूल्य भुगतान किये जाने हेतु चीनी मिलों पर निरन्तर दबाव बनाया जा रहा है।

प्रदेश के गन्ना उत्पादन को बढ़ाने हेतु विशेष पैकेज की मांग

7–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–2010 में गन्ने का उत्पादन विगत तीन वर्षों की तुलना में कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिए गन्ना किसानों को कोई विशेष पैकेज देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

8–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जहरीली शराब (करीना ब्रान्ड) पीने से कितनी मौतें वर्ष 2010 में हुई ? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों तथा उस शराब की सप्लाई करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

कैलेण्डर वर्ष 2010 में जहरीली शराब पीने से 40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन व्यक्तियों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, न कि देशी शराब की करीना ब्राण्ड से। करीना ब्राण्ड की देशी शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई हैं।

उक्त घटनाओं के संबंध में जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी तथा जिला आबकारी अधिकारी, बुलन्दशहर एवं जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद तथा सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, मेरठ के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है। जनपद-वाराणसी के तीन आबकारी निरीक्षकों तथा जनपद-बुलन्दशहर, गाजियाबाद तथा प्रतापगढ़ के एक-एक आबकारी निरीक्षक को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। इसी प्रकार जनपद वाराणसी के दो प्रधान आबकारी सिपाही तथा बुलन्दशहर के एक-एक प्रधान आबकारी सिपाही एवं आबकारी सिपाही तथा प्रतापगढ़ के एक आबकारी सिपाही को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

बुलन्दशहर प्रकरण में जहरीली शराब की बिक्री करने वाले चार व्यक्तियों के विरूद्ध व गाजियाबाद के थाना बहादुरगढ़ द्वारा 07 व्यक्तियों एवं थाना-मोदीनगर द्वारा मुख्य अभियुक्त

अजय कुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा–60 आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त धारा–272/273/304 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद में दो व्यक्तियों तथा जनपद-मेरठ में एक एवं थाना-गढ़मुक्तेश्वर तथा थाना-सिम्भावली में 05 अभियुक्तों के विरूद्ध रासुका (एन0एस0ए0) भी लगाया गया। जनपद वाराणसी में घटित विषाक्त काण्ड के प्रकरण में थाना-कैण्ट, वाराणसी में 06 लोगों के विरूद्ध धारा–328/304/120बी/272 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज है तथा उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के तहत भी अभियोग दर्ज कराया गया है।

इसी प्रकार प्रतापगढ़ जनपद में थाना-सांगीपुर मु0अ0सं0–115/10 धारा–328/304 भा0दं0वि0 दो व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है तथा अवैध मदिरा की बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है।

जनपद-इलाहाबाद के अनेकों ग्रामों में जल निकासी की समस्या का निराकरण

9–श्री उदयभान करवरिया–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष जल भराव के कारण ग्राम लोहगरा, चन्दरा, पिपरॉव, भेलॉव एवं ललई जनपद इलाहाबाद में खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

भूमि संरक्षण इकाई, फूलपुर एक्ट इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2008–09 में किसान हित योजना के अन्तर्गत प्रभावित गांव लोहगरा, चन्दरा, पिपरॉव, भेलॉव तथा ललई जनपद-इलाहाबाद की जल निकासी की व्यवस्था करके समस्या का निराकरण कर दिया गया है, जिससे कृषि कार्य होने लगा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती मंहगाई को देखते हुए नयी खाद्य नीति बनाये जाने की मांग

10–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान खाद्य नीति क्या है ? क्या लगातार बढ़ती हुयी मंहगाई को देखते हुये सरकार नयी खाद्य नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

वर्तमान में प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज यथा धान एवं गेहूं का लाभकारी मूल्य सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से मूल्य समर्थन योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत खरीफ सीजन में प्रदेश के कृषकों से धान तथा रबी सीजन में गेहूं की सीधी खरीद भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जाती है।

प्रदेश की चावल एवं चीनी मिलों से उनके द्वारा उत्पादित चावल एवं चीनी पर लेवी लगाकर लेवी चावल एवं चीनी की भी खरीद की जाती है।

प्रदेश के उपभोक्ताओं को नियंत्रित दरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रतिमाह उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी उपलब्ध कराया जाता है।

भारत सरकार से 106.79 करोड़ बी0पी0एल0/अन्त्योदय परिवारों के लिए प्रति माह रियायती मूल्य पर 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड खाद्यान्न (गेहूं/चावल) तथा 700 ग्राम प्रति यूनिट प्रति कार्ड चीनी उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से ए0पी0एल0 मद में गेहूं प्राप्त होने पर उसका वितरण ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को उपलब्ध कराया जाता है।

खुले बाजार में खाद्यान्न के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना संख्या–1209/29–7–2008, दिनांक 01–06–2008 द्वारा चावल, दालें, खाद्य तिलहन, खाद्य तेल पर एवं अधिसूचना संख्या–1377/29–7–2009, दिनांक 25–09–2009 द्वारा चीनी तथा खण्डसारी पर स्टाक लिमिट लगायी गयी, उक्त स्टाक लिमिट को अधिसूचना संख्या–262/29–7–2010, दिनांक 28–01–2010 द्वारा दिनांक 30–09–2010 तक प्रभावी किया गया।

आवश्यक वस्तुओं की निर्वाध आपूर्ति बनाये रखने एवं उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से शासन के आदेश दिनांक 20–01–2010 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये।

इस संबंध में पूर्व में ही व्यवस्था उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गाजियाबाद से मुरादाबाद हाई-वे के चौड़ीकरण में पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

11–श्री मदन चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गाजियाबाद से मुरादाबाद हाई–वे एन0एच0–24 का चौड़ीकरण व पुलों का निर्माण हापुड़ से ब्रजघाट तक लगभग 10 वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद गाजियाबाद में हापुड़ से ब्रजघाट तक एन0एच0–24 हाई-वे एवं पुलों का निर्माण मार्च, 2005 से निर्माणाधीन है।

सम्बन्धित कार्य वर्ष 2011 तक पूर्ण होने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के बसगित से सदरेपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

12–श्री जोखू लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत जगतपुर-वलीपुर मार्ग पर स्थित बसगित से सदरेपुर (सराय इस्माल) मार्ग का निर्माण कार्य कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, प्रश्न में वर्णित बसगित व सदरेपुर पूर्व से ही निर्मित मार्ग से जुड़े हैं। इन ग्रामों को आपस में जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण का कार्य किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-लखीमपुर गोला से शाहजहांपुर के बीच क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

13–श्रीमती कृष्णा राज–

क्या लोग निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर गोला से शाहजहांपुर मार्ग के बीच मोहम्मदी से सुखेता पुल तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, मार्ग की दशा सन्तोषजनक है, मोहम्मदी से सुखेता पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है, तथा कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना एवं इसमें लाभान्वित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी

14–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 में ''सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना'' लागू है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन शहरों में वर्ष 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ? क्या मंत्री जी यह

भी बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में नजूल भूमि और राजकीय आस्थान की भूमि पर बसे सभी सागरपेशा कमजोर वर्ग के कितने अध्यासियों को कहां-कहां इस योजनान्तर्गत भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

शासनादेश दिनांक 15–01–2009 द्वारा ''सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना'' लागू की गयी थी, जिसकी समयावधि अब समाप्त हो गयी है। उक्त योजना से प्रदेश के 30 शहरों में कुल 7232 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

सागरपेशा वासी शासनादेश दिनांक 15–01–2009 से आच्छादित नहीं है, इसलिये उन्हें ''सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना'' का लाभ प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी की आर0एफ0सी0 की विपणन शाखा में गेहूं क्रय में लाखों के घोटाले का कथित प्रकरण

15–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0एफ0सी0 की विपणन शाखा गेहूं क्रय केन्द्र गोला मण्डी, लखीमपुर खीरी में वर्ष 2009–10 में हुई गेहूं की खरीद में तत्कालीन एस0एम0आई0 और ठेकेदार द्वारा फर्जी किसान बही बनाकर अपने चिरपरिचित नामों के एक ही व्यक्तियों के खाते से 10 से 15 लाख रु0 तक की चेकें बनाकर भुगतान कर लिया गया है जबकि इन लोगों के नाम कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस करोड़ों रुपये के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के ग्राम चन्दारी स्थित भूमि का मुआवजा दिये जाने का विवरण

16–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चन्दारी, कानपुर नगर स्थित भूमि संख्या–797, रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा का कब अर्जन किया गया था एवं किन-किन

व्यक्तियों को कुल कितना मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कानुपर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा करने का क्या आधार है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

ग्राम-चन्दारी, कानपुर नगर स्थित भूमि संख्या–797 रकबा 17 बीघा, 19 बिस्वा एवार्ड संख्या–38 दिनांक 25–3–1963 द्वारा अर्जित है। तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, कानपुर नगर महापालिका द्वारा मु0 रु0 11028.59 प्रतिकर निजीशन बेगम, अब्दुल सुलेमान, अब्दुल राशिद, अब्दुल मुल्तान, मो0 जरकन, मो0 बरहान,लतीफ सुलेमान, परवीन सुलेमान, डा0 सुलेमान, अब्दुल समद, जमालुद्दीन निवासी-सिविल लाइन, कानपुर को दिया गया तथा इसी नम्बर में श्रीमती रामकली देवी पत्नी श्री कालीचरन निवासी-रोलिंग मिल कानपुर को रु0 15514.10 प्रतिकर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

17–डा0 अनिल चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में दलहन एवं तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

18–श्री जोखू लाल यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नीलगायों के प्रकोप के कारण दलहन एवं तिलहन फसलों की पैदावार/उत्पादन में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी हां। रबी 2007–08 में दलहन उत्पादन बढ़ाने की (राज्य सेक्टर से वित्त पोषित) योजना प्रदेश के 32 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित की गई, जिसमें जंगली जानवरों/वनरोजों से दलहनी फसलों को बचाने हेतु घेरवाड/फेन्सिग का कार्य सम्मिलित था। वर्ष 2008–09 में यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी। यह योजना आर्थिक रूप से लाभप्रद न होने के कारण गत् वर्ष 2009–10 से समाप्त कर दी गयी है।

19–श्रीमती कृष्णा राज–

[दिनांक 09–8–2010 को अता0 प्रश्न सं0–196 के द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुयी मंहगाई को रोकने एवं करों की दरों को घटाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग

20—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिये सरकार ने क्या नीति बनाई है तथा क्या-क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस व मिट्टी का तेल आदि पर लगाये गये कर की दरों को घटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं—

1— आदेश दिनांक 25—06—08 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति तथा उनके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

2— जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से चावल, दालें, खाद्य तिलहन एवं खाद्य तेल पर स्टाक लिमिट लगायी गयी है। चीनी पर भी दिनांक 30—09—10 तक के लिए स्टाक लिमिट लागू हैं।

3— शासनादेश दिनांक 01—01—09, 14—07—09, 21—07—09, 11—11—09 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से थोक व्यापारियों के साथ वार्ता करने एवं आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव को रोके जाने के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

4— शासन के पत्र दिनांक 18—07—09 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

5— आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य से आयुक्त खाद्य एवं रसद प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन द्वारा समय-समय पर समीक्षा कर समुचित कार्यवाही की जाती है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 22—12—2009 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि मण्डलायुक्त अपने मण्डल तथा जिलाधिकारी अपने जनपदों एवं एस0डी0एम0 अपनी तहसीलों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर भावों का विश्लेषण एवं समीक्षा करेंगे तथा आवश्यक वस्तुओं के थोक व्यापारियों तथा फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ व्यापार मण्डल के प्रतिनिधिगण से निरन्तर वार्ता कर आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर जनसामान्य को उपलब्ध करायेंगे।

शासन के आदेश दिनांक 01—02—2010 के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु जिला स्तर के साथ-साथ तहसील स्तर पर भी आकस्मिक निरीक्षण करके

खाद्य पदार्थों की कीमतों का आंकलन कर जमाखोरी में लिप्त पाये गये लोगों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर सख्ती से कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

6–इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सस्ती दरों पर आयातित दालें वितरित की गयी तथा माह जनवरी, 2010 से पीली मटर दाल भी रु0 15.50 प्रति कि0ग्रा0 की दर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही है।

प्रदेश में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत मिट्टी के तेल पर 12.5 प्रतिशत कर एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर, किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर 4 प्रतिशत कर एवं 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर, पेट्रोल पर 26.55 प्रतिशत कर तथा डीजल पर 17.23 प्रतिशत कर लगा है। घरेलू एल0पी0जी0 कर मुक्त है। उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत डीजल पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है, परन्तु मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर देय होने पर प्रवेश कर की देयता से छूट है।

मंहगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापार कर व्यवस्था की तुलना में डीजल एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल पर वैट की दरें घटायी गयीं हैं तथा घरेलू एल0पी0जी0 को कर मुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के अस्थायी स्टोर हटाये जाने की मांग

21–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर लखनऊ में सेक्रेटेरिएट एवेन्यू वेलफेयर ऐसोसियेशन (सचिवालय क्लब), महानगर, लखनऊ के पास निर्माण खण्ड–2 (सी0डी0–2) कर अस्थायी स्टोर बनाया गया है, जबकि उस कालोनी में निर्माण कार्य समाप्त होने के पश्चात् भी विगत 5 वर्षों से उक्त स्टोर विद्यमान है, जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है ? यदि हां, तो उसे कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय कालोनी, महानगर लखनऊ में सेक्रेटेरियट एवेन्यू वेल्फेयर एसोशियेशन (सचिवालय क्लब), महानगर, लखनऊ के पास अस्थाई स्टोर निर्माण खण्ड–2, का न होकर निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधीन है, जहां लोक निर्माण विभाग के विभागीय चौकीदार तैनात हैं। उक्त स्टोर पर असामाजिक तत्वों का कोई जमावड़ा नहीं होता है।

उक्त अस्थाई स्टोर हटाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के ब्लाक डोमी से केराकत तक सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

22–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत खुज्झी मोड़ ब्लाक डोभी से केराकत तक निर्माणाधीन सड़क किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई तथा अब तक न बन पाने के क्या कारण हैं ? उक्त सड़क कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मार्ग की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 2408.75 लाख की लागत पर प्रदान की गयी है तथा अब तक रु0 2000.00 लाख आवंटित किया गया है। कार्य प्रगति पर है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण परियोजना पर पूर्ण धनराशि अवमुक्त न हो पाने से अब तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-सिद्धार्थनगर के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्धों का निर्माण

23–श्री लाल जी यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर का विधान सभा क्षेत्र बांसी एवं पुरा जनपद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में बाढ़ बचाव हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान समय में बाढ़ से बचाव हेतु कितना धन आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी नहीं।

जनपद सिद्धार्थनगर में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल 52 अद्द तटबंधों का निर्माण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में अब तक रु0 265.26 लाख का आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना के कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

24—श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल—

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना का कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा अक्टूबर, 2009 तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है ? उक्त परियोजना में सदर से के0के0सी0 पुल तक का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

परियोजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत अक्टूबर, 2009 तक सदर से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इस प्रखण्ड के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय सचिवालय कालोनी महानगर लखनऊ में बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने को मांग

25—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर में आवासों के किनारे बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर में आवासों के किनारे बाउंड्रीवाल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तहसील बारा, विकास खण्ड शंकरगढ़, जनपद-इलाहाबाद के राजवाहों एवं माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

26—श्री उदयभान करवरिया—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बारा, विकास खण्ड शंकरगढ़, जनपद इलाहाबाद के अन्तर्गत बाघला पम्प नहर की उच्च पोषक नहर जिगना राजवाहा, देवरा माइनर एवं नारी बारी राजवाहा के टेल तक जगह-जगह नहर कटिंग तथा नाली निर्माण न होने के कारण

सिंचाई कार्य बाधित है तथा नहर का पानी नाले में गिरता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बाघला पम्प नहर की सभी राजवाहों एवं माइनरों के टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों द्वारा सिंचाई की जा रही है।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम करसौरा से नगला वीरबल तक क्षतिग्रस्त सड़क को बनवाये जाने की मांग

27–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम करसौरा से ग्राम नगला वीरबल तक सड़क जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मथुरा के राया–सादाबाद मार्ग से ग्राम बल्टीकरी क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करवाये जाने की मांग

28–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के राया-सादाबाद मार्ग से ग्राम-बल्टीकरी को जाने वाला मार्ग जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद में धोबी घाट पंचायत स्थल की भूमि का पट्टा/फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

29—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभापति आश्वासन समिति उ0प्र0 विधान सभा के पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 11—3—2010 जो समाज के दलित एवं मेहनतकश वर्ग के इलाहाबाद के रजक समाज को 1945 से स्थापित धोबी घाट और पंचायत स्थल की नजूल भूमि का पट्टा/फ्री-होल्ड प्राथमिकता के आधार पर किये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव आवास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 25—05—2010 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत नजूल भूमि जल निकासी और नाले की भूमि है, जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है और शासनादेश दिनांक 01—12—98 के प्राविधानों के अन्तर्गत इसे फ्री-होल्ड नहीं किया जा सकता। प्रश्नगत भूमि पर धोबी समुदाय के लोगों का अवैध कब्जा सिद्ध होता है लेकिन शासनादेश दिनांक 04—08—2006 में नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को विनियमित न किये जाने की व्यवस्था है। अतः इस आधार पर प्रश्नगत भूमि को नियमानुसार न तो धोबी समुदाय को आवंटित किया जा सकता है और न ही इसका पट्टा/फ्री-होल्ड किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के असेवित गांव को लेपन स्तर तक निर्मित कराने की मांग

30—डा0 अनिल चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के मजरे छत्तरगढ़ी (भाग खोडा) असेवित गांव को लेपन स्तर तक निर्मित कराकर क्या सरकार सम्पर्क मार्ग से जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित करने का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

31—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ माती सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16—2—2010 जो जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में उनके आदेश पत्र संख्या—501 वी0आई0पी0/10 दिनांक 18—2—2010 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

यातायात घनत्व के दृष्टिगत मार्ग के चौड़ीकरण का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा में चिल्ला—ललौली के बीच यमुना नदी पर पहुंच मार्ग निर्माण में अर्जित की गयी भूमि का सही मूल्यांकन न किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

32—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में चिल्ला-ललौली के बीच यमुना नदी पर पुल के दोनों तरफ पहुंच मार्ग निर्माण में अर्जित की गई भूमि का सही मूल्यांकन न किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 9—12—09 अधि0 अभियन्ता, लोक निर्माण खण्ड—4, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रभावित किसानों को समुचित मुआवजा दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी बांदा द्वारा भूमि का मुआवजा आपसी समझौते के आधार पर निर्धारित सर्किल दरों पर कतिपय कृषकों को भुगतान किया जा चुका है। अवशेष 05 कृषकों की पहचान कर नियमानुसार भुगतान की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा की तहसील नरैनी के कोटेदार के विरूद्ध खाद्यान्न में अनियमितता के आरोपों की जांच विषयक पत्र

33–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा की तहसील नरैनी के द्वारिका प्रसाद कोटेदार के विरूद्ध खाद्यान्न में अनियमितता के आरोप की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4–1–10 मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच में श्री द्वारिका प्रसाद, उचित दर विक्रेता, नगर नरैनी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत सिद्ध नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

34–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

[दिनांक 09–8–2010 को अता0 प्रश्न सं0–197 द्वारा उत्तरित]

जनपद-सीतापुर तहसील महमूदाबाद में खोले गये क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद की जानकारी

35–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा (सीतापुर)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में 1 अप्रैल, 2010 से 12 अप्रैल, 10 तक विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित गेहूं क्रय केन्द्रों पर कुल कितने कुन्तल गेहूं की खरीद की गयी है ? क्या समस्त खोले गये क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

9094.00 कुन्तल।

जी नहीं।

खोले गये सभी क्रय केन्द्रों में से कतिपय क्रय केन्दों पर गेहूं की आवक नहीं होने से गेहूं की क्रय नहीं हो सकी।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के पैंतेपुर फजारपुर मार्ग पर टूटे पुल के निर्माण की मांग

36–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पैतेपुर फजारपुर मार्ग, तहसील महमूदाबाद जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत पुराना पुल टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पुनः बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। (मार्ग का नाम पैतेपुर फजारपुर न होकर पैतेपुर केदारपुर मार्ग है)

प्रश्नगत पुलिया के पुनः निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या–592 रा0सं0नि0/23–1–2010–31 रा0सं0नि0/2010 दिनांक 05–08–2010 द्वारा रु0 12.97 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कालोनी बादशाहनगर लखनऊ के भवनों के टूटे प्लास्टर की मरम्मत एवं डाउन पाइप को बदलवाने की मांग

37–श्री उदयराज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राजकीय कालोनी बादशाहनगर में स्थित ''एल'' ब्लाक के सभी भवनों में बाहरी प्लास्टर तथा सभी डाउन पाइपों के जगह-जगह से टूटने के कारण भू–तल के भवनों में सीलन हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी के सभी भवनों का बाहरी प्लास्टर एवं डाउन पाइप बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

संसाधन उपलब्धता के आधार पर चरणों में कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर की तहसील सिकन्दराऊ में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

38–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हंसायनपुर दिलनगर वरीका नगर मार्ग से नगला कटैला नीजरा गोकुलपुर से नगला कोठी कचौरा राजवाहा पटरी से भूपालगढ़ी तहसील

सिकन्दराराऊ जनपद-महामायानगर में पक्की सड़क बनाने के लिये योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

हंसायन पुरदिलनगर वरीका नगर मार्ग से नगला कटैला मार्ग का निर्माण कार्य जिला योजना 2009–10 में स्वीकृत है तथा नीजरा गोकुलपुर से नगला कोठी मार्ग एवं कचौरा राजवाहा की पढ़री से भूपालगढ़ी मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

हंसायन पुरदिलनगर वरीका नगर मार्ग से नगला कटैला मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना वर्ष 2010–11 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। नीजरा गोकुलपुरा से नगला कोठी मार्ग एवं कचौरा राजवाहा की पढ़री से भूपालगढ़ी मार्ग का निर्माण कार्य सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण कराये जाने की मांग

39–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद-फतेहपुर के अन्तर्गत जी0टी0 रोड से सेनीपुर मलौनी मार्ग 4 कि0मी0, फतेहपुर लखनऊ मार्ग से अहमदपुर चौके खां ढाई कि0मी0 जैचन्दापुर से सिरसी मार्ग 3 कि0मी0, बी0बी0 हाट नगर से आम्बी तक ढाई कि0मी0, भिटौरा, तारापुर से आलमपुर नरही तक 2 कि0मी0, ग्राम गौराकलां से रसूलपुर तक 2 कि0मी0 तथा ग्राम पिलखिनी उमरापुर से मकनपुर तक साढ़े तीन कि0मी0 की सड़कों को पेन्टिंग स्तर तक निर्माण किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नगत समस्त ग्राम पूर्व से ही सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। आपरा में इन्हें जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

प्रदेश में पूर्वान्चल विकास निधि से सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

40–श्री राधेश्याम गुप्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि से सी0 सी0 रोड बनाना प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर की तहसील बदलापुर में श्रीकृष्ण नगर रेलवे स्टेशन से सराय त्रिलोकी की सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

41–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील बदलापुर में श्रीकृष्ण नगर रेलवे स्टेशन से सराय त्रिलोकी की तरफ जाने वाली सड़क स्टेशन से दो किलोमीटर तक जीर्ण-शीर्ण होने से आवागमन में बहुत कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मार्ग को गड्ढामुक्त कर दिया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात योग्य है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में सरयू नदी में मिट्टी के पटान की सफाई कराये जाने की मांग

42–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निघासन विधान सभ क्षेत्र-जनपद-खीरी में सरयू नदी मिट्टी के पटान से बन्द हो गयी है जिसका पानी जोरा नाले में जाने से ग्राम सभा-मोतीपुर सिगहां कला, सिगहा खुर्द, सिनौना, रमुलापुर, रमुवापुर, दलराजपुर, खैरटिया, खमरिया तथा सहन खेड़ा आदि गावों में जानमाल का खतरा व धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरयू नदी में हुई मिट्टी के पटान की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

निघासन विधान सभा क्षेत्र जनपद खीरी में मिट्टी के पटान से सरयू नदी बंद नहीं है। सरयू नदी में बाढ़ आने पर उक्त गांवों में पानी फैलकर बहता है। बाढ़ से जानमाल का खतरा एवं फसल नष्ट होने की सूचना सिंचाई विभाग संकलित नहीं करता है।

नदी में मिट्टी की सफाई नहीं करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

नदी में मिट्टी की सफाई नहीं करायी जाती है।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के बरना नदी व नाले की सफाई हेतु धनराशि की मांग

43–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत स्थानीय बरना नदी/बरना नाला की सफाई हेतु कोई योजना बनायी गयी है, यदि हां, तो उक्त योजना पर कुल कितनी धनराशि का व्यय अनुमानित है ? उक्त योजना पर कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 2009–2010 में निर्गत की गयी है ? क्या शेष धनराशि की व्यवस्था सरकार वित्तीय वर्ष 2010–2011 में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां

उक्त योजना के कार्यों पर कुल रु0 435.69 लाख की धनराशि का व्यय अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में रुपये 65.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।

नाबार्ड से वित्त पोषण की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पचावरी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

44–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सादाबाद जनपद-महामायानगर में बिसावर से ग्राम-पचावरी तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना को विकसित करने का प्रस्ताव

45—श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल—

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के यातायात को नियंत्रित करने हेतु हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना तैयार की गयी है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? उक्त परियोजना का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है ? शेष कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

राजाजीपुरम, आलमबाग, चारबाग आदि महत्वपूर्ण स्थलों से ट्रांस गोमती क्षेत्र की ओर आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजाजीपुरम डी-ब्लाक चौराहे से कालीदास मार्ग तक हैदर कैनाल के ऊपर स्लैब डालकर सड़क के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

उक्त परियोजना के प्रथम चरण में सदर से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग तक 770 मी0 के प्रखण्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग तक के प्रखण्ड का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

शेष प्रखण्ड के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्धारण अभी नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ से मथुरा तक राधाकृष्ण परिपथ बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

46—श्री प्रदीप माथुर—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29—12—09 जो लखनऊ से मथुरा तक बौद्ध परिपथ की भांति राधाकृष्ण परिपथ बनाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 29—12—2009 प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अनेकों ग्रामों में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने की मांग

47—श्री राधेश्याम गुप्त—

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद-फतेहपुर में सिंचाई का संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार मलाका, कुसुम्भी, कैड़ेपुर दौलतपुर, हसनापुर, बड़नपुर, उमरी, सेमरा, मलेवा, एकारी, छिछनी तथा अतरहा क्षेत्र के किसानों की फसल की सिंचाई के लिये नलकूप लगाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह—

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, राजकीय सिंचाई संसाधनों से पूर्णरूप से आच्छादित नहीं है।

चिन्हित 12 ग्रामों में से ग्राम-मलाका, कुसुम्भी, एकारी, छिछनी एवं अतरहा में राजकीय नलकूप स्थापित है एवं हसनापुर बढ़नपुर, उमरी, सेमरा एवं भलेवा नहर कमाण्ड में होने के कारण नलकूप लगाया जाना साध्य नहीं है। ग्राम कैड़ेपुर एवं दौलतपुर में नलकूप लगाया जाना साध्य पाये जाने पर प्रकरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, परन्तु समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के काण इन 02 ग्रामों में नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में ड्रेनों/नालों की खुदाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था की मांग

48—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद, बिसवां, लहरपुर, जनपद-सीतापुर में अधिकांश जमीनें जलमग्न रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर चोक हो गयी ड्रेनों/नालों की खुदाई कराकर जल निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ड्रेन/नाले चोक नहीं हैं, आवश्यकतानुसार मनरेगा/अनुरक्षण मद से ड्रेनों/नालों के अवरोध हटाकर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाती है।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में नये पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

49—श्री जोखू लाल यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा प्रतापपुर के अन्तर्गत बरना बाजार में स्थित बरना नदी के पुराने पुल के स्थान पर नये पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010—2011 में धन आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्नगत पुल के निर्माण का प्रस्ताव सम्प्रति किसी योजना में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों की सेवा स्थित पश्चात् पेंशन भुगतान की मांग

50—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् की सेवा नियमावली, जो शासन से स्वीकृत है, के नियम—21 में पेंशन दिये जाने का स्पष्ट प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

गन्ना शोध परिषद् की सेवानियमावली शासन के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं है। उक्त नियमावली के नियम—21 में यह प्राविधान है।

उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् के कार्मिकों को पेंशन अथवा अन्य सुविधा अनुमन्य किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

जनपद-बहराइच की पारले जी चीनी मिल पिपरसेंडी द्वारा बिजली का उत्पादन एवं पावर कार्पोरेशन लि0 उ0 प्र0 को बेची गई बिजली का पूर्ण विवरण

51—श्री प्रदीप माथुर—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारले जी चीनी मिल, पिपरसेंडी, जनपद-बहराइच कब से बिजली का उत्पादन कर रही है ? चीनी मिल स्थापित

करने के प्रस्ताव के अनुसार चीनी मिल चलाने के लिये कितने मेगावाट विद्युत प्रतिमाह की आवश्यकता दर्शायी गयी थी ? उत्पादित बिजली से दिसम्बर, 2009 तक वर्षवार कितने मेगावाट मूल्य की बिजली स्वतः प्रयोग की गयी तथा कितने मेगावाट मूल्य की बिजली ऊर्जा विभाग को बेची गयी ? क्या विद्युत संयंत्र चलाने के लिये मिल की खोई के अतिरिक्त अन्य कोई ईंधन उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो उसके प्राप्ति का उद्गम क्या है ? क्या मिल की खोई से ही विद्युत प्लांट चलता है ? यदि हां, तो अन्य ईंधन के मुकाबले यह कितने प्रतिशत सस्ता है ? क्या ऊर्जा उत्पादन के लिये किसी स्तर से इनको अनुमति की आवश्यकता है ? यदि हां, तो किससे तथा क्या उसकी अनुमति मिल के पास है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2007–08 से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

चीनी मिल की स्थापना से 6 मेगावाट प्रतिमाह की आवश्यकता दर्शायी गई है।

वर्षवार उत्पादित बिजली का उपभोग तथा पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश को बेची गई एवं उसके मूल्य का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	स्वयं द्वारा उपयोग की गई बिजली (K.W.H.)	धनराशि रु0 में	पावर कारपोरेशन को विक्रय की गई बिजली (K.W.H.)	धनराशि रु0 में
2007–08	14093307	49880896	11218800	31791251
2008–09	8868294.78	28023812	10590957	29766533
2009–10	9188594	37033040	5910841	23017576

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

लागू नहीं।

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा (7) के अनुसार विद्युत उत्पादन हेतु लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है, यदि संयंत्र की ग्रिड से संयोजन हेतु तकनीकी मानकों का अनुपालन किया जा रहा है।

जनपद-गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा तहसील जखनियां के ग्राम करिमुल्लपुर में स्वीकृत नक्शे के अनुसार सड़क का निर्माण

52–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर द्वारा वर्ष 2005–06 में ग्राम खुटही, तहसील जखनियां

के ग्राम करिमुल्लपुर स्थित आराजी नं 25 रकबा 0.116 हे0 से सड़क हेतु स्वीकृत नक्शे के विपरीत पक्की सड़क निर्माण कराये जाने सम्बन्धी उप-जिलाधिकारी, जखनियां-गाजीपुर की जांच आख्या पत्रांक 963/आ0लि0/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का नक्शे के अनुसार पुनः निर्माण कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी नहीं। क्योंकि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार पुराने कच्चे मार्ग के संरेखण पर कराया गया है। अतः मार्ग का पुनः निर्माण कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में तेज बहाव में बह गये पुल व सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

53–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत वर्ष 2009 में आयी प्रलयकारी बाढ़ से लखनीपुर सिहार खेड़ा के बीच में निर्मित पुल व सड़क तेज बहाव में बह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस स्थान पर पुल का निर्माण व सड़क का पटान कर उक्त रास्ते को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गन्ना विकास परिषद् महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर द्वारा निर्मित इस मार्ग की मरम्मत का कार्य परिषद् के बजट वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत धन की उपलब्धता पर करा दिया जायेगा।

54–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[दिनांक 09–8–2010 को अता0 प्रश्न सं0–182 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के कतिपय मार्गों से होते हुये बहराईच मार्ग के चहलारी घाट पर पुल का निर्माण एवं मार्गों के चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने की मांग

55–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ से कुर्सी, टिकैतगंज, महमूदाबाद, रेउसा, चहलारी होते हुये बहराईच मार्ग पर चहलारीघाट पर पुल का निर्माण हो रहा

है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण पूर्ण होने के साथ-साथ उक्त मार्गों का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

लखनऊ से कुर्सी-टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग पर 19.50 किमी0 लम्बाई में उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण तथा 9.75 किमी0 में उच्चीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा रेउसा चहलारी होते हुये बहराईच मार्ग पर कुल 15.720 किमी0 लम्बाई में सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत है।

स्वीकृत कार्यों को दिनांक 30–06–2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर की तहसील केराकत के ग्राम भुइली तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

56–श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर, तहसील केराकत के अन्तर्गत गांगी नदी पुल से ग्राम भुइली तक का सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, अतः आवागमन में असुविधा होना स्वाभाविक है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलों से उनके परिवार के शादी विवाह के अवसर पर आपूर्ति किये गये गन्ने के अनुपात में छूट दिलाये जाने की योजना

57–श्री प्रदीप माथुर–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलों से उनके उपयोग तथा उनके परिवार के शादी विवाह के अवसर पर सीधे मिल से आपूर्ति गन्ने के अनुपात में छूट आधारित चीनी तथा मिलों द्वारा उत्पादित बायोखाद दिलाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बाराबंकी से रुपईडीहा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ीकरण कराने की मांग

58–श्री प्रदीप माथुर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी से रुपईडीहा जनपद-बहराइच के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस मार्ग को कितना चौड़ा बनाया जाना प्रस्तावित है तथा सम्प्रति इसे राजमार्ग बनाने का व्यय कितने रुपये प्रति किलोमीटर है ? क्या पहले से बने पुल भी राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से मार्ग का अनुरक्षण किया जा रहा है। सम्प्रति इस मार्ग का चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

जी हां।

इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 03 बड़े पुल, 23 छोटे पुल तथा 114 कल्वर्ट हैं।

59–श्री प्रदीप माथुर–

[दिनांक 09–8–2010 को अता0 प्रश्न सं0–193 द्वारा उत्तरित]

60–श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

[दिनांक 10–8–2010 को अता0 प्रश्न सं0–186 द्वारा उत्तरित]

जनपद-प्रतापगढ़ के सैफाबाद से हनुमानगंज मार्ग के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

61–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सैफाबाद-वारीकला-कभवनी-मंगरौरा-कन्धई हनुमानगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सड़क निधि से प्रस्ताव, आगणन

एवं स्वीकृत सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16–02–2010 पर उनके निर्देश पत्र संख्या 443/बी0आई0पी0/10, दिनांक 16–2–2010 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

यातायात घनत्व के दृष्टिगत मार्ग के चौड़ीकरण का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर के निर्माणाधीन जिला जेल बाई पास में हुए कार्यों का विवरण एवं कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

62–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित निर्माणाधीन जिला जेल बाई पास में अब तक हुये कार्यों का विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि किन कारणों से इस बाई पास का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के लिये कितने धन की आवश्यकता है ? उक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

इस मार्ग की कुल लम्बाई 8.550 कि0मी0 के विरूद्ध 8.300 कि0मी0 में कार्य, लेपन स्तर तक पूर्ण है। अवशेष 0.250 कि0मी0 में कार्य डब्लू0बी0एम0 स्तर तक पूर्ण है।

कार्य प्रगति में है।

धन उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा में भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा नावार्ड के अन्तर्गत कराये गये कार्य

63–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा नावार्ड–14 के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में किस-किस ग्राम में कितनी धनराशि जल संरक्षण हेतु प्रदान की गयी ? क्या कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पुराने कार्यों को दिखाकर फर्जी मस्टररोल तैयार कर सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2009–10 में भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा नाबार्ड–14 के अन्तर्गत जनपद बांदा में कोई भी भूमि संरक्षण का कार्य नहीं कराया गया है। न ही नाबार्ड–14 के अन्तर्गत कोई बजट आवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद-बांदा में भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा केन/बागेन योजना एवं आर0आई0डी0एफ0 द्वारा प्राप्त धनराशि एवं कृत कार्यों का विवरण

64–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2009–10 में केन-बागेन योजना में आर0आई0डी0एफ0–11 व 12 व 14 में भूमि संरक्षण अधिकारी मैदानी प्रथम बांदा व मैदानी द्वितीय तथा राष्ट्रीय जलागम बांदा की परियोजना वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा कितनी धनराशि खर्च की गई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा बन्धी के ऊपर बन्धी डालकर ट्रैक्टर से कार्य कराकर फर्जी मस्टर रोल तैयार कर धनराशि निकाली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों के मस्टर रोल की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

वर्ष 2009–10 में भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा केन/बागेन योजना एवं आर0आई0डी0एफ0–11 व 12 में इकाईवार प्राप्त एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	योजना का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
1.	भूमि संरक्षण	केन/बागेन	103.05	103.05
	अधिकारी	आर0आई0डी0एफ0–11	60.09	60.09
	मैदानी–प्र	आर0आर0डी0एफ0–12	120.53	120.53
2.	भूमि संरक्षण	केन/बागेन	100.00	100.00
	अधिकारी	आर0आई0डी0एफ0–11	25.553	25.553
	मैदानी–द्वि	आर0आई0डी0एफ0–12	141.417	141.417
3.	भूमि अधिकारी	केन/बागेन	100.00	100.00
	जला0 बांदा	आर0आई0डी0एफ0–11	68.70	68.70
		आर0आई0डी0एफ0–12	112.30	112.30

आर0आई0डी0एफ0–14 के अन्तर्गत बजट आवंटित नहीं किया गया।

कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ट्रेक्टर से कार्य नहीं कराया गया है और न ही फर्जी मस्टर रोल तैयार किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में कृषकों की फसलों की सुरक्षा हेतु फसल बीमा योजना लागू करने की मांग

65–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दैवी आपदा से पीड़ित कृषकों की फसलों की सुरक्षा हेतु क्या सरकार फसल बीमा योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में वर्ष 2000–01 से प्रत्येक खरीफ व रबी मौसम में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसान दुर्घटना बीमा को पुनः चालू कराये जाने की मांग

66–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में संचालित गन्ना किसान दुर्घटना/मृत्यु बीमा योजना को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त बीमा योजना को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

कृषक दुर्घटना बीमा के मद में कटौती किया जाना समिति की प्रतिमान उपब्धियों के प्रतिकूल होने के कारण बीमा योजना को लागू नहीं किया जा सकता है।

जनपद-लखीमपुर खीरी के इन्दिरा मनोरंजन पार्क की ऊबड़-खाबड़ सड़क की मरम्मत पर व्यय

67—डा0 आर0ए0 उस्मानी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के इन्दिरा मनोरंजन पार्क से शारदानगर तक लगभग 15 कि0 मी0 तक के सड़क मार्ग पर काफी जम्पिंग है एवं सड़क ऊबड़-खाबड़ है ? यदि हां, तो उपरोक्त सड़क को बनवाकर कब तक समतल करा दिया जायेगा तथा क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2007—08, 2008—09, 2009—2010 इन तीन वर्षों में उपरोक्त सड़क पर मरम्मत के नाम पर कितना धन खर्च हुआ है ? क्या सरकार इसके दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां, मार्ग की सतह यातायात हेतु उपयुक्त है। परन्तु मार्ग में कुछ दबके (अन्डूलेशन) हैं।

सड़क का समतलीकरण सामान्य मरम्मत अथवा नवीकरण से सम्भव नहीं है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आगणन स्वीकृति हेतु भारत सरकार में विचाराधीन है। उपरोक्त मार्ग की कुल लम्बाई 31.60 किमी0 है, जिस पर विगत तीन वर्षों में अनुरक्षण में/दैवीय आपदा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय किया गया हैः—

2007—09 —5.42 लाख

2008—09 —41.63 लाख

2009—10 —68.51 लाख

मार्ग का रख-रखाव सीमित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत ठीक प्रकार से किया जा रहा है। कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु शासनादेश का अनुपालन कराने की मांग

68—डा0 आर0 ए0 उस्मानी—

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण उ0 प्र0 में अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये मा0 प्रधानमंत्री द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मा0 सांसदों/विधायकों के प्रस्ताव लिये जाने का शासनादेश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)(श्री अनीस अहमद खां)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महाराजगंज के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय श्री ए0 के0 सिंह द्वारा बोल्डर सप्लाई अनियमितता की जांच पर कार्यवाही

69—श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा कि वित्तीय वर्ष 08—09 व 09—10 में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय महराजगंज ए0 के0 सिंह के कार्यकाल में बी0 गैप बांध पर लगभग दस करोड़ रुपये के बोल्डर की सप्लाई लेकर भुगतान भी किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या गंडक संगठन में बोल्डर की सप्लाई आर्डर/अनुबंध का अधिकार अधिशासी अभियन्ता को है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अधिकर क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने वाले उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

स्वीकृत परियोजनाओं एवं अनुमोदित कार्यों के सम्पादन हेतु रु0 335.73 लाख के बोल्डर की आपूर्ति ली गयी, जिसके सापेक्ष रु0 176.275 लाख का भुगतान किया गया है।

वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित वित्तीय नियमों एवं निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता को अधिकार प्राप्त है, परन्तु समय-समय पर विभागीय आदेशों द्वारा प्रतिबन्ध भी लगाया गया है।

प्रकरण में प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की जांच आख्या के आधार पर अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महाराजगंज के सिंचाई खण्ड द्वितीय के अधिशासी अभियन्ता श्री ए0 के0 सिंह द्वारा गैप बांध में बोल्डर की सप्लाई हेतु समाचार पत्रों में दी गई निविदा के सम्बन्ध में जानकारी

70—श्री अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महंत दुबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, द्वितीय महराजगंज में श्री ए0के0 सिंह के कार्यकाल में लगभग दस करोड़ रुपये बोल्डर की सप्लाई बी0 गैप बांध पर लेने हुये क्या कोई निविदा जनपद के ज्यादा प्रसार वाले किन्हीं दो समाचार पत्रों में तथा विभाग की स्वयं की बेवसाईट पर या जिलाधिकारी, महराजगंज की वेबसाइट पर प्रकाशित कराया गया था ? यदि हां, तो किस तिथि को किस समाचार पत्र में ? यदि नहीं, तो क्या यह टेण्डर प्रक्रिया का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

"आज" समाचार पत्र में दिनांक 04–12–2008 एवं "राष्ट्रीय सहारा" समाचार पत्र में दिनांक 5–12–2008 को प्रकाशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय मार्गों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में पत्र

71–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 09–02–2010 जो जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 8 मार्गों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को पत्र संख्या 317 वी0 आई0 पी0/मंत्री लो0 नि0 वि0/09 दिनांक 09–02–2010 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सम्प्रति पत्र में वर्णित कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में कृषकों को कीटनाशक एवं कृषि उपकरण पर छूट दिये जाने की व्यवस्था

72–श्री प्रदीप माथुर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य/सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत किसानों को जिला कृषि रक्षा अधिकारी के माध्यम से कीटनाशकों एवं कृषि उपकरण पर छूट प्रदान करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कीटनाशकों की बिक्री किन-किन केन्द्रों से किये जाने की व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि भौतिक रूप से कीटनाशक केन्द्रों पर नहीं उपलब्ध कराये जाते हैं और यदि उपलब्ध कराये जाते हैं तो वह प्रभावी नहीं होते हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-बहराइच ब्लाक फखरपुर के गजाधरपुर केन्द्र पर वित्तीय वर्ष 2009–10 में कौन-कौन कीटनाशक दवाइयां कितनी-कितनी छूट पर लाभर्थियों को उपलब्ध करायी गयी ? उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

कीटनाशकों तथा कृषि उपकरण पर छूट की व्यवस्था जिला कृषि रक्षा अधिकारी तथा उप कृषि निदेशक के माध्यम से है।

कीटनाशकों की बिक्री, कृषि रक्षा केन्द्रों, यू0पी0 एग्रो0, पी0सी0एफ0 के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

जनपद बहराइच के ब्लाक फखरपुर के गजाधरपुर केन्द्र पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में आइसी प्रोट्यूरॉन 75%, 2–4 डी, कार्बन्डाजिन, इन्डो सल्फान एवं फेनवेलरेट कीटनाशक कृषकों को मूल्य का 50% अधिकतम 500 रु0 प्रति हे0 की दर से अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है।

विवरण निम्नवत् है :–

कीटनाशक का नाम	मात्रा (किग्रा)	दर प्रति ली0 /किग्रा0 रु0	धनराशि रु0	अनुदान रु0
आइसो प्रोट्यूरॉन	65 किग्रा0	247.70	10100.5	7312.50
2–4 डी	62.80 किग्रा0	175	10990	5495.00
कार्बेन्डाजिम	13 किग्रा0	244	3178.5	1489.00
इन्डोसल्फान	12 ली0	244.50	3156	1578.00
फेनवेलरेट	500 किग्रा0	850	4250	2125.00
योग			36199.00	18099.50

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बहराइच की पारले जी चीनी मिल पिपरसेंडी द्वारा बेची जा रही बायो खाद को उचित मूल्य पर कृषकों को दिलाये जाने की मांग

73–श्री प्रदीप माथुर–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच स्थित पारले जी चीनी मिल, पिपरसेंडी बायोखाद बनाती है ? यदि हां, तो क्या विक्रय मूल्य उत्पाद मूल्य से बहुत ज्यादा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिल द्वारा बेंची जा रही बायो खाद का उचित मूल्य किसानों के हित को देखते हुये निर्धारित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। चीनी मिल की सह-संस्था पारले किसान सेवा केन्द्र परसेण्डी द्वारा पारले गोल्ड (जैविक खाद) का उत्पादन किया जाता है, जिस पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बहराइच के पारले जी शुगर मिल पिपरसेंडी में गन्ने की पेराई एवं शीरे से प्राप्त धनराशि का विवरण

74—श्री प्रदीप माथुर—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच स्थित पारले जी शुगर मिल, पिपरसेंडी ने स्थापना से अब तक वर्षवार कितना शीरा बेचा है तथा उन वर्षों में अभिलेखों के अनुसार कितने कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी तथा वर्षवार शीरे का कितना मूल्य प्राप्त किया है ? सरकार द्वारा बिना रिकार्ड के शीरा बिक्री के नियंत्रण हेतु मिलों में क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

पारले जी शुगर मिल, पिपरसेंडी की स्थापना 22.—01—2006 को हुई है। पारले जी शुगर मिल, पिपरसेंडी की स्थापना से अब तक गन्ने की पेराई, शीरे का उत्पादन, विक्रय किये गये शीरे की मात्रा एवं कम्पनी को प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र0	वित्तीय वर्ष	गन्ना पेराई की मात्रा (कुण्टल में)	शीरे का उत्पादन (कुण्टल में)	बेचे गये शीरे की मात्रा (कुण्टल में)	कम्पनी को प्राप्त धनराशि (लाख रुपये में)
1.	2005—06	989540	49336	——	——
2.	2006—07	3254672	149888	136195	353.51
3.	2007—08	4520965	339669	281525	369.30
4.	2008—09	1988022	105380	128780	468.53
5.	2009—10	2245885	124140	119446	421.58
6.	2010—11 जून, 30 2010 तक	——	——	36367	43.44

सरकार द्वारा शीरे के विक्रय/सम्भरण हेतु उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम—1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली—1974 में निहित प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाती है। चीनी मिल में बिना रिकार्ड के शीरा बिक्री को रोकने के लिये आबकारी विभाग द्वारा चीनी मिल में एक उप आबकारी निरीक्षक की तैनाती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आबकारी सेवा नियमावली—1992 के नियम—5(2) के अनुसार की गयी है, जिसके द्वारा नियमों के अन्तर्गत शीरे का रिकार्ड रखा जाता है।

प्रदेश में कीटनाशक पर छूट की व्यवस्था तथा जनपद बहराइच में आपूर्तित कीटनाशक दवाओं के छिड़काव

75–श्री प्रदीप माथुर–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में किसानों को छूट पर कीटनाशक उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो किस योजना में तथा एक वित्तीय वर्ष में प्रदेश की ग्रांट कितनी है तथा छूट का प्रतिशत क्या है ? क्या यह सही है कि जनपद-बहराइच में छूट पर आपूर्तित कीटनाशक दवाओं से वहां फलीछेदक कीड़ा दवाओं से नहीं मरा ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दोकी–

जी हां।

विभिन्न परिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की राज्य योजना के अन्तर्गत गत वर्ष लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कृषकों को बायोएजेंट्स/बायोपेस्टीसाइड्स व बीज शोधन रसायनों पर 90 प्रतिशत, लघु सीमान्त कृषकों को इकोफ्रेन्डली रसायन पर मूल्य का 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराने की व्यवस्था थी। इस वर्ष भी इसी प्रकार अनुदान की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके लिए क्रमशः रु0 13.86 करोड़ (रुपया तेरह करोड़ छियासी लाख मात्र), रु0 50.00 लाख (रुपया पचास लाख मात्र) तथा रु0 79.50 लाख (रुपया उन्यासी लाख पचास हजार मात्र) की प्रदेश ग्रांट है।

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत कृषकों को चावल की फसल के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 500 प्रति है0 की दर से तथा दलहन की फसलों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 750 प्रति है0 की दर से कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान अनुमन्य है। यह योजना पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत आई0पी0एम0 कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण उप योजना के अन्तर्गत कृषकों को चूहा नियंत्रण हेतु कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत व अन्न भण्डारण हेतु धूम्रक रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यह योजना पूरी तरह केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम आमवाली मछरौली मार्ग के पुनः निर्माण के सम्बन्ध प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

76–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 018/रालोद/स0वि0स0/010, दिनांक 22–01–2010 जो कि जनपद-मुजफ्फरनगर

के ग्राम आमवाली से मछरौली के मार्ग के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सड़कों एवं सेतुओं के अनुरक्षण एवं मरम्मत मद से प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 32.74 लाख का धनावंटन दि0 22–06–10 को कर दिया गया है तथा कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रगति में है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-लखीमपुर खीरी के सिंगाही टाउन एरिया में डिग्री कालेज बनवाने के सम्बन्ध में जानकारी

77–श्री कष्ण गोपाल पटेल–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद-लखीमपुर खीरी में सिंगाही टाउन एरिया में सरजू सहकारी चीनी मिल बिलरायां के संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित डिग्री कालेज के निर्माण हेतु गन्ना किसानों ने अपने गन्ने की फसल के मूल्य से करोड़ों रुपया डिग्री कालेज बनवाने के लिये चीनी मिल में जमा किये हैं ? यदि हां, तो उक्त डिग्री कालेज कब तक खुलवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

डिग्री कालेज खुलवाने हेतु चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र ग्राम सभा सिंगहा-कलां की 820 एकड़ भूमि प्रबन्ध समिति सिंगहा-खीरी द्वारा प्रस्ताव दिनांक 28–09–1989 पारित कर सरजू सहकारी चीनी मिल को उपलब्ध कराई गई, जिस पर तत्समय गठित ''सरजू किसान शिक्षा समिति, सिंगहा-कलां, खीरी'' द्वारा प्रस्तावित डिग्री कालेज के निर्माण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बाद में उक्त भूमि को नवगठित पं0 दीन दयाल उपाध्याय केन ग्रोवर्स महाविद्यालय शिक्षा समिति, सिंगहा-खीरी द्वारा गलत ढंग से अपने नाम परिवर्तित करा लिया गया। जानकारी होने पर शिक्षा समिति द्वारा सत्र न्यायालय, लखीमपुर खीरी में तथा मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में वाद दायर किये गये हैं। पूर्वोक्त शिक्षा समितियों के विवाद मा0 न्यायालयों में लम्बित होने के कारण संदर्भित जमीन पर डिग्री कालेज का निर्माण सम्भव नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रयल कारपोरेशन लि0 लखनऊ लखीमपुर खीरी में गेहूं क्रय-योजना में आमंत्रित निविदाओं के सम्बन्ध में जानकारी

78–श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रयल कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा गेहूं क्रय योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत गेहूं क्रय केन्द्र सराय विलियम जनपद-लखीमपुर खीरी हेतु कुल चार निविदायें प्राप्त की गयी हैं जिनकी दरें निम्नवत् हैं, न्यू वर्मा ट्रान्सपोर्ट हैण्डलिंग दर न्यूनतम सरकारी दर पर परिवहन दर 5 प्रतिशत कम दर पर, शिविर सिंह हैण्डलिंग दर/परिवहन तथा न्यूनतम सरकारी दर 9.9 प्रतिशत कम दर पर, अनिल कुमार हैण्डलिंग दर/परिवहन 5.30 पैसा प्रति कुन्तल, 5 प्रतिशत कम दर पर तथा जमील बेग हैण्डलिंग दर 2 प्रतिशत कम दर पर परिवहन दर 2 प्रतिशत कम दर पर क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस शासनादेश के आधार पर जमील बेग को गेहूं क्रय केन्द्र सराय विलियम जनपद-खीरी का ठेकेदार नियुक्ति कर दिया गया है ? यदि शासनादेश के विरूद्ध है तो क्या टेण्डर निरस्त किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गेहूं क्रय योजना वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत क्रय केन्द्र सराय विलियम जनपद लखीमपुर पर परिवहन एवं पल्लेदारी कार्य हेतु चार निविदायें प्राप्त हुई थी। श्री जमील बेग के नाम से कोई टेण्डर नहीं डाला गया था अपितु श्री जलील बेग के नाम से टेण्डर डाला गया था। शासनादेश संख्याः पी 337/29–5–2003–5(6)/2000 दिनांक 24 मार्च, 2003 में उल्लिखित निर्देश एवं निविदा की शर्तें पूरी करने के कारण श्री जलील बेग को परिवहन एवं पल्लेदारी का ठेकेदार नियुक्त किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

79–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन चार फाटक ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अवमुक्त धन तथा उ0 प्र0 सेतु निगम द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण क्या है ? उक्त ओवर ब्रिज का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

परियोजना की कुल लागत रु0 1130.60 लाख है जिसमें पहुंच मार्ग व मुख्य सेतु की लागत सम्मिलित है। पहुंच मार्ग हेतु रु0 806.68 लाख सेतु निगम को अवमुक्त किया जा चुका

है मुख्य सेतु का निर्माण रेलवे विभाग से निविदा के आधार पर सेतु निगम द्वारा ही कराया जाना है, जिसका भुगतान रेलवे द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में परियोजना की नैतिक प्रगति 91 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 84 प्रतिशत है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद-गोरखपुर में गोडधईया नाले पर पुलियों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि का कथित प्रकरण

80—डा0 राधामोहन दास अग्रवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर में गोडधईया नाले पर प्रस्तावित चार पुलियों (3 चौड़ीकरण तथा 1 नई) के निर्माण हेतु क्या वर्ष 2010—11 में धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य प्रगति का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृत नहीं होने के कारण।

राज्य सम्पत्ति विभाग की आफीसर्स कालोनी कैसरबाग लखनऊ में अध्यासियों की सुरक्षा की मांग

81—श्री लल्लू सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की आफीसर्स कालोनी कैसरबाग, लखनऊ में दिनांक 06—02—2009 एवं 08—04—2010 को दिन दहाड़े डकैती की घटनायें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बाउन्ड्री वाल बनाने एवं सुरक्षा गार्ड लगाकर अध्यासियों की सुरक्षा के उपाय करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

दिनांक 6—2—2009 को आफीसर्स कालोनी कैसरबाग, लखनऊ के आवास संख्या—1/6 के अध्यासी (श्री अंजुम नकवी) की सूचना पर मु0अ0 संख्या—52/09 धारा 457/380 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात थाना कैसरबाग पंजीकृत हुआ था, एवं दिनांक 8—4—10 को वादी श्री श्याम सिंह सहायक निदेशक, आडिट लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की सूचना पर मु0अ0 संख्या—157/10 धारा 392 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात थाना कैसरबाग पर पंजीकृत हुआ।

आफीसर्स कालोनी कैसरबाग, लखनऊ में प्रस्ताव प्राप्त कर चाहरदीवारी बनायी जाएगी। उक्त कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कालोनी परिसर में पुलिस चौकी स्थापित है। इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर की तहसील लहरपुर के ग्राम सभा शेरपुर में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या एवं नाम व पते का विवरण

82–श्री कष्ण गोपाल पटेल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर की तहसील लहरपुर ग्राम सभा शेरपुर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बी0पी0एल कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है ? क्या यह सभी पात्र लोग हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके नाम पिता के नाम, कार्ड संख्या व ग्राम/मजरा सहित पूर्ण पते की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

कुल संख्या–248 है

जी हां।नाम व पते की सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्यदिवस में अवलोकित कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर में निर्माणाधीन तरंग रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज में धन से कराये गये कार्य का विवरण

83–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में निर्माणाधीन तरंग रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज में अवमुक्त धन के सापेक्ष कितना कार्य करा लिया गया है कितना शेष है? शेष कार्यकब तक पूर्ण करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

अवमुक्त धन के सापेक्ष 41 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। 59 प्रतिशत कार्य अवशेष है।

मुख्य सेतु (रेलवे पोर्शन) के संरेखण का अनुमोदन रेलवे विभाग द्वारा किया जाना है जिसके अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रिया में है। अतः शेष कार्य का पूर्ण किया जाना रेलवे विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने एवं रेलवे पोर्शन का कार्य पूर्ण होने पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर में शारदा नदी के कटान से बचाने हेतु तटबन्ध निर्माण की योजना

84–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर में विगत कई वर्षों से आ रही बाढ़ से नागरिकों, फसलों, मकानों को बचाने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

शारदा नदी के बायें किनारे पर ऐरा पुल से अम्बरपुर तक 22.950 कि0मी0 की लम्बाई में एवं घाघरा नदी के दायें किनारे पर जालिमनगर से अम्बरपुर तक 36.100 कि0मी0 (कुल 59.05 कि0मी0) लम्बाई में तटबंध निर्माण की रु0 4276.91 लाख की परियोजना स्वीकृत है।

जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर में बेहटा ब्लाक तथा जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत शारदा नदी के दायें तट पर नदी द्वारा की जा रही कटान की सुरक्षा हेतु रु0 2504.00 लाख की परियोजना स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को प्रेषित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के कतिपय ब्लाकों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

85–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 13–02–2008 को नियम 301 के अन्तर्गत विधान सभा में जनपद-बांदा के ब्लाक जसपुरा तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां

नियम–301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में 21 सम्पर्क मार्गों के सापेक्ष 03 सम्पर्क मार्ग शासन की प्राथमिकता में नहीं हैं तथा 04 सम्पर्क मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। 01 सम्पर्क मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चयनित हैं तथा 02 सम्पर्क मार्ग निर्माणाधीन हैं, जिनकों पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। उक्त के अतिरिक्त 06 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 05 ग्रामों के सम्पर्क मार्ग पूर्व से लेपित है।

कानपुर नगर की विधान सभा कल्याणपुर ब्लाक में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

86–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के विधनू तथा कल्याणपुर ब्लाक में कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विकास खण्ड विधनू में विभिन्न श्रेणी के कुल 91 मार्गों में से 10 मार्ग क्षतिग्रस्त हैं तथा कल्यानपुर ब्लाक में विभिन्न श्रेणी के कुल–55 मार्गों में से 28 मार्ग क्षतिग्रस्त है।

उक्त सड़कों की सामान्य मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 मे विधनू ब्लाक के लिए रु0 6.00 लाख तथा कल्यानपुर ब्लाक के लिए रु0 2.00 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम योजना के अंतर्गत विधान सभा सदस्यों को प्लाट आवंटन की प्रकिया

87–डा0 आर0ए0 उस्मानी–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की मधुबन बापू धाम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010 में उ0प्र0 विधान सभा के वर्तमान सदस्यों में से जिनको प्लाट नहीं मिले हैं, उन मा0 सदस्यों हेतु प्लाट आवंटन की क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की मधुबन बापू धाम योजना, 2010 में पंजीकरण हेतु उ0प्र0 विधान सभा/विधान परिषद् के मा0 सदस्यगण से दिनांक 01.02.2010 से 31.03.2010 तक प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् कार्यालय के माध्यम से निर्धारित पुस्तिका/प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्रोशर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार आवंटन की कार्यवाही प्राधिकरण में प्रक्रियाधीन है।

डालीबाग लखनऊ के मंत्री आवास के बी ब्लाक के भवनों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराये जाने की मांग

88–डा0 आर0 ए0 उस्मानी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहुखण्डीय मंत्री आवास के बी–ब्लाक, डालीबाग, लखनऊ के भवनों की मरम्मत व बाहरी रंगाई व पुताई कई वर्षों से नहीं हुई है ? क्या यह सही है कि 803 बहुखण्डी मंत्री आवास बी के दोनों बाथरूमों में सीलन व छत से पानी टपकता है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बहुखण्डीय मंत्री आवास के बी0–ब्लाक, डालीबाग, लखनऊ के भवनों की मरम्मत यथावश्यकता प्रतिवर्ष कराई जाती है। बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई का कार्य वर्ष–1995 में किया गया था।

बहुखण्डीय मंत्री आवास के बी0–ब्लाक, 803 के आवास के ऊपर के आवास के बाथरूम में टोटियां खुली रह जाने के कारण आवास संख्या–803 में सीलन आयी थी। उक्त आवास के ऊपर का आवास बन्द चल रहा था। उक्त आवास के छत से पानी नहीं टपकता है।

सीलन को दूर करने हेतु मरम्मत कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान मित्र एवं उनको वेतन भत्ते दिये जाने की नीति

89–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में कुल कितने किसान मित्र हैं तथा उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है ? क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की भांति किसान मित्रों को भी वेतन, भत्ते देने पर कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

दिनांक 31 मार्च, 2010 के उपरान्त प्रदेश में कोई किसान मित्र कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कानपुर नगर के ब्लाक सरसौल की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि की मांग

90–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के सरसौल ब्लाक में कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विकास खण्ड सरसौल में विभिन्न श्रेणी के कल 97 मार्गों में से 15 मार्ग क्षतिग्रस्त हैं।

उक्त सड़कों की सामान्य मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में सरसौल ब्लाक के लिए रु0 6.00 लाख स्वीकृत की गई है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर में लो0 नि0 विभाग के अधीन सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि की मांग

91–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? उक्त धनराशि से कुल कितने मार्गों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिदृदीकी–

जनपद-कानपुर नगर में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की सामान्य मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुल रु0 40.00 लाख स्वीकृत हुई है।

उक्त स्वीकृत धनराशि से 70 मार्गों की 200 किमी0 में पैच मरम्मत का कार्य किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद की तहसील बारा के ग्राम बुढौवा की क्षतिग्रस्त पवैर माइनर की मरम्मत कराये जाने का कथित प्रकरण

92–श्री उदयभान करवरिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बुढौवा, तहसील बारा जनपद–इलाहाबाद की पवैर माइनर क्षतिग्रस्त होने के कारण जल भराव होने से किसानों की फसल प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है तथा सिंचाई का पानी आगे के गांवों तक नहीं पहुंच पाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त माइनर के क्षतिग्रस्त हिस्से की पिचिंग कराकर टूटने से बचाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में मरम्मत कार्य कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में माइनर का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं है तथा टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है। टेल तक स्थित सभी गांवों के किसानों द्वारा सिंचाई की जा रही है।

लखनऊ के दारुल शफा 'ए' ब्लाक में ठन्डे पानी के फ्रिज की मरम्मत कराये जाने की मांग

93–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के दारुलशफा 'ए' ब्लाक में अधिष्ठापित ठन्डे पानी का फ्रिज वर्तमान में खराब हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फ्रिज की मरम्मत कराने या नया फ्रिज लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

लखनऊ नगर के दारुलशफा 'ए' ब्लाक में अधिष्ठापित ठन्डे पानी के फ्रिज की मरम्मत करा दी गयी है। वर्तमान में उक्त फ्रिज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद-मैनपुरी में नहर बेवर ब्रांच की पुलिया चौड़ीकरण कराने की मांग

94–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के कस्बा, बेवर में नहर बेवर ब्रांच की पुलिया सकरी है जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का चौड़ीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, पुलिया सकरी होने के कारण यह भाग दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रान्तर्गत आता है।

प्रश्नगत पुलिया का चौड़ीकरण किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में इस मार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर प्रगति में है। अतः इस पर अग्रिम कार्यवाही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जानी है।

जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर क नेशनल हाई-वे की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

95–श्री राजेश यादव–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में नेशनल हाई-वे से शेरपुर गांव तक गन्ना विकास विभाग द्वारा बनवाई गई

सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गई है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी मरम्मत कब तक कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गन्ना विकास परिषद् तिलहर के वर्ष 2010–11 के बजट में धनाभाव के कारण प्रश्नगत सड़क की मरम्मत कराना सम्भव नहीं है।

96–97–डा0 अनिल चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कानपुर नगर के घाटमपुर ब्लाक की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि की मांग

98–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के घाटमपुर ब्लाक में विभाग के अधीन कुल कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? उक्त क्षतिग्रस्त सड़कें कब तक ठीक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विकास खण्ड घाटमपुर में विभिन्न श्रेणी के कुल 98 मार्गों में से 11 मार्ग क्षतिग्रस्त हैं।

उक्त सड़कों की सामान्य मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु0 6.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

उक्त मार्गों पर सामान्य पैच मरम्मत के अन्तर्गत 30.00 किमी0 में कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम मुहीउद्दीनपुर की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

99–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापपुर के ग्राम-मुहीउद्दीनपुर के किसानों की भूमि का अधिग्रहण बारी रजवाहा शारदा

सहायक खण्ड–30, इलाहाबाद के निर्माण हेतु कब किया गया था ? क्या प्रभावित किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो किसानों को मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

बारी रजवाहा के निर्माण से संबंधित ग्राम-मुहीउ्द्दीनपुर के किसानों की भूमि का अधिग्रहण नही किया गया था, परन्तु भूमि लेकर उस पर नहर का निर्माण वर्ष 1981–82 में कराया गया था।

जी नहीं

नहर के निर्माण में 42 गाटों के कृषकों की कुल 10.43 एकड़ भूमि प्रभावित हुयी थी। कृषकों की उक्त ली गई भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु आपसी समझौते के आधार पर भू-दर निर्धारण की कार्यवाही प्रगति में है तथा निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार भू-दर निर्धारण की अतिशीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराकर धन की उपलब्धता के आधार पर मुआवजे के भुगतान कराने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद के कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता लघुडाल नहर खण्ड के स्व0 रमाशंकर सिंह की मृत्योपरांत उनकी पत्नी की नियुक्ति की मांग

100–श्री अनुगह नारायण सिंह–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 16–4–2010 जो स्व0 रमाशंकर सिंह, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय अधिशासी अभियंता लघुडाल नहर खंड, इलाहाबाद की सेवाकाल के दौरान हुई मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

स्व0 रमाशंकर सिंह, वरिष्ठ लिपिक की पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कराने के शासनादेश के अन्तर्गत भूमि एवं उससे प्राप्त धनराशि का विवरण

101–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में 1 दिसम्बर, 1998 की नजूल नीति के अन्तर्गत कितने पट्टाधारक, नामांकित व्यक्ति तथा

किरायेदारों ने नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कराने हेतु आवेदन किया और उसमें से कितने आवेदनों को निरस्तारित करके कितनी नजूल भूमि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत फ्री-होल्ड की गई और उससे कितनी धनराशि सरकार को प्राप्त हुई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

शासनादेश दिनांक 01–12–98 के अन्तर्गत दिनांक 01–12–98 से 09–12–02 तक पट्टाधारकों/पट्टेदार के नामित व्यक्तियों/क्रेताओं/अनुबन्धगृहीताओं द्वारा कुल 3307 फ्री-होल्ड आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनके सापेक्ष कुल 1601 आवेदन पत्रों में निहित भूमि क्षेत्रफल 12,97,255.00 वर्गमीटर भूमि फ्री-होल्ड की गयी तथा उससे सरकार को 3963.79 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

पट्टेदार के किरायेदार होने के आधार पर उक्त नजूल नीति के अन्तर्गत केवल 04 फ्री-होल्ड आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, किन्तु उनमें से कोई भी फ्री-होल्ड आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किया गया है।

लखनऊ के हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना के द्वितीय चरण के कार्य को प्रारम्भ कराये जाने की मांग

102–श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2010 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–166 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में हैदर कैनाल एक्सप्रेस हाई-वे परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों का निर्धारण हो चुका है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जुलाई, 2010 के अन्तिम सप्ताह में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

103–श्री राजेश यादव–

कया लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर, तहसील-जलालाबाद में मिर्जापुर से कीलापुर वाया हरशीपुर मदरा की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

सामान्य मरम्मत एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मार्ग की मरम्मत पूर्व में ही करायी जा चुकी है तथा मार्ग की दशा ठीक है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में लो0 नि0 विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण एवं इसमें स्वीकृत धनराशि का विवरण

104–श्री जोखू लाल यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ? उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में जिला योजना में स्वीकृत सड़कों का विवरण निम्नवत् हैं :–

क्रम सं0	सड़क का नाम	आवंटित धनराशि (रु0 लाख में)
1.	सलेमपुर सम्पर्क मार्ग	0.18
2.	एस0पी0एच0 मार्ग से बौड़ई सम्पर्क मार्ग	0.17
3.	चौहानपुर से शेरपुर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग	0.67

क्रम संख्या–1 व 2 का निर्माण कार्य माह मार्च, 2011 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है तथा क्रम संख्या0–3 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद की तहसील हंडिया के ग्राम रानीपुर में राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

105–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील हंडिया के अन्तर्गत गांव-रानीपुर के पूरब तथा दक्षिण के भू–भाग की सिंचाई हेतु सरकार राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

गांव-रानीपुर के पूरब तथा दक्षिण के भू–भाग की सिंचाई के लिये नवीन नलकूप निर्माण हेतु स्थल चयन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में राजकीय नलकूप के रि–बोर कराये जाने की मांग

106–श्री जोखू लाल यादव–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में राजकीय नलकूप संख्या–88 पी लतीफपुर का बोर बर्स्ट हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय नलकूप को रि–बोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

फेल नलकूप की रिबोरिंग हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ''800 नलकूपों के पुनः निर्माण योजना'' में चिन्हित नलकूपों की सूची में उक्त नलकूप सम्मिलित न होने के कारण रिबोरिंग सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

107–श्री आलोक कुमार शाक्य–

[पहले गुरूवार के अता0 प्रश्न सं0–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गत वर्षों में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को निर्माण कार्यों में ठेका/वर्क आर्डर में आरक्षण का लाभ

108–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008–2009 से 31 मार्च, 2010 तक कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को निर्माण कार्यों में ठेका/वर्क आर्डर में आरक्षण का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद-बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा में ठेकों/वर्क आर्डर में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

दिनांक 30–06–2009 से प्रदेश में अनुसूचित जाति/जन जाति के 2273 व्यक्तियों को निर्माण कार्यों में ठेका/वर्क आर्डर में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

लाभ दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के थाना भवन में इण्डेन गैस सर्विस एजेंसी द्वारा होम डिलीवरी न देने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

109–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 024/रालोद/स0वि0स0/10, दिनांकित 22–01–10 जो इण्डेन गैस सर्विस एजेंसी, थाना भवन मुजफ्फरनगर द्वारा होम डिलीवरी न देने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

शिकायत की जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर से जांच करायी गयी। जांच में शिकायत बलहीन पायी गयी है। इस स्थिति से शासन के पत्र दिनांक 15–07–2010 के द्वारा मा0 सदस्य विधान सभा को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामग्री न मिलने की जांच

110–श्रीमती मिथिलेश पाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि सामग्री नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं। मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना के शत-प्रतिशत लाभार्थियों को 15 कि0ग्रा0 गेहूं, 20 कि0ग्रा0 चावल, कुल 35 किलोग्राम निर्धारित मूल्य

पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ए0पी0एल0 योजना के लगभग 60 प्रतिशत कार्ड धारकों को 05 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड की दर से गेहूं तथा मिट्टी का तेल सभी योजनाओं के कार्ड धारकों को 03 ली0 प्रति कार्ड की दर से लगभग 80 प्रतिशत कार्ड धारकों को दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण की मांग

111–श्रीमती मिथिलेश पाल–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2009–10 में जनपद-मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने लाभार्थियों को अनुदान दिया गया एवं कितने शेष हैं ? क्या शेष लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां–

वर्ष 2009–10 में जनपद-मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी हेतु कुल 632 आवेदन–पत्र प्राप्त हुये थे, जिनमें से 429 पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान दिया गया एवं 203 आवेदकों को धनाभाव के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

शासनादेश संख्या–5302/52–3–09–सा(4)/07 दिनांक 21 दिसम्बर, 09 में दी गयी व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सभी लम्बित प्रार्थना–पत्र निरस्त माने जाने तथा यदि समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले विवाह के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन पर संबंधित माह में विचार किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बांदा के कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

112–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में दिनांक 31–3–2006 से प्रारम्भ तिन्दवारी, पपरेन्दा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृदृढ़ीकरण का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आगरा के बल्देव मार्ग के आंशिक भाग के चौड़ीकरण की मांग

113–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा, महामायानगर एवं मथुरा से गुजरने वाले आगरा-बल्देव मार्ग का जनपद-महामायानगर का आंशिक भाग मई से फतेहपुरा तक का चौड़ीकरण नहीं होने से पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग लगभग 7 कि0मी0 शेष भाग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, केवल मेले इत्यादि के अवसर पर पर्यटकों का आवागमन अधिक होने के कारण आवागमन में असुविधा होना स्वाभाविक है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-उन्नाव के ग्राम खेमई खेड़ा में शारदा कैनाल की टूटी पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त–पत्र पर कार्यवाही

114–श्री सुन्दर लाल लोधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ग्राम खेमई खेड़ा में शारदा कैनाल की टूटी पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16–3–2010 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्र दिनांक 16–03–2010 प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी।

जनपद-उन्नाव की तहसील सदर ग्राम आजाद नगर की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

115—श्री सुन्दर लाल लोधी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव की तहसील सदर, ग्राम आजाद नगर की भूमि संख्या—286 खैरहा एहतमाली गंगा बैराज में अधिग्रहीत कर ली गई उसका मुआवजा भू-स्वामी को दिये जाने विषयक मो0 इरशाद खां, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 15—2—2010 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

जनपद-उन्नाव की तहसील सदर, ग्राम-आजाद नगर की भूमि सं0—286 खैरहा एहतमाली रकबा 0.280 हेक्टेयर का अधिग्रहण सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किया गया, परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा गंगा बैराज परियोजना, कानपुर के अन्तर्गत उक्त भूमि का उपयोग मार्जिनल बांध के निर्माण में किया गया है। उक्त भूमि का मुआवजा भू-स्वामी को दिये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, बैराज निर्माण खण्ड-प्रथम, कानपुर के पत्र सं0—545/बैनिखप्रका/एल—1/भू-प्रतिकर, दिनांक 23—06—2010 द्वारा भू-दर पर उसकी सहमति मांगी गई है, जो अभी अप्राप्त है।

निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के अनुसार भू-दर निर्धारण की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कराकर धन की उपलब्धता के आधार पर मुआवजे के भुगतान कराने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के राजवाहा जुगसना की पटरी पर लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कराने की मांग

116—डा0 अनिल चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में राजवाहा जुगसना की पटरी पर लेपन स्तर तक सड़क निर्माण ग्राम-गुमानीगढ़ी से धानौटी पुल (ऊंचागांव-बिसावर मार्ग) तक मार्ग के निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं। प्रश्नगत नहर पटरी का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना में राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने की मांग

117—श्रीमती मिथिलेश पाल—

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010—11 में सिंचाई हेतु जनपद-मुजफ्फरनगर में कुल कितने राजकीय नलकूप अधिष्ठापित हेतु प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना में वित्तीय वर्ष 2010—11 में सिंचाई हेतु कितने राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रस्तावित हैं तथा उक्त नलकूप कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह—

वित्तीय वर्ष 2010—11 में जनपद-मुजफ्फरनगर में सिंचाई हेतु कुल 09 राजकीय नलकूप अधिष्ठापन हेतु प्रस्तावित हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मोरना में वित्तीय वर्ष 2010—11 में सिंचाई हेतु 01 राजकीय नलकूप ग्राम-नन्हेड़ा, विकास खण्ड-मोरना में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की सह0 चीनी मिल तिलहर में घटतौली की सूचना पर कायवाही

118—श्री राजेश यादव—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में सह0 चीनी मिल तिलहर के मिल गेट पर घटतौली को शाहजहांपुर के सहायक चीनी आयुक्त ने विगत दिसम्बर, 2008 को पकड़ा तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0—757/08 धारा 120 बी, 264, 265, 418, 420, 22 गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत थाना-तिलहर में गन्ना प्रबन्धक एवं तौल लिपिक के विरूद्ध दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

थाना तिलहर द्वारा दिनांक 23—7—2009 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है।

जनपद-जौनपुर में स्वीकृत पद के अनुरूप नलकूप चालकों की नियुक्ति की मांग

119—श्री जावेद अंसारी—

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर में वर्तमान में 475 चलित नलकूपों पर मात्र 263 नलकूप चालकों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जौनपुर में चलित नलकूपों के बराबर नलकूप चालक नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी हां।

प्रदेश में चलित 28320 नलकूपों के विरूद्ध नलकूप चालकों के 18,811 पद स्वीकृत हैं, अतः चलित नलकूपों के सापेक्ष स्वीकृत पद कम होने के दृष्टिगत सम्प्रति जौनपुर जनपद में चलित नलकूपों के बराबर नलकूप चालक पदस्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल विकास हेतु पैकेज के सम्बन्ध में जानकारी

120–श्री जावेद अंसारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि पूर्वांचल के विकास हेतु भारत सरकार से कोई पैकेज प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन के सुधार हेतु संचालित योजनायें

121–श्री जावेद अंसारी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से क्या सरकार कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां–

(क) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आर्थिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति में व्यापक सुधार लाने की दृष्टि से वर्तमान में निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :–

1. पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना
2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

3. मेडिकल, इंजीनियरिंग के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

4. अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

5. अल्पसंख्यक समुदाय के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

6. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना

7. अरबी फारसी मदरसा विकास निधि

8. अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

9. भाषा विकास योजना

10. मौलाना मोहम्मद अली जौहर शोध संस्थान की स्थापना

11. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0 स्कीम)

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के अल्पसंख्यकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश स्तर पर निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं :–

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण योजना

2. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना

3. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

4. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

5. भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

6. भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना

7. भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

8. मल्टी सेक्टोरल डवलपमेन्ट प्लान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर के विकास खण्ड रामपुर की ग्राम सभा सिधवन में कोटेदार की शिकायत की जांच

122–श्री सर्वेश कुमार सिंह सीपू–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर विकास खण्ड रामपुर, ग्राम सभा सिधवन में कोटेदार (उचित दर विक्रेता) की शिकायत तहसील दिवस में दिनांक

1–12–09 को ग्रामवासियों द्वारा किये जाने के उपरान्त उक्त विक्रेता की दुकान गम्भीर आरोपों के कारण निरस्त/निलम्बित कर दी गयी थी ? क्या दिनांक 9–4–2010 को उक्त दुकान को एस0डी0एम0 द्वारा बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इसके दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

जी हां।

प्रकरण की जांच तहसीलदार मडियाहू से करायी गयी। जांच में अधिकांश कार्ड–धारकों ने उचित दर विक्रेता के वितरण से संतुष्टि प्रकट करते हुए खाद्यान्न पाया जाना स्वीकार किया गया। यद्यपि जांच में उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कतिपय अनियमितताएं पाईं गयीं, जिसके लिए उचित दर विक्रेता पर रु0 1000/–का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए चेतावनी के साथ दुकान का अनुबन्ध–पत्र बहाल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फतेहपुर की तहसील खागा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा चीनी उपलब्ध कराये जाने की मांग

123–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील खागा, जनपद-फतेहपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा लम्बे समय से ए0पी0एल0 व बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड धारकों को सरकारी रेट पर चीनी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्ड धारकों को सरकार द्वारा चीनी की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं। ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को उचित दर पर चीनी उपलब्ध नहीं करायी जाती है। बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्डों पर चीनी का वितरण करवाया जा रहा है। तहसील खागा के नगर पंचायत खागा एवं विकास खण्ड धाता में माह मई, 2010 एवं जून, 2010 में पी0सी0एफ0 से आवंटन के सापेक्ष लेवी चीनी की आपूर्ति कम होने के कारण शत-प्रतिशत बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों को चीनी वितरित नहीं की जा सकी।

वर्तमान में तहसील खागा में आवंटन के सापेक्ष चीनी की आपूर्ति हो रही है तथा बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारकों में वितरण कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फतेहपुर के कतिपय विकास खण्डों में डी0ए0पी0 यूरिया उपलब्ध कराये जाने की मांग

124—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर के विकास खण्ड ऐरायां व हथगाम में डी0ए0पी0 व यूरिया की कमी के दृष्टिगत क्या सरकार आगामी रबी की फसल हेतु आवश्यकतानुसार किसानों को डी0ए0पी यूरिया खाद उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दोकी—

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड ऐरायां व हथगाम में डी0ए0पी0 व यूरिया उर्वरक की कोई कमी नहीं है। प्रदेश शासन कृषकों को ससमय पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। रबी 2010—11 में आवश्यकतानुसार कृषकों को उर्वरक उपलब्ध रहेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की निर्धारित नीति

125—डा0 राधामोहन दास अग्रवाल—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये शासन ने क्या कोई नीति निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

यह कहना गलत है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार व्याप्त है तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए शासन ने व्यापक नीति बनायी है। जो छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच कराकर समुचित कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर के सादाबाद-गुतहरा सिखरा मार्ग के चौड़ीकरण की मांग

126—डा0 अनिल चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-सादाबाद, जनपद-महामायानगर का सादाबाद-गुतहरा सिखरा मार्ग अति व्यस्त एवं सुदूर क्षेत्र को जोड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के चौड़ीकरण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

127—डा0 अनिल चौधरी—

[दिनांक 09—8—2010 को अता0 प्रश्न सं0—187 द्वारा उत्तरित]

जनपद-महामायानगर व मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं आबादी वाले मार्ग पर सी0सी0 कार्य कराने की मांग

128—डा0 अनिल चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर का सादाबाद-राया मार्ग जनपद-महामायानगर में 5.50 मीटर व जनपद-मथुरा के भाग में 7 मीटर चौड़ाई में निर्मित है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष भाग को भी 7 मीटर चौड़ा कराने व आबादी वाले भागों में सी0सी0 कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण की स्वीकृति सम्प्रति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-महामायानगर के राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर करबन नदी के जर्जर पुल का पुनर्निर्माण की मांग

129—डा0 अनिल चौधरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा-सादाबाद, जनपद-महामायानगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर करबन नदी का लगभग सौ वर्ष पुराना पुल जर्जर हो चुका है और पुल के खम्भों में दरार आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का पुनर्निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

यद्यपि करबन नदी का सेतु काफी पुराना है, परन्तु आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। पुल के खम्भों में कहीं दरार दिखाई नहीं पड़ रही है।

वर्तमान में सेतु का पुनः निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

अलीगढ़ प्रभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने की अधिसूचना दिनांक 24—06—10 को निर्गत की गयी है तथा हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रगति में होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया जा सकता है।

जनपद-महामायानगर की तहसील-सादाबाद के राजवाहा कुरसंडा की पटरी के कच्चे मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की मांग

130—डा0 अनिल चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार तहसील-सादाबाद, जनपद-महामायानगर में राजवाहा-कुरसंडा की पटरी पर ग्राम-ढकरई से नगला गरीबा तक कच्चे मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्नगत नहर पटरी का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने की कोई योजना नहीं है।

जनपद-कन्नौज के कस्बा नवीगंज मैनपुरी से छिबरामऊ तथा जर्जर जी0टी0 रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

131—श्री आलोक कुमार शाक्य—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा नवीगंज मैनपुरी से छिबरामऊ जनपद-कन्नौज तक जी0टी0 रोड जर्जर होने के कारण आवागमन में बहुत असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

मार्ग पर एस0डी0बी0सी0 का कार्य पूर्व में ही पूर्ण करा दिया गया है तथा मार्ग अच्छी दशा में है एवं आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।

वर्तमान में मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर के ग्राम मनुआगढ़ में भलुआपुर-गढ़ मुबारकपुर सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य

132–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर के ग्राम मनुआगढ़ में भलुआपुर-गढ़ मुबारकपुर सड़क धंस जाने के कारण आम जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क को ऊँचा कराकर, नाली बनवाकर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-बलरामपुर के तुलसीपुर-उतरौला मार्ग पर राप्ती नदी के पिपराघाट पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

133–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में तुलसीपुर-उतरौला मार्ग पर राप्ती नदी पर जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पिपराघाट पुल का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां। प्रश्नगत पुल की स्वीकृति/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलरामपुर के उतरौला के जीर्ण–शीर्ण मार्ग के चौड़ीकरण एवं मरम्मत की मांग

134–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर का उतरौला मार्ग जीर्ण-शीर्ण है तथा सड़क चौड़ी न होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं, क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करा दी गई है। वर्तमान में मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ में नूरपुर अल्पिका की खुदाई का कार्य शुरू कराये जाने की मांग

135–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में नूरपुर अल्पिका के निर्माण हेतु धारा 4(1)–17 की अधिसूचना के उपरान्त धारा–6 की कार्यवाही हो गई है ? यदि हां, तो धारा–6 की कार्यवाही के उपरान्त अल्पिका की खुदाई कब तक शुरू कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

धारा–4 (1)/17 एवं 6 (1)/17 की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त तथा कृषकों को भू-प्रतिकर वितरण के उपरान्त विभाग को अधिकार पत्र एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त ही नूरपुर अल्पिका की खुदाई का कार्य आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम सुमेरपुर के टूटे हुये पुल का पुनः निर्माण कराये जाने की मांग

136–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम सुमेरपुर में मड़ियाहूं ब्रान्च पर पुल कई वर्षों से टूटा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पुल का पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

पुल का पुनः निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित नहीं है ?

उक्त पुल के निर्माण के समय कच्ची सड़क थी, परन्तु अब उक्त स्थान पर पक्की सड़क है। अतः उक्त पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है।

जनपद-गोण्डा के उतरौला मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

137–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के मनकापुर उतरौला मार्ग के निकट कैप्टन पेट्रोल पम्प के मुख्य मार्ग को काटकर विगत चार-पांच वर्षों से नहर (राजबहा) का पुल बनाये जाने के कारण मार्ग अवरूद्ध है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

आवागमन हेतु डाइवर्जन का निर्माण कराया गया है जिस पर आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नही उठता।

लखनऊ के लालकुंआ भेड़ी मण्डी के उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण की जांच

138–श्री आरिफ अनवर हाशमी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लालकुंआ, भेड़ी मण्डी, कुन्दन लाल का हाता में रहने वाले लोगों को सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा न तो मिट्टी का तेल दिया जाता है और न ही खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जाता है ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी नहीं।

लालकुंआ, भेड़ी मण्डी, कुन्दन लाल का हाता के सभी उचित दर विक्रेताओं की जांच करते हुए राशनकार्ड धारकों के बयान लिए गए। राशन कार्ड धारकों द्वारा जांच के समय निर्धारित मूल्य पर गेहूं और मिट्टी का तेल प्राप्त होना स्वीकार किया गया है। जांच में आरोप निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा के अनेकों ग्रामों में केन नदी के द्वारा भूमि के कटान रोकने हेतु सर्वेक्षण का कार्य

139–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 11–3–08 को विधान सभा में नियम 301 के अन्तर्गत जनपद-बांदा के केन नदी के भूरागढ़, चटगन, पैनाली, खप्टिहाकला, सिन्धनखुर्द आदि ग्रामों में भूमि की कटान होने से पिचिंग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण में सरकार द्वारा उक्त ग्रामों में भूमि की कटान को रोकने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक योजना तैयार कराकर कार्य कराने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं। ग्राम भूरागढ़, चटगन, पैलानी, खप्टिहाकला, सिन्धनखुर्द आदि ग्रामों का सर्वेक्षण कराकर परियोजना तैयार किये जाने का उल्लेख किया गया था।

सर्वेक्षण का कार्य प्रगति में है। शीघ्र ही सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कराकर परियोजना का गठन कर स्वीकृति हेतु सक्षम स्तर/अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में भूमि सेना योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों में कराये गये कार्य

140–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 2006–07, 2007–08 में भूमि संरक्षण विभाग, गोण्डा द्वारा भूमि सेना योजना के अन्तर्गत किन-किन विकास खण्डों में किन-किन योजनाओं पर कितना-कितना कार्य करवाया गया तथा

उस पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या विभाग द्वारा प्रश्नकर्ता से प्रस्ताव मांगे गये? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मस्टर रोल में दर्शाये गये कार्यों एवं श्रमिकों के भुगतान का परीक्षण करवाकर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वित्तीय वर्ष 2006–07, 07–08 में संचालित भूमि सेना योजना में परियोजनावार निम्नविवरणानुसार कार्य कराया गया तथा धन व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2006–07

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	विकास खण्ड	कराया गया कार्य	व्यय की गई धनराशि (रु0 में)
1	सोतिया	नवाबगंज	जल निकास	2,93,408
2	हथिनीखास	छपिया	कृषिवानिकी/उद्यानीकरण	79,988
3	बैरॉवा कलेनिया	बभनजोत	जल निकास	2,37,713
4	भरौचा	बभनजोत	जल निकास	2,67,023
			योग	8,76,132
		वित्तीय वर्ष 2007–08		
1		उक्त परियोजनाओं में शून्य		

नहीं, जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति, बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया।

भूमि सेना योजना का क्रियान्वयन शासनादेश दिनांक 19–7–2005 के अनुसार किया गया।

औचित्य नहीं है।

जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर के नवाबगंज मार्ग के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

141–श्री संजय कपूर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत विलासपुर से नवाबगंज मार्ग अभी तक अपूर्ण है एवं जो निर्माण कराया गया वह भी गुणवत्ता तथा मानक के अनुसार न होने के कारण मार्ग टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपूर्ण मार्ग को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की समस्त नहरों एवं नालों के निर्माण हेतु समय निर्धारण एवं व्यय का विवरण

142–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड–36, जौनपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पड़ने वाली समस्त नहरों एवं नालों पर वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा 2010 तक क्या-क्या निर्माण कराये गये हैं और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि प्राविधानित थी ? क्या उपरोक्त खर्च की गई सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष कार्य योजना के अनुरूप शत प्रतिशत कार्य पूर्ण कर दिये जाने की कोई अवधि निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

शारदा यहायक खण्ड–36, जौनपुर द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पड़ने वाली समस्त नहरों पर वर्ष 2007–08 में 49.50 किमी0 की लम्बाई व 2008–09 में 142.00 किमी0 तथा वर्ष 2010 में 147.20 कि0मी0 की लम्बाई में नहरों के आन्तरिक सेक्शन के सुधार का कार्य किया गया। वर्ष 2007–08 में 16 पक्के कार्य व वर्ष 2008–09 में 135 पक्के कार्य व 2010 तक 161 पक्के कार्यों का निर्माण कराया गया है।

नालों पर वर्ष 2007–08 में 91.10 किमी0 व वर्ष 2008–09 में 153.20 किमी0 तथा वर्ष 2010 तक 157.24 कि0मी0 की लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया गया। वर्ष 2007–08 में 10 पक्के कार्य व वर्ष 2008–09 में 13 पक्के कार्य तथा वर्ष 2010 तक 19 पक्के कार्यों का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2007–08 में नहरों पर प्राविधानित धनराशि रु0 39.27 लाख तथा नालों पर रु0 29.99 लाख थी। वर्ष 2008–09 में नहरों के कार्यों पर रु0 1139.27 लाख तथा नालों के कार्यों हेतु धनराशि रु0 64.99 लाख प्राविधानित थी। वर्ष 2010 तक नहरों के कार्यों पर रु0 1574.00 लाख तथा नालों के कार्यों पर रु0 363.00 लाख प्रावधानित है।

जी हां।

दिनांक 31–10–10 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के वाटर रिस्टक्वरिंग योजनान्तर्गत रजवहों की खुदाई की मिट्टी से नहरों के अवरुद्ध मार्ग को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग

143–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के अन्तर्गत वाटर रिस्टक्वरिंग योजना के अन्तर्गत सभी राजवाहों, अल्पिकाओं में हो रही खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को पक्के बने नहर मार्गों पर डालने से यातायात अवरूद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मिट्टी को हटाने एवं पक्के मार्ग को साफ कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–प्रतापगढ़ की चिलबिला, नागपुर, मदाफरपुर राजवहा प्रणाली वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत रिहैबिलिटेशन का कार्य कराया गया है। नहर की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी सभी पक्के मार्गों से हटा दी गयी है और यातायात चालू है।

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की इब्राहिमपुर पम्प कैनाल के रख-रखाव एवं उस पर व्यय धनराशि

144–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या सिंचाई (यांत्रिक) मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ की इब्राहिमपुर पम्प कैनाल के रख-रखाव एवं सिंचाई हेतु कमाण्ड क्षेत्र के सभी भू-भाग तक पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह–

जी नहीं। रख-रखाव हेतु धन उपलब्ध हो रहा है। कमाण्ड क्षेत्र के सभी भू–भाग तक पानी पहुंचाने की कोई कार्य योजना नहीं है।

पम्प कैनाल के रख-रखाव हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 3.80 लाख तथा वर्ष 2010–11 में रु0 3.70 लाख प्राप्त हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाण्डा के सरजू नहर खण्डों द्वारा पुलियों का निर्माण

145—श्री राम बिशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में सरयू नहर खण्ड प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ द्वारा वर्ष 2007—08, 2008—09 एवं 2009—10 में कितने माइनर, डिवाइडर एवं कितने ब्रान्च नहरों पुल/पुलियों का निर्माण कराया गया है ? क्या उक्त निर्माण कार्य निर्धारित समायानुसार पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जनपद—गोण्डा में सरयू नहर खण्ड प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ द्वारा वर्ष 2007—08, 2008—09, एवं 2009—10 में 55 अद्द माइनर, 11 अद्द डिवाई एवं 05 अद्द ब्रान्च नहरों पर 153 अद्द पुल/पुलियों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

धन उपलब्धता के आधार पर कार्य समयानुसार कराये गये।

जनपद-गोण्डा के सरयू नहर खण्डों में स्वीकृत कतिपय साइफन एवं फाल की निविदाएं तथा निर्माण कार्यों का विवरण

146—श्री राम बिशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में सरयू नहर खण्ड प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ में वर्ष 2007 से नवम्बर, 2009 तक किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना बी0आर0बी0, डी0आर0बी0 एवं पी0आर0बी0 व सायफन एवं फाल स्वीकृत किये गये ? इनमें से कितने कार्यों को निविदा कब-कब कराई गई एवं कितने कार्यों को वर्क आर्डर के माध्यम से कराया गया ? क्या स्वीकृत सभी कार्य निर्धारित समयानुसार पूर्ण कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि बिना नहर खुदाई के ही पुल/पुलियों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर संबंधित अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जोयगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद–गोण्डा में सरयू नहर खण्ड–प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में वर्ष 2007 से नवम्बर, 2009 तक निम्नानुसार वी0आर0वी0, डी0आर0बी. एवं पी0आर0बी0 व साइफन एवं फाल स्वीकृत किये गये :–

खण्ड का नाम	प्रणाली का नाम	वी0आर0बी0	डी0आर0डी0	पी0आर0बी0	साइफन एवं फाल
1	2	3	4	5	6
सरयू नहर खण्ड–1	तरबगंज शाखा	40	14	04	10
सरयू नहर खण्ड–2	गोण्डा शाखा	–	01	03	16
सरयू नहर खण्ड–3	टिकरी शाखा	17	02	–	09
	बेनीपुर रजवाहा	11	04	–	07
	टिकरी शाखा एवं इसकी प्रणाली	09	04	–	–
सरयू नहर खण्ड–4	गोण्डा शाखा	15	03	01	–
	इटियाथोक शाखा	13	–	–	05
	मनकापुर	08	04	–	02

समस्त 202 कार्यों की निविदा प्रकाशित की गयी, जिसका विवरण संलग्न* है। कोई कार्य वर्क आर्डर के माध्यम से नहीं कराया गया है।

समस्त 202 कार्यों में से 193 कार्य समयानुसार पूर्ण कराये गये तथा शेष 09 कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पुल/पुलियों का निर्माण नहर की खुदाई के पश्चात् ही कराया गया है।

*(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 237–240 पर।)

जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत छपिया में गत वर्षों में माइनरों पर पुल/पुलिया का निर्माण

147—श्री राम बिशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2007—08, 2008—09 एवं 2009—10 में सरयू नहर खण्ड चतुर्थ द्वारा किन-किन माइनरों पर पुल/पुलिया का कार्य कराया गया ? क्या पुल/पुलियों का निर्माण कार्य बिना माइनरों की खुदाई के कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर निर्धारित समयानुसार कार्य पूर्ण न कराने वाले सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जनपद—गोण्डा में क्षेत्र पंचायत छपिया में वर्ष 2007—08, 2008—09 एवं 2009—10 में सरयू नहर खण्ड, चतुर्थ द्वारा माइनरों पर पुल/पुलिया का कार्य नहीं कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रश्नगत अवधि के दौरान प्रश्नगत खण्ड द्वारा माइनरों पर पुल, पुलिया का कोई कार्य नहीं कराया गया है।

जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत अशरफपुर में राशन की दुकान के सम्बन्ध में जानकारी

148—श्री राम बिशुन आजाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत अशरफपुर का कोटेदार दूसरी ग्राम पंचायत जैदवा (ग्राम पंचायत पचपुती जगलापुर) के स्थाई निवासी हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ग्राम पंचायत अशरफपुर में राशन की दुकान आवंटित की गई है ? क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रो राम प्रसाद चौधरी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत अशरफपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान में अनियमितता विषयक पत्र पर कार्यवाही

149–श्री राम बिशुन आजाद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत, मनकापुर की ग्राम पंचायत, अशरफपुर में उचित दर विक्रेता की दुकान को अनियमितता पाये जाने पर उप जिलाधिकारी, मनकापुर के पत्रांक–48/उ0जि0अ0/दुकान, दिनांक 21 जुलाई, 09 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किस आधार पर उसे पुनः बहाल कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

उचित दर दुकान को उप जिलाधिकारी द्वारा अन्तरिम रूप से बहाल किया गया है। प्रकरण की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बांदा में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाई द्वारा जल संचयन किसान हित योजना एवं जल प्रबन्धन योजना में आवंटित धनराशि का विवरण

150–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2009–10 में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाइयों द्वारा वर्षा जल संचयन, किसान हित योजना, कुशल जल प्रबन्धन के अन्तर्गत ब्लाकवार कुल कितनी धनराशि इकाईवार कार्यदायी संस्था को प्रदान की गई है? अब तक कितनी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानक स्टीमेट के विरूद्ध कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराया गया है तथा मजदूरों के फर्जी नाम पते मस्टर रोल में दर्ज कर अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या मस्टर रोल की जांच कर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद-बांदा में वर्ष 2009–10 में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण इकाईयों द्वारा वर्षा जल

संचयन, किसान हित योजना एवं कुशल जल प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत ब्लाकवार इकाईवार कार्यदायी संस्थाओं को प्रदान की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

(आवंटित धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	योजना का नाम	मनरेगा	राज्य सेक्टर द्वारा कार्यमद में
1	भू0सं0 अधि0	मैदान प्रथम		
		वर्षा जल संचयन	4.20	2.26
		किसान हित योजना	4.50	0.00
		कु.ज0 प्रबन्धन योजना	0.50	3.00
2	भू0सं0 अधि0	मैदान–द्वितीय		
		वर्षा जल संचयन	8.37	3.44
		किसान हित योजना	6.20	0.00
		कु0ज0 प्रबन्धन योजना	2.00	7.50
3	भू0सं0 अधि0	राज0 बांदा		
		वर्षा जल संचयन	8.40	2.26
		किसान हित योजना	5.00	0.00
		कु0ज0 प्रबन्धन योजना	1.00	2.03
		योग	40.17	20.49

वर्षा जल संचयन, किसान हित एवं कुशल जल प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत 28 परियोजनाएं अपूर्ण हैं, विवरण निम्नवत् हैं :–

इकाई का नाम	ब्लाक का नाम	अपूर्ण परियोजनाओं का नाम
भू0सं0 अधि0 मैदानी	जसपुरा	अभरा तृतीय।
	बबेरू	मंझीवा पंचम।
प्रथम बांदा	तिन्दवारी	भडौली, जरिया द्वितीय, पचुल्ला, अमलौर तृतीय, डिप्पाडेरा, गोयरा, मुगली द्वितीय, दुलिया तृतीय, गहबरा डेरा, तरौडा, भइयालाल का डेरा
भू0सं0 अधि0 मैदानी द्वितीय	नरैनी	पाही, बाउन का पुरवा, बिज्जू का पुरवा, कल्यानपुर, महुई, धूमरा, अमलेखपुरवा, जबरापुर पंचम।
भू0सं0 अधि0 रा0 जलागम बांदा	नरैनी	रंगौली, रेंहची, चन्द्रपुरा द्वितीय, बस्कोला, मुरतल, पथरा, पुंगरी, संग्रामपुर।

समस्त कार्य नियमानुसार व मानक के अनुरूप कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्रामों में गत वर्षों में कृषि गोष्ठियों के आयोजन पर व्यय की गयी धनराशि

151–श्री अब्दुल वारिस खां–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007–08, 2008–09 व 2009–10 में कितनी कृषि गोष्ठियां किन-किन ग्रामों में आयोजित की गईं तथा इनके आयोजन पर कितना धन व्यय किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

वर्ष 2007–08 में 348 ग्रामों में 348 गोष्ठियां आयोजित की गयी हैं जिन पर कुल व्यय रु0 16,39,678.00 व्यय हुआ है।

वर्ष 2008–09 में 331 ग्रमों में 331 गोष्ठियां आयोजित की गयी हैं जिन पर कुल रु0 20,83,298.00 व्यय हुआ है।

वर्ष 2009–10 में 56 ग्रामों में 56 गोष्ठियां आयोजित की गयी हैं जिन पर कुल रु0 22,47,000.00 व्यय हुआ है।

वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में आयोजित गोष्ठियों से संबंधित ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय में अवलोकित की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

152–श्री मदन चौहान–

[पहले गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-जौनपुर में मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी हेतु अनुदान के आवेदन-पत्र तथा मांग के सापेक्ष धनराशि का आवंटन

153–श्री जावेद अंसारी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी हेतु

वर्षवार अनुदान के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए एवं उनमें से कितने अभ्यर्थियों को अनुदान दिया गया ? क्या उक्त वित्तीय वर्षों में मांग के सापेक्ष धनराशि आवंटित नहीं थी ? यदि हां, तो क्या सरकार धनराशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां–

जनपद-जौनपुर में वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 तथा वर्ष 2009–10 में मुस्लिम अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी हेतु वर्षवार प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं उसके सापेक्ष वर्षवार लाभार्थियों का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
2007–08	175	07
2008–09	369	140
2009–10	509	130

जी हां।

योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 में अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी अनुदान हेतु मूल बजट में रु0 50.00 लाख की व्यवस्था करायी गयी थी, जिसे बाद में वृद्धि करते हुए रु0 150.00 लाख कर दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2008–09 के मूल आय व्ययक में रु0 100.00 लाख की व्यवस्था करायी गयी, जिसे बाद में वृद्धि करते हुये रु0 1200.00 लाख कर दिया गया है वित्तीय वर्ष 2009–10 में भी उक्त योजना में रु0 1200.00 लाख की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2007–08 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009–10 तक रु0 1050.00 लाख की वृद्धि की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में अरबी-फारसी के मदरसों को अनुदान सूची में लिए जाने की मांग

154–श्री जावेद अंसारी–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में दिनांक 10–10–08 के शासनादेश के अन्तर्गत मुख्य मंत्री ने दिनांक 13–10–08 को लखनऊ में हुए मुस्लिम सम्मेलन में अरबी-फारसी के 100 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने हेतु की गई घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–48 के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपये की धनराशि भी 100 मदरसों के लिये बजट में प्राविधानित थी ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा 2009–10 में कुल कितने मदरसों को अनुदान सूची पर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2008–09 में किसी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रथम चरण में पात्र पाये गये 39 मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के नेपाल बार्डर के सीमावर्ती गांवों में खाद बिक्री पर प्रतिबंध

155–श्री सुखलाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला-पीलीभीत में पूरनपुर तहसील के नेपाल बार्डर के सीमावर्ती गांवों में खाद बिक्री के लाइसेंस निलम्बित कर दिये जाने के कारण किसानों को खाद के लिये 15 से 20 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की सुविधा के लिये खाद विक्रेताओं का लाइसेंस बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

शासनादेश संख्याः 7674/12–2–03–एफ042/2001 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के अनुपालन में जनपद-पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के भारत-नेपाल सीमा के 10 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित निजी उर्वरक बिक्री केन्द्रों के विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये हैं किन्तु इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारिता विभाग की समितियों तथा औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति के उप केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद-पीलीभीत के ब्लाक ललोरी खेड़ा, के ग्राम कुकरी खेड़ा में क्षतिग्रस्त पुलिया के पुनः निर्माण की मांग

156–श्री सुखलाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जहानाबाद से बरेली रोड पर ग्राम कुकरी खेड़ा, ब्लाक ललोरी खेड़ा, जिला-पीलीभीत में नहर की पुलिया लगभग 4 वर्षों पूर्व से टूटी होने के कारण

आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

प्रश्नगत पुलिया का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया गया था इस पुलिया के टूटने के उपरान्त अवागमन सुचारू रूप से चलाने हेतु डायवर्जन बनाकर यातायात चलाया जा रहा है।

प्रश्नगत पुलिया का पुनः निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण की विकसित कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने की मांग

157–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कौन-कौन सी कालोनियां विकसित की गई हैं ? इनमें से कौन-कौन सी कालोनियां अभी तक किन-किन कारणों से नगर निगम, गोरखपुर को हस्तान्तरित नहीं की जा सकी हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक पूर्णरूप से निम्नलिखित 26 कालोनियां विकसित की गई हैं :–

1–चारू चन्द्रपुरी प्रथम चरण (तीन मंजिल)

2–शास्त्री नगर आवासीय योजना

3–शास्त्रीपुरम् आवासीय योजना

4–राप्ती नगर प्रथम चरण आवासीय योजना

5–राप्ती नगर तृतीय चरण आवासीय योजना

6–राप्ती नगर चतुर्थ चरण 56 एकड़ आवासीय योजना

7–राप्ती नगर चतुर्थ चरण 112 एकड़ आवासीय योजना

8–सूर्य बिहार आवासीय योजना

9–जनप्रिय बिहार आवासीय योजना

10–विकास नगर आवासीय योजना

11–विकास नगर विस्तार आवासीय योजना

12–चारू चन्द्रपुरी द्वितीय चरण

13–रेलवे स्टेशन
14–ट्रान्सपोर्ट नगर
15–नवीन ट्रान्सपोर्ट नगर
16–राप्ती नगर द्वितीय चरण आवासीय योजना
17–ललितापुरम् आवासीय योजना
18–ललितापुरम् विस्तार आवासीय योजना
19–शास्त्रीपुरम् विस्तार आवासीय योजना
20–बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट ए,बी, एवं सी
21–सिद्धार्थ इन्क्लेव आवासीय योजना
22–सिद्धार्थ इन्क्लेव विस्तार आवासीय योजना
23–सिद्धार्थपुरम् आवासीय योजना
24–लेक व्यू आवासीय योजना
25–बुद्ध विहार व्यवसायिक योजना
26–आम्रपाली आवासीय योजना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। निम्न कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है :–

1–राप्ती नगर द्वितीय चरण आवासीय योजना
2–ललितापुरम् आवासीय योजना
3–ललितापुरम् विस्तार आवासीय योजना
4–शास्त्रीपुरम् विस्तार आवासीय योजना
5–बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट ए,बी,एवं सी
6–सिद्धार्थ इन्क्लेव आवासीय योजना
7–सिद्धार्थ इन्क्लेव विस्तार आवासीय योजना
8–सिद्धार्थपुरम् आवासीय योजना,
9–लेक व्यू आवासीय योजना
10–बुद्ध विहार व्यावसायिक योजना
11–आम्रपाली आवासीय योजना

जनपद-महामायानगर के सादाबाद मुरसान मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

158–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में सादाबाद मुरसान मार्ग मात्र 3.70 मीटर चौड़ाई में निर्मित होने के कारण अत्यन्त व्यस्त रहता है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की उपयोगिता व व्यस्तता को देखते हुए इसकी चौड़ाई बढ़ाकर 7 मीटर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के कतिपय मार्ग में सी0सी0 कार्य कराये जाने की मांग

159–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर का बल्देव-मई-खन्दौली मार्ग पर्यटन स्थल आगरा एवं तीर्थस्थली बल्देव महावन गोकुल को सीधा जोड़ने वाला मार्ग खदौली से मई तक 5.50 मीटर चौड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को मई से बल्देव तक 5.50 मीटर चौड़ाई में निर्माण सहित कि0मी0 11 से 15 तक के आबादी वाले भाग में सी0सी0 कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग के इस भाग की चौड़ीकरण एवं आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के नेशनल हाइवे मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

160–श्री राजेश यादव–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद-शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में नेशनल हाइवे 24 से ग्राम शेरपुर तक गन्ना विकास विभाग द्वारा सड़क बनवाई गई थी, जो जर्जर हो गई है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

गन्ना विकास परिषद् तिलहर के वर्ष 2010–11 के बजट में धनाभाव के कारण प्रश्नगत सड़क की मरम्मत कराना सम्भव नहीं है।

जनपद-कानपुर नगर में नहरों की सिल्ट सफाई के कार्य में व्यय की गयी धनराशि

161–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर नगर के सरसौल, विधनू, घाटमपुर, कल्याणपुर व बिल्हौर आदि ब्लाकों के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 में कब-कब कराया गया है ? उक्त सफाई कार्य में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्यों में व्यय की गई धनराशि व अलग-अलग प्रत्येक नहर की सफाई में व्यय की गई धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद-कानपुर नगर की सरसौल, विधनू घाटमपुर, कल्याणपुर व बिल्हौर आदि ब्लाकों के अन्तर्गत आने वाली नहरों की सफाई का कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर-दिसम्बर, 2009 में कराया गया है।

नहरों की सिल्ट सफाई में रु0 38.395 लाख का भुगतान किया गया है।

जी हां। विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-पीलीभीत के जहानाबाद से ग्राम गौनेरी दान के क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

162–श्री सुखलाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला-पीलीभीत के जहानाबाद से ग्राम गौनेरी दान, ब्लाक ललौरी खेड़ा को जाने वाला नहर मार्ग अत्यन्त जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

---

†(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 241–242 पर)

कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त है।

धन उपलब्धता के आधार पर मरम्मत कराई जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा चीनी के अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन एवं विक्रय के साथ उसके लागत के सम्बन्ध में जानकारी

163—डा0 राधामोहन दास अग्रवाल—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की गन्ना मिलों द्वारा गन्ने से चीनी के अतिरिक्त किन-किन वस्तुओं/ऊर्जा का उत्पादन अथवा विक्रय किया जाता है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त उत्पादन में चीनी मिलों को प्रति कुन्टल गन्ने की लागत कितनी आती है तथा विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होता है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी के अतिरिक्त बगास, शीरा, प्रेसमड के साथ-साथ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। केवल निजी क्षेत्र की 52 चीनी मिलों द्वारा उत्पादित विद्युत का विक्रय किया जाता है।

चीनी उत्पादन के अतिरिक्त उपरोक्त उल्लिखित वस्तुएं उप उत्पाद (बाई प्रोडक्ट) की श्रेणी में आती है। पेराई सत्र 2009—10 में औसत गन्ना क्रय मूल्य 221.96 प्रति कु0 है। इन उप उत्पादों के उत्पादन में गन्ने की लागत में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती है। प्रति कु0 गन्ने की पेराई पर उक्त उप-उत्पादों का निम्नलिखित विवरण के अनुसार विक्रय मूल्य प्राप्त होता है—

1— शीरा	रु0 16.25 प्रति कु0
2— बगास	रु0 05.08 प्रति कु0
3— प्रेसमड	रु0 01.58 प्रति कु0

विद्युत उत्पादन में बगास का प्रयोग करने वाली चीनी मिलें बगास का विक्रय नहीं करती है। आवश्यकता से अधिक उत्पादित विद्युत को चीनी मिलें पावर कार्पोरेशन को रु0 3.81 से रु0 4.21 प्रति यूनिट बिक्री करती हैं।

जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत असरफपुर में उचित दर विक्रेता की आरक्षित वर्ग की दुकान के आवंटन की जांच

164—श्री राम बिशुन आजाद—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की क्षेत्र पंचायत मनकापुर की ग्राम पंचायत असरफपुर में उचित दर पर विक्रेता की दुकान पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित थी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के आदेश सं0 141, दिनांक 23—2—2008 के क्रम

में ग्राम पंचायत अधिकारी को ग्राम सभा में डुग्गी/मुनादी कराने हेतु आदेश दिया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि जिलापूर्ति आधिकारी, गोण्डा द्वारा लाटरी पद्धति से पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अन्य ग्राम पंचायत के निवासी अमरेश के नाम दुकान का आवंटन कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ग्राम पंचायत असरफपुर में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित दर की दुकान को लाटरी पद्धति से उसी ग्राम के निवासी श्री अमरेश (अनु0 जाति) के नाम आवंटित किया गया।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है जांच परिणाम के आधार पर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया में घाघरा नदी पर खरीद दरौली घाट पर लो0नि0 विभाग द्वारा पीपे का पुल की लागत के सम्बन्ध में जानकारी

165–श्री जावेद अंसारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004–05 में जनपद-बलिया में घाघरा नदी पर ''खरीद दरौली घाट'' पर पीपे का पुल स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पीपे के पुल निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितने पीपे क्रय किये गये तथा उसकी लागत क्या थी ? क्या उक्त नदी पर बने पीपे के पुल से आवागमन की सुविधा जन सामान्य को प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उक्त हेतु कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

कुल 101 पीपा खरीदा गया जिसकी कुल लागत रु0 212.10 लाख थी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मुजफ्फरनगर में गत वर्षों में चीनी मिल के उत्पादन का विवरण

166—श्री अब्दुल वारिस खां—

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006—07, 2007—08, 2008—09 व 2009—10 में गन्ने एवं चीनी, मैली, शीरा व खोई उत्पादन का वर्षवार तथा मिलवार विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जनपद-मुजफ्फरनगर में वर्ष 2006—07, 2007—08, 2008—09 व 2009—10 में गन्ना, चीनी मैली, शीरा व खोई के उत्पादन का मिलवार विवरण संलग्न† है।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम दधेडा से श्यामली-शामला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

167—श्री अब्दुल वारिस खां—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या—131/रालोद/सा0वि0स0/2010, दिनांक 08 फरवरी, 2010, जो जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम दधेडा से ग्राम श्यामली-शामला तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां, कार्य का आगणन पूर्व से ही गठित है किन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नहरों व राजवाहों में सिंचाई हेतु पारी उपलब्ध कराये जाने की नीति

168—श्री मदन चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे नहरों व राजवाहों में पानी न आने से किसानों की फसल नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई हेतु नहरों के संचालन हेतु कोई कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 243—244 पर।)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि नहरों के संचालन हेतु पूर्व से ही कारगर नीति लागू है।

वर्तमान खरीफ फसली 1418 में प्रदेश की नहरों एवं राजवाहों को जल उपलब्धता के आधार पर पूर्व अनुमोदित रोस्टर के अनुसार चलाकर अधिकाधिक नहरों में जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जा रही है। कहीं से नहरों व रजवाहों में पानी न आने से किसानों की फसल नष्ट होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लखनऊ के बनारसी टोला, अलीगंज में साइट एवं सर्विसेस भू–खण्ड हेतु जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी का कथित प्रकरण

169–श्री सुखलाल–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारसी टोला, अलीगंज, लखनऊ के कितने अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 1988 में साइट एवं सर्विसेज भू–खण्ड हेतु जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी हेतु जुलाई, 2009 में प्रेषित उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को पत्र प्राप्त हुआ है ? पंजीकरण की धनराशि ब्याज सहित अभी तक वापस न करने के क्या कारण हैं ? उक्त पंजीकरण की धनराशि ब्याज सहित कब तक वापस कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में शारदा डाम कट रैम्प पर पुलिया निर्माण की मांग

170–श्री सुखलाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-पीलीभीत में तहसील पूरनपुर में शारदा डाम कट रैम्प पर एक पुलिया का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में इस पुलिया को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिया की मांग का स्थल दलदलीय होने के कारण तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कालोनियों में पड़े ओवर हेड टैंक/नलकूप चालू कराने की मांग

171—डा0 राधामोहन दास अग्रवाल—

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वविकसित विभिन्न कालोनियों में कहां-कहां ओवर हेड टैंक/नलकूप लगाये गये हैं ? इनमें से कौन-कौन से ओवरहेड टैंक/नलकूप किन-किन कारणों से खराब हैं ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी हां। गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 15 अद्द टंकियों का निर्माण कराया गया था, इनमें से 10 टंकियों को चालू हालत में नगर निगम गोरखपुर को हस्तान्तरित किया जा चुका है। शेष सिद्धार्थ इन्क्लेव विस्तार आवासीय योजना में 01 अद्द टंकी, बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट सी में 01 अद्द टंकी, बुद्ध विहार व्यवसायिक/आवासीय योजना की 01 अद्द टंकी निर्मित की गई है, 02 टंकियां गौतम विहार आवासीय योजना व सिद्धार्थ पुरम् विस्तार आवासीय योजना में भू-प्रयोग परिवर्तन कर टंकियों के संचालन की कार्यवाही प्रगति पर है।

बुद्ध विहार आवासीय योजना पार्ट सी में 01 अद्द टंकी की मरम्मत जल निगम गोरखपुर से कराये जाने हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोरखपुर के मलौली महेबा तटबन्ध के सुद्ढ़ीकरण हेतु नीति के सम्बन्ध में जानकारी

172—डा0 राधामोहन दास अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित मलौनी महेबा तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

मेलौली महेबा तटबन्ध न होकर मलौनी महेवा तटबन्ध है। बाढ़ सुरक्षा हेतु नदियों के किनारे तटबंधों के परिकल्पना निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत मार्ग दर्शिका के अनुसार विभाग मे कार्य कराये जाते हैं। मलौनी महेवा तटबन्ध के सुदृढ़ीकरण हेतु पृथक रूप से कोई नीति निर्धारित नहीं है।

जनपद-एटा के फिरोजाबाद जलेसर मार्ग से नगला सुखदेव मार्ग की मरम्मत

173–श्री कुबेर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में फिरोजाबाद जलेसर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नगला सुखदेव मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य वित्तीय वर्ष 2007–08 में कराया गया था ? क्या उक्त मार्ग के मध्य में महापुर आबादी भाग में लगभग 300 मी0 निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–ख–3/140579 दिनांक 29–1–2010 पर माननीय लोक निर्माण मंत्री ने वरीयता के आधार पर निर्माण कराने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो क्या उक्त अधूरे मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

जनपद-एटा के नरहुली के जीर्ण–शीर्ण मार्ग को ठीक कराने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

174–श्री कुबेर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, एटा का पत्रांक संख्या–2125/एस0टी0/09–10 दिनांक 11–3–2010 का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, एटा को सम्बोधित पत्र जो अम्बेडकर ग्राम नरहुली के जीर्ण-शीर्ण मार्गों को ठीक कराने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों को कब तक ठीक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सम्प्रति यह मार्ग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बहराइच की राप्ती परियोजना में मदवार व्यय का कथित विवरण

175—डा0 आर0ए0 उस्मानी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच की राप्ती नहर परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2010—11 में कितना धन किस कार्य योजना के अधीन किस-किस मद में अवमुक्त किया गया है ? राप्ती परियोजना, बहराइच के लिये कुल कितना धन किस-किस मद में दिया गया है तथा उसकी कार्य योजना क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जनपद बहराईच की राप्ती नहर परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2010—11 में किसी भी कार्य योजना पर किसी भी मद में धन अवमुक्त नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खुले बाजार में उपभोक्ताओं को बाजार की खुदरा बिक्री की चीनी में मूल्य नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही

176—श्री प्रदीप माथुर—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में खुले बाजार में उपभोक्ताओं को चीनी किस दर पर प्राप्त हो रही है ? क्या बाजार की खुदरा बिक्री की चीनी से अच्छी गुणवत्ता की चीनी बिग बाजार, मेगा मार्ट आदि में सस्ती दरों पर प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार बाजार की खुदरा बिक्री चीनी के मूल्य नियंत्रण हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी—

वर्तमान में खुले बाजार में उपभोक्ताओं को चीनी रु0 30.00 से लेकर रु0 32.00 प्रति कि0ग्रा0 की दर से प्राप्त हो रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 25—09—2009 एवं 28—01—2010 द्वारा चीनी पर स्टाक सीमा निर्धारित की गयी है, जो दिनांक 30—09—2010 तक प्रभावी है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 804 दुकानें खोल कर नागरिकों को सीधे कम मूल्य पर चीनी की बिक्री की गयी है। इसके

अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा सचल वाहनों/डिपों के माध्यम से बाजार मूल्य से कम मूल्य पर चीनी का विक्रय कराकर चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में शारदा सागर जलाशय का निर्माण एवं उसकी सफाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

177–श्री सुखलाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला-पीलीभीत, तहसील पूरनपुर में एशिया के सबसे बड़े मिट्टी से बने कच्चे जलाशय शारदा सागर का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में कराया गया था जिससे जनपद समेत प्रदेश के तेरह जिलों की सिंचाई के लिये जल स्टोर किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसकी नियमित सफाई विभाग द्वारा नहीं कराई जा रही है जिससे डैम की जल भण्डारण क्षमता लगातार घटती जा रही है एवं एस0एस0बी0 चूका पोस्ट पर डैम का पानी सूखता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस डैम की सफाई कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

शारदा सागर जलाशय में प्रदेश के 07 जिलों की ही सिंचाई के लिए जल संग्रह किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

डैम की उपयोगी क्षमता मे कोई कमी नहीं हुई है।

जनपद–महामायानगर की तहसील सादाबाद में करबन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

178–डा0 अनिल चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में करबन नदी व गन्दे नाले के संगम स्थल पर पुल न होने से, ग्राम-कूपा, मढापिथू, नगलाकली व पट्टी शक्ति (सोरई) के निवासियों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्नगत स्थल से अपस्ट्रीम में 210 कि0मी0 तथा डाउनस्ट्रीम 230 कि0मी0 की दूरी पर सेतु निर्मित है जिनसे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है।

उक्त वर्णित स्थिति में प्रश्नगत स्थल पर सेतु निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद-बरेली की तहसील बहेड़ी की नगर पंचायत शेरगढ़ के राजमार्ग पर किच्छा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

179–श्री छत्रपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली-जनपद की बहेड़ी तहसील अन्तर्गत नगर पंचायत शेरगढ़ से ग्राम टुनका को जोड़ने वाले राजमार्ग पर किच्छा नदी का पुल न होने के कारण लगभग 30–35 गांव के लोगों को मुख्यालय आने के लिये लगभग 50–60 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्या के निराकरण हेतु नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत सेतु की स्वीकृति/निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली बागेश्वर राजमार्ग को फोरलेन बनाये जाने का प्रस्ताव

180–श्री छत्रपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली बागेश्वर राजमार्ग दो प्रदेशों को जोड़ने वाला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अत्यन्त व्यस्त राजमार्ग है ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग को फोरलेन बनाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग को फोरलेन बनाने का कार्य पी0पी0पी0 माडल पर प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के काकादेव नहर की सफाई एवं सिल्ट हटाये जाने का कथित प्रकरण

181—श्री सतीश महाना—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के काकादेव स्थित नहर की सफाई एवं सिल्ट हटाने का काम माह मार्च-अप्रैल, 2010 में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अभी तक उक्त स्थान से सिल्ट नहीं हटाई गई है ? यदि हां, तो सिल्ट कब तक हटा दी जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठतां।

प्रदेश में अनुसूचित वर्गों की भांति पिछड़े वर्गों को ठेके में आरक्षण का लाभ दिलाये जाने की मांग

182—श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित वर्गों की भांति प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, प्राधिकरणों निकायों में पिछड़े वर्ग के लोगों को भी ठेके में आरक्षण का लाभ दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

वर्तमान में विचाराधीन नहीं।

उपरोक्तानुसार।

सचिवालय स्थित मुख्य भवन के गेट के बाहर/अन्दर जल निकासी हेतु ऊंचा कराने की मांग

183—श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय स्थित मुख्य भवन के गेट नम्बर—7 एवं 10 के बाहर तथा अन्दर बरसात के समय पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सचिवालय परिसर की जमीन को ऊंचा करके जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

सचिवालय परिसर को ऊंचा करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-इलाहाबाद की संगम वाटिका देवप्रयाग आवास योजना के अन्तर्गत बनी कालोनी में सीवर लाइन निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

184–श्री उदयभान करवरिया–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के झलवा मुहल्ले के इखों0 संगम वाटिका, देवप्रयाग आवास योजना के अन्तर्गत बनी कालोनी में सीवर लाइन निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 08–12–2009 जो उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद को प्रेषित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां।

सीवर लाइन की सफाई एवं तत्सम्बन्धी कार्यों को कराते हुए समस्या का समाधान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के शहीद स्मारक स्थल पर धरना स्थल को हटाये जाने की मांग

185–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में शहीद स्मारक स्थल को धरना स्थल घोषित किए जाने के कारण इसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल से धरना स्थल को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मैनपुरी में जिला योजनान्तर्गत गत वर्ष नई सड़कों के निर्माण का विवरण

186–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं ? क्या सरकार इसका विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद-मैनपुरी में वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत कुल 31 नई सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विवरण संलग्नक† है।

†(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 245–247 पर।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बरेली की तहसील बहेड़ी के अनेकों ग्रामों को नदियों की कटान से बचाये जाने की योजना

187–श्री छत्रपाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली-जनपद के बहेड़ी तहसील के ग्राम चुरैला में बहगुल नदी ग्राम मोरारपुर में ढौरा नदी ग्राम भुडुवा में देवरनिया नदी, ग्राम पटवरागंज में किच्छा नदी ने ग्राम रतनपुर, नौआडाड़ी, मौलाना, फार्म, हरहरपुर, डूडाशुमाली, रजपुरा, धमीपुर, बहूदनपुर, बकौली, कैशोपुर, गुलडियां आदि स्थानों पर कटान करके सड़कों, खड़न्जों तथा गांव की आबादी को उजाड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों के हो रहे कटान एवं नुकसान से बचाने के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद बरेली की तहसील बहेड़ी के ग्राम चुरैला में बैगुलनदी, ग्राम मोरारपुर में दोजोरा नदी एवं ग्राम भुड़वा में देवरनिया नदी द्वारा सड़क का कटान हुआ है तथा किसी प्रकार से आबादी प्रभावित नहीं हुई ग्राम पटपरागंज एवं रतनपुर नौडड़ी को किच्छा नदी की बाढ़ से वर्तमान में कोई खतरा नहीं है एवं ग्राम मौलाना फार्म, हरहरपुर, डूडासुमाली, रजपुरा, धमीपुर बहुदपुर, बकौली, कैशोपुर, गुलड़िया आदि में किच्छा नदी के द्वारा कटान करके सड़क व खड़न्जें आदि को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया है।

बाढ़ काल में उपरोक्त सभी स्थलों पर निरन्तर निगरानी की जा रही है। ग्राम मौलाना फार्म धमीपुर, कैशोपुर, गुलड़िया में किच्छा नदी से किये गये कटान से सुरक्षा प्रदान करते हुए

परियोजनायें स्वीकृत कराई जा चुकी हैं तथा वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रेषित की जा चुकी हैं। परियोजनाओं पर धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कर संस्थाओं को वितरण

188—डा0 अनिल चौधरी—

क्या आवस एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर में कुल कितनी नजूल भूमि विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं को विगत वर्षों में पट्टे पर आवंटित/फ्री-होल्ड की गई है एवं कितनी शेष है ? क्या शेष भूमि का उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

तहसील सादाबाद, जनपद महामायानगर में कुल 5342 वर्गमीटर नजूल भूमि पट्टे पर आवंटित/फ्री-होल्ड की गयी है तथा 42018 वर्गमीटर नजूल भूमि शेष है।

शेष भूमि में से 32555 वर्गमीटर भूमि राजकीय कार्यालयों जैसे-तहसील कार्यालय, थाना भवन, पुलिस आवास, उप निबन्धक कार्यालय, प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल, जच्चा-बच्चा केन्द्र, नगर पंचायत कार्यालय के उपयोग में आ रही है। 2000 वर्गमीटर अवैध कब्जे की भूमि तथा 7463 वर्गमीटर भूमि रिक्त है।

जनपद-शाहजहांपुर के जलालाबाद में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत की मांग

189—श्री राजेश यादव—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में जलालाबाद बुधुआना 16 कि0मी0 मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 6 माह पूर्व बना दिया गया था जो ग्राम-ककराला, भुड़िया के पास लगभग 2 कि0मी0 मार्ग पूर्ण रूप से टूट गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करते हुए इसके दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

प्रश्नगत जलालाबाद बुधआना मार्ग पर ग्राम ककराला, भुड़िया मार्ग के चैनेज किमी0 4.785 से 6.00 के मध्य पड़ता है, जिसका निर्माण जिला योजना वर्ष 2006—07 के अन्तर्गत

निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था, जो अतिवृष्टि एवं भीषण बाढ़ से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। शेष लम्बाई में कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं एस0आर0पी0 द्वारा कराया गया है, जिसकी दशा सन्तोषजनक है।

आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण जिला योजना 06–07 में कराया गया था, जिसकी विशेष मरम्मत का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं एस0आर0पी0 का कार्य सन्तोषजनक है। अतः जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

दारुलशफा लखनऊ में बिजली की अव्यवस्था तथा चोरी की घटनाओं के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन में दारुलशफा की स्थिति तो बदल गयी है, बहुत अच्छा हो गया है लेकिन कल रात को बिजली की आवाजाही इतनी हुयी कि लोगों को बड़ी परेशानी हुयी और दूसरा एक कारण यह भी दिखायी दे रहा है कि पहले मेरे कमरे का पीतल वाला हैण्डिल एक गायब हुआ, आज मैंने देखा कि दूसरा वाला भी गायब हो गया। फिर मैंने जानकारी किया तो कई लोगों ने बताया कि दादा मेरा भी गायब हो गया। तो यह जो चोरी वाला घटनाएं हो रही हैं, इसको आप संज्ञान में लेकर कोई व्यवस्था सुनिश्चित करें, क्योंकि आज हैण्डिल गायब हो रहा है, कल ताला भी चटक जाएगा। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष–

यह जो कुछ घटनाएं हो रहीं हैं उसको दिखवा लिया जाएगा।

मंत्रि–परिषद् के संयुक्त दायित्व के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–**

मान्यवर, मैंने कृषि की विकास की दर के संबंध में एक प्रश्न किया था। उस पर हमने वैट के संबंध में एक अनुपूरक किया था तो उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो सिंचाई विभाग के मंत्री हैं यह क्या जवाब देंगे। तो मान्यवर, मंत्रिपरिषद् संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करती है और यही कारण है कि विभागीय मंत्री के रहते हुए भी दूसरा मंत्री अपना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जवाब दे देता है। अभी लघु सिंचाई मंत्री जी ने जवाब दिया। उन्हीं की कुर्सी को दूसरे मंत्रियों ने भी जवाब दे दिया। तो संयुक्त दायित्व के आधार पर चलने वाली कैबिनेट का यह सिद्धांत है। तो हमारा जो प्रश्न था मान्यवर, वह जवाब नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं है। उनको संयुक्त दायित्व के आधार पर जवाब देना चाहिए था। कोई भी मंत्री किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकता है। ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, यह एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

बहुखण्डी विधायक निवास लखनऊ में गाड़ियों की चोरी होने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

***श्री कृष्ण गोपाल पटेल–**

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी चौधरी साहब ने बताया है कि चोरियां बहुत हो रही हैं और यह सच्चाई है। हम लोग बहुखण्डी में रहते हैं। बहुखण्डी में भी मेरे ख्याल से तीन साढ़े तीन साल में माननीय सांसदों, विधायकों की 4–5 गाड़ियां चोरी चली गयीं। अभी 15–20 दिन पहले मेरी गाड़ी के अगले दोनो वाइपर और पिछला वाइपर सब खोलकर ले गये। डालीबाग में और सब जगह यही स्थिति है। 3 साल के अंदर 4–5 गाड़ियां सिर्फ बहुखण्डी निवास में से उठी हैं और डालीबाग में से भी बराबर गाड़ियां चोरी हो रही हैं। जब हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो पूरे प्रदेश की 17 करोड़ जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, माननीय सदस्यों ने विधायक निवासों के बारे में जो कहा है, चाहे बहुखण्डी, दारुलशफा या डालीबाग हो, इनके बारे में बताया है, इसका संज्ञान ले लें कि इन विधायक निवासों मे आये दिन गाड़ियों की चोरी और हरकतें हो रही हैं, इसको दिखवा लें

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

जी मान्यवर।

विधायक निवास–5 मीराबाई मार्ग लखनऊ में मेन्टीनेन्स व्यवस्था ठीक न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री पूरन प्रकाश–**

मान्यवर, आपने जो आपने व्यवस्था दी है उसी में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो दादा ने कहा, वैसी ही स्थिति विधायक निवास–5 मीराबाई मार्ग में है। मान्यवर, 6 महीने से किवाड़ों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

की जाली टूटी है, 47 और 48 नम्बर में। कितनी बार कहा, व्यवस्थाधिकारी कहते हैं आप शासन में आर्डर कराकर लाइये। क्या यह हमारा काम है ? हम चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, इसमें कुछ व्यवस्था करावें। सोना मुश्किल हो रहा है, किवाड़ न खुल पाती है न बंद हो पाती है। इस्टीमेट बना रखा हुआ है। लेकिन वह कार्य नहीं हो पाया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

लखनऊ के विधायक निवासों की सुरक्षा बढ़ाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, जब आप यहां पर कानून व्यवस्था पर चर्चा में सुन रहे थे तभी विधायक निवास ला–प्लास में डकैत घुस गये। एक इंजीनियर की पत्नी और उसके बच्चों को बन्धक बना करके, उनके यहां लूट हो गयी। तो विधायक निवासों की सुरक्षा मान्यवर, बढ़ायी जाय और इसको गंभीरता से लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसका संज्ञान ले लिया गया है।

दारुलशफा-बी ब्लाक, लखनऊ में व्याप्त गंदगी के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं बी-ब्लाक में रहता हूं और उसके नीचे नाली है। हमारे आने जाने का वही रास्ता है। जब हम आते जाते हैं तो बीच में जो गैरेज आदि में बच्चे लेकर के रहते हैं, वहां पर नाली की बराबर गन्दगी होती है। वे लोग वहीं पर बच्चों को लैटरीन आदि सब करा देते हैं, हमारा चड़ना उतरना, ऊपर जाना दुष्कर हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको दिखवा लेंगे।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह जो सूचना आप लोगों ने दी है, यदि एक–एक आदमी अपने अपने कमरे का बताएगा तो 5 बजे तक हम कमरा ही देखते रहेंगे। हमने जनरल तौर पर एक संज्ञान ले लिया है और उसकी मैं बैठक बुलाऊंगा, दलीय नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष को, सबको बुला करके हम बैठ लेंगे। इसको मैंने वास्तव में गंभीरता से लिया है। अगर अपना–अपना कमरा पोढ़ा और ढीला बताएंगे तो इसी में 5 बजे जायेगा।

रमजान में बिजली व्यवस्था ठीक रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री जमीरउल्ला खां–**

माननीय अध्यक्ष जी, कल से रमजान शुरू होने वाले हैं और पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली की स्थिति बहुत खराब है बिजली की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि रात में इबादत होती है, लोग रोजा रखते हैं। बिजली के बगैर रहना मुश्किल हो गया है। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी करायें जिसकी रमजान में बहुत जरूरत हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती खत्म होनी चाहिए एक महीने के लिये। यह बहुत अहम् मसला और इसके बगैर हमारा नहीं चलेगा। रात में हम इबादत करते हैं और दिन में रोजा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात संज्ञान में आ गयी है। ऊर्जा मंत्री जी यहां हैं नहीं, लेकिन हम बात कर लेंगे। मैंने आपकी बात सरकार के संज्ञान में ला दी है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराये जाने की मांग

डा0 आर0ए0 उस्मानी–

मा0 अध्यक्ष जी हमारी सुरक्षा को खतरा है, यहां पर विधान सभा चल रही थी और हमको धमकी मिली थी। एफ0आई0आर0 लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज करायी गयी थी।

ससदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, नियम–301 ले लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले 301 तो सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

डा0 आर0ए0 उस्मानी–

मान्यवर, हमारी जान को खतरा है। शासनादेश के प्राविधानों के तहत मा0 विधायकों को दूसरा गनर दिया जाय। मा0 अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि सरकार को यह निर्देश दें कि अगर विधायक लोग आन पेमेण्ट सुरक्षा मांग रहे हैं तो दी जाय। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों पर हमला हो रहा है, वे अस्पताल में पड़े हुये हैं। मा0 विधायकों की सुरक्षा को खतरा है हमारा मुकदमा हजरतगंज थाने में दर्ज है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 विधायक दो बार सदन में संज्ञान में लाये थे । उनके ऊपर हमला भी हुआ था, इसको आप संज्ञान मे ंले लीजिये और दिखवा लीजिये।

***श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया–**

इन्हीं की बात में मैं अपनी बात जोड़ रहा हूं कि विपक्ष के बहुत से विधायक 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पर गनर लेने के लिये तैयार हैं। जो कमेटी समीक्षा करती है, वहां से लिखकर के आ जाता है कि इनको गनर की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सा कारण यह है कि हम लोग विपक्ष के विधायक हैं आज सड़क पर चलने वाला आदमी विधायक को देख करके बता देता है कि वे सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं। जिसके साथ 4 गनर हैं या 5 गनर हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वह बसपा के विधायक हैं और जो एक गनर लेकर टहल रहे हैं, वे सपा, कांग्रेस और भाजपा के विधायक हैं। यह विसंगति सड़क पर खड़े हुये आदमी को दिख रही है। अगर उधर के लोगों को खतरा है और इधर के लोग यदि आन पेमेण्ट मांग रहे हैं तो श्रीमन् इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। इसमें इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर वाकई कमेटी रिकमेण्ड कर रही है या उसको रिकमेण्ड करने से रोका जा रहा है तो यह आपको देखना चाहिए। आज कितने मामले हम लोगों के लंबित हैं। एक भी विधायक ऐसा नहीं है कि जिसको दो गनर मिला हो।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब से तीन साल पहले लोग बड़े–बड़े माफिया को देख कर जान लेते थे कि यह सपा के विधायक हैं, उनके साथ आठ–आठ गनर रहते थे। (विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, 50 लाख की फिरौती मुझसे मांग ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आप लोगों की बातें सरकार के संज्ञान में डलवा दी हैं, अब आप सब लोग शान्त होकर बैठ जायें, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं, इनकी बात को सुन लें।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जैसा अभी कहा, इसको तो आदत हो गई है हर बात पर कुतर्क करने की। मान्यवर, समाजवादी पार्टी के समय में किसी भी विधायक, चाहे वह सपा का था, चाहे बसपा का था, चाहे भाजपा का था, चाहे कांग्रेस का था किसी के साथ भेद-भाव नहीं हुआ था और इसी सदन में दद्दू प्रसाद खड़े हो गये थे, पहुंचे नहीं थे, इनको सुरक्षा मिल गई थी।

श्री दद्दू प्रसाद–

आप गलत कह रहे हैं ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये माननीय मंत्री जी।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, उनको भी सुरक्षा मिल गई थी, रामवीर उपाध्याय और उनके भाई।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई कि हाईकोर्ट से मिली थी।)

श्री शिवपाल सिंह यादव–

हाईकोर्ट से नहीं, यहां से मिली थी और जिसको भी सुरक्षा की जरूरत थी उन सबको सुरक्षा मिली थी। आप यहां बता दो विपक्ष के एक विधायक को बता दो, विपक्ष के एक विधायक को भी सुरक्षा नहीं मिली है। विपक्ष के सभी विधयकों के साथ भेद-भाव किया जा रहा है, मान्यवर इसको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाएं लेता हूं। आज दिनांक 11 अगस्त, 2010 को नियम–301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त

सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं– पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की देवीपाटन मण्डल गोण्डा के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था पैक्सफेड गोण्डा के परियोजना प्रबन्धक की लापरवाही से निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार एडवोकेट की जनपद चन्दौली की तहसील चकिया में गनेशपुर कट टिकरागंज में हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई की समस्या के संबंध में है। तीसरी सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत के पूर्वी यमुना नहर और इसके रजवाहे अल्पकाओं, सिल्ट सफाई तथा टूटे हुए जर्जर पुल का निर्माण कराये जाने एवं देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के महनगर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ में स्वीकृत धनराशि से मगई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में है। पांचवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी की जनपद महामायानगर की तहसील छाताबाद के कतिपय मार्गों का मुख्य धारा से जोड़ने एवं मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। छठी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर में ग्राम बिडवानगला में 33 के0वी0ए0 विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने के संबंध में है। सातवीं सूचना श्रीमती प्रेमलता कटियार की कानपुर महानगर में हो रही भीषण बिजली कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में प्रतिदिन 80 करोड़ रुपये की हानि होने के संबंध में है।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप पढ़ दें।

कानपुर महानगर में बिजली की भीषण कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन में करोड़ों रुपये की हानि के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, कानपुर महानगर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी तथा प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है जो कि वर्तमान में शिक्षा एवं चिकित्सा का भी महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। कानपुर महानगर में हो रही भीषण बिजली कटौती के कारण पूरा जनजीवन, व्यापार, उद्योग, बच्चों की शिक्षा मरीजों का इलाज ठप्प हो गये हैं। घोषित कटौती के अतिरिक्त महानगर में 10–12 घण्टे तक की बिजली आपूर्ति में कटौती की जा रही है जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन में प्रतिदिन 80 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे। अस्पतालों में मरीजों का आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। चारों ओर अराजकता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपराधी तत्व शटर

तोड़ कर दुकानों तथा घरों में चोरी की वारदातें कर रहे हैं। शाम को चेन-स्नेचिंग की घटनायें भी बढ़ गयी हैं। जिसके कारण पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तथा कानपुर के नागरिक दहशत में जी रहे हैं। अनेकों बार शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, लेकिन इस गम्भीर समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं सरकार से कार्यवाही की मांग करती हूं।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

आठवीं सूचना श्री राघव लखनपाल शर्मा जी की है जो सहारनपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं एवं कर्मचारी, अधिकारी की निरंकुशता के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री सुनील शर्मा की है जो नगर निगम गाजियाबाद के हिन्डनपार क्षेत्र में भूमिगत जल नमकीन होने के कारण पेयजल की भारी समस्या के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की है जो जनपद सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली की सप्लाई मात्र 4 से 6 घण्टे होने से क्षेत्रीय जनता के आक्रोश के संबंध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री जावेद अन्सारी एडवोकेट की है जो जौनपुर शहर में तालताला से अलहादी प्रेस जानी वाली सड़क, इमामबाड़ा कल्लू मरहूम से मुफती मुहल्ला सड़क एवं जौनपुर मल्हनी रोड स्थित बड़ी मस्जिद से हमामदखाजा की जर्जर सड़कों को दुरस्त कराये जाने के संबंध में है। बारहवीं सूचना श्री जमीर उल्ला की है जो अलीगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या एवं कतिपय जर्जर सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराये जाने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है जो जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विसकोहर बांसी तथा डुमरियांगंज बढ़नी की जर्जर सड़क को शीघ्र ठीक कराने हेतु धन अवमुक्त किये जाने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की है जो जनपद सहारनपुर के मुजफफराबाद क्षेत्र में नदियों के बाढ़ के पानी से रास्ता कटने एवं घरों में पानी घुसने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना डा0 पी0के0 राय की है जो जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में बाढ़ से प्रभावित विस्थापित लोगों को वन विभाग की भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई–

1–अशोक कुमार सिंह 2–श्री कुबेर सिंह 3–श्री आर0ए0 उस्मानी 4–श्री सुन्दर सिंह 5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद 6–श्री अरविन्द गिरि 7– श्री विनोद सरोज 8– श्री लालजी यादव 9– श्री बैजनाथ दुबे 10– श्री अरविन्द सिंह यादव 11–श्री अनूप कुमार गुप्ता 12–डा0 राजेन्द्र सिंह 13–श्री लल्लू सिंह 14–महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी 15–श्री प्रजापालन वर्मा 16–श्री काशी राम 17–श्री यशपाल सिंह चौहान 18–श्रीमती कृष्णाराज 19–श्री विनोद चतुर्वेदी 20–श्री विश्वनाथ 21– श्री कृष्ण गोपाल पटेल 22–चौ0 सत्यपाल सिंह 23–श्री अरुण कुमार यादव 24– श्री राजेश यादव 25–श्रीमती मधुबाला पासी 26–श्री विद्या सागार गुप्ता।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

देवीपाटन मण्डल के गोण्डा एवं बलरामपुर के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था पैक्सफेड द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूरा न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि देवीपाटन मण्डल गोण्डा के अन्तर्गत जनपद गोण्डा और बलरामपुर में कार्यदायी संस्था पैक्सफेड गोण्डा को शासन द्वारा जनपद गोण्डा और बलरामपुर में विभिन्न योजनाओं में निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा धन आवंटन किया गया जैसेः ए0एन0ए0म0 सेन्टर, ग्राम सचिवालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, जननी सुरक्षा केन्द्र आदि भवनों के निर्माण हेतु विगत तीन वित्तीय वर्षों में करोड़ो रुपये की धनराशि शासन द्वारा संस्था को आवंटित की गयी थी। परन्तु उक्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक की लापरवाही से निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया जिससे निर्माण सामग्रीयों के मूल्य बढ़ जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं कार्य न करवा कर ठेकेदारी प्रथा से कार्य करवाया जा रहा है एवं करवाया गया है। कार्यदायी संस्था में स्थायी सिविल अभियन्ता न होने के कारण दोनों जनपदों में निर्माण कार्य समयानुसार नहीं हो पाया है जिससे योजना एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता निरन्तर प्रभावित हुई है एवं प्रभावित हो रही है। शासन द्वारा आवंटित करोड़ों रुपये कार्यदायी संस्था के खाते में सीधे स्थानांतरित करने से आवंटित धन से प्राप्त ब्याज का उपयोग परियोजना प्रबंधक द्वारा किस मद में खर्च किया गया। विगत वर्षों में संस्था द्वारा कराये गये कार्यों की जांच शासन द्वारा करायी गयी थी जिसमें काफी अनियमिततायें पायी गयीं थीं एवं संस्था को सम्भवतः काली सूची में डाला गया था। इसके बावजूद भी उक्त कार्यदायी संस्था को शासन द्वारा निर्माण कार्य हेतु धन आवंटित किया जा रहा है। यह लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है इसकी जांच कराया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सभी प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही किय जाने की मांग करता हूं।

जनपद-चन्दौली की तहसील चकिया में चन्द्रप्रभा नदी का पानी ग्राम गनेशपुर बंधी में गिरने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार एडवोकेट–

[महोदय, कृपया सादर निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है कि मेरे जनपद-चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र विधान सभा चकिया में चन्द्रप्रभा नदी का पानी गनेशपुर बंधी में कट नहर बनाकर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। यह मांग आजादी के समय से सिकारगंज क्षेत्र एवं चौबीसहा क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों के किसानों की चली आ रही हैं जहां खेती वर्षा पर निर्भर है। चन्द्रप्रभा नदी का पानी ग्राम गनेशपुर बंधी में गिराने हेतु लगभग 01 किमी0 की समतल पत्थर की खुदाई कराकर पानी को बंधी में गिराया जा सकता है। तथा उससे सिंचाई हो सकती है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध है कि उक्त परियोजना को स्वीकृत करने की कृपा की जाये, जिससे हजारों किसानों की गम्भीर समस्या का निस्तारण हो सके।]

जनपद-बागपत के पूर्वी यमन नहर अल्पकाओं, सिल्ट सफाई तथा टूटे हुये पुल का निर्माण एवं देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय तोमर–

[महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद-बागपत एक कृषि प्रधान जनपद है। कृषकों को फसल की सिंचाई के लिये केवल एक मात्र साधन नहर/राजवाहे हैं इस जनपद को पूर्वी यमुना नहर इसके राजवाहे व अल्पकाओं के द्वारा सिंचाई हेतु पानी मिलता है परन्तु पूर्वी यमुना नहर में यमुना में पानी के कमी के उपरान्त पानी की उपलब्धता के लिये गंगा का पानी लाने के लिये समानान्तर देवबन्द चैनल का निर्माण कराया गया था परन्तु समानान्तर देवबन्द चैनल के द्वारा इसकी क्षमता के सापेक्ष गंगा का पानी पूर्वी यमुना नहर को नहीं दिया जा रहा है। जिस कारण पूर्वी यमुना नहर में इसकी राजवाहे-खन्दरावली, बराल, बावली, मीरापुर, इदरीशपुर, नाला, बिहारीपुर आदि को इनके रोष्टर के अनुसार तथा इनकी क्षमता के अनुसार टेल तक पानी नहीं मिल पा रहा है इन राजवाहों की अल्पकाओं की यही स्थित है दूसरी ओर अगर पानी आता भी है तो पूर्वी यमुना नहर सहित सभी राजवाहों, अल्पकाओं में सिल्ट की अधिकता होने के कारण सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी के साथ-साथ यह भी अवगत कराना है कि समानान्तर देवबन्द चैनल से चौधरी चरण सिंह हिण्डन कृष्णा नहर परियोजना में पिछले तीन वर्षों से कभी भी पानी नहीं छोड़ा गया है। इसी के साथ यह भी सूच्य की जनपद-बागपत के पूर्वी यमुना नहर क्षेत्र, इसके राजवाहे अल्पकाओं खास-नालों पर बने पुल/पुलिया, पशुघाट, पीचिंग वाल आदि अधिकतर टूटे हुये हैं या आंशिक खराब हो चुके हैं। क्षेत्रीय जनता इन सब मांगों के लिये आन्दोलनरत है। किसान भूखमरी के कगार पर है। आर्थिक तंगी से गुजर रहा है।

अतः निश्चित अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उपरोक्त पूर्वी यमुना नहर, इसके राजवाहे, अल्पकाओं के शिल्ट सफाई तथा टूटे हुये जर्जर पुल आदि का निर्माण कराते हुये समानान्तर देवबन्द चैनल द्वारा गंगा का पानी दिलाना निश्चित कराने की मांग करता हूं]

जनपद-आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ में मगई नदी पर स्वीकृत पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी–

[महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम रामगढ़ मगई नदी पर पुल निर्माण के लिए धन स्वीकृत हुआ था किन्हीं कारण बस पैसा वापस चला गया पुल का निर्माण नहीं हुआ क्षेत्र की जनता को आने जाने में काफी कठिनाई हो रही है। पुल का निर्माण न होने से जनता में काफी आक्रोश है।

अतः आप रामगढ़ मगई नदी पर पुल के निर्माण का पैसा पुनः वापस कराते हुए नदी पर पुल निर्माण कराने का कष्ट करें।

लोक महत्व को ध्यान में रखते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट करें।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में कतिपय मार्गों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल चौधरी–

[महोदय, जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद के सीमावर्ती (अन्य जनपदों) की सीमा पर अवस्थित ग्राम सम्पर्क मार्गों के दो जनपदों में होने से आवागमन की सुचारू व्यवस्था से वंचित है। इन ग्रामों को अन्य जनपदों में स्थित शेष भागों को लेपन स्तर तक निर्माण/विशेष मरम्मत करा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इन मार्गों की सूची निम्नवत् है।

1–ग्राम-जारऊ से ग्राम-सेमरा (आगरा) सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक।

2–ग्राम-शिखरा से ग्राम-खांड़ा (आगरा) सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक।

3–ग्राम-चौबारा से ग्राम-नगला पांडे (आगरा) सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक।

4–ग्राम-गढ़ी रूस्तम (भाग चमरपुरा से) ग्राम-पुरा रेलवे स्टेशन शेष भाग सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक।

5–ग्राम रसगांवा से बहरदोई होकर पुरा मार्ग लेपर स्तर तक।

6–ग्राम धानौटी से ग्राम सराय दाऊद (मथुरा) सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक।

7–ग्राम लोधई से जामपुर चौराहा (आगरा) तक लेपन स्तर तक मार्ग।

8–ग्राम बहादुर पुर दवेकरन से ग्राम ऊंचा गांव (एटा) तक लेपन स्तर तक मार्ग।

9–मार्ग भरतिया (मथुरा) से सादाबाद–मथुरा मार्ग पर घुरिया की चक्की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण।

10–ग्राम–अहेली से ग्राम–सोरई (आगरा) मरम्मत कार्य।

11–ग्राम–नगरिया उधेना (वि0ख0 सहपऊ) से विधीपुर का शेषभाग।

12–ग्राम– बावली (वि0ख0 सहपऊ) से (नहरई जनपद एटा)।

13–ग्राम–चन्दवारा (वि0ख0 सहपऊ) से लाड़पुर का शेष भाग।

14–ग्राम महरारा (जनपद महामायानगर) से जमालनगर भैंस (जनपद आगरा) का शेष भाग।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-रामपुर के तहसील बिलासपुर के ग्राम बिडवानगला में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेद्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 क अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर–

[महोदय

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम बिडुआ नगला की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। ग्राम बिडुआ नगला के आस-पास कोई भी विद्युत उपकेन्द्र नहीं है। तथा ग्राम बिडुआ नगला के आस-पास के ग्रामों में विद्युत सप्लाई उत्तरांचल से की जा रही है जिसे उत्तरांचल द्वारा किसी समय भी काट दिया जाता है जिससे कृषकों को काफी समस्या होती है तथा विद्युत लाइन लगभग 15–20 किमी0 दूर से आने के कारण यहां के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति ठीक ढंग से भी नहीं मिल पा रही है तथा विद्युत के तार आये दिन टूटते रहते हैं जिससे जान-माल का खतरा बना रहता है। ग्राम बिडुआ नंगला में 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की मांग कृषकों द्वारा बड़े लम्बे समय से की जा रही है।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन में उठाये जाने की अनुज्ञा . प्रदान करें।]

सहारनपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं एवं कर्मचारी/अधिकारी की निरंकुशता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल शर्मा–

[महोदय,

सहारनपुर नगर पालिका परिषद् को शासन द्वारा 01–10–2009 में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। सहारनपुर को नगर निगम बने हुए लगभग 01 वर्ष हो चुका है। इस एक वर्ष में नगर निगम सहारनपुर में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। व्यवस्थायें छिन्न–भिन्न हो चुकी है। विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। आम जनमानस को पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पथ प्रकाश मे अव्यवस्थाओं के कारण नगर निगम अंधेरे में डूबा हुआ है। नगर निगम मे शामिल किए गये ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक नगर निगम द्वारा कुछ भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। कर्मचारी व अधिकारी निंकुश होकर जनता का शोषण कर रहे हैं क्योंकि उनकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। इन सभी अव्यवस्थाओं के कारण आम जनमानस में भारीरोष है। जनता का आक्रोश कभी भी उग्र रूप ले सकता है तथा जनता सड़कों पर उतर सकती है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महोदय, इन सभी अव्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि सरकार नगर निगम सहारनपुर का चुनाव जल्द से जल्द करवाये ताकि नगर निगम सहारनपुर मे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो सके ताकि नगर निगम में जो भी अव्यवस्थायें फैली हैं उनकी रोकथाम की जा सके।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नगर निगम सहारनपुर का चुनाव जल्द कराये जाने की मांग करता हूं।]

नगर निगम गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्र में भूमिगत जल नमकीन होने के कारण पेयजल की भारी समस्या के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील शर्मा–

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत नगर निगम गाजियाबाद के हिन्डन पार क्षेत्र में भूमिगत जल नमकीन है। पेयजल की भारी समस्या है। इस कारण से कुछ कालोनियों से गंगा जल आपूर्ति की जा रही है जो अपर्याप्त है। इसी क्षेत्र के शालीमार गार्डेन, जनकपुरी, गणेशपुरी, राजेन्द्र नगर, पप्पू कालोनी, डी0एल0एफ0 कालोनी, लाजपत नगर, श्यामपार्क, अर्थला, करहैडा आदि समस्त हिन्डन पार क्षेत्र में अभी गंगाजल आपूर्ति नहीं हो रही है। जिस कारण इस क्षेत्र की जनता को पेयजल के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा जनता में भारी आक्रोश है। गंगा जलापूर्ति हेतु सरकार की तरफ से कोई योजना भी नहीं बनाई गयी है। जनहित में सरकार द्वारा क्षेत्र मे पेयजल आपूर्ति हेतु इस क्षेत्र में गंगा जल पेयजल आपूर्ति योजना बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा बिजली इस समय लगभग 4–6 घण्टे दी जा रही है और बिजली विभाग द्वारा इतना परेशान किया जा रहा है कि लोगों को बिजली मिल पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में किसानों की खेती रोपाई नहीं हो पायी

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है और क्षेत्रीय जनता परेशान है मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद में भी बिजली की आपूर्ति बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। जिसमें छात्र/छात्राओं की पढ़ाई सूचारू रूप से नहीं हो पा रही है, जबकि लगभग 14–15 घण्टे बिजली की बहुत ही आवश्यकता है। बिजली न मिल पाने से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है और जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से जनपद सीतापुर में विद्युत की आपूर्ति किये जाने की मांग करता हूं।]

जौनपुर शहर में टालतला से अलहादी प्रेस जाने वाली कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जावेद अन्सारी एडवोकेट–

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, जौनपुर शहर में (1) तालतला से अलहादी-प्रेस जाने वाली सड़क उसके आगे तक (2) तथा इमामबाड़ा कल्लू मरहूम से मुफ्ती मुहल्ला (3) एवं जौनपुर मल्हनी रोड स्थित बड़ी मस्जिद से आगे उक्त सड़क से हमामदखाजा होते हुए मुफ्ती मुहल्ला चौराहे तक की सड़कें बिल्कुल खराब तथा पैदल चलने योग्य नहीं रह गयी हैं जबकि इन भागों से शहर की बहुत बड़ी आबादी दिन-रात आवागमन करती है। इन सड़कों पर विगत 10–15 वर्षों से मरम्मत तक का कोई कार्य नहीं कराया गया जिससे आम लोगों को भारी असुविधा होती है। नगर पालिका परिषद् भी लगातार इन महत्वपूर्ण सड़कों की जान-बूझ कर उपेक्षा करती चली आ रही है जिससे यहां के नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इसके शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

श्री जमीरउल्ला–

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत अलीगढ़ की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढ़े बन चुके हैं बरसात के दिनों में जगह-जगह पर पानी भर जाता है जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। लोगों का पैदल भी चलना मुश्किल हो जाता है और आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। बरसात के दिनों में जल भराव की

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समस्या पूरे शहर में हैं जैसे–शाहजमाल, जीवनगढ़, शाहन्शाबाद, मौलाना आजाद नगर, माबूद नगर, हमदर्द नगर, नगला, जमालपुर, भुजपुरा, इन्द्रा नगर कालीदह आदि जगहों पर पानी की समस्या बनी रहती है। पानी भर जाने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी पेरशानी होती है इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए अलीगढ़ जनपद पूरे शहर के टूटे/जर्जर सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-सिद्धार्थ नगर के इटवा क्षेत्र में बिसकोहर से बाँसी तथा डुमरियागंज बढ़नी की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र इटवा जनपद-सिद्धार्थनगर बिसकोहर बाँसी इटवा होते हुए लोक निर्माण विभाग की सड़क एकदम जर्जर एवं चलने योग्य नहीं रह गयी है जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढ़े बन गये हैं। इटवा बाजार के अन्तर्गत जहां से गुजरती है अत्यन्त दयनीय स्थिति में है इस पर चलना दूभर हो गया है कई बार लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से इसे ठीक करने के संदर्भ में बात की तो उन्होंने बताया कि इसके रिपेयरिंग के लिए धन नहीं है। सड़क की इस स्थिति से जनता में असंतोष है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बिसकोहर से बाँसी तथा इटवा बाजार के अन्तर्गत जर्जर सड़क जिसमें डुमरियागंज, बढ़नी की एक किलोमीटर सड़क भी आती है, को ठीक करने के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराकर उसे ठीक करने की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर के मुजफ्फराबाद क्षेत्र में नदियों के बाढ़ से रास्ता कटने एवं घरों में पानी घुसने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इमरान मसूद–

[महोदय,

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुजफ्फराबाद में लगभग छोटी बड़ी पचास नदियां हैं दिनांक 30–07–2010 को हुई भारी बरसात के कारण क्षेत्र के ग्राम डांडल, हिन्दु वाला, खुवासपुर, नोगांवा में भारी तबाही हुई हिन्दू वाला गांव का रास्ता कट गया। तटबन्ध टूटने से स्कूल

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में पानी आ गया है कुछ मकान पानी के बहाव में गिर गये। ग्राम मिर्जापुर में दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जे के कारण पानी गांव में घुस गया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और मकान गिर गये। बेहेट कस्बा में भी पानी शहर में आने से भारी तबाही तथा जानवर पानी में बह गये या दबकर मर गये। प्रशासन द्वारा दी गई सहायता नगण्य है दिनांक 8–10–2010 को मध्यरात्रि में भी पानी आने से हिन्दू वाला डाडल नोगांवा में पानी पूरी तरह गांव में घुस गया जिससे भारी नुकसान हुआ यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें जनता गर्मी में बिना पानी प्यासी रहती है और बरसात में बाढ़ से प्रभावित रहती है और सर्दी में ठंड से पीड़ित रहती है क्योंकि क्षेत्र में गरीबी के कारण छप्पर के कच्चे मकान हैं। सबसे ज्यादा जनपद के अन्दर आगजनी भी इसी क्षेत्र में होती है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से व्क्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद-कुशीनगर के सेवरही क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित विस्थापितों को वन विभाग की भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पी0के0 राय–

[महोदय,

शासन के संज्ञान में लाना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-सेवरही, जनपद-कुशीनगर के तहसील–तमकुहीराज के अन्तर्गत गांव पुष्कर नगर दशावां, विकास खण्ड-दुदही में तकरीबन 500 परिवार बसे हुए हैं। यह लोग बड़ी गण्डक नदी के कटान के कारण वर्ष 1960–70 के दशक में ग्राम-भगवानपुर, रकटहिया, अशोगवा, खुरखुरिया, बनरही, महोवा इत्यादि से विस्थापित होकर इस गांव में आकर बसे हैं। प्रशासन ने इनको यहां बसाने में उस समय सहयोग किया था। यह लोग जिस गांव में बसे हुए हैं वहां की जमीन पर वन विभाग ने नोटिस दे रखा है। लगभग 50 वर्ष से बसे इन लोगों के पास इसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी जमीन नहीं है जहां पर यह अपना घर बसा सकें।

ऐसी परिस्थिति में मानवीय आधार पर जनहित में नियम–301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह मांग करता हूं कि इन लोगों को उस स्थान से विस्थापित न किया जाय तथा सरकार वन विभाग को कोई अन्य भूमि उपलब्ध कराने की कृपा करें।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 अगस्त, 2010 को नियम–300 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुयीं :–

पहली सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा श्री प्रमोद तिवारी की, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपवेशन कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री अनूप सण्डा की जनपद-सुल्तानपुर में विकास कार्यों हेतु किये गये प्रस्तावों पर विधायक निधि की धनराशि निर्गत किये जाने में बरती जा रही शिथिलता के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री आरिफ अनवर हाशमी तथा श्री जोखू लाल यादव की पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश, दिनांक 25 जून, 1991 के अनुसार निर्वाचित सभापतियों के नाम बैंक में खाता न खोलने व नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा पांचवीं सूचना, डा0 अनिल चौधरी की शासन द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे के नाम पर किसानों की भूमि बड़े सरमायेदारों को टाउनशिप बनाने के लिए देने व पंचायतीराज व्यवस्था को समाप्त कराये जाने के विषय में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में है इन सभी सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की महामाया आवास योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के सभी विकास खण्डों को 42–43 आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। श्री उदयभान करवरिया की पूर्वांचल जिलांश की मद में धन का विभागीकरण किये जाने में पेय जल की मद में कोई आवंटन नही किये जाने के सम्बन्ध में है। श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू'' की जनपद अम्बेडकर नगर की प्राथमिक पाठशाला देवरिया बुजुर्ग-प्रथम में शिक्षा मित्र की नियुक्ति नियमों के विरूद्ध किये जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। श्री लालजी यादव की किसान इण्टर कालेज बभनान जनपद-बस्ती में कार्यरत सहायक लिपिक को सेवाकाल का वेतन न देने तथा कार्य से हटा दिये जाने के सम्बन्ध में है। श्री सुन्दर सिंह की क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में दिये गये प्रश्न स्वीकृत न होने के सम्बन्ध में तथा डा0 पी0के0 राय की जनपद-कुशीनगर में माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र सेवरही में दिनांक 31 जुलाई, 2010 को अग्निशमन केन्द्र के शिलान्यास के आयोजन के अवसर पर माननीय सदस्य को आमंत्रित न किये जाने तथा शिलापट पर नाम भी अंकित न किये जाने के सम्बन्ध में है। सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है।

विधान सभा के अधिवेशनों से सम्बन्धित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय–4 के नियम–14 का पालन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना व श्री प्रमोद तिवारी जी की है। खन्ना जी अपनी बात रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 14 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुये साधारणतया वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।

मान्यवर, आप देखें पिछले सत्र में कुल 13 बैठक हुईं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मान्यवर, वही पन्ने देखते हैं जो उनके पक्ष में होते हैं। मान्यवर, यह हमारा अधिकार है कि सदन की बैठकें हों और हम लोग अपनी बातें रखें। मान्यवर, आप देखें कि इसमें व्यवस्था है कि वर्ष में तीन बार सत्र होंगे बजट सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। वर्षाकालीन सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह से नियमों में यह भी व्यवस्था है कि दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा।

मान्यवर, कार्यसूची जो 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अगर हम दिन गिनते हैं तो मात्र 6 कार्यकारी दिवस होते हैं। इस समय भी मान्यवर, नियमों का पालन नही किया जा रहा है। यह नियमावली इसलिए बनी है कि हम सब लोग अपने अपने अधिकारों को देख सकें उसकी बात कह सकें और आप सबसे बड़े संरक्षक हैं हमारे, आप इसमें हमारा संरक्षण करें हमकों संरक्षण प्रदान करें। आखिरकार विधान सभा की बैठकें कम होने की वजह से बहुत सी जनसमस्याएं यहां पर नहीं आ पाती, उन पर चर्चा नहीं हो पाती, उनका समाधान नहीं हो पाता और सदन में जो अव्यवस्था है उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है। विधान सभा में अगर . प्रश्न देखें, इतने इतने इम्पार्टेन्ट प्रश्न, चूंकि कार्यदिवस इतने होंगे नहीं इसलिए मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न होने के बाद भी अतारांकित प्रश्न की संख्या में आ जाते हैं। उनका उत्तर नहीं आ पाता, उनका अनुपूरक जो हमारा करने का अधिकार है वह भी हम नहीं कर पाते हैं और हर वर्ष यह समस्या आपके सामने लाई जाती है। मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि नियमावली का पालन अक्षरशः होना चाहिए। हर दो महीने के बाद शीतकालीन, वर्षाकालीन और बजट सत्र, बजट सत्र के दिनों में भी मान्यवर, कटौती कर दी गयी। शीतकालीन सत्र तो समाप्त ही कर दिया गया और वर्षाकालीन सत्र के दिनों में भी कटौती कर दी गयी। तो आखिरकार कौन सी मजबूरी है, कौन सी व्यवस्था है कि जिसकी वजह से सत्र नहीं बुलाया जाता है। नियमों में मान्यवर, 60 दिन बाद लिखा है कि साधारणतः बुलाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

बस आपकी बात आ गयी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कोई इमरजेंसी हो, कोई संकटकालीन स्थिति हो, कोई असाधारण परिस्थिति हो, कोई मजबूरी हो तब तो सत्र के दिनों को घटाया

जाय, सत्र न बुलाया जाय लेकिन जब तक कोई मजबूरी न हो, कोई संकटकालीन स्थिति न हो तो यह विधान सभा की बैठकें कम करना इसके औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगाना है। मान्यवर, पूरे के पूरे लोग पूछते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बस खन्ना साहब, सुनने का मतलब यह नहीं है कि आधा-आधा घंटे तक। आपने सब महत्वपूर्ण बात कह दी है, जितना महत्वपूर्ण कहना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सुन लें। हिन्दोस्तान के सचेतकों का सम्मेलन हुआ। मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला। मुझसे पत्रकार लोग आ आ करके पूछते थे कि आखिरकार कौन सी मजबूरी है हमने जब उनसे कहा कि हमारे यहां कि मात्र 13 दिन पिछले वर्ष 2009 में केवल 13 उपवेशन हुए। तो लोग बाकायदा इंटरव्यू लेते थे कि आखिरकार इसकी वजह क्या है ? कितने दिनों की व्यवस्था है आपके यहां नियमों में क्या व्यवस्था है ? मान्यवर, यह साधारण बात नहीं है विधान सभा के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया। जो बातें चर्चा के आधार पर जिसका समाधान हो सकता था।

श्री अध्यक्ष–

यह साधारण बात नहीं है तो कब तक खत्म करेंगे इसको ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, चूंकि यह बड़ा विषय है।

श्री अध्यक्ष–

मैं 300 सुन रहा हूं। 2 मिनट में अपनी बात औचित्य की कह दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं मैं इस पर बल देना चाहता हूं और आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करें कि नियमावली का पालन करें और नियमों के हिसाब से हर दो महीने के बाद तीनों सत्र बुलायें और जितने दिनों की व्यवस्था इसमें दी है उतने दिनों की व्यवस्था जरूर करें। आपने मुझे मौका दिया मैं आपका आभारी हूं।

***श्री प्रमोद तिवारी–**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं औचित्य का जब यह प्रश्न उठा रहा हूं तो सीधे सीधे नियमावली के नियम 14 का जो उल्लंघन हो रहा है जिसमें हम सभी भागीदार हैं, आप भी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार भी, हम सभी भागीदार हैं वह प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, इस सदन ने वह दिन भी देखा है जब 80 दिन 82 दिन साल में विधान सभा की बैठकें होती हैं आज सदन वह दिन भी देख रहा है जब कुल साल में 6 बैठकें हुईं। आपके कार्यकाल की नहीं मैं पढ़ देता हूं। मान्यवर, 1993 में सिर्फ 6 दिन बैठकें हुई, 1992 में 42 दिन बैठकें हुई। मान्यवर, मेरे पास 1990 से लेकर आज तक सभी बैठकों का है मैं तो सिर्फ 4 दिनों का पढ़ देना चाहता हूं। 2006 में 37 बैठकें हुयीं, 2007 में 32 बैठकें हुयीं, 2008 में 22 दिन चली और 2009 में 13 दिन चली और 2010 में कुल मिलाकर अभी तक 14 दिन चली है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी को कुछ शक हो रहा है इसलिये मैं तारीख भी बता देता हूं। आप इस वर्ष 2010 में यहां बैठे हैं 21 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी फिर आप बैठे हैं 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी और उसके बाद आप बजट पारित कराकर चले गये। मान्यवर, मेरे पास तो इस चीज का भी हिसाब है कि माननीय लाल जी वर्मा दिन में क्या करते हैं और रात में क्या करते हैं। अगर पूछेंगे तो मैं वह भी ब्योरेवार बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

जब आप साथ ही रहते हैं तो क्या होगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

तो मान्यवर, मुझसे यह प्रश्न न पूछा जाये तो अच्छा है। मान्यवर, यहां एक प्रश्न गंभीर है और वह गंभीर इस तरह से है कि यहां क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिये सब निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। हर क्षेत्र की समस्यायें हैं और क्षेत्र के अलावा जनपद की समस्यायें होती हैं, प्रदेश की समस्यायें होती हैं। 90 दिन सत्र चलाने का मतलब ही यही होता था कि हर कोई सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां उठा सके। मान्यवर, इसीलिये हमारे पूर्वज जिन्होंने इसीलिये इसे निर्धारित किया होगा, उन्हांने बहुत दूर तक सोचकर ही 90 दिन की समय सीमा तय की होगी। फिर जब यह देखा गया कि 3 सत्र से काम नहीं चल रहा है, लम्बी बैठकें हो रही हैं तो मान्यवर, मैं इसी सदन का सदस्य था, एक समिति बनाई गयी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर एक साथ 90 दिन यानि 3 बार में 30–30 दिन बैठना संभव न हो तो क्यों न हर दो माह के अंतराल पर हम 10 दिन के लिये बैठ लें। मान्यवर,आपको भी यह बात बहुत अच्छी लगी, आपने हर बार यही आश्वासन दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी आप यही आश्वासन देगें कि हम दो महीने बाद फिर बैठने का प्रयास करेंगे और 10 दिन बैठेंगे। माननीय मंत्री जी भी कहेंगे कि हां बैठना चाहिये। लेकिन मान्यवर, मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप भी बैठना चाहते हैं और सत्ता पक्ष भी बैठना चाहता है और विरोध पक्ष तो हमेशा बैठना चाहता है तो फिर कौन सी कठिनाई है जिसकी वजह से हम लोग एक चौथाई दिन भी नहीं बैठ पा रहे हैं। इसकी वजह से मान्यवर, एक समस्या आती है कि जब माननीय सदस्य अपनी बात नहीं कह पाते तो मान्यवर, अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ लोग अपनी बात कह देते हैं, कुछ लोग मान्यवर, वेल में आकर अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। उनकी गलती नहीं है कि वह वेल में आते हैं, उनको जब हम समय ही नहीं देगें और वह अपने क्षेत्र की बात नही

कह पायेगें तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस बार अभी तक जो बैठकें हुयी हैं, 13 तारीख को हम उठ रहे हैं, लेकिन अभी पूरा सितम्बर है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवम्बर है और पूरा दिसम्बर है और एक शीतकालीन अधिवेशन की भी मान्यवर, परम्परा है। बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। तो मेरा इस विषय को उठाने के पीछे लक्ष्य यही है कि क्या आज आप विचार करके सत्ता पक्ष से सदन को यह आश्वासन दिलायेगें कि शीतकालीन अधिवेशन को समाप्त न किया जाय वह मान्यवर, पूर्ववत् बना रहे और इन चार महीनों में हम एक बार फिर बैठ लें।

मान्यवर, होता क्या है कि 6 महीने के अंतराल पर, जब संवैधानिक मजबूरी होती है एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 180 दिन से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिये और जब सत्र बुलाया जाता है तो हम गिनते हैं तो कभी 170 दिन पूरे होते रहते हैं, कभी 172 दिन पूरे होते रहते हैं और कभी 177 दिन पूरे होते रहते हैं। तो इस प्रकार यदि संवैधानिक मजबूरी न हो तो मुझे लगता है कि एक बार में ही काम निपटा दिया जाय। मैं जानता हूं माननीय मंत्री जी उदाहरण जरूर देगें, कि यहां पर एक दिन में दो दिन में, तीन दिन में सत्र निपटाया गया लेकिन मेरे पास एक–एक दिन का हिसाब है। जिन्होंने कम सत्र चलाया उन्होंने भी गलत किया और जो अब कम चलाना चाहते हैं वह भी गलत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, इस सदन के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें और आप मान्यवर, जिस स्थान पर बैठे हैं वहां हम आपसे आशा करते है। कि आप एक निर्देश देंगें कि कम से कम और किसी चीज का पालन हो या न हो लेकिन नियमावली का जरूर पालन हो जाय, अगर नियमावली का उल्लंघन हम स्वयं और पूरा सदन करेगा तो फिर हम किस आधार दूसरों से कहेंगे कि नियम का पालन करो यह बड़ा स्पष्ट नियम है और इस स्पष्ट नियम का उल्लंघन हो रहा है इसलिए मैंने औचित्य के रूप में यह प्रश्न उठाया है। मैं कृपापूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि नियमावली के अनुसार सदन की परम्परा के अनुसार यदि 90 दिन सदन न चल सके तो कम से कम हर दो माह बाद सदन अवश्य बुलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)–

मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी का मैं आभारी हूं कि इन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि कब कितने दिन सदन चला। मान्यवर, नियमावली में यथासम्भव शब्द का प्रयोग किया गया है इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। मान्यवर, 1952 से अब तक का जो रिकार्ड उन्होंने दिखाया कभी भी 90 दिन सदन चलाने का काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इस वर्ष में यदि 13 अगस्त तक जोड़ें तो 22 दिन सदन चलने का काम हो जायेगा। जहां तक सवाल है सदन चलाने का वह अपनी जगह है लेकिन मान्यवर, इस बार आपने एक रिकार्ड जरूर कायम किया है कि 22 दिन में 90 दिन से ज्यादा का काम करके आपने दिखाया है। मान्यवर, जो नियमावली में है और जो आपके द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एक दिन में पांच नोटिस लिये जाने की व्यवस्था है और मान्यवर, कल ही देखें तो 90 दिन का न सही लेकिन 20 दिन की नोटिस तो आपने जरूर लेने का काम किया है। इसलिए मान्यवर, मा0 तिवारी जी की जो चाहत है तो मा0 सदस्यों के कार्य पूरे हो रहे हैं। मान्यवर, तिवारी जी उस ओर ध्यान नहीं देते इसी नियमावली में है जहां नियम–56

के बारे में दिया हुआ है उसी में कि अध्यक्ष भाषणों का समय निर्धारित करेंगे परन्तु कोई भी भाषण में 15 मिनट से अधिक का नहीं होगा। अब मान्यवर, यह भी नियमावली में है, नियम सं0–62 का 2 देखिये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता सदन और मा0 नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसमें स्पष्ट है कि अध्यक्ष भाषणों का समय निर्धारित करेंगे परन्तु कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा। इसमें यथासम्भव शब्द भी नहीं है और रोज तिवारी जी इस नियम को तोड़ते हैं। मान्यवर, यथासम्भव में तो निश्चित रूप से हमारी यह चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा दिन सदन चले।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिला दूं थोड़ी सी गलती हो रही है। कम से कम मेरे जैसे आदमी को न कोड किया कीजिए। यह जो नियमावली का नियम पढ़ रहे हैं वह चर्चा का है अब आप बतायें कि यह चर्चा का है या नहीं।

श्री लालजी वर्मा–

हां, चर्चा का है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं बता दूं कि नियमावली के पृष्ठ–25 पर है चर्चा के समय की परिसीमा। अविलम्बनीय लोकमहत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर। मान्यवर, इनसे गलती हो गई है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, चर्चा से ज्यादा ग्राह्यता पर बोलेंगे। मान्यवर, आपके द्वारा जो निर्देश जारी किये गये हैं उसमें स्पष्ट रूप से है कि पांच कार्य–स्थगन के प्रस्ताव प्रत्येक दिन लिये जायेंगे। मान्यवर, आप उदारतापूर्वक पांच दिन में ही में समझता हूं कि 40–50 दिन का काम तो निपटा ही रहे हैं।

***श्री ओम प्रकाश सिंह–**

मान्यवर, मुझे संसदीय कार्यमंत्री जी के कथन पर आपत्ति है। सवाल उपवेशन कितने हों, अधिवेशन कितने हों, इस पर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि संसदीय कुशलता से यह बार–बार आपको आरोपित कर रहे हैं कि आप नियमित रूप से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमे मेरी आपत्ति है कि अध्यक्ष के अधिकार को बार–बार आरोपित किया जा रहा है। नियम में यह है कि अध्यक्ष चाहे तो 5 मिनट की जगह 15 मिनट ले सकते हैं, आप चाहे तो 15 मिनट की जगह आधे घण्टे बोलने दें। मान्यवर, ये आज यह कह रहे हैं कि मान्यवर, आप भी सीमित रहिए, यदि हम पांच दिन का सत्र चलाते हैं तो आप उसको ढ़ाई दिन में ही खत्म कर दीजिए, इतनी नोटिस मत लीजिए और इतनी चर्चा मत कराइये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, वह बोल सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यही संसदीय विशेषता है, संसदीय आशय यही है कि कुशलता से हर आरोप कह दें और कहीं पकड़ में भी न आयें। आप बिल्कुल आरोपित करें, ऐसी संसदीय परम्परा का उल्लंघन न करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 श्री ओम प्रकाश जी, वरिष्ठ सदस्य हैं, वह कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, आपके अधिकार असीमित हैं, इस नियमावली के अनुसार भी आपके निश्चय पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। मान्यवर, निश्चित रूप से आपको कोई ध्यान दिलाने की बात नहीं है। मान्यवर, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कम समय में भी आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में इतने ज्यादा समय का काम हो जाता है तथा सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। मान्यवर, हमारी चाहत है कि ज्यादा से ज्यादा सदन चलें, लेकिन प्रायः ऐसे अपरिहार्य कारण आते हैं, जिसके वजह से सदन चलाया जाना संभव नहीं होता है। मान्यवर, हमारा पूरा प्रयास होगा कि 3 अधिवेशन हों, इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य कर दें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो सदन की जो लिखित कार्यवाही होती है मान्यवर, उसमें कोई गलत बात न चली जाए। इसलिए मैं इस बिन्दु को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, बोलने की समय–सीमा क्या हो, यह तय करने का अधिकार आपका है। यह पीठ का अधिकार है। मान्यवर, आप यह निश्चित करते हैं कि कौन कितना बोलेगा। मैं इसे आपको पढ़कर इसलिए सुना दे रहा हूं कि जिससे एक गलत चीज चली गयी है सदन की कार्यवाही में, वह सदन का हिस्सा न बने, बल्कि संशोधित स्वरूप रहे इसलिए मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि मान्यवर, नियम–56 में नोटिस दी जाती है। 56 में नोटिस देने के बाद।

श्री लालजी वर्मा–

ग्राह्यता पर चाहे जितना बोल लें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, सुन लें, इसलिए मैंने मंत्री जी से पूछा कि आप किस नियमावली के लिए बोल रहे हैं। मान्यवर, जब नियम–56 में आप उस नोटिस को स्वीकार कर लेंगे, नियम–60 में दिया हुआ है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए उसके बाद 61 में है, प्रस्ताव को लेने का समय और मान्यवर, नियमावली के नियम–62 में है, चर्चा की समय सीमा। सामान्यतः ऐसी चर्चा के लिए जो भाषा है, मैं उसको स्पष्ट कर दूं ताकि वह कार्यवाही में आ जाये–अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा यदि पहले समाप्त न हो जाये तो आरम्भ होने के 2 घण्टे पूरे होने पर अपने आप समाप्त हो जायेगी, और उसके पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जायेगा। मान्यवर, इसमें लिखा है कि अध्यक्ष भाषणों के लिए समय को निर्धारित करेंगे परन्तु कोई भाषण 15 मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा। मान्यवर, इन्होंने 15 मिनट तो पढ़ लिया मान्यवर, पर यह नहीं पढ़ा की यह 15 मिनट किसमें है। मान्यवर, जब 56 में हम ग्राह्यता पर बोल लेते, आपको संतुष्ट कर लेते। हमें मालूम था कि आप संतुष्ट नहीं होंगे। हमने ग्राह्यता पर बोल लिया और उसके बाद मान्यवर, चर्चा स्वीकार होती है। मान्यवर, यह परम्परा रही है। यह ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रैक्टिस रही है कि अध्यक्ष हमेशा विपक्ष को बोलने का अवसर देते हैं, क्योंकि बहुमत की सरकार होती है, इसलिए वे ग्राह्यता पर, नियम–56 पर चर्चा स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो हम भी मानते हैं, पर चर्चा आप स्वीकार कर लेते मान्यवर, तो उस समय हमारे भाषण की निर्धारित समय-सीमा 15 मिनट थी। मा0 श्री शिवपाल यादव जी, नेता विरोधी दल है, उन पर समय-सीमा लागू नहीं हो सकती, मा0 नेता सदन पर समय-सीमा लागू नहीं हो सकती। अब आपको आपत्ति है कि शिवपाल जी क्यों बोले ? कल वह बहुत विद्वतापूर्ण बोले इसलिए आपको आपत्ति हो रही है। दूसरे श्री ओम प्रकाश जी बोले, इन्होंने भी धारा–प्रवाह बोला, अगर यह 15 मिनट से ज्यादा बोले भी तो ग्राह्यता पर बोले हैं। जितना यह बोले उससे कम मैं बोलता तो मान्यवर, गड़बड़ हो जाता, इसलिए मुझे भी उतना ही बोलना पड़ा। अतः मान्यवर, मैंने भी उतना ही ग्राह्यता पर बोल लिया क्योंकि सबको मालूम था कि चर्चा आप स्वीकार नहीं करेंगे, जो कुछ एक्जास्ट होना है इसी में हो जाओं तो मान्यवर, सबने पूरा कर लिया। बड़ा अच्छा हुआ कि लालजी वर्मा जी किसी और विभाग के मंत्री नहीं है वरना यह कहां–कहां समय-सीमा निर्धारित करते, इनकी महिमा अपरम्पार है, इनसे समय-सीमा निर्धारित न कराईये वरना यह अनर्थ कर देंगे। चूंकि इन्होंने सदन की कार्यवाही में गलत नियम ला दिया था इसलिए मैंने इसके शुद्धिकरण के लिए यह प्रयास किया है। एक बात पर मुझे आपत्ति है आपमें और इनमें बड़ा फर्क है, आप मान्यवर, सदन के लोगों की राय लें तो बहुमत की राय इधर से लें तो आप शालीन, कुलीन अच्छे अब मैं क्या-क्या शब्द आपके लिए प्रयोग करूं, हंसमुख, सबके चहेते हैं। अब एक फिल्म बनती है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक जोकर होता है और एक विलेन भी होता है। इस पूरे सदन की जो फिल्म बनती है उसमें विलेन कौन है वह आप तय कर लीजिए और जीत आखिर में विपक्ष के हीरों की ही होती है, इसलिए आपका निर्णय इधर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, यह सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

जनपद-सुल्तानपुर में विकास कार्यों हेतु दिये गये प्रस्तावों पर विधायक निधि की धनराशि निर्गत किये जाने में बरती जा रही शिथिलता के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

एक व्यक्तिगत मसला अनूप संडा जी ने रखा है इसलिए मैं उसको नियम–300 के अन्तर्गत सुन ले रहा हूं।

***श्री अनूप संडा–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, पिछले सत्र में भी 11 फरवरी, 2010 को इस प्रकरण को आपके समक्ष उठाया था और आपने कृपापूर्वक सरकार को निर्देश दिया था इसके ऊपर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए। पिछले साल सितम्बर माह में ग्राम्य विकास ने कुछ कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डाल दिया। मेरा और उत्तर प्रदेश के तमाम मा0 विधायकों की विकास निधि का पैसा इन संस्थाओं के पास था वह पैसा सीज कर दिया गया जिसकी वजह से हमारे जो विकास के प्रस्ताव थे, वह जहां पर थे वहीं पर लंबित हो गये। यह प्रकरण सदन में आने के बाद, आपका निर्देश हुआ, सरकार ने कुछ कार्यवाही की होगी, कुछ संस्थाओं को उसमें से काली सूची से मुक्त किया गया जिसमें से एक संस्था उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड है, जिसको 7–7–2010 को एक पत्र जारी करके शासकीय निर्माण इकाई घोषित किया गया। उसी पत्र में यह भी कहा गया कि संस्था को विधायक निधि के विकास कार्यों को करने का भी अधिकार होगा। इसके बावजूद कुछ जिलों में मुख्य विकास अधिकारी या डी0आर0डी0ए0 के अधिकारी है उनके द्वारा नियमों की व्याख्या मनमाने ढंग से की जा रही है इसकी वजह से आज भी इस संस्था के पास जो हमारा पैसा था, जो पुराने विकास कार्यों के प्रस्ताव थे उनका भी पैसा रिलीज नहीं किया गया। आज भी कार्य लंबित पड़े हुए हैं। आदेश जारी होने के बाद कुछ प्रस्ताव मैंने वर्ष 2010–11 के भेजे उसके ऊपर भी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कोई धनराशि निर्गत नहीं की जा रही है। मान्यवर, हम लोगों के समक्ष समस्या यह है कि कुछ चंद कार्यदायी संस्थायें ऐसी होती हैं जो कार्य करने में इतनी देरी कर देती हैं कि उन विकास कार्यों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त कीजिए। आपकी बात आ गयी।

श्री अनूप संडा–

और इसके अलावा जिन संस्थाओं को अब तक काली सूची में रखा गया है और जिनके पास हम लोगों के पैसे पड़े हुए हैं उनके बारे में स्पष्ट व्यवस्था हो जाए, चाहे पैसा हमारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायक निधि में वापस आ जाय और उन संस्थाओं को निर्देश कर दिया जाए कि बकाया काम का जितना पैसा है उसमें वह उस काम को पूरा करा दें। हो यह रहा है कि मा0 विधायकों की छवि, शासन की छवि खराब हो रही है जनता की निगाह में, धूमिल हो रही है और विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इसके अलावा एक प्रकरण आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जो कार्यशैली अपनायी जा रही है इसका एक उदाहरण बता दूं कि नवम्बर, 2007 के हमारे प्रस्ताव कुछ हैण्डपाइप लगाने के लिए थे, आज तक उनके ऊपर पूरा कार्य नहीं हो पाया है। इस साल भी हमने 120 हैण्डपम्प के प्रस्ताव भेजे। 5–6 महीने से ज्यादा हो गया वह कार्य लंबित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में सरकार को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें जिससे विकास कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनूप संडा जी की सूचना नियम–300 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य है लेकिन फिर भी मा0 विधायक जी ने विधायक निधि से जो प्रस्ताव दिया है, उसका आगणन जाने के बाद काम प्रारम्भ हो गया है या नहीं प्रारम्भ हुआ है, इसके बारे में धन अवमुक्त न होना अनियमितता है। इसको माननीय मंत्री जी दिखवा लें।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, विधायक निधि की गाइडलाइन्स है उसके अनुसार इसमे किसी एन0जी0ओ0 को धन नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, लेबर फेडरेशन कोआपरेटिव की संस्था है उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव विभाग की वह एन0जी0ओ0 नहीं है। उसको कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है। उसके द्वारा काम कराने पर कहीं रोक नहीं है। विधायक निधि का वह काम ले सकते हैं लेकिन सहकारी नाम से, सहकारी समिति के नाम से अगर कोई एन0जी0ओ0 है तो उसको अधिकृत नहीं किया गया है। एन0जी0ओ0 को इसमें धन देने का प्राविधान नहीं है विधायक निधि की गाइड लाइन्स में।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री लालजी वर्मा–

विधान सभा क्षेत्र मण्डल विकास निधि की गाइड लाइन्स में किसी एन0जी0ओ0 को जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था नहीं बना सकते हैं उनको अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अनूप संडा जी आपका दो वित्तीय वर्षों का पैसा अवमुक्त नही हो रहा है उसको दिखवा लेंगे। यह बात हो गई। आपकी सूचना अग्राह्य हो गयी।

श्री ओमप्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक विषय मैं रख देता हूं इसी निधि से सम्बंधित अभी पूर्वांचल विकास निधि जिलांश इसका कार्य अभी तक हमारे जिले में ब्लाक भी एक एजेंसी थी अभी जो जिलाधिकारी

गई हैं उन्होंने एक आदेश कर दिया है कि खण्ड विकास अधिकारी से पूर्वांचल विकास निधि जिलांश का कार्य नहीं हो सकता है यह आर0ई0एस0 से कराएं। हमें कोई आपत्ति नही है लेकिन आर0ई0एस0 और पी0डब्लू0डी0 विकास योजनाओं से इतने ओवरलोडेड हैं कि वह इस्टीमेट ही नहीं बनाते इसलिए ब्लाक को दिया गया था। मंत्री जी इसको अभी बता दें या बाद में बता दें।

आबकारी लो0नि0 सिंचाई एवं चीनो उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

अगर गाइडलाइन के अनुरूप है तो रोका नहीं जाएगा।

श्री उदयभान करवरिया–

मान्यवर, मदवार पैसे का विभाजन करके दिया गया है कि किस मद में आपको कितना खर्च करना है। उसमें कठिनाई है।

श्री अध्यक्ष–

करवरिया जी बैठ जायं चर्चा नहीं हो रही है। श्री आरिफ अनवर हाशमी, जोखूलाल जी नियम–300 की सूचना पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के संबंध में।

श्री उदयभान करवरिया–

जो मदवार विभाजन किया गया है इसमें पेयजल की मद में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

पन्द्रहवीं विधान सभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

हाशमी जी, आपकी सूचना नियम–300 मे नहीं आती तब भी मैंने इसको लिया है कृपया दो मिनट में अपनी बात रखे। दो मिनट के बाद कोई बात नोट नहीं की जायेगी।

***श्री आरिफ अनवर हाशमी–**

अध्यक्ष जी, मैंने नियम–300 के माध्यम से औचित्य के प्रश्न के रूप में इसको उठाया है आपने मुझे सुनने और बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 में स्पष्ट प्राविधान है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, कल जब मैंने सदन में देखा कि आप 11 बजे से पीठ पर आसीन हुए और 4 बजे से ऊपर घड़ी चली गई तो यह दुःख मेरे से सहन नहीं हो सका इसलिये मैं औचित्य का 300 में यह प्रश्न लाया कि माननीय नेता विरोधी दल के दाहिनी तरफ जो सीट खाली है और लगभग 3 साल से ऊपर इस पन्द्रहवीं विधान सभा का गठन हो गया और अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। जो विधान सभा के उपाध्यक्ष होते हैं मान्यवर, वे विधान सभा की कई समितियेां के पदेन सभापति होते हैं इससे यह कार्य बाधित हो रहा है। मान्यवर, उन समिति की कोई बैठक नहीं हो पा रही है। परम्परा रही है मान्यवर, कि जो सदन में बड़ा दल विरोध में होता है उसके किसी वरिष्ठतम सदस्य को यह पद दिया जाता है। मान्यवर, यह आपकी भी पीड़ा है मान्यवर, कि आप इस पीड़ा को समझें और सरकार की न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है कि यह टाल–मटोल करते हैं। यह जो उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा आपको करनी है। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह संवैधानिक पद है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में, विधान सभा के इतिहास में यह काला अध्याय न जुड़ने पाए कि आप जैसे वरिष्ठ, सुशील अच्छे योग्य स्पीकर के जमाने में मान्यवर, डिप्टी स्पीकर का, विधान सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। इसलिये मैं आपसे बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि की घोषणा करें। इस पद पर किसी को बैठायें। आपने मुझे सुना इसके लिये आपका शुक्रिया।

***श्री जोखू लाल यादव–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के इस प्रश्न पर बोलने की अनुमति प्रदान की। हम तमाम सारे माननीय सदस्यगण 2007 मई में चुनकर आये थे और मई, 2007 में इस विधान सभा का गठन हो गया था लेकिन 2007 से आज तक उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचन नहीं हुआ। मान्यवर, इस विधान सभा के अंदर कुछ संवैधानिक पद हैं। जिस पीठ पर आप बैठे हैं यह भी संवैधानिक पीठ है और उसके लिये निर्वाचन हुआ और आप निर्वाचित होकर उस पद के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन हैं, उनका भी निर्वाचन हुआ है और इसी क्रम में नेता विरोधी दल का भी निर्वाचन हुआ है लेकिन मान्यवर, यह नेता विरोधी दल के दाहिनी तरफ यह जो उपाध्यक्ष का पद जो है यह हमेशा रिक्त रहता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करके डेली इस सीट पर एजेन्डा रख जाते हैं। यह कुर्सी खाली है मान्यवर, और मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–9 की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं। 'उपाध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी तिथि को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और प्रमुख सचिव प्रत्येक सदस्य को इस तिथि की सूचना भी देंगे। मान्यवर, इसी के ''ख'' पार्ट में इस बात का उल्लेख है कि अगर उस समय सम्भव न हो तो उस दिनांक के जब सभा तदुपरान्त पहली बार सम्वेत हो, तीस दिनों के भीतर मान्यवर, चुनाव हो जायेगा। मान्यवर, यह आपके अधिकार के तहत है, आप इसमें अधिकृत हैं कि आप उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये कोई तिथि निश्चित कर लें। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार भी आड़े हाथ नहीं। मान्यवर, हम लोग नियमों का पालन करें और मान्यवर, खास तौर से पीठ पर बैठकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियमों का पालन नहीं होगा तो हम लोगों को संरक्षण कहां मिलेगा। मान्यवर, मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, जहां तक नियमों का प्रश्न है, उसी नियमों में इस बात की भी व्यवस्था है कि अध्यक्ष जी के निर्णय पर कोई वाद–विवाद नहीं होगा। तो मान्यवर, इसमें पूरा अधिकार आपको निहित है तो आपके निर्णय पर कोई वाद-विवाद या औचित्य का प्रश्न उठाया जाना युक्तिसंगत नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां तक आरिफ जी ने कहा कि मैंने आपको बैठे देखा तो मान्यवर, आपकी सहायता के लिये अधिष्ठाता मंडल है। उसके आधार पर आपने डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल को वहां बैठाने का काम किया उन्होंने बखूबी संचालन का भी काम किया था। इसलिए अब इसमें आपको निर्णय देना हैं

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्णय दे रहा हूं यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है। मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 25 जून, 1991 के अनुसार निर्वाचित सभापतियों के नाम से बैंक में खाता न खोलने व नियमों का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

सोलंकी जी आप शार्ट में दो-तीन लाइन में कह दीजिए फिर इसमें ध्यान आकर्षण हो जाएगा। बाकी सब अग्राह्य हैं यह 300 लायक नहीं हैं लेकिन आप लोगों के भावनाओं का आदर करते हुए दो-तीन लोगों को सुन ले रहे हैं।

***चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–**

मान्यवर, मैं आभारी हूं आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार ने एक लम्बे अन्तराल के बाद एक बहुत अच्छा काम किया कि गन्ना विभाग में गन्ना विकास समिति के चुनाव कराने का काम किया। पूरे प्रदेश में गन्ना विकास समिति के चुनाव सम्पन्न हो गए। उनका अपना बोर्ड का गठन हो गया, सभापति का चुनाव हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति खरीद विनियम अधिनियम 1953 की धारा 5–क के उपनियम 5 के खण्ड ''ग'' के अन्तर्गत विधिवत निर्वाचन उपरान्त गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा गन्ना विकास परिषद् एवं गन्ना सेवा समिति विधिवत गन्ना गठन के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति खरीद एवं विनियमन नियमावली 1954 के अध्याय 6 के उप नियम 14 के परिपालन में सभापति को गन्ना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास परिषदों के लेखों के परिचालन हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रयोग क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। जिसका आज तक कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी सभापति के हस्ताक्षर जिला गन्ना अधिकारी द्वारा अटैच नहीं किए गए। तमाम सभी दलों के सभापति हैं। अभी तीन दिन पहले पूरे प्रदेश के सभापति लखनऊ आए माननीय गन्ना मंत्री जी से लेकर तमाम लोगों से उन्होंने सम्पर्क किया और गन्ना आयुक्त से भी वह लोग मिले। तमाम लोग निर्वाचित हो गए हैं निर्वाचित होने के बाद उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि उनके मौलिक अधिकार उनको मिल जाएं उनके साइन अटैच हो जाएं। चुनाव सम्पन्न हो गए हैं। तो साइन भी अटैच हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने मा0 सदस्य सोलंकी जी को सुना, सूचना नियम–300 में नहीं आती है। मैं अग्राह्य करता हूं लेकिन साथ ही शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं।

यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर शासन द्वारा किसानों की भूमि बड़े सरमायेदारों को टाउनशिप बनाने के लिये देने व पंचायती राज व्यवस्था को समाप्त किये जाने के विषय में प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या 167/68 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

डा0 अनिल चौधरी जी आपकी जो सूचना है इसमें शासन ने 13 जुलाई 2010 तक का समय मांग लिया है अब इसमें क्या कहना है। इसमें जो सवाल आप उठाए थे इसमें समय मांग लिया है अब आगे क्या कहना है ?

डा0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या 136 था पिछले सत्र में उसमें मंत्री जी ने जबाव दिया था कि यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा 6 जनपदों के 1 हजार 191 गांव अधिसूचित घोषित कर दिए गए हैं। मान्यवर, मैंने प्रश्न के दूसरे भाग में पूछा था कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम जिसके अन्तर्गत यह अधिसूचनायें जारी की गई हैं उसके धारा 12 ए के मुताबिक क्या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधिकार अभी कार्यरत हैं अथवा समाप्त कर दिए गए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दूसरे खण्ड के उत्तर में बताया कि इनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है कोई भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत इन क्षेत्रों में काम नहीं कर रही है और न आगे किसी नई पंचायत का गठन किया जा सकेगा। मान्यवर, मैंने प्रैक्टिकल बात आपको लिखकर दी थी निदेश संख्या–167–168 में, और उसमें दो आपत्तियां लिखकर दी थी कि मेरे संज्ञान में आज भी पंचायतें इन गांवों में पूर्ववत् कार्य कर रही हैं और यही नहीं स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से 6 एम9एल0सी0 इन इलाकों से चुनकर आए हैं और उसमें भी इन्होंने मतदाता के रूप में भाग लिया है। इसके अलावा जो आज स्थिति है मैंने निदेश संख्या–167/168 स्थिति स्पष्ट करने को लगाई थी। आज स्थिति यह है आपका आरक्षण उन इलाकों में जारी हो गया पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। एक ऊहापोह की स्थिति है हम इस उत्तर को लेकर के जो सरकार ने इस सदन मे दिया था पिछले सेशन में

28 जनवरी को, उसको लेकर हम वहां जाते हैं और वहां अधिकारी चुनाव की तैयारी में लगे हैं तो एक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए अगर पंचायत चुनावों को आप रखेंगे तो वह अधिसूचनायें जो गैर कानूनी साबित हो गई हैं नियमों के विपरीत है उनको समाप्त कर दिया जाए और चुनाव करा लिए जाएं।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई गलत जवाब आ गया है या किसी मा0 मंत्री ने गलत उत्तर दे दिया है, उसके बारे में निर्देश संख्या 67–68 में व्यवस्था है, उस सन्दर्भ में अभी 13 जुलाई, 2010 को भेजा गया है और कुछ समय की मांग की गयी है। हम तो उस परिप्रेक्ष्य में जायेंगे कि 67–68 में गलत उत्तर मिला, प्रश्नों के सन्दर्भ में। जो भी मंत्री जी के वक्तव्य या बयान आए हैं, उस सन्दर्भ में 13 जुलाई, 2010 को सूचना भेज दी गयी है, समय मांगा गया है, व्यवस्था हो गयी है। बहुत ज्यादा और क्या है, उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, आपकी यह सूचना नियम–300 में नहीं आती, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं। शेष सभी सूचनाएं अग्राह्य कर दी गयी हैं।

पूर्वांचल जिलांश का पैसा मदवार विभाजित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

***श्री उदयभान करवरिया–**

मा0 अध्यक्ष जी, पूर्वांचल जिलांश में जो धन दिया जाता है, उसकी गाइड लाइन में साफ-साफ यह है कि एक लाख से कम के जो प्रस्ताव हैं, उन्हें स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस बार जो पूर्वांचल जिलांश का पैसा दिया गया, उसको मदवार विभाजित कर दिया गया, पेयजल के लिए कोई मद नहीं बनाया गया और कम से कम 3–4 मद ऐसे हैं, जिनके लिए एक लाख से कम धन आवंटित हैं तो मान्यवर, यह पूर्वांचल जिलांश का पैसा खर्च कैसे होगा? इस पर कुछ अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष–

हम इसको दिखवा लेंगे।

अब मद संख्या–3 ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–07 की प्रथम रिपोर्ट†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–07 की प्रथम रिपोर्ट को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–07 की प्रथम रिपोर्ट में की गई प्रेक्षण एवं संस्तुतियों पर राज्य सरकार का अभिमत/कृत कार्यवाही का विवरण††

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वर्ष 2006–07 की प्रथम रिपोर्ट में की गयी प्रेक्षण एवं संस्तुतियों पर राज्य सरकार का अभिमत/कृत कार्यवाही के विवरण को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–25 की उपधारा (4) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–09–2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के वर्ष 2008–09 के वार्षिक प्रतिवेदन†

पर्यटन मंत्री (श्री विनोद सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के वर्ष 2008–09 के वार्षिक प्रतिवेदन को कम्पनी अधिनियम की धारा–619–ए की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1995–96 (1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1995–96 (1 अप्रैल, 1995 से 31 मार्च, 1996) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गईं।

††छापी नहीं गईं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1996–1997 (1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1996–97 (1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 1997) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1997–1998 (1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1997–98 (1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 1998) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1998–99 (1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1998–99 (1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1999–2000 (1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 1999–2000 (1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2000–2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2000–2001 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2001–2002 (1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2001–2002 (1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2002–2003 (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2002–2003 (1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2003) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2003–2004 (1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन†

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल निगम का वर्ष 2003–2004 (1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004) तक का लेखा एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा–50 की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या– 16, 17, 18 एवं 19 में कुछ नहीं है।

नियम–311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11 अगस्त, 2010 को नियम–311 की 6 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अंतर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुयीं हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं हैं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री सतीश महाना, श्री उदय राज, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राजाराम त्यागी, श्री शिवगणेश लोधी, श्री अजय पाल सिंह, श्री राम सेवक, श्री शिव बालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सलिल विश्नोई की, प्रदेश में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, पहले अनुपूरक बजट ले लेते।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में एक सूचना दी थी।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल–

मान्यवर, मैंने नियम 56 में सूचना दी थी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अभी मैंने क्रम से एक सूचना ली है, हम क्रम से चल रहे हैं।

(श्री सतीश महाना के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुनिये महाना साहब, मैंने कहा कि इन लोगों ने सूचना दी है। इसमें श्री प्रमोद तिवारी की प्रथम सूचना है। आपको कहां बुलाया। सुन लीजिए, डॉ वकार अहमद साहब, उत्तर प्रदेश में मा0 रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समाज को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में डॉ0 आर0ए0 उस्मानी, श्री अब्दुल समद अंसारी, श्री शाहिद मंजूर, श्री इमरान मसूद, श्री इकबाल महमूद, श्री आरिफ अनवर हाशमी, फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी) श्री जावेद अंसारी, इन सबकी सूचनायें तो ली गयी हैं। एकएक करके हमको सबको सुनना है। मैंने एक सूचना ली है। इस सूचना के बाद कौकब हमीद खां साहब का एक प्रकरण है, तीसरी आप ही को सुनना है। आप लोग क्यों इतना जल्दी में हो जाते हैं। हां, चलिए सुनाईये।

(श्री सतीश महाना द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

अगर तिवारी जी ने अपने किसी जूनियर सदस्य को कह दिया है तो सहयोग करना चाहिए।

श्री राजा राम त्यागी–

मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में विद्युत की विषम समस्या है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

(इस समय 1 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में विद्युत की समस्या है लेकिन मैं यह कहना चाह रहा हूं कि मैं जिस जनपद से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, रायबरेली जनपद में विद्युत की समस्या अपार और घनघोर रूप से है और विशेषकर इसके साथ रायबरेली जनपदवासियों के साथ सौतेलेपन का काम किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 4700 मेगावाट यह भारत सरकार से उत्तर प्रदेश को विद्युत देय है। उसमें मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 5300 मेगावाट उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार बिजली देती है और इतना ही नहीं, मान्यवर रायबरेली जनपद में ऊंचाहार में थर्मल पावर लगा हुआ है और उस थर्मल पावर की क्षमता 1050 मेगावाट है, 1050 मेगावाट बिजली का उत्पादन थर्मल पावर करता है और मा0 अधिष्ठाता जी, उसमें अकेले 430 मेगावाट उत्तर प्रदेश को वहां से बिजली दी जाती है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रायबरेली की विद्युत समस्या के समाधान के लिये वहां के अधिकारियों ने यह बताया कि हमारे पावर स्टेशन बहुत खराब है, हमारी लाइनें इतनी जर्जर हैं कि हमारे जो वहां के पावर स्टेशन हैं, उनकी लाइनें इतनी खराब हैं कि हम आपको विद्युत की आपूर्ति अबाध और सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। इसमें मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्थानीय सांसद की कृपा से, सोनिया जी की कृपा से केन्द्र सरकार ने वहां पर जितनी भी लाइनें खराब थी सबको नया कर दिया है। रायबरेली जनपद की 90 प्रतिशत लाइनों को ठीक करवा दिया है। इतना ही नहीं मान्यवर, सरकार के अधिकारियों ने यह भी कहा कि हमारे पावर स्टेशन जो हैं, वे इतने खराब हैं कि सुल्तानपुर से विद्युत की आपूर्ति होती है, लाइन लॉस हो जाता है।

इसलिये मान्यवर, पावर स्टेशन की क्षमता ठीक नहीं है। उसके लिये मान्यवर, केन्द्र सरकार ने पावर ग्रिड की ओर से वहां पर एक लाख बत्तीस हजार वोल्ट का पावर ग्रिड अमावां ब्लाक में जो रायबरेली शहर से जुड़ा हुआ है, 75 करोड़ रुपये की लागत से सिर्फ इसलिये बनवा दिया है कि रायबरेली को अबाध रूप से भी विद्युत की सप्लाई दी जाय। मान्यवर, इतना होने के बाद भी जानबूझकर के रायबरेली जनपदवासियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा पानी की वर्षा स्थिति मा0 अधिष्ठाता महोदय, रायबरेली जनपद ही नहीं, आप भी जानते हैं कि इस बार वर्षा बहुत कम हुयी है। आज सूखे की स्थिति है, किसानों के धन की रोपाई 50 प्रतिशत भी ठीक नहीं हुयी है। इतना ही नहीं जो निजी नलकूप चलाना चाहते हैं, उनको भी बिजली सप्लाई नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, मान्यवर, हमारे जो छात्र हैं, वे लालटेन के सहारे पढ़ने का काम करते हैं, आप कैसे सोचेंगे कि प्रतिभा निकलकर सामने आयेगी, वे

कैसे अच्छे मार्कों से पास होंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात मा0 अधिष्ठाता जी मैं और कहना चाहता हूं कि भले विद्युत की आपूर्ति यह सरकार मात्र तीन चार घण्टे देती है लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमारी विधान सभा में कुर्री गांव है उसमें ठाकुरखेड़ा है और वहां पर तार सही नहीं थे और आपके विभाग की लापरवाही के कारण तार टूट गया और हमारे तीन नौजवान, एक राजकुमार, 25 वर्ष, दूसरा कमलेश कुमार, 21 वर्ष और दीपू, 20 वर्ष की बिजली का करन्ट लगने से और तार टूटने से तीनों की मृत्यु हो गयी। राजकुमार घटना स्थल पर मर गया और दूसरे दोनों नौजवानों की अस्पताल में मृत्यु हो गयी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण मरे हैं, उनके वहां कोई अधिकारी नहीं गया है, उनको कम से कम 10–10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय। आपने इस अत्यन्त लोकमहत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आपने मुझे इस लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं चाहता हूं कि सारी चर्चाओं को रोक कर इस लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्रीमती अमीता सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। बिजली की समस्या का विषय इस सदन में अनेकों बार उठा है, अनेकों बार चर्चा हुई है और आज इस पर विशेषरूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी अमेठी और रायबरेली की तरफ, महसूस कर रही हूं कि आवश्यकता बढ़ रही है और उत्पादन कम है और यह समस्या सम्पूर्ण प्रदेश को आज झेलना पड़ रहा है, लेकिन आज जिस विषय पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस रोस्टर को घोषित किया जाता है, कहा जाता है कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी और उस आठ घण्टे बिजली की भी आपूर्ति नहीं की जाती है, मात्र दो-तीन घण्टे बिजली मिल रही है और अमेठी रायबरेली एक सम्वेदनशील जिला होने के नाते मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूं कि वहां पर दो-तीन घण्टे बिजली मिलने की वजह से सामान्य जन-जीवन प्रभावित है, किसान परेशान है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित है और निश्चित रूप से वहां पर जो स्थापित उद्योग हैं, वह उद्योग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी मुख्य मंत्री पर और उनकी कटिबद्धता पर, उनकी डिटरमिनेशन पर कि वह जो कहती है वह करती है। वर्तमान समय में अमेठी को छत्रपति शाहू जी महराज जिले के रूप में परिवर्तित किया गया है और मात्र जिला बनने पर मुझे नहीं लगता कि हमें खुशी होगी, लेकिन जिले के साथ-साथ कुछ वहां पर उन्नति, तरक्की, विकास दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से जनता में खुशहाली दिखाई पड़ेगी। मैं आज कहना चाहती हूं कि अपने मुख्य मंत्री की हम जो कार्यशैली देखते हैं, उनकी जो कटिबद्धता देखते हैं आज लखनऊ में दिखाई पड़ता है कि वह जो चाहती है, कर सकती है और मैं आज यह विशेष निवेदन करना चाहूंगी कि अगर छत्रपति शाहू जी महराज नगर को घोषित किया गया है और हमें एक जिले के रूप में स्थापित किया गया है तो हमें उसके साथ-साथ वह सारी फैसिलिटीज दी जायं जो एक जिले को मिलनी चाहिए। आज मुझे विश्वास है कि अगर मुख्य मंत्री चाहेंगी तो ऐसा हो सकता है और मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अमेठी रायबरेली में इस तरीके से बिजली की कटौती क्यों हो रही है। मात्र दो-तीन घण्टे बिजली क्यों दी जाती है, आठ घण्टे की घोषणा के बावजूद दो-तीन घण्टे

बिजली दी जाती है, इस पर निश्चित रूप से सर्वे की जरूरत है, मैं चाहूंगी कि जो माग वहां की है कि हफ्ते में एक बार, हर हफ्ते में जो सुबह–शाम का रोस्टर लगाया गया है उसको परिवर्तित कर के दिन में दो बार का रोस्टर दिया जाय कि सुबह आठ घण्टे और रात आठ घण्टे बिजली अगर वहां पर दी जायेगी तो कम से कम जन सामान्य को इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया।

श्री शिवगणेश लोधी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने नियम–56 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं रायबरेली जनपद का विधायक हूं, रायबरेली जनपद हिन्दुस्तान का एक महत्वपूर्ण जनपद है, माननीया, श्रीमती सोनिया गांधी का क्षेत्र है। वहां पर एन0टी0पी0सी0 की स्थापना बहुत पहले से हो चुकी है। 1050 मेगावाट बिजली पैदा होती है रायबरेली में। जब माननीया, श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली जनपद में आई तो रायबरेली जनपद के लोगों ने कहा कि माननीय रायबरेली जनपद में दशहरी की इतनी बड़ी बाग हो और यहो के लोगों को फल खाने को न मिलें तो मैडम ने जब रायबरेली जनपद के लोगों की समस्या जानी तो उन्होंने कहा ठीक है हम व्यवस्था कर देते हैं रायबरेली के लिए तो उन्होंने 220 के0वी0ए0 का एक थर्मल पॉवर स्टेशन अमावा में बना दिया। रायबरेली जनपद में रेल कोच कारखाना है, रायबरेली जनपद में एफ0डी0बी0आई0 है जो हिन्दुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा स्कूल है, निफ्ट हिन्दुस्तान का तीसरा कालेज है राजीव गांधी पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी हिन्दुस्तान का एक मात्र संस्थान है। पायलट प्रशिक्षण उड़ान हेतु फुरसतगंज एकडमी जो एशिया का पहला कालेज है और ऐसे जनपद में रेल कोच कारखाना जहां बीस हजार लोग काम करेंगे।

मान्यवर, वहां बिजली 24 घंटे देने, कलेक्ट करने के लिये सारी व्यवस्था है। केन्द्र सरकार ने वहां पर 220 के0वी0ए0 की व्यवस्था कर दी है। तो फिर ऐसी कौन सी वजह है उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कि वहां इतनी कम बिजली दी जा रही है जबकि कई जनपदों को 24–24 घंटे बिजली दी जा रही है। लखनऊ में 24 घंटे बिजली दी जा रही है वहां रायबरेली से बिजली आ रही है। मान्यवर, अगर 2–2, 3–3 घंटे मात्र ही बिजली मिलेगी तो फिर छात्र कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की जाये।

श्री शिव बालक पासी–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के चलते जनता के समक्ष परेशानी उत्पन्न है। बिजली की आवश्यकता और बिजली की आपूर्ति के बीच अन्तर है। विद्युत अभाव के चलते आज अनेक उद्योग बंद हो गये हैं या बंद होने वाले हैं। मैं आपका ध्यान रायबरेली जनपद और छत्रपति शाहू जी महाराजनगर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज वहां पर बिजली की स्थिति बदत्तर है। जब मैं अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकलता हूं तो सभी लोग इस तरह की टांटिंग करते हैं कि साहब बिजली का बल्ब टार्च लगाकर चेक करते हैं कि जल रहा है या नहीं। बिजली आयी है या नहीं। इतना कम वोल्टेज रहता है कि तंग

आकर बुर्काधारी महिलायें भी सड़कों पर उतर आयी हैं। मान्यवर, माननीया सोनिया गांधी जी ने जनपद रायबरेली और छत्रपति शाहू जी महाराज नगर की विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अमावा में एक सब स्टेशन की स्थापना करायी है। जब वहां पर सब व्यवस्था है तो मेरा अनुरोध है कि दोनों जनपदों में विद्युत आपूर्ति बढ़ायी जाय।

श्री अशोक कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं ज्यादा न कहकर उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो अभी हमारे जनपद के मा0 सदस्यों ने कही है। मान्यवर, मेरा कहना है कि जब हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी 2004 में चुनाव के समय वहां पर आयी थी तो लोगों ने उनके सामने बिजली की समस्या को रखा था। यहां पर जब उस बारे में बात हुई तो यह कहा गया कि ओवर लोड बहुत है इसलिए हम बहुत ज्यादा बिजली सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन से जोड़कर एक 220 के0वी0 का पावर हाउस वहां पर बनवाया ताकि 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सके। लेकिन मान्यवर, इन सबके बावजूद माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निर्देश पर आज वहां 3–4 घंटे ही बिजली की आपूर्ति हो रही है जबकि ओवर लोड की समस्या भारत सरकार के माध्यम से वहां पर समाप्त हो गयी है। इस तरह से आप मान्यवर, उत्तर प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप दोनों जनपदों की जनता को विद्युत आपूर्ति दिलाने का काम करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मलके गांव व सरेनी में डलमऊ से आपूर्ति होती है। मैं छह महीने से प्रयास कर रहा हूं और वहां पर एक और लाईन 11000 डाली जाय लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

***श्री अजय पाल सिंह–**

मान्यवर, हमारे यहां जो विद्युत आपूर्ति हो रही है वह मात्र 2–3 घंटे ही हो रही है। विद्युत का वोल्टेज इतना कम है कि वह किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है। उसमें सिंगिल फेज में न तो पूरी तरह से लाईट आ पाती है और न ही ट्यूबवेल चल सकते हैं। इस विद्युत अभाव के चलते रायबरेली और अमेठी की जनता प्रभावित है। मेरा कहना है कि वहां की जनता के साथ सौतेला व्यवहार न करके जो 8 घंटे का रोस्टर है उसके आधार पर तो कम से कम विद्युत आपूर्ति अवश्य करायी जाय।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर कार्य–स्थगन पर आपने ग्राह्यता पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं इसके लिए अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर, यह कहानी एक जिले की नहीं एक क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। यह कहानी एक साल की नहीं है बल्कि 1989 के बाद लगातार मान्यवर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी भी विकसित होते प्रदेश के लिए, उन्नतिशील प्रदेश के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक आंकलन के मुताबिक करीब 400–500 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष कम से कम बढ़ जाती है। लेकिन मान्यवर, 1989 के बाद क्षमा करेगें मुझे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बी0जे0पी0 की सरकार रही हो या मिली-जुली सरकारें रही हों इन लोगों ने विद्युत स्थापन नहीं किया और नतीजे के तौर पर सबसे बड़ी दुखद बात यह हुई कि जो विद्युत अधिष्ठापित भी थी ऊँचाहार और टाण्डा, मान्यवर, उसको प्रदेश सरकार ने अपने अधिपत्य से अलग कर दिया। मान्यवर, जब उस समय ऊँचाहार बना था। 210–210 की दो इकाइयां बनी थी उस समय मुझे इस मंत्रालय को देखने का काम मिला था उस समय यही तय हुआ था कि यह उत्तर प्रदेश का पावर प्लांट है इससे हम रायबरेली और अमेठी को भरपूर आपूर्ति करेंगे। मान्यवर, दानों में बातचीत भी हुई और उसके बाद आगे चलकर जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी को याद होगा।, यह एन0टी0पी0सी0 को स्थानान्तरित हो गया। तो मान्यवर, यह बात हुई कि यहां की विद्युत आपूर्ति को क्यों और कैसे पूरी की जाय। नतीजे के तौर पर यह हुआ कि एक अमावां में 220 का, भले वह ट्रांसमीशन में आता है तो मान्यवर, ट्रांसमीशन तक जहां तक भारत सरकार का कार्य है वह हमने पूरा कर लिया है, जनरेशन, ट्रांसमीशन दोनों पूरा है अब डिस्ट्रीब्यूशन यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। सिर्फ यही अनुरोध माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि वही एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक उद्योग है। वहां के जो उद्योग यहां से चले गये हैं वह सिर्फ इसलिए चले गये हैं कि वहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, विद्युत की कमी थी।

मान्यवर, जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जो उत्तर प्रदेश के ही हिस्से हैं वहां अगर हम 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं तो वैसे ही उद्योग अगर जिस क्षेत्रों में है चाहे वह रायबरेली है, चाहे अमेठी है, चाहे गोरखपुर है, चाहे कानपुर है, क्यों नहीं हम विद्युत आपूर्ति नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर करते। क्योंकि वह एक स्पेशल कैटेगरी है, एक स्पेशल जोन है जहां आपका उद्योग लगा हुआ है। आज प्रश्न उठा था कि और छोटे जनपदों में क्यों नहीं उद्योग लग रहे हैं इसलिए नहीं लग रहे हैं कि जहां लगे भी हैं उनको हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मैं बिजली मंत्री जी की कठिनाई से भली-भांति अवगत हूं इनको इतना ज्यादा विद्युत आपूर्ति और विद्युत की मांग में इतना बड़ा अंतर मिला है कि उसको भरना इनके लिए मुश्किल होगा। काश 1989, 90,91,92,93,94,95,96 से लेकर 2010 तक प्रत्येक वर्ष आने वाली सरकारों ने 400–500 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग होती। अभी मैंने सुना है मुझे ठीक से नहीं मालूम शाहजहांपुर में शायद एक उत्पादन शुरू हुआ है अनिल अम्बानी का इसके अलावा कहीं से भी किसी भी स्तर पर विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हुआ। उस प्रदेश का क्या होगा जहां पर हर साल 400–500 मेगावाट की मांग बढ़े और 20–20 साल तक कोई पावरप्लांट न लगे और जो पावर प्लांट ऊँचाहार और टाण्डा में लगे हों उनको हटा लिया जाय तो मान्यवर, मैं कहूंगा कि विशुद्ध रूप से अपराधिक कृत्य किया गया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश की जनता ग्रसित है। मान्यवर, मैं इसे साधारण घटना नहीं मानता यह जो यूनिवर्सल और विद्युत आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया गया यह उत्तर प्रदेश की 17–18 करोड़ जनता के साथ एक ऐसा अपराध किया गया है जो अक्षम्य है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है। मैं इसे क्रिमिनल एक्ट मानता हूं, अपराधिक कृत्य मानता हूं। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं कि उद्योगों को देखते अमावां में बने हुए 220 के पावर हाउस को देखते हुए, जनरेशन और ट्रांसमीशन का भारत सरकार का

कार्य पूरा होते हुए मैं आग्रह करूंगा कि रायबरेली और अमेठी के उद्योगों को देखते हुए वहां अनावरत् रूप से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाय।

***श्री सतीश महाना–**

धन्यवाद, माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, अभी आदरणीय प्रमोद तिवारी जी बड़े विस्तार से बिजली के बारे में बता रहे थे। इसके अलावा 5–7 माननीय सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार रखें। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि इस देश की सुपर प्रधानमंत्री जी के यहां अगर यह हालात है और सारे के सारे कांग्रेसी वहीं के लिये चिन्तित हैं तो फिर यह मान्यवर, गंभीर बात है। रायबरेली में केन्द्र सरकार इनको मदद दे देगी और रायबरेली के कारण ब्लैकमेल करके यह बिजली ले लेंगे, केवल वहीं तक के लिये यह बात सीमित नहीं रहनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा मान्यवर, वहां से रेवन्यू जेनरेट होता है। राजधानी होने के नाते से अगर हम लखनऊ को अलग छोड़ दें और एन0सी0आर0 रीजन होने के नाते से हम उनको भी छोड़ दें, उसके बाद यदि हम देखते हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहर कानपुर है। मान्यवर, मैं कानपुर के साथ–साथ पूरे प्रदेश की बात भी कहूंगा। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के बारे में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता हूं। जो बात हम इनसे निवेदन करते हैं वह कृपापूर्वक उसको स्वीकार करते हैं, बनारस के भी दादा यहां बैठे हैं। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की व्यथा हम लोग पिछले 20 साल से सुन रहे हैं। 1991 में मैं इस सदन में आया और आप 89 में यहां माननीय मंत्री जी थे, हमारे बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं,बड़े भाई हैं, सदन में भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। इनका वह रिकार्ड लगातार यहां पर चलता है और माननीय मंत्री जी का रिकार्ड भी लगातार चलता है। अब उसको छोड़ देना चाहिये। आप क्या कर रहे हैं और क्या परिणाम आज की तारीख में दे रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। जब हमारी सरकार थी तो आप साथ में थे, हम नहीं पूरा कर पाये तो वहां से यहां आ गये। आज आपकी जिम्मेदारी है, इसलिये आप अपना जवाब दें।

मान्यवर, आज प्रदेश में अंधेरा है। हम लोग छोटे थे राजनीतिक क्षेत्रों में यह नारा लगाया करते थे चारों ओर अंधेरा है पहरेदार। आज यह चरितार्थ होते दिख रही है। आज बिजली की गंभीर समस्या और इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। प्रदेश से इंडस्ट्री समाप्त हो चुकी है। जब प्रदेश में इन्डस्ट्री नहीं होगी, औद्योगिक विकास नहीं होगा तो यह बात सत्य है कि प्रदेश का किसान कैसे जिन्दा रहेगा, किसान प्रगति करेगा, उसकी खेती प्रगति करेगी तो प्रदेश भी करेगा। लेकिन मान्यवर, वहां तक पहुंचने के लिये इन्डस्ट्री की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली के कारण उद्योगों का पलायन हो रहा है। मान्यवर, हम लोग बार–बार इस बात को कहते हैं कि कानपुर अब एक एजूकेशनल हब है। रात में बिजली नहीं है, दिन में बिजली नहीं है। इतनी भी बिजली नहीं है कि ओवरहेड टैंक को पानी से भरना है तो ओवरहेड टैंक एक दिन में नहीं भरा जा सकता। जब एक दिन में एक बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ओवरहेड टैंक भर नहीं पाता तो वहां पानी की सप्लाई नहीं है। रात में बिजली आती नहीं, बच्चे सो नहीं पाते और दिन में स्कूल में पढ़ नहीं पाते। मानसिक दबाव के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चे जब बीमार हैं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। वर्तमान में टेक्निकल एजूकेशन पाने के लिये, जो छात्र कानपुर आते हैं, वह पढ़ नहीं पाते तो इस देश का भविष्य क्या होगा, नौजवानों का भविष्य क्या होगा। बुजुर्ग आदमी अगर बुढ़ापे में जरा चैन से सोना चाहता है तो उसके लिये भी बिजली नहीं है। बच्चे, बूढ़े और जवान सारे एक लाइन में खड़े हुये हैं।

मान्यवर, आज इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आज हम प्रगति की बात कहां से करें, किस तरीके से करें, किस विचार से प्रारम्भ करें। बिजली के बिना मान्यवर, किसी भी प्रकार की प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। मान्यवर, यहां से शेड्यूल घोषित हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतने घण्टे बिजली रहेगी, मंडल मुख्यालयों पर इतने घण्टे रहेगी, जिला मुख्यालयों पर इतने घण्टे रहेगी। एक दिन मान्यवर, अखबार में पढ़ा, यहां के किसी वरिष्ठ अधिकारी का स्टेटमेंट था कि मंडल मुख्यालयों पर 20 घंटे बिजली दी जायेगी। सवेरे अखबार पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन शाम होते-होते हवा निकल गयी। मान्यवर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 12 से लेकर 14 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिल रही है। जब मंडल मुख्यालयों में नही मिल रही है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिला मुख्यालयों का क्या होगा, छोटी तहसीलों का क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते-पहुंचते तो बल्ब फ्यूज हो जायेगा पता नहीं वहां पहुंच भी रही है या नहीं। मान्यवर, किस प्रकार का हम दावा करना चाहते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वर्ममान की बात ही करें। मान्यवर, जैसे ही शाम होती है, बत्ती चली जाती है और चेन लुटेरों की वाहवाही हो जाती है। चेन लुटेरों के बारे में मैं कल बोलना चाहता था, लेकिन मा0 मंत्री जी नाराज हो गये, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहूंगा। चेन लुटेरे चेन खींच कर ले गये बाद में मोमबत्ती जलाकर देखा कि चेन नकली है तो महिला की पिटाई करने आ गये, नकली चेन पहन कर चलती हो, बत्ती का नाजायज फायदा उठाती हो।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, पिछले लगभग दो वर्षों से सुन रहे हैं कि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में जैसे आगरा में दिया गया उसी तरह से कानपुर को टोरेंट नाम की किसी कम्पनी को दिया जायेगा। मैं मा0 मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अगस्त में, ज्यादा याद करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि फरवरी के बाद 6 माह अगस्त में पूरे होते हैं तो चार दिन के लिए सत्र बुला लिया जाता है और अगस्त के बाद फरवरी में, इसलिए बहुत ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कब कौन सी बात कही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)–

मान्यवर, चर्चा शुरू हो गई क्या ?

श्री सतीश महाना–

मा0 ओम प्रकाश जी आप चलायेंगे या अधिष्ठाता महोदय, चलायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0 सिंह)–

मैं तो जानकारी ले रहा था कि क्या चर्चा शुरू हो गई है ?

श्री सतीश महाना–

मुझे याद है कि मा0 मंत्री जी ने कहा था कि अगले दो महीने के अन्दर टोरेंट उसको ले लेगी। मैं बाईचांस उस किताब को ले करके आया हूं ताकि उसे पढ़ा जा सके। जब आप कोई भी निर्णय करते हैं तो उस निर्णय को पूरा कराने की आपकी शक्ति नहीं है, आप क्षमतावान नहीं है। या तो आप निर्णय न करें और यदि निर्णय करें तो उसे पूरा करें। अन्यथा क्या आप लोगों के मन में झूठा विश्वास भर देना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो हालात हैं उससे आप वाकिफ हैं इसलिए कानपुर महानगर की रात्रि की बिजली कटौती पर कृपा करें और लोगों को सोने दें और सुबह उठकर काम पर जाने दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, आप अपनी बात कहें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी शिड्यूल आप तय करें उस शिड्यूल के हिसाब से आप हमें बिजली दें। थोड़ा इधर भी देखकर दे दें और थोड़ा अपने पीछे देख करके दे दें, मा0 मंत्री जी बैठे हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा और बोलो क्योंकि कानपुर के वह भी हैं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि रात में विद्युत कटौती समाप्त हो और दिन में उसका समय निश्चित हो और वह समय किसी भी हालत में चार घण्टे से अधिक का न हो।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जौनपुर में हमारा विधान सभा क्षेत्र बड़वारा बिल्कुल कोने में स्थित है। एक तरफ प्रतापगढ़ है, एक तरफ इलाहाबाद है और एक तरफ आजमगढ़ है और हमारा क्षेत्र चारों ओर से बिल्कुल घिरा हुआ है। हमारे यहां न तो कोई टाउन एरिया है न कोई नगरपालिका है। हमारा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। सरकार ने नियम बनाया है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक हफ्ते दिन में बिजली देंगे और एक हफ्ते रात में देंगे और जो बिजली देने की उनकी अवधि है वह है दिन में 12 बजे से जब तक दे दें और रात में 11 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। 7 बजे तो उनका शिड्यूल फिक्स है, मा0 मंत्री

जी बैठे हैं आप मेरी बात को बिल्कुल न मानिये आप अपनी एजेंसी से जांच करा लें कि हमारी एरिया में 24–24 घण्टे, 48–48 घण्टे ऐसे भी होते हैं जब हमारे यहां बिजली आधे घण्टे के लिए भी नहीं आती है और आप यह सोच सकते हैं कि जहां पर इस तरह से ग्रामीण एरिया होगा और लाइट नहीं आयेगी, वहां का किसान कितना परेशान होगा, वहां का नौजवान कितना परेशान होगा, वहां का व्यवसायी कितना परेशान होगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उससे भी दुखद स्थिति यह है कि मेरे एरिया में 33 के0वी0ए0 की सुजानगंज की जो लाइन चलती है, उसमें हमारे तीन फीडर बिलवार फीडर, बसरई फीडर और सुजानगंज फीडर निकलते हैं। मान्यवर, हमारे एक भी फीडर में एक भी सरकारी लाइनमैन नहीं है। हमारे एरिया मे कोई भी इंजीनियर नहीं है। हमारे एरिया में कोई भी एस0डी0ओ0 नहीं है।

मान्यवर, उससे भी दुःखद स्थिति यह है कि अगर हम अपनी बात को अधिशासी अभियंता से बताना चाहते हैं, तो उसका सरकारी मोबाइल कभी नहीं उठता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मान्यवर, अभी आप गैलरी में चलिए, उसका फोन लगाइये। अगर हमारे क्षेत्र के जे0ई0 का, हमारे एच0सी0एन0 का फोन उठ जाये तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगी। मान्यवर, इससे भी खराब स्थिति यह है कि अभी तक आपने सुना होगा कि तार जर्जर हैं, पोल जर्जर हैं, लेकिन हमारे यहां जो 33 के0वी0ए0 का जो पावर हाउस बना हुआ है, उसके सारे के सारे तार जर्जर हो गये हैं, उसे ठीक करने की क्षमता जौनपुर में किसी अधिकारी के पास नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, सब की समस्या है बिजली को लेकर के और हमारी भी यही समस्या है। हमको 24 घंटे बिजली आप नहीं दे सकते, हमको 18 घण्टे बिजली आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो शिड्यूल आपने बनाया है कि आप 7 घण्टे लाइट देंगे। उस 7 घंटे की बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपका इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि अगर हमारी बिजली की कटौती कर रहे हैं, तो उतनी बिजली हमें दूसरी शिफ्ट में दी जाए ताकि हमें लाइट मिल सके। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह हमारा बहुत गंभीर विषय है, मा0 मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्या, आप की सारी बातें आ गयीं हैं।

श्री उदयराज–

जिस सूचना का विषय है उसे उसका समय देंगे या सूचना को आप बदल देंगे। मान्यवर, क्या आप सूचना को आगे-पीछे कर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, कुछ भी आगे-पीछे नहीं किया जायेगा।

श्री उदयराज–

मैंने देखा था कि महाना जी के बाद दूसरी सूचना मेरी थी, दूसरे नंबर पर मेरा नाम था, तब से 10 लोग बोल चुके हैं, अभी तक मुझे नहीं बुलाया गया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी जब यहां पर थे, उस समय वे व्यवस्था देकर गये थे कि प्रमोद तिवारी जी और कांग्रेस के सारे लोगों को पहले लिया जाए।

श्री उदय राज–

कांग्रेस की सूचना ही बाद में थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब मा0 अध्यक्ष जी से ये बातें आप करें, क्योंकि जो उनका निर्देश था, वह पालन हो रहा है। अब आप बैठ जाएं।

***श्री सलिल विश्नोई–**

मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम–56 के अंतर्गत बिजली की समस्या पर बोलने का मुझे अवसर दिया। मा0 अधिष्ठाता जी कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है। कानपुर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है। कानपुर को उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितनी सुविधाएं लखनऊ को प्राप्त होती हैं। वास्तव में तो लखनऊ से भी अधिक बिजली के मामले में सुविधाएं कानपुर को मिलनी चाहिए क्योंकि कानपुर में औद्योगिक उत्पादन होता है। कानपुर लखनऊ से दोगुना राजस्व देता है और राजस्व से ही सरकारें चलती हैं। राजस्व हम ज्यादा दें और बिजली हमें लखनऊ से आधी भी न मिले। हमें बिजली इलाहाबाद से भी कम मिले, गाजियाबाद से भी कम मिले और तो और मुख्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र हाथरस से भी कम बिजली हमें मिले। इस तरह से कानपुर के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसके लिए मा0 मंत्री जी मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि औद्योगिक इकाइयों की यह स्थिति है कि बिजली की कटौती के कारण उनकी शाम की पारी बंद कर दी गयी है, क्योंकि बिजली कभी आती नहीं है। आती भी है तो 4 घंटे बाद आए, 6 घंटे आए, यह तय नहीं होता है, और जो मजदूर काम पर आ जाता है, उसको मजदूरी फैक्ट्री मालिक को पूरी देनी पड़ती है, इसलिए फैक्ट्री मालिकों के लिए फैक्ट्री चलाना नामुमकिन-सा हो रहा है। कानपुर के औद्योगिक उत्पादन इकाइयां रात के समय बंद कर दी गईं हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि कानपुर में 80–90 करोड़ रुपये प्रतिदिन की राजस्व की हानि हो रही है। इसके बाद भी सरकार कानपुर को कोई भी किसी तरह का विशेष पैकेज नहीं दे रही है। कानपुर इंडस्ट्रियल फीडर होने के बावजूद भी कानपुर में जो घोषित बिजली की कटौती है, वह चार घण्टे है, लेकिन कभी भी कानपुर में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि 10 से 12 घंटे की कटौती न हो। कानपुर शहर में इस समय जे0एन0आर0यू0एम0 की योजनाएं चल रही हैं, पूरा शहर खुदा पड़ा है। वहां पर बड़े-बड़े गड्ढ़े हैं। इतने बड़े-बड़े गड्ढ़े हैं कि उसमें ट्रक अंदर चले जाते हैं। रात के समय जब बिजली नहीं होती है, अंधेरा होता है, तो तमाम रोजाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक्सीडेंट हो रहे हैं। कानपुर प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत बड़ा केन्द्र है। बिजली न होने के कारण बच्चे परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में कानपुर में बहुत बड़े अस्पताल हैं लेकिन आपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। कानपुर के नागरिक बिजली न होने के कारण रात-रात भर सो नहीं पाते हैं। मानसिक रोगी हो रहे। अधिष्ठाता महोदय मेरा अनुरोध है कि कानपुर औद्योगिक नगरी है उसको बिजली की आपूर्ति के लिए विशेष ध्यान दिया जाय।

***श्री उदय राज–**

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस प्रदेश की ऐसी समस्या पर जो आज सबसे बड़ी समस्या बनी है जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश में शायद ही कोई जनपद हो, तहसील हो जहां पर इस समस्या को लेकर क्षेत्र के लोग आन्दोलित न हों और लोग जब अपनी समस्या के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो क्या हो रहा है यह शायद आपसे भी छिपा नहीं है। क्रिमिनल धाराओं में किसानों को नौजवान छात्रों को जेलों में भेजने का काम किया जा रहा है। हमारे तमाम साथियों ने इस समस्या के बारे में अपनी बात रखने का काम किया। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता लेकिन मंत्री जी यहां मौजूद हैं मैं यहां पर विभाग की जो सच्चाई है उसको निश्चित रूप से कहूंगा ताकि वह जानने की कोशिश करें। मंत्री जी ने 8 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में, 12–14 घण्टे शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा की थी आज हालत क्या है वह सारे लोगों से छिपा नहीं है। जब महाना जी ने कानपुर का जिक्र किया जो औद्योगिक शहर है तो उससे सटा हुआ शहर उन्नाव है जहां लगभग 500 फैक्ट्रियां होगीं। लेकिन उनको 5–7 घण्टे विद्युत आपूर्ति का काम किया जा रहा है। विद्युत आपूर्ति न होने के कारण लोग फैक्ट्रियां बन्द करने पर मजबूर हैं। आज सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के अन्दर है तो वह किसानों के सामने हैं उनकी धान की रोपाई का समय है और बिजली की हालत यह है मैं विद्युत मंत्री जी से कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 4–6 दिनों में शायद कहीं गलती से बिजली दो-चार घण्टे के लिए आ जाय नहीं तो बिजली देखने को नहीं मिल रही है। मंत्री जी इसके पीछे कारण क्या है मौरावां सब स्टेशन जनपद उन्नाव की पुरवा विधान सभा क्षेत्र में है। मोहनलालगंज विद्युत केन्द्र से वहां विद्युत सप्लाई करने का काम होता है। हालत क्या है जो वहां अधिकारी पोस्ट है।

मैंने एक दिन एक सप्ताह तक बिजली न होने के कारण वहां के एस0डी0ओ0 और एक्सिएन दोनों से रात को फोन से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी आप अपने जनपद के अधिकारियों से पूछने का काम करें। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं अगर किसी जनपद में किसी क्षेत्र में लखनऊ से विद्युत सप्लाई करने का काम होता है अगर उन्नाव जनपद में बिजली नहीं जाएगी तो शायद वहां के अधिकारी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मोहनलालगंज पावर स्टेशन पर गया तो वहां के एस0डी0ओ0 ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहां के सहायक अभियन्ता मौरावां लाइन काटकर दूसरे क्षेत्रों को जोड़ने का काम करते हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मोहनलाल गंज सब स्टेशन पर जो भी अधिकारी आपके पोस्ट हैं निश्चित रूप से वह पैसा लेकर दूसरे क्षेत्रों में बिजली देने का काम कर रहे हैं और एक क्षेत्र के साथ अन्याय का काम कर रहे है । ट्रांसफार्मर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में आपने घोषणा की थी कि 72 घंटे के अन्दर जहां ट्रांसफार्मर खराब होगा उसको बदलने का काम कर दिया जाएगा लेकिन आप इसकी जांच करवा लें जहां भी ट्रांसफार्मर खराब होता है उस गांव के किसान मजदूर जाते हैं लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है यह ट्रांसफार्मर तब बदला जाता है जब डेढ़ हजार से लेकर तीन हजार रुपए तक उनसे वसूल करने का काम नहीं किया जाता है। आज कर्मचारियों की क्या स्थिति है आप बिजली की बात करते हैं मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई सब स्टेशन किसी जनपद का उठाकर देख लीजिए वहां पर कर्मचारियों के नाम पर एक जे0ई0 होगा एक एस0एस0ओ0 होगा इसके अलावा कोई स्टाफ नहीं होगा। आखिर जब लाइन-मैन नहीं होंगे, आपके सरकारी कर्मचारी विद्युत लाइनों को ठीक करने के लिए नही होंगे तो निश्चित रूप से प्राइवेट आदमी लाइनों को ठीक करने के लिए जायेगा जिसको आप तनख्वाह देने का भी काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वह वहां के किसानों से विद्युत चोरी कराकर पैसा वसूलने का काम करेगा। आज फाल्ट के नाम पर जो रोस्टर है अगर कहीं पर भी फाल्ट होता है तो निश्चित रूप से जिस समय विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है उस समय वहां की विद्युत लाइनों को ठीक करने का काम कर देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि उस समय खराब विद्युत लाइनें ठीक करने का काम विभाग के कर्मचारी नहीं करेंगे। जिस समय विद्युत आपूर्ति रोस्टर के हिसाब से होनी होगी उस समय विद्युत लाइन चालू न करके यह बहाना करके कि वहां पर फाल्ट हो गया है इसलिए वहां पर बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है।

इसलिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा। एक चीज और कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी हमने अपनी विधान सभा क्षेत्र असोहा विकास खण्ड में वहां के लोगों को विद्युत की आपूर्ति अच्छी तरीके से हो, वहां पर वर्ष 2006 में उपकेन्द्र बनवाने का काम किया था। 4 साल बीत गये, विद्युत उपकेन्द्र बना खड़ा है लेकिन आज तक उपकेन्द्र चालू नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक योजना बनी थी जिसके तहत प्रदेश के तमाम गांवों में विद्युतीकरण हुआ था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत। लेकिन मेरा मानना है, बाकी जनपदों की क्या हालत है, यह मैं नहीं जानता लेकिन उन्नाव जनपद में आज तक एक भी गांव की विद्युत लाइन जोड़कर उसे चालू करने काम नहीं किया गया है। मान्यवर, मैंने जो सुझाव रखे हैं, जो अनुरोध मा0 मंत्री जी से किया है, मैं चाहूंगा कि उसको दिखवा करके और रोस्टर के हिसाब से 8 घण्टे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत मिलनी चाहिए, इसको दिलाने का काम करें। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, जितने भी मा0 सदस्यों ने बिजली के ऊपर बात रखी है, उनका एक साथ ही उत्तर दे दीजिए।

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने मा0 प्रमोद तिवारी जी, श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री शिव गणेश लोधी जी, श्री शिव बालक पासी जी, श्री अजय पाल सिंह जी, श्री सतीश महाना जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री सलिल विश्नोई जी और उदय राज जी को सुना। मान्यवर, पिछले 14 वर्षों से मैं भी लगातार इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं, कभी इधर बैठ करके,

कभी उधर बैठ करके ये सारी बातें में 14 सालों से लगातार सुनता चला आ रहा हूं। आज जो समस्या बिजली की पूरे प्रदेश में है वह क्यों है ? वह इसलिए है, मा0 प्रमोद तिवारी जी अभी बता रहे थे कि 1989 में अनपारा-बी का 1000 मेगावाट का हमारा लगा था जिसकी एक यूनिट 500 मेगावाट की 1992 में और दूसरी से 1994 में हमें विद्युत मिलनी प्रारम्भ हुई उसके बाद जितनी भी सरकारें प्रदेश में आयीं, किसी सरकार ने कितना बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम किया और किस सरकार ने जो बिजली घर थे– हमारा ऊँचाहार, टांडा को किसने बेचा ? इसीलिए यह समस्या उत्पन्न हुई कि पिछले 60 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हमारे जो अपने पावर हाउस की बिजली उत्पादन की क्षमता है वह 4000 मेगावाट की है और भारत सरकार में जो हमारा हिस्सा है वह 4839 मेगावाट का है। भारत सरकार के जो पावर हाउस है जिनसे हमें बिजली मिलती है, मात्र 3500 से 4000 हजार मेगावाट मिलती है और जो हमारे पावर हाउस है उनकी क्षमता मात्र 4000 मेगावाट है उससे कभी 2800 से 3000 मेगावाट तक बिजली मिलती है। कुल मिलाकर 6500 से 6900 मेगावाट तक हमारा उत्पादन है और करीब 1000 से 1500 मेगावाट हम ओवर-ड्रा करते हैं। इस तरह से मान्यवर, 7 हजार 8 हजार मेगावाट बिजली हम सप्लाई कर पाते हैं और डिमान्ड हमारी 10,000 मेगावाट की है। मान्यवर, महाना जी चले गये, बैठे है, सीट बदल ली है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों को तो बिजली के बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। वह इसलिये नहीं करनी चाहिए कि 13 फरवरी, 1992 को उस समय कौन मुख्य मंत्री था ? मैं कहना नहीं चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब जानते हैं उस समय हमारे ऊँचाहार की अत्याधुनिक परियोजना थी 440 मेगावाट की उसको 925 करोड़ रुपये में एन0टी0पी0सी0 को किसने बेचा? क्यों बेचा ? 14 जनवरी, 2000 को कौन मुख्य मंत्री थे ? किसकी सरकार थी ? उस समय 800 करोड़ रुपये में टांडा को किसने बेचा ? पावर हाउस लगाये नहीं, क्षमता बढ़ाई नहीं बल्कि पावर हाउस को बेचने का काम किया और आज वह कहते हैं कि बिजली की कमी है। कानपुर में बिजली मिलनी चाहिए, फलां शहर में मिलनी चाहिए। मान्यवर, हमने क्या किया ? हमारी सरकार ने क्या किया ? बहिन कुमारी मायावती जी ने क्या किया ? वह हम आपको बताना चाहते हैं। 1995 में बहिन जी चार महीने के लिये मुख्य मंत्री बनीं। उस समय संभव नहीं था कि बिजली की इतनी बड़ी परियोजना लगाई जा सके। 1997 में 6 महीने के लिये मुख्य मंत्री बनी उस समय भी संभव नहीं था। तीसरी बार इस समय मुख्य मंत्री बनी है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर) सुन लीजिये, मैंने भी आप लोगों को सुना है। यह पूरे प्रदेश की समस्या है। रायबरेली, कानपुर, अमेठी की नही है।

श्री अधिष्ठाता–

अरे सुन लीजिये आप लोग।

श्री रामवीर उपाध्याय–

तीसरी बार बहिन जी मुख्य मंत्री बनी तो मुझे याद है 30–11–2002 को बहिन जी ने 210–210 मेगावाट की दो यूनिट पारीछा जनपद झांसी में लगाने का काम किया जिससे 30–11–2007 से हमको 420 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हुआ। आज जब चौथी बार बहिन

जी मुख्य मंत्री बनी तो ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये 25000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा। खुशी की बात यह है कि आज हमारे प्रदेश में इसके लिये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यहां पर अलीगढ़ के हमारे सम्मानित साथी हैं। हरदुआगंज में 500 मेगावाट का पावर हाउस बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसी तरह से पारीछा जनपद झांसी में 500 मेगावाट के पावर हाउस का काम तेजी से चल रहा है। सोनभद्र के साथी हमारे यहां पर होंगे। आनपारा-डी में 1 हजार मेगावाट की जो हमारी परियोजना है, मैं अभी पिछले महीने वहां पर गया था देखने के लिये, आनपारा-डी, वहां पर भी बड़े युद्ध स्तर पर काम चल रहा है जिससे 2011 तक हमको 1000 मेगावाट बिजली मिलना शुरू हो जायेगा। निजी क्षेत्र में आनपारा-सी जो 1200 मेगावाट बिजली का पावर हाउस है उसका भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है और 2011 के अंत तक हमको उससे 1200 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। इसी तरह से निजी क्षेत्र में इलाहाबाद के बारा करछना में 3300 मेगावाट की जो हमारी परियोजना है, जो निजी क्षेत्र की, उस पर भी काम चल रहा है। हमने बजाज वालों के साथ में अनुबंध किया है और 90–90 मेगावाट की 5 यूनिट बनाने की अनुमति उनको दी है और इससे भी 2011 के अंत तक बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। 1320 मेगावाट की परियोजना में भी तेजी से कार्यवाही चल रही है। इस तरह 10 हजार मेगावाट के पावर हाउस का काम आज धरातल पर आज बहिन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है और काम तेजी के साथ जारी है। मान्यवर, 60 साल में 4 हजार मेगावाट के पावर हाउस, धरातल पर काम चल रहा है और 15 हजार मेगावाट की परियोजना हमने बना रखी है। 2017 तक की परियोजना हमने बना रखी है और उस में भी जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। कोयले के लिये भारत सरकार को लिखा है और बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस तरह से मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी ने लिखित में दिया था कि 2014 तक उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आपको यह खुशी होगी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं। अरे सुनों भाई, सुन तो लो।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें। मंत्री जी की बात सुन लें। उन्होंने आपकी बात सुनी है। आप उनकी बात सुनें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मार्च 2012 तक...

श्री अधिष्ठाता–

आप सबने अपनी भावनायें कहीं हैं माननीय मंत्री जी का भी जवाब आने दीजिए।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 2014 तक लिखित में दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित में दिया है कि 2014 तक उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी। उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी

होगा ऊर्जा के क्षेत्र में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने श्वेत पत्र में जारी किया है। पूरे प्रदेश के माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, सोनभद्र में काम चल रहा है, इलाहाबाद में काम चल रहा है, अलीगढ़ में काम चल रहा है झांसी में काम चल रहा है हर जगह काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और मैंने तिथि भी बताई कि 2011 के अन्त तक मार्च, 2012 तक 6 हजार मेगावाट का उत्पादन बढ़ जाएगा। (मेजें थपथपाई गई)

मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी से और कांग्रेस के सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं यह समस्या केवल रायबरेली या अमेठी की नहीं है यह समस्या पूरे प्रदेश की है। मेरी आपसे विनती है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता मे बैठक हुई थी उसमें भी मैं गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी उनको, तीन बार मैं ऊर्जा मंत्री जी से मिला, व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला, उनकी बैठकों में गया मैंने उनसे कहा कि उत्तर प्रदेश की बिजली बढ़ा दो, बढ़ायी उन्होंने 100 मेगावाट बढ़ाया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बिजली बढ़वा दो जितनी बिजली बढ़वा दोगे उतनी ज्यादा बिजली उत्तर प्रदेश को मिलने लगेगी यह पूरे प्रदेश की समस्या है। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं अभी सीमा द्विवेदी जी कह रही थी वह चली गई, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, जो छोटी-मोटी समस्या है वह मुझे लिखकर दे दें मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। यह मैं आपसे वायदा करता हूं, यह समस्या आज की नहीं है यह समस्या 60 सालों की है। पूरे प्रदेश में काम चल रहा है और देश में कहीं काम नहीं चल रहा है और 2014 तक आपको 100 फीसदी 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं क्योंकि काम चल रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो समस्यायें नियम–56 में उठाई है उनको अग्राह्य करने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय खन्ना जी आप बैठें आपकी नोटिस नहीं है आप ग्राह्यता पर बोलने के लिए बिल्कुल अधिकार नहीं रखते हैं। महाना जी को बुला लिया है यह आपकी बात कह लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलने के लिए अधिकार नहीं रखते हैं आपकी बातें माननीय महाना जी कह देंगे। आप बैठे आपकी कोई बात नोट नहीं की जाएगी। आपकी बातें कहने के लिए दल में महाना जी है वह पार्टी की ओर से कह देंगे।

(व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कमार खन्ना

[x x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठे। सदन की कार्यवाही चलने की एक प्रक्रिया है उसके अनुरूप सदन चलेगा। अगर आपने नियम–56 में नोटिस नहीं दी है तो आपको नहीं सुना जाएगा।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह उचित नहीं है। आपने कहा कि नोटिस नहीं है तो अब खन्ना जी को बैठ जाना चाहिए। एक अकेले आदमी सदन का समय बरबाद कर रहे हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय खन्ना जी आपके दल से महाना जी बोल रहे हैं वह आपकी बात रख देंगे।

श्री सुरेश कमार खन्ना

[x x x x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय खन्ना जी मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं आपकी नोटिस नहीं है। यह चर्चा नहीं हो रही है ग्राह्यता पर बात हो रही जिनकी नोटिस है वही बोलेंगे। आप अपने दल के सदस्य पर विश्वास रखें वह आपकी बात कह लेंगे। खन्ना जी की कोई बात नोट नहीं की जाएगी। यह कोई तरीका नहीं है, कोई भी बात खन्ना जी की नोट नहीं की जायेगी।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना बोलने का प्रयास करते रहे)

मा0 खन्ना जी, मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, आपकी इसमें नोटिस नहीं है। यह चर्चा नहीं हो रही है, ग्राह्यता पर बात हो रही है। जिनकी नोटिस है, उन्हीं की बात सुनी जायेगी। महाना जी खड़े हैं, वह आपकी बात कह देंगे। अपने दल के सदस्य पर विश्वास रखिए, वह आपकी बातें कह लेंगे। महाना जी आप बोलिए।

श्री सतीश महाना–

मा0 अधिष्ठाता जी, मैंने आपसे कुछ स्पेशिफिक निवेदन किया था, जैसा आपके द्वारा सूचना दी गयी है कि प्राइवेट सेक्टर को, टोरेंट को डिस्ट्रीव्यूशन का काम देंगे। सदन के माध्यम से आपसे निवेदन है, आप बताने का कष्ट करें, आपका विचार है भी या नहीं, यदि है विचार तब

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो जनता में कोई प्रसन्नता आयेगी, नहीं तो अंधेरा है ही। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कानपुर महानगर की बिजली जो टोरेंट को आपके द्वारा दी गयी है, क्या उसको हैण्डओवर करने की प्रक्रिया चल रही है या वह विषय समाप्त हो गया है।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, अनुबन्ध हो चुका है और प्रक्रिया जारी है।

श्री सतीश महाना–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रदेश मे ंचारों ओर अंधेरा है, सरकार बिजली व्यवस्था को ठीक करने के लिए गंभीर नहीं है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री सतीश महाना के साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री उदयराज–

मान्यवर कई कम्पनियों का मंत्री जी ने जिक्र किया कि यहां-यहां पर उनको जमीन दे करके बिजली उत्पादन का काम शुरू कर दिया गया है। मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं कि बजाज कम्पनी ने प्रदेश में किस जनपद में जमीन ली है और वहां काम शुरू कर दिया है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, बजाज वालों की अपनी शुगर मिल है, वहीं पर वह लगा रहे हैं।

श्री राम सेवक–

अधिष्ठाता जी, जनता बहुत परेशान हैं, बिजली से। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बिजली समस्या के ऊपर ध्यान दें, और उसका दुख दूर करें।

(श्रीमती अमीता सिंह और श्री प्रमोद तिवारी बोलने के लिए खड़े हो गए।)

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप तय कर लें कि दोनों में कौन नेता स्पष्टीकरण लेगा।

श्रीमती अमीता सिंह–

मान्यवर, वर्ष 2012, 2014 का आश्वासन हम लोगों को मिला, बड़ी अच्छी बात है लेकिन कुछ तत्कालीन भी हम लोगों को बताया जाए कि हम लोगों के क्षेत्र में बिजली की जो समस्या आ रही है, उसका कैसे आप निदान करायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आपके माध्यम से कांग्रेस के सभी सम्मानित सदस्यों और खासकर मा0 प्रमोद तिवारी जी से प्रार्थना है कि हमारा कोटा और बढ़वा दें और बिजली दिलवा दो, हम बिजली बढ़ा देंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पूरा सदन साक्षी है, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि यदि विद्युत बढ़वा दो तो हम बिजली दे देंगे। हम पूरे सदन को साक्षी मानकर कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं कि अमावा में जो 220 मेगावाट का पावर हाउस बना है, हम उसको एनटीपीसी ऊँचाहार से 60 मेगावाट, 100 बिजली देंगे, आप अपने वचन पर कायम रहिए और रायबरेली और अमेठी को अनवनत् बिजली दीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इनके लिए केवल अमेठी और रायबरेली ही पूरा प्रदेश है, हमारे लिए तो पूरा प्रदेश है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री सतीश महाना, श्री उदय राज, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री राजाराम त्यागी, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अजय पाल सिंह, श्री राम सेवक, श्री शिव बालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सलिल विश्नोई को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

(श्री प्रमोद तिवारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता–

अब दूसरी सूचना श्री कौकब हमीद खां, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश की जमुना एक्सप्रेस–वे विकास प्राधिकरण एवं मेसर्स जे0पी0 इन्फोटेक द्वारा किसानों के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में है।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, पहले यह लोग बोल लें, फिर मैं बोल लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

बस दो-दो मिनट में अपनी बात बोल लें।

डॉ0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, आपने इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी बात रखने और बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं। मान्यवर, आज इसी सदन में प्रश्नकाल में कृषि मंत्री जी एक प्रश्न के उत्तर में बता रहे थे कि कृषि की विकास दर 5.1 हासिल करने का इस सरकार का लक्ष्य है और जब उस पर अनुपूरक पूछा गया तो उनका उत्तर आया कि, लेकिन हम हासिल सिर्फ 1.25 प्रतिशत कर पाये हैं। मान्यवर, स्थिति आपके सामने स्पष्ट है और उन्होंने ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए कई सारे उपाय गिनाये लेकिन उसमें एक उपाय यह भी था कि राम गंगा की कटरी को, इतने हे0 भूमि को हम सुधार कर उपजाऊ भूमि बना रहे हैं। मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है। एक ओर तो आप बीहड़ों को सुधार कर कृषि योग्य बना रहे हैं और दूसरी और इस सूबे की जो उपजाऊ जमीन है, गंगा, जमुना के दोआब के जमीन है, गंगा के किनारे की जो जमीन है, तीन-तीन फसल देने वाली जमीन है उसको अधिग्रहीत करके बड़े-बड़े सरमायेदारों को, कॉलोनाइजरों को देने काम कर रहे हैं।

मान्यवर, आपके सामने मैं अभी आंकड़े लेकर आऊंगा। हमारे यमुना एक्सप्रेस–वे पर काम चल रहा है इसी तरह से 8 एक्सप्रेस–वे घोषित कर रखे हैं। अपर गंगा कैनाल के बारे में अभी कुछ हम अखबार में बार-बार पढ़ रहे हैं कि 6 लैण्ड पार्सल डेवलपर को दिये जायेंगे। यमुना एक्सप्रेस वे की ही बात लेकर मैं आपके सामने आता हूं। यमुना एक्सप्रेस–वे अथारिटी द्वारा आज तक 6 जिलों के 8 तहसील के 1 हजार 191 गांव अधिसूचित कर दिये गये। इस एक्सप्रेस वे की लम्बाई है 165.5 किमी0, अब 165.5 से 1 हजार 191 को अगर आप भाग दे दें तो 7.2 आता है। यानी एक किमी0 एक्सप्रेस वे बनाने के लिए यह सरकार सूबे के 7.2 गांवों को बरबाद कर देगी। उनकी पूरी कृषि भूमि का अधिग्रहीत कर लेगी। यह इस सरकार की नीयत है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर इन आठों एक्सप्रेस–वे को बना दिया गया तो जो आंकड़ा निकल कर आता है 7.2 गांव प्रति किमी0 की दरसे वह 23 हजार 452 गांव आता है। यानी इस सूबे के 23 हजार 452 गांवों को सिर्फ 8 एक्सप्रेस वे के लिए तबाह करने का काम कर दिया जायेगा। इस सूबे के अंदर गांव कितने हैं, लगभग 1 लाख 5 हजार, तो चौथाई गांवों को यह सरकार एक्सप्रेस–वे के नाम पर बड़े-बड़े सरमायेदारों को सौंपने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डॉ0 अनिल चौधरी जी, अब समाप्त करें।

डॉ0 अनिल चौधरी–

मान्यवर, बात शुरू हुयी है। गंभीर विषय है, मेरी पूरी बात आ जानी चाहिए। मान्यवर, सरमायेदारों को लैण्ड पार्सल दे रहे हैं। किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी सदन में हमने बात उठायी थी कि क्या हाईटेक सिटी के लिए आप अधिग्रहण करने का काम करेंगे। माननीया मुख्यमंत्री जी ने उत्तरित किया था 28 जनवरी को कि हाईटेक सिटी और टाउनशिप के लिये किसान की कोई जमीन अधिगृहीत नहीं की जायेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता

हूं कि खैर तहसील और एरमादपुर तहसील के तमाम गांवों में किसानों को पीटा जा रहा है, उनके खसरे खतौनियों पर मालिकाना हक यमुना एक्सप्रेस वे का दर्ज कर दिया गया है और मान्यवर, सरमायेदारों के हाथों में यह सरकार कैसे खेल रही है, इसका नमूना है कि सर्किल रेट बढ़ाये गये एक तारीख से और उसमें गांव मैं दे रहा हूं, वहां जे0पी0 कम्पनी की निगाह है, आगरा सदर तहसील के बढ़ाना और मदुरा में वहां का सर्किल रेट 20 से 25000 रु0 प्रति हेक्टेयर है और इसी के आस पास कुआंखेड़ा, महुआखेड़ा, धांधपुरा, कलालखेड़िया, भीमरौली गांवों में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये ऐसा काम किया जा रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

***डा0 अजय तोमर–**

मान्यवर, आपने मुझे किसानों से जुड़े हुये इस अहम् सवाल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, जहां उत्तर प्रदेश गंगा जमुना के दोआब की उस उपजाऊ भूमि के रूप में जाना जाता था, जहां गंगा जमुना की दुहाई देकर हम लोग देश और विदेश मे इस बात के लिये कि कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल है। यहीं पर गंगा जमुना की दोआब की जमीन को अधिग्रहीत करके किसानों की जमीनों को छीनने का काम किया जा रहा है वहीं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को समाप्त करने का काम इस भूमि अधिग्रहण के माध्यम से किया जा रहा है। मान्यवर, क्या हमारी कल्पना में आने वाले युग के लिये ये ईंट पत्थर की बनी हुयी बिल्डिंग और सड़कें ही रह जायेंगी। हम भोजन के लिये, हम अनाज के लिये या आलू या सब्जी के लिये जमीन और उपजाऊ भूमि के बारे मे न सोचते हुये हम इस पर यह लैण्ड पार्सल, एक नयी चीज आ गयी है लैण्ड पार्सल। अभी 5 तारीख के अखबार में आया है कि अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जायेगा और इस निर्माण के लिये इस निर्माण कर्ता एजेंसी को 8 नये पार्सल दिये जायेंगे। वह भी किन जनपदों के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जनपदों के, आप कल्पना करके देखिये कि जिन जनपदों का नाम प्रदेश में कृषि उत्पादन के रूप में पहले, दूसरे और तीसरे नम्बर पर रहता था, उनके यहां अगर 8–8 नये पार्सल बन गये तो कल्पना करें कि आने वाली पीढ़ी कहां से भोजन करेगी। क्या खायेगी, कैसे जियेगी। यहां सदन में बैठे हुये सारे सदस्य आने वाली पीढ़ी के लिये इसी कल्पना के लिये चुनकर आये हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश में और प्रदेश के आधे हिस्से में तामम जो जिले हैं, इनमें भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान, छात्र और नौजवान आंदोलित होने का काम कर रहा है। तमाम जिलों में जो किसानों की उपजाऊ भूमि है, उसको सरकार अधिग्रहण करने का काम कर रही है और मेरा तो मानना है कि आने वाले समय में यदि यह ऐसे ही किया गया तो इस प्रदेश को खाद्यान्न के रूप में भारी संकट से जूझना पड़ेगा और नौजवानों के बीच के एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नक्सलवाद इस प्रदेश मे पैदा न हो जाय, ऐसी मेरी चिन्ता है क्योंकि नौजवान आज उस दोराहे पर खड़ा है, आंदोलन करने के लिये, तमाम जिलों में भूख हड़ताल करने के लिये, धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो उपजाऊ कीमती जमीन है। आदमी अपनी चीज को बचाने के लिये अपनी पूरी ताकत लगाता है कि मेरी कोई वस्तु, हमारे बाप-दादाओं की जमीन, जो हमें विरासत में मिली है, उसको हम किसी को देने का काम न करें लेकिन हमारी जो हमारे बाप-दादाओं की जमीन है, जिससे हमारी शख्सियत है, जो हमारी पहचान है, लेकिन यह सरकार उस जमीन का अधिग्रहण करके, सड़क बनाने का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाने के विरोध में मैं नहीं हूं, मैंने इस बारे में सरकार की कई बार तारीफ भी की है विपक्ष का सदस्य होने के बाद भी, जब भी अच्छा काम करते हैं तो मैं तारीफ करने का काम भी करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक्सप्रेस हाईवे बने मैं इसका समर्थक हूं, रास्ते अच्छे हों, सड़कें अच्छी हों, लेकिन रास्ते के लिए सड़क ली जाय तो बात अच्छी है लेकिन सड़क के दोनों तरफ कई–कई किलोमीटर की भूमि अधिग्रहण कर के बिल्डर को देने का काम है वह भी प्राइवेट बिल्डर को, सरकार की कोई योजना नहीं है, प्राइवेट बिल्डर को देने के नाम पर सरकार आज जो जमीन को अधिग्रहण करने का काम कर रही है, इसका मैं विरोध करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द करने का काम करें और माननीय अधिष्ठाता महोदय अपनी बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि आज प्रशासन के द्वारा किसानो की जमीन को जबरदस्ती अधिग्रहण करने के लिए, करार करने के लिए किसानों पर फर्जी मुकदमें कायम किये जा रहे है, तो इस प्रकार का जबरदस्ती दबाव डालने का काम करें। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

चौ0 सत्यपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यमुना एक्सप्रेस हाईवे मेरे क्षेत्र से शुरू हो रहा है जहां पर यह गम्भीर समस्या बनी हुई अलीगढ़ जनपद में विगत लगभग 15 दिन से यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर उस क्षेत्र के दसों, बीसों गांवों की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग भूख हड़ताल पर और अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारे क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, यमुना एक्सप्रेस हाइवे को जो जमीन दी गई उसका किसी ने विरोध नहीं किया और हम लोगों ने भी जनता को शान्त किया कि एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो उससे क्षेत्र की उन्नति होगी, लेकिन जैसा कि पूर्व में मेरे मित्रों ने कहा है कि हाईटेक सिटी और टाउन सिप के लिए जबरदस्ती टप्पल, जिकरपुर, जहानगढ़ कनसरा और बृजनगला, कृपालपुर गांवों की जमीन पर किसानों से जबरदस्ती करार करा कर हस्ताक्षर कराये जा रहे हैं जबकि बहुत से किसानों ने अभी जमीन पर करार नहीं किये हैं। प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग वहां पर भारी संख्या मे तांडव मचाये हुए हैं और कोई भी विस्फोटजनक स्थिति वहां पर आज हो सकती है, कल हो सकती है, बहुत से किसान, बच्चे और महिलाएं मारे जा सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि यह सरकार तुरन्त इस अधिग्रहण की कार्यवाही को जो टाउनशिप के लिए है जो नए-नए हाईटेक सिटी बनाने के लिए है उसको समाप्त करें, उसका अधिग्रहण समाप्त करें और अगला खाद्य संकट जो इस प्रदेश में आयेगा इन गांवों की जमीन देने की वजह से आयेगा मेरा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश मे हमारे क्षेत्र के इलाके सबसे ज्यादा पैदावार देते हैं। गेहूं, धान, गन्ना की पैदावार मेरे क्षेत्र में पंजाब

के समकक्ष होती है। मैं किसानों की भलाई के लिए, इस प्रदेश की भलाई के लिए आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इस अधिग्रहण को तुरन्त वापस कराये और किसानों से उनकी जमीन का जो जबरदस्ती करार कराया जा रहा है उसको रोका जाय और उन्हें न्याय दिलाया जाय।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह जगजाहिर है कि यह सरकार किसानों के टोटली विरोध में है। इसे कोई हमदर्दी नहीं है किसानों से, चाहे किसान टूट जाये, मर जाये, बह जाये इस सरकार का उनसे कोई सरोकार नही है। मान्यवर, हमारे सभी साथियो ंने जो मुद्दा यहां पर रखा है वह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। मान्यवर, आप देखियेगा जब यह जमीन नहीं रहेगी तो हमारा प्रदेश कहां जायेगा, क्या खायेगा, कहां रहेगा। बड़े अफसोस की बात है मान्यवर, बनाइये हाईटेक सिटी और जो कुछ भी बनाना है, लेकिन साथ ही यह भी देखियेगा कि जो जमीन जा रही है, अभी हमारे किसानों की जो जमीन ले रहे हैं, आपने हाईटेक सिटी बनाई है दस मीटर ऊँचा है, किसान की आधी जमीन इधर है और आधी जमीन उधर है अब मान लीजिए किसान उस तरफ अपनी जमीन पर जाना चाहता है तो दस मीटर ऊँचाई पर वह चढ़ नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में अगर दूसरी तरफ पड़ने वाले किसान के खेत में आग लग जाये तो वह कैसे जायेगा। मान्यवर, इस तरह से किसानों की जो जमीन चली गई वह तो गई ही और जो बची वह भी बरबाद हो रही है क्योंकि वह अपनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पायेगा। मान्यवर, यह बहत ही गम्भीर विषय है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें आप अपनी व्यवस्था के साथ-साथ, उन किसानों को न्याय दिलायें उन किसानों का जो अधिकार है उससे उन्हें वंचित न होने दें, घन्यवाद।

***श्री कौकब हमीद खां–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह मुद्दा एक्सप्रेस हाईवे बनाने या न बनाने का नहीं है।

मान्यवर, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं जब आप यह बात सुन रहे हैं तो 45 साल पीछे जायें। वह दिन याद कीजिये जब शास्त्री जी के जमाने में फूड शार्टेज का नारा लगा था। जब आपके बड़े अधिकारियों के घरों के कम्पाउंडों में गेहूं और बाकी चीजें बोने का आदेश हुआ था। एक वक्त का खाना छोड़ दिया गया था। आप पार्लियामेंट में बात कर लीजिये या यहां पर कर लीजिये हर जगह यही बात कहीं जाती है कि यह कृषि प्रधान देश है और हमारे यहां 70 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है और कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करती है। आज 45 साल के बाद फिर यह मुद्दा खड़ा हो गया है। चाहे यूएन हो या यूनेस्को हो यह सब बाहरी संस्थायें हैं और अन्तराष्ट्रीय हैं इनमे ंआज इसकी बातें हो रही हैं खाद्यान्न की उपलब्धता की। मान्यवर, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। जब वह कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहे हैं तो यकीनन हम सबके लिये यह सोचने की बात है। आज आजाद हिन्दुस्तान में भुखमरी के केसेस सामने आने लगे हैं। हम डिबेट चाहते हैं इस पर यहां पर और आपको करानी चाहिये। अगर सरकार एक्सप्रेस वे बनाना चाहती है तो वह बनाये हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो आप पैकेज बना रहे हैं वह आप देखें। एक पैकेज में 500 एकड़ जमीन जा रही है तो इससे क्या होगा। उसके अंदर फारेन इन्वेस्टमेंट आयेगा। बिल्डिंगें बन जायेंगी, पिक्चर हाल बन जायेंगे, बड़े माल्स बन जायेंगे और उसके बाद दिल्ली से मद्रास से लोग आकर उसमें फिल्में देखने लगेंगे। यह होगा कि वहां लोग आ जायेंगे। टेनिस गेम्स और दूसरे बाल्स के गेम्स होंगे। लेकिन जिसकी जमीन आपने उसमें ले ली है वह तो मर गया। वह तो भूखों मरेगा। आप बता दें। हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हर पैकेज में 500 एकड़ की जमीन आप ले रहे हैं आप पूरी की पूरी बस्तियां ले रहे हैं। इससे हो रहा है कि एक किलोमीटर पर 7.2 गांव समाप्त।

आज यह मसला नहीं है तो और क्या है। अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे कि आप प्रगति के खिलाफ हैं। लेकिन उस एक्सप्रेस वे पर चलेंगे कौन। उसमें चलने वाले लोग कहां होंगे। आपके तकरीबन एक लाख गांव हैं उसमें से इसमें 25 फीसदी गांव तो गये। फिर आप भाषण किस पर देंगे फिर आप बीपीएल और एपीएल की बात किससे करेंगे। फिर यही बातें आयेंगी कि लूट हो गयी, मारपीट हो गयी, रोड होल्ड अप हो गया। जब आप उनकी रोटी छीन लेंगे कारोबार छीन लेंगे तो यह बेचारा क्या करेगा। कुशीनगर में आप महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा 500 मीटर की ऊँची बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बनाइये। उससे आपके पर्यटक वहां पर आयेंगे। लेकिन आपको पता है कि भगवान बुद्ध तो करूणा के प्रतीक थे।

वह तो गरीबों के लाचारों के भगवान थे। अरे दलितों की जमीन, प्रतिमा के लिए 800 एकड़ जमीन ले रहे हो कुशीनगर में और फिर कह रहे हों कि हम दलितों के बारे में जानते हैं, क्या जानते हो भई। अरे बनाइये प्रतिमा बनाइये प्रतिमा तो 10–20 बीघे में हो जायेगी, मीनार बननी है वह बन जायेगी। वह क्यों ले रहे हो, भूखा क्यों मार रहे हो, मान्यवर जरा गौर करिये अब यमुना एक्सप्रेस वे पर जो प्रभावित ग्राम होंगे 2160 गौर करते चलिये गंगा एक्सप्रेस वे पर 1191, नोएडा एक्सप्रेस वे पर 1562, आगरा कानपुर पर 2160 गांव मान्यवर, ये रु0 नहीं हैं। आगरा कानपुर पर 1562, झांसी, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और एक्सप्रेस हाइवे 5300 गांव, बिजनौर मुरादाबाद में 2162, लखनऊ–बहराइच और नानपारा पर 2160 गांव, जब यह पूरी योजना तबाह करने की हो जायेगी, जो योजना आपने तबाह करने की बनाई है जब यह पूरी हो जायेगी तो 23,518 गांव प्रभावित होंगे 24 हजार एकड़ जमीन। मुझे नहीं मालूम कि आप सबका क्या जवाब दोगे।

जवाब तो आप कुछ भी दे दोगे जवाब देना तो आपके हाथ में है। मगर मान्यवर, मुझे यह समझा दो कि यह गरीबों को मारकर यह काम कौन सा कर रहे हो। बस हाइवे तो वहां बनना है, अच्छी बात है हाइवे बनना, मगर वह बराबर में जो टाउनशिप है वह क्यों बन रही है ? वह उन्हें दोगे जब बना देंगे तो तुम्हें पैसे देंगे। उसको जो सरकार को वापस करेंगे पैसे वह उनको बनाया करेंगे। अच्छा जो मकान बनायेंगे अगर मकान पर आप तय कर दें, आप मकान पर तय करिये और आज ही तय करिये कि जो मकान बनायेंगे वह गरीबों को देंगे उसको देंगे जिसके पास घर नहीं है। हिन्दोस्तान में उत्तर प्रदेश का हर छठा आदमी मान्यवर, 125 करोड़ की आबादी

है, हर छठा आदमी हिन्दोस्तान के अन्दर उत्तर प्रदेश का है। यह तय करो कि हम जो जमीनों का पैकेज दे रहे हैं जो वहां मकान बनायेंगे वह गरीबों को देंगे तो यह काम तो कर दो कम से कम यह फाइनल हो जायेगा कि गरीब को मकान मिल जायेगा उसके रहन-सहन का इंतजाम हो गया वह तो है नहीं। वह तो दुबई से आयेगा वह दुबई में बनायेगा, बहुत उसका एडवरटाइजमेन्ट हुआ है, ऐसे कुछ बनायेंगे लक्जरी स्यूटस, ऐसे स्यूट्स कि वहां स्विमिंग पुल भी है, माल भी है और माल्स के साथ–साथ दुकानें भी हैं आप आइये और खरीदिये। यह आप बनाकर खड़ा कर दोगे तो लुटने का काम करा रहे हो। तो जिनकी जमीन लोगे वह लूटेंगे, क्या करेंगे ? अल्टीमेटली नक्सलाइट तो आप बना रहे हों। भूखा आदमी क्या करेगा, पेट की बात करो अरे जमीन की बात करो, पेट की बात करो कुछ ऐसी बातें करो। तो मान्यवर, मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा कि यह तबाही है, तबाह न करो, गरीबों को देना है यह मानो, बात मानने की है कि यह गरीब मुल्क है और हिन्दोस्तान में हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश का है तो यह गरीब प्रदेश है और गरीब प्रदेश है तो गरीबों की बात करो यहां अमीरों को दे देकर के बाहर से बुला बुलाकर, वह काम खत्म करो। यहां डकैती पड़वाओगे, भुखमरी करवाओगे ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, मैं एक शेर के साथ खत्म कर रहा हूं जवाब पता नहीं कौन देगा आज।

जिस खेत से दहका के मयस्सर न हो रोटी,
उस खेत के हर गोश–ए–गंदुम को जला दो।
उस खानाए उमरा के दरों दीवार हिला दो।

यह करना पड़ेगा, आप सुन लीजिए। मैं इस शेर के साथ खत्म करना चाह रहा था। यह शेर शायद उनकी समझ में आया नहीं मेरा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कौकब साहब, अब आप समाप्त करें।

मैं जो कहना चाह रहा हूं कि यह योजना अगर पूरी हो गयी तो सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप एक्सप्रेस हाईवे न बनाइये, आप बनाइये मगर एक पैकेज के साथ। जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति लगनी है वहां 800 एकड़ जा रहा है। वह तो अपना सब छोड़–छाड़ के आ गये थे वह तो गुरबत में रह रहे थे। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस अहसास के साथ कि यह अकेले मेरा मुद्दा नहीं है, यह पूरे सदन का मुद्दा है, पूरे प्रदेश का मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक तरफ तो जब चर्चा होती है तो हमारे सभी साथीगण औद्योगिक विकास की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं। मान्यवर, यमुना एक्सप्रेस वे 2002–03 में इसकी कार्ययोजना बनी थी और हम लोगों की सरकार जाने के बाद इस पर रोक लग गयी थी। लेकिन जब इसकी उपयोगिता का ज्ञान हुआ, जानकारी प्राप्त हुयी तो अंतिम क्षणों में पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसको चालू करने का निर्णय लिया था। मान्यवर, आज प्रदेश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ने जा रही है, इससे प्रदेश में पर्यटन का विकास होगा। किसानों की हालत और मजबूत होगी। मान्यवर, जब हम औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो औद्योगिक विकास तो जमीन पर ही होगा, कोई हवा में तो होगा नहीं और उसके लिये प्रदेश हित में जो विस्थापन नियमावली है उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। किसान हित और जनता के हित को सर्वोपरि मानकर प्रदेश के विकास के लिये कार्यवाही की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप इसका अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री कोकब हमीद खां, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्येन्द्र सिंह, चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री पूरन प्रकाश को तथा माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम–56 में नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं।

अगली सूचना उत्तर प्रदेश में रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समाज को सुविधा दिये जाने के संदर्भ में माननीय डा0 आर0ए0 उस्मानी, अब्दुल समद अंसारी, शाहिद मंजूर, इमरान मसूद, इकबाल महमूद, आरिफ अनवर हाशमी, चौधरी गजाला बशीर तथा श्री जावेद अंसारी की है। श्री उस्मानी आप अपनी बातें शुरू करें।

श्री कौकब हमीद खां–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री कौकब हमीद खां अपने दल के सदस्यों के साथ नारा लगाते हुये सदन को त्याग दिये।)

डा0 आर0ए0 उस्मानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मुस्लिम समाज की गंभीर दशा के ऊपर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद देते हुये आपका ध्यान इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण समाज में मुस्लिम समाज की दशा

काफी गंभीर है जिसका चित्रण माननीय रंगनाथ मिश्रा आयोग एवं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की दशा दलितों से भी ज्यादा बदतर है। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। भागीदारी के तहत मुसलमानों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की जरूरत है। रोजगार तथा अन्य नौकरियों में मुसलमानों को उनकी आबादी के तहत आरक्षण दिये जाने की जरूरत है और आज जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार साढ़े 3 साल से आई है तब से एक भी मुस्लिम समाज के आदमी को नौकरी में नहीं रखा गया जबकि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा 50 हजार मुसलमानों को उर्दू टीचर और उर्दू अनुवादक के पदों पर रखने का काम किया गया था। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, आज मुसलमानों का नाम बी0पी0एल0 की सूची में नहीं है जिसके कारण उनका राशन कार्ड नहीं बन पाता है, जिसके कारण उनको इन्दिरा आवास नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनको शादी अनुदान नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके बच्चों को वजीफा नहीं मिल पाता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह हम उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत मुसलमानों की दशा पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत गम्भीर विषय है, आज पूरे देश में नक्सलवाद की समसया है। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आज भले समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सदस्य इस सदन में कम हों लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता की नीयत ठीक है और उन्होंने अपनी सरकार में मुसलमानों को बराबर का दर्जा देने का काम किया। आज सत्तापक्ष में हो सकता है कि मुस्लिम समाज के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो लेकिन क्या उन विधायकों ने एक भी मुसलमान को नौकरी दिलाने का काम किया। इतना ही नहीं हमारे नेता मा0 मुलायम सिंह यादव ने 24 हजार पुलिस कर्मियों को भरने का काम किया था जिसमें से 8 हजार मुसलमान थे। उनको नौकरी से निकालने का काम इस सरकार ने किया लेकिन रोजी-रोटी देने का काम सिर्फ अल्लाह का होता है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नौकरी में रखने का फैसला किया और 24 हजार के 24 हजार युवक आज नौकरी कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 उस्मानी जी, कृपया समाप्त करें।

डा0 आर0ए0 उस्मानी–

अल्पसंख्यकों को रोजगार प्रदान करने एवं उर्दू भाषा को रोजी-रोटी से जोड़ने के उद्देश्य से 13 सितम्बर, 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मोउल्लिम-ए-उर्दू डिग्री को बी0टी0सी0 उर्दू के समकक्ष शासनादेश जारी किया, तत्पश्चात् 1994 एवं 95 में हजारों की संख्या में मोउल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के उर्दू के पदों पर नियुक्तियाँ प्रदान की गयी। 11 अगस्त, 1997 की तत्कालीन बसपा एवं भाजपा सरकार ने उक्त शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। 1997 के पूर्व के शेष बचे मोउल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारक आज भी रोजगार पाने से वंचित है। उत्तर प्रदेश सरकार इन बेरोजगार डिग्रीधारकों की भर्ती सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हैं कि इसमें अधिकांश डिग्रीधारक

अल्पसंख्यक है। सरकार एन0सी0टी0ई0 से मान्यता न होने का बहाना बनाकर मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों की भर्ती न करके जनता को गुमराह कर रही है, जबकि एन0सी0टी0ई0 ने डिग्रियों की वैधता के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर, 1999 पत्रांक संख्या सं0अ0शि0प0/उक्षेस/फ–27/99/1104 में स्वयं लिखा है कि ''सत्र 94–95 एवं 96 में प्रदत्त अंक पत्र एवं डिग्रियां एन0सी0टी0ई0 के प्रभाव से मुक्त हैं।''

''एन0सी0टी0ई0 अधिनियम का अध्यापकों की नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह संस्था केवल शिक्षकों की सेवापूर्ण प्रशिक्षण से सम्बन्धित क्रिया-कलाप का मानक निर्धारण करती है।'' प्रदेश सरकार उर्दू भाषा के पतन करने पर आमादा है और अल्पसंख्यकों को रोजगार देना कतई नहीं चाहती है, क्योंकि मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारक धरना-प्रदर्शन आदि के माध्यम से निरन्तर अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और सरकार कोरे वायदे करती रही है। जिससे तंग आकर बेरोजगार मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारक माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी पीड़ा सुनाने के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 को शान्तिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे तो रास्ते मे ंपरिवर्तन चौक पर बेराजगारों को रोककर सरकार ने रोजगार देने के बजाय बर्बरतापूर्वक लाठियों से पीटा जिसमें धर्मगुरूओं सहित बेरोजगार महिलायें एवं पुरूष डिग्रीधारक बुरी तरह से जख्मी हो गये। अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश ने भी मोअल्लिम-ए-डिग्रीधारकों के पक्ष में सरकार को संस्तुति भेजी है इसलिये मोअल्लिम-ए-डिग्री धारको ंको तुरन्त रोजगार दिया जाय। रोजगार न मिलने के कारण मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारक उर्दू प्रेमियों, मुस्लिम धर्म गुरूओं, बुद्धिजीवियों एवं धर्म निरपेक्ष आवाम, मुस्लिम समाज में घोर आक्रोश व क्षोभ व्याप्त हैं जिससे स्थिति कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है।

डा0 वकार अहमद शाह–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इसे पूरा हो जाने दें।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 उस्मानी जी, अब आप बैठ जायें, अभी 6 लोगों को बोलना है। मा0 इमरान मसूद जी, आप अपनी बात कहें।

***श्री इमरान मसूद–**

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हम लोग बहुत चर्चा सुन रहे थे लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथी अपनी बात रख रहे थे, पूरी बात उन्हें रखने का मौका नहीं दिया गया इसलिए मैं अपनी बात को मा0 अंसारी जी की बात से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि पिछले 50 सालों के अन्दर मुसलमान की स्थिति उत्तर प्रदेश के अन्दर दयनीय हो गई और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं हमारे कांग्रेस के साथी चले गये, इन्होंने रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया, सच्चर कमेटी बनायी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि मुसलमान की स्थिति दलित से भी बदतर हो गई है और उस स्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में मुसलमान को लाने में 50 साल तक का शासन इन्हीं का रहा है किसी दूसरे का नहीं रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता मा0 मुलायम सिंह यादव जी को कि 1989 में जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने। जब से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, तब से मुसलमान को उठाने का काम अकेले अगर किसी ने किया है तो वह मुलायम सिंह ने किया है। 14 प्रतिशत पुलिस में भर्ती करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। उर्दू को रोजी–रोटी के साथ जोड़ने के लिए, उर्दू की तहजीब जिंदा रहे, यह जबान उर्दू जिंदा रहे, इस जबान का जिंदा रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें भर्ती किया और उनको रोजी–रोटी के साथ जोड़ने काम किया। मान्यवर, मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं रखता कि 1997 के जिस शासनादेश का जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, उस समय आपकी सरकार चल रही थी और आपकी सरकार ने उस शासनादेश को जो मुलायम सिंह जी ने 1993 में पारित किया था कि मुसलमानों को भी रोजगार मिल जाए, उनकी भी बी0टी0सी0 शिक्षकों के समकक्ष पदों पर नियुक्ति हो जाए, उसको आपने निरस्त कर दिया। इसके बाद भी आपने सरकार बनायी, और अब आपने अपनी बहुमत की सरकार बना ली, लेकिन इस बात को कहते हुए मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप कहते हैं बैकलॉग की भर्ती, बैकलॉग की भर्ती में आजतक तो इनकी कोई भर्ती हुई नहीं, आपका तो कोई भर्ती हुआ नहीं है, तो बैकलॉग भर्ती के अंतर्गत किसके लोग भर्ती हो गये। अभी पैसा मिलने का काम हो रहा है, छात्रवृत्ति पर, गरीबों को और विधवा महिलाओं को, लेकिन यह पैस मिलने का काम किसको हो रहा है, न तो पिछड़ों को हो रहा है, न ही अल्पसंख्यकों को पैसा मिलने का काम हो रहा है, केवल एक ही वर्ग के लोगों को पैसा मिलने का काम हो रहा है। मान्यवर, मैं इसके साथ एक और बात को कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षणेत्तर कक्षाओं के लिए इंजीनियरिंग कालेजों के लिए, एम0बी0ए0 के लिए, मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय के लिए छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। आप ही की सरकार का शासनादेश है।

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, हमारे पास ज्यादा बोलने वाले नहीं है, हम केवल 3–4 लोग ही हैं बोलने वाले, इसलिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर समय की पाबंदी न करें। मान्यवर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी खत्म करूं। मान्यवर, आपने यह शासनादेश जारी किया था कि जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि जिनकी परिवार की वार्षिक अंतर्गत इन्कम 1 लाख से कम होगी, उन छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति पूरी की जायेगी। लेकिन मान्यवर, अफसोस है कि आपकी सरकार के अंदर . प्रतिपूर्ति नहीं की गयी। कहीं पर भी 100 प्रतिशत की शुल्क प्रतिपूर्ति नही की गयी है। राजकीय कालेजों के अंदर उनकी शुल्क की प्रतिपूर्ति होनी चाहिए, जिसका शासनादेश आप ही की सरकार का है। मान्यवर, बड़ा अफसोस होता है कि दलित समुदाय के 100 प्रतिशत छात्रों को अनुदान देने का काम होगा। मान्यवर, दलित को मिलना होगा, लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन

हम तो दलित से भी बदतर हो गए हैं। हमारी स्थिति तो 1947 में सरकारी नौकरियों में 37 थीं, इन्होंने इसे 1.3 पर लाकर खड़ी कर दी। मैं श्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम–से–कम से 6 प्रतिशत पर लाने का काम तो किया था।

श्री अधिष्ठाता–

अपनी बात को समाप्त करें।

श्री इमरान मसूद–

मान्यवर, मै। आपका सम्मान करूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन एक शेर के साथ–

"बर्बाद ए गुलिस्तां करने को, बस एक ही उल्लू काफी था,

हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम ए गुलिस्तां क्या होगा।"

आपने इस लोक महत्व के मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, अपनी बात को बल देते हुए, मैं बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

***श्री इकबाल महमूद–**

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 उस्मानी साहब और मा0 इमरान मसूद के साथ मैं अपने आप को संबद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश के अंदर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का रहने वाला समझा जाता है मुसलमानों में इस देश को आजाद कराने के लिए बेपनाह अपने खून का बलिदान दिया। इस मोर्चे पर उसने यह साबित किया है कि हम हिन्दुस्तानी हैं, और हिन्दुस्तान की रक्षा करने वालों में से हैं। हिन्दुस्तान की रक्षा करने में हमारे बहुत से भाईयों ने अपनी जान की बलि तक दी है। मगर प्रजातंत्र के अंदर जितना शोषण हमारे अल्पसंख्यकों को होता है, उतना और किसी का नहीं। सच्चर समिति ने यह सब बयां कर दिया हैं। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर असलियत यह है कि हम अनुसूचित जाति से भी नीचे चले गये हैं। अगर थाने के अन्दर कोई मुसलमान पिटता है तो अनुसूचित जाति का वह सिपाही पूछता है कि कभी अनुसूचित जाति के हाथों से पिटे हो, उसने कहा कि नहीं पिटा, तो सिपाही कहता है कि आज पिटोगे। इस सरकार के अन्दर यह हश्र मुसलमानों का हो गया है। अगर हम पिटते हैं तो यह कहा जाता है कि अनुसूचित जाति के हाथों से कभी पिटे हो, कभी उनके डंडे से पिटे हो, नहीं पिटे हो तो आज पिटोगे। आज हमारी यह हालत हो गयी है। इस देश के अन्दर हमने जो कुर्बानियां दी थीं, वह यह बातें सुनने के लिए दी थी और हमने सबको साथ जोड़कर रखा था। यह सोचा था कि यहां पर जितनी भी इमदाद मिलेगी हिन्दुस्तान में रहने वाले हर शख्स और जाति को मिलेंगी। मगर अफसोस यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बार यह बात देखने में नहीं आयी है। याद कर रहा है हर मुसलमान मुलायम सिंह यादव जी को, वह सोचना है कि वही एक नेता है जो मुसलमानों के हक की बात करता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने मेजें थपथपाई) उसने कभी भेदभाव नहीं किया और जो भी नीतियां, स्कीमें बनायीं उसमें सबको बराबर रखा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आज कहीं पर भी हमारा आरक्षण नहीं है। (सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि धोती के अन्दर हाफ पैंट है) यह सही फरमा रहे हैं इनकी धोती के अन्दर हाफ पैंट छिपा है, इन्होंने भी हाफ पैंट पहन लिया है, इन्होंने भी बी0जे0पी0 की राय ले ली है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये।

श्री इकबाल महमूद–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि मुसलमानों को जो देशभक्त हैं, देश के लिए कुर्बानी दी है उनको भी नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण देना चाहिए। सरकार आज ही एलान करें कि हम उनको आरक्षण देंगे। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि यह मुसलमानों की जुबान है। यह हिन्दुस्तान की जुबान है और इस हिन्दुस्तान की जुबान को जिंदा रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। मगर आप लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी जुबान घोषित कर दी जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देता हूं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुस्लिम मसायल पर जो नियम–56 की नोटिस दी गयी है उसकी ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। हमारे साथी अपनी बात सदन में रख रहे थे और सदन के संज्ञान में आया भी। अधिष्ठाता महोदय, मुसलमानों का शानदार इतिहास रहा है चाहे वह 750 साल मुसलमानों की हिन्दुस्तान में हुकुमत रही हो या उसके बाद दौरे आजादी 1857 में शहंशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में फिरंगियों से जंग लड़ी गयी हो।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, कम समय मे कुछ काम की बातें कह लेते तो ठीक होता।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

साहब, कौम की बात है, सुन लीजिए। शहंशाह बहादुर शाह जफर ने हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए कहा था कि–

'जज्बे जौ के शहादत को क्या कीजिए, मैंने हाथों में फिर अपना सर ले लिया,
कत्ल होने से अब हम कहां तक डरें, कातिलों के मुहल्ले में घर ले लिया।'

देश की आजादी में हमारे उलेमाओं ने मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्ला ने फतवा दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जिहाद है और मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्ला के फतवे पर हिन्दुस्तान के गय्यूर मुसलमानों ने जंगे आजादी में अपनी कुर्बानी और शहादत दी, जिसमें पं0 राम प्रसाद विस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में फांसी का फन्दा चूमना पड़ा।

इस देश का मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। मान्यवर, हमारे सूफी सन्तों ने भी इस देश को बनाने में और भाई चारा कायम करने में कोई कसर नहीं रखी। डाक्टर अल्लामा इकबाल जिन्होंने आजादी का तराना लिखा सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसके यह गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना हिन्दी है हम वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा। वर्ष 1962 में जब देश चाइना से लड़ रहा था तो शकील बदायुनी ने एक नगमा लिखा था जिसने हिन्दोस्तान के सिपाहियों में जोश भर दिया था यह नगमा था अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं जिसको मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी व नौशाद जी ने अपनी धुन दी थी। इसके बाद देश में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई कि मुसलमानों को हक और हुकूक से वंचित किया जाने लगा। एक ऐसे शख्स के हाथों में वर्ष 1989 में सत्ता आई जो वाकई में धोती और कुर्ते में है लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफी की एक जज्बात उनके दिल में था उन्होंने इन्साफ किया उस मर्द का नाम मुलायम सिंह यादव है मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूं जिन्होंने 63 साल बाद इस देश के मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है। उस आदमी ने कुर्ता पाजामा पहनने वाले दाढ़ी रखने वाले मुसलमान चाहे वह आलिम हों चाहे उर्दू जानने वाला मुसलमान हो रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया उनकी तरक्की और बहबूदी के लिए काम किया ऐसा शख्स मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह जी के राज में मुसलमान अधिकारियों चाहे वह आई0ए0एस0 हों चाहें आई0पी0एस0 हों उनको सम्मान देने का काम किया गया। यहां तक कि मंत्रिमण्डल में भी मुसलमानों को अच्छी संख्या में रखने का काम किया और इस समाज को भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ है और आपके साथ इंसाफ करते हैं।

अल्पसंख्यक आयोग में मुसलमान को उन्होंने कुर्सी पर बिठाया और उनको इंसाफ मिला। यह और बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान और देश का मुसलमान बहुत बेहाल और बदहाल की जिन्दगी गुजर कर रहा है तो जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में उन्होंने एक कमेटी बनाई जस्टिस सच्चर ने रिपोर्ट दी उसके बाद रंगनाथ मिश्र जी की अध्यक्षता में कमीशन बना और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मुसलमान दाढ़ी बढ़िया बनाते हैं, साइकिल के पंचर बढ़िया बनाते हैं, राजगीरी का काम बढ़िया करते हैं। खवईगीरी का काम अच्छा करते हैं कुर्ता ब्लाउज अच्छा सिलते है लेकिन इनका नौकरियों में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मुसलमानों की संख्या आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 में बहुत कम है। यह जर्नलिस्ट नहीं बन सकते हैं इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। कांग्रेस की हठधर्मी यह है कि उन्होंने रंगनाथ मिश्र आयोग और जस्टिस सच्चर आयोग बनाकर मुसलमानों का मखौल तो उड़ाया है उनकी बेइज्जती तो की है लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया।

(इस समय 3 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में कहें और माननीय सदस्य भी इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

अध्यक्ष, जी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में मुसलमानों को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम, उर्दू को रोजी-रोटी से जोड़ने का काम किया गया था। उर्दू मुअल्लिम को विशिष्ट बी0टी0सी0 का दर्जा देते हुए उन्हें भी नौकरी देने का काम किया जाय और मुसलमानों को जिस तरह से आजादी में, प्रदेश में और देश के विकास में उत्तर प्रदेश के विकास में, मुसलमानों का योगदान है मान्यवर, उनको उसी भागीदारी में इज्जत और सम्मान से, हर तरीके से अवसर दिया जाना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

चलिये, ठीक है, हो गया।

श्री आरिफ अनवर हाशिमी–

मान्यवर, एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे साथी कह रहे थे कि वर्तमान समय में अल्पसंख्यक आयोग में कितने मुस्लिम सदस्य हैं ? उस पर हमें नहीं जाना। यह नीति और नीयत की बात होती है। एक बात कहकर मैं आनी बात को खत्म करूंगा।

सूरज के खुदाओं की यह पोर-ए-निगाही है।
और महलों में उजाले हैं और कुटियों में स्याही है।

मान्यवर, बहुत–बहुत शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष–

शादाब फातिमा जी, दो मिनट में कहियेगा।

***श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बेहद सम्वेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं लेकिन मन में कहीं दुःख है, निराशा है, विक्षोभ है, अफसोस है। अफसोस इसलिये है कि आज हिन्दुस्तान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की आजादी के तकरीबन 63 साल गुजर जाने के बावजूद, एक आधी लम्बी सदी के गुजरने के बावजूद आज इस सदन के अन्दर आकर इस मसले को उठाने की जरूरत क्यों पेश आई ? अफसोस इसलिये है कि एक जमाना वो भी था जब हमारी पहचान ताजमहल बनाने वालों से थी और आज यहां पर यह आवाज उठानी पड़ रही है, इसके लिये अफसोस हुआ हमें लेकिन हकीकत से आंखे नहीं चुराई जा सकतीं। तमाम बातें सामने आई हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि वक्त वक्त में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हुई हैं बहुत सी सरकारों में इसलिये मैं आपसे कह रही हूं कि वह भी जमाना था कि हमें याद है जब 1947 में लाल किले की ऊँची-ऊँची फसीलों से हिन्दुस्तान के पहले वजीर-ए-आजम ने यकीन दिलाया था मुसलमानों को कि मुसलमानों तुम्हें हिन्दुस्तान छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है और वादा किया था और उस वायदे पर लोगों ने ऐतबार किया था कि हां हमारे आबाओं अज्दाद की मजारें यहां पर हैं, उनकी कब्रें यहां पर हैं। जाते हुए लोग पलटकर के आए थे। जाते हुए कदम पलट आये थे, सरहदों से लोग लौटकर अपने घरों को आये थे इस यकीं के साथ , इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ इन्साफ होगा और इन्साफ यह होता है जनाब कि जो हमारा प्रतिनिधित्व था सरकारी नौकरियों में वह 34 फीसदी से घटकर 2 फीसदी तक आ गया था। अफसोस इसलिये होता है, आज हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है कि बहुत से लोग हैं। लेकिन यह जरूर कहेंगे कि अफसोस होता है कि इतना बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जरा उठाकर बता दीजिये कि कितने कमिश्नर मुसलमान हैं ? कोई हमें बता दें कि कितने डी0आई0जी0 मुसलमान हैं। कोई हमें बता दे कि कितने जिलों के कलेक्टर मुसलमान हैं ? यह सवाल जबान पर आता है अफसोस है, इसलिये हमने आपसे कहा। मुसलमान हमेशा सादालौह था शायद इसीलिये किसी ने कहा था कि **सादालौह ही तो हमारी मशहूर थी, सादालौह ही तो हमारी मशहूर थी, झूठे वायदों पे अक्सर बहलते रहे।** वायदे होते रहे, वायदों की झाड़ियां लगती रहीं लेकिन हकीकत यह थी कि अगर उन वायदों पे अमल होता तो क्या आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात आती है कि आज अक्लियत के हालात दलितों से बदतर हैं। हकीकत यह है कि कभी मुसलमानों की बस्तियों में जाकर देखिये वहां हैंड पम्प नहीं होता, वहां खड़ंजा नहीं होता। हमें इस बात पर ऐतराज नहीं है कि दलितों की बस्तियों में काम क्यों होता है ? यकीनन हो। हम तो यह कहते हैं कि तुम तरक्की का पूरा सूरज, तरक्की का पूरा जगमगाता हुआ सूरज बेशक दलित बस्ती में उतार दो लेकिन उसकी चंद किरणों ऊपर, तरक्की की चंद किरणों के ऊपर हमारा हक है या नहीं, इतना जवाब हमें चाहिए। यह जवाब हम चाहते हैं। तरक्की की चंद किरणें हमारे हक में नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हो गया। आपकी बात आ गई।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात खत्म कर दूंगी कि तारीख है, दुनिया की तारीख है किसी जबां को किसी कौम को अगर फना करना है तो उसकी जबां को उससे छीन लो, उसकी जबां को मिटा दो। जबां-उ-उर्दू मिट रही थी लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उर्दू

के जो मुअल्लिम थे उनको बी0टी0सी0 के बराबर बनाकर सन् 1994 में नौकरियां दे दीं लेकिन अफसोस की बात जब यह सरकार आती है उसके बाद 1996 में 1997 में सरकारी नौकरियों में उनको नहीं लिया जाता है। आज मैं यह कहना चाहती हूं जो मदरसे अनुदान पर लेने के लिए, जो अल्पसंख्यक संस्थान हमारी सरकार ने अनूदान ना ले लिए थे उन पर केवल दस्तखत होना बाकी रह गया था उनको अनुदान सूची में ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

हमारी आपसे गुजारिश है कि उनको अनुदान सूची में ले लिया जाए। आखिर हमारे साथ यह भेदभाव क्यों हो रहा है मोअल्लिम के जो टीचर हैं वह यहां आए थे, विधान सभा पर आतंकवादी हमला करने नही आए थे वह यहां आए थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें अब आपकी बात आ गई है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

16 दिसम्बर, 2000 का दिन था, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, बात सुनना तो दरकिनार उन पर लाठियां बरसायी गईं न औरतों को बख्शा जाता है और न बच्चों को बख्शा जाता है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

वह अगर विधान सभा के ऊपर कोई आतंकवादी कार्य को अंजाम देने आते तो यकीनन अध्यक्षजी हम आपसे पहले कहते कि उनके सीने में गोलियां उतार दो।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें। आपके विचार आ गए हैं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मुआवजा अगर बनता है, वजीफा अगर बनता है तो मुलायम सिंह की सरकार में बनता है कहीं और क्यों नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि एक जिले का तो कलेक्टर मुसलमान कर देते आप, कलेक्टर तो छोड़िए कहीं मुसलमान थानेदार भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारे हालात दलितों से भी बदतर हैं इसलिए हमको भी आरक्षण चाहिए। आरक्षण हमें इसलिए नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

समय देने का यह मकसद नहीं है। सबसे ज्यादा तो आप पाण्डेय जी को देख कर कह रही है। (हंसी)

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

मैं कहना चाहती हूं–

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है।

श्री इकबाल महमूद–

गम्भीर बात है। आपकी बात पर सब हंस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सब गम्भीरता से सुन रहे हैं वह दूसरी बात पर कहा है।

श्री इकबाल महमूद–

हम अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

सीरियसली आपकी बातों को सुना जा रहा है लेकिन कोई भी बात पीठ को संबोधित करके कही जाती है।

चौधरी फसीहा बशीर (गजाला लारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें इस मुद्दे पर बोलने को मौका दिया बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे मुस्लिम भाई और बहन ने जो बात रखी हैं उसी से अपने को जोड़ते हुए दो-तीन बातें हम कहना चाहते हैं। आमतौर से आपने देखा होगा कि गांव में जो कब्रिस्तान हैं

वहां कहीं भी चहारदीवारी नहीं है जो झगड़े का सबब बनती है। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाई और बहन ने सब बातों को रखा है, हम बस इतना कहना चाहते हैं बस इतना ही मांगना चाहते हैं सरकार से, जिसको कि आप पूरा भी कर सकें कि सारे जो कब्रिस्तान हैं उसकी बाउन्ड्री-वाल और वहां पर हैण्डपम्प की व्यवस्था करवा दें और जो मदरसे हैं, जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने करीब दो सौ मदरसों को एड पर लिया था और कुछ आपकी तरफ से भी घोषणा हुई है हम उसको नहीं कह रहे हैं लेकिन जो घोषणा उस सरकार में हुई थी जिन मदरसों को उस समय एड पर लिया गया था उसको जारी करवा दें और जो आप अलग से कर रहे हैं। वह तो आप कर ही रहे हैं, शुक्रिया।

श्री अध्यक्ष–

अंसारी जी, कई सदस्य इसमें बोल चुके हैं।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अल्पसंख्यकों की बदहाली पर अपने विचार रखने का मौका दिया, जिसके ताज आज भी अजायब घरों में रखे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारी पहचान, नन्हे मियां साइकिल वाले, मुन्ने मियां रिक्शे वाले, कल्लू मियां केले वाले, इस तरह के नाम पर बन गयी है। संविधान में इन लोगों को जो सुविधाएं मुहैया कराई गई है, यदि उन पर ईमानदारी से अमल किया गया होता तो आज हम भी देश की सेवा इंजीनियर बन करके, डाक्टर बन करके, वैज्ञानिक बन करके या बड़े ओहदों पर जा करके कर रहे होते। मा0 अध्यक्ष जी, तीन कमीशन देश में बनाये गए। सबसे पहले मण्डल कमीशन, फिर रंगनाथ मिश्रा जी का कमीशन व जस्टिम सच्चर कमेटी की इन सब में अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुसलमानों की बदहाली की बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा गया लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सरकारें केन्द्र में बैठी रहीं उन्होंने इस कौम को खुश करने के लिए या यूं कह लीजिए कि उनके जजबात पर चन्द आंसू बहाने के लिए कमीशन तो बैठा दिए लेकिन आज तक हिम्मत नहीं कर सके कि उन कमीशनों की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रख सकें, उनको लागू करना तो दूर रहा। इन तमाम कमीशनों ने इस बात की ओर इशारा किया कि हिन्दुस्तान का मुसलमान, जिसे अल्पसंख्यक के नाम पर जाना जाता है, उसके हालात 1950 के दिनों के पहले के जो थे, इन 63 सालों में इतने खराब हो गए है कि जो हालात हमारे अनुसूचित जाति के भाईयों के रहे हैं, उनसे बदतर हालात आज देश के अल्पसंख्यकों को हो गई है और उनके इस हालात को सुधारने की कहीं से भी कोई कोशिश नहीं की गयी।

मण्डल कमीशन ने पहली बार देश के मुसलमानों को पिछड़ी जातियों के लाभ 27 फीसदी में से 9 फीसदी देने की सिफारिश की थी कि उनको आरक्षण का यह लाभ दे करके उनके स्तर को ऊँचा उठाया जाए। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति और उनके अन्य जो मामले हैं, उनको तय करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाए। लेकिन केन्द्र में बैठी हुई कांग्रेस सरकार ने उस पर आज तक कोई तवज्जों नहीं दी और मुसलमानों के हालात बदतर होते चले गए। मान्यवर, जस्टिम मिश्रा कर रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखे जाने के लिए लगातार दबाव

और मांग की जाती रही, जिसमें मुसलमानों के जो हालात देश के अन्दर है, उन हालात को आइना दिखाने का काम किया गया था। यदि वह रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई होती और उस पर अमल हुआ होता तो आज देश में मुसलमानों की स्थिति बेहतर होती। भारत के संविधान के अनुच्छेद–340, 341 और 342 में प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद–340 में देश के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद–341 में व्यवस्था की गई कि देश के जो अनुसूचित जाति के लोग होंगे, उनके उत्थान के लिए आरक्षण की बात की जायेगी और अनुच्छेद–342 में अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के उत्थान की बात की गई। मान्यवर, अफसोस की बात है कि अनुच्छेद–340 में हमें वह हिस्सेदारी नहीं मिल सकी, जिसके लिए मण्डल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी। यह सब जानते हैं कि मुसलमानों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति से भी बदतर हालात में रह करके सिर पर मैला साफ करने का काम करती हैं, गन्दी नालियों की सफाई करती हैं। लेकिन अनुसूचित जाति में रखे जाने की जब बात आयी, जब उनका हक देने की बात आयी, मान्यवर, सन् 1936 से 1950 तक लगातार बिना किसी भेदभाव के धर्म के आड़े न आते हुए ऐसी अनुसूचित जातियों को चाहे वह हिन्दू रहे, चाहे मुसलमान रहें, चाहे सिक्ख रहें, चाहे पारसी रहें, बिना किसी भेदभाव के उनको वह सारी रियायतें मिलती रहीं। लेकिन 1950 के बाद जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उसके बाद उन रियायतों को खत्म कर दिया गया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर पहली बार जो ऐसे तमाम हलालखोर या धोबी, इस तरह के जो तमाम लोग अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते थे उनको आरक्षण दिलाने के लिए पहली बार सन् 2006 में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने इसी विधान सभा में प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा था। अगर केंद्र सरकार ने वह प्रस्ताव पास कर दिया होता तो आज मुसलमानों की आधे से अधिक की आबादी जो रोटियों के लिए तरस रही है, जिनके बच्चे तन पर कपड़े के लिए तरस रहे हैं शायद उनका वह हालात न होते। अगर केंद्र सरकार ने 2006 में उस सिफारिश को मान लिया होता। अगर यह सरकार मुसलमानों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं तो उसे पुनः प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र को तुरन्त भेजना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

चलिए, अब समाप्त करिये।

श्री जावेद अंसारी एडवोकेट–

मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की तमाम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया होता तो यह बद्तर हालात सुधर गये होते। अन्त में अपनी बात समाप्त करते हुए मांग करता हूं कि मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और बदहवाली पर सभी नियमों को शिथिल करके चर्चा कराई जाए। मैं अति महत्वपूर्ण और सम्वेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बस, जिनकी सूचनाएं थीं उनको सुन लिया गया। क्या यह चर्चा हो रही है। आप 15 लोग हैं सबको बुलायेंगे तो और जो नोटिस है उसका क्या होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी,

हमारी और भी सूचनाएं हैं, मैंने इसको गंभीरता से लिया है, मैं इस नोटिस पर सुनने के लिए स्वयं आया हूं।

कई सदस्यो के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, जिनके नोटिस पर हस्ताक्षर हैं उनको दो–दो मिनट सुन लें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, फिर इधर 31 लोग हैं इधर भी बुलवा लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

तो फिर इस पर चर्चा स्वीकार कर लीजिए, सबको सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, चर्चा तो हो नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष–

अभी तीसरे नम्बर पर पहुंचा हूं और भी माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं।

श्री आरिफ अनवर हाशमी–

मान्यवर, यह नये सदस्य हैं इनको बोल लेने दीजिए।

श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां–

माननीय अध्यक्ष जी आपने इतने संवेदनशील मसले पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य है कि आप जैसा संरक्षक हमको मिला। यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है इसके ऊपर जो भी विचार आये हैं हम उसको दोहराना नहीं चाहते। लेकिन इस मौके पर हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि आज हमको एक खेद है कि आठ साल से विधान सभा में एक सदस्य की हैसियत से बैठने के बाद आज मैं पहली बार दुःखी मन से खड़ा हुआ हूं और कारण क्या है कि आज मुसलमानों के इस मसले को उठाते हुये, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन एक शख्सियत हमारे सामने ऐसी है, जिसको देखकर के कहीं न कहीं हमारा दिल भी बड़ा होता है, लेकिन ये खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनकी पीठ के पीछे बैठ करके मुसलमानों के महत्वपूर्ण बिन्दु पर जिस तरीके से हंसने का काम किया जा रहा था।

श्री अध्यक्ष–

चलिये कोई हंसा नहीं है, यह तो संसदीय परंपरायें हैं, इसमें हास-परिहास चलता रहता है।

श्री जुल्फिकार अहमद भुट्ठो–

मान्यवर, यह इतने ज्यादा गम्भीर हैं कि आज आठ साल में पहली बार तो बोले हैं।

श्री अब्बास अली जैदी उर्फ रूशदी मियां–

इनकी कहीं हुयी किसी भी बात का अफसोस हमको इसलिये नहीं होता क्योंकि उस तरफ बैठे लोग इतिहास रचने वाले लोग हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, जिसके घर खून होता है, उसके घर पुरसा देने जाते हैं, कभी कातिल के दरवाजे नहीं जाते। जिसके नेता ने हिन्दुस्तान के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी घटना के कातिल को अपने हाथ बढ़ा करके चुनाव में समर्थन देने का काम किया हो। ऐसे असंवेदनशील लोगों से इससे ज्यादा की तवज्जो भी नहीं की जा सकती है। आज मुद्दा इस बात का नहीं है कि यहां पर बात क्या उठी है। पिछली सरकार में कब्रिस्तान, श्मशान, मरघट, मजार इस तरह की तमाम चीजों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का फैसला हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने लिया था। हम आज स्थिति जानना चाहते थे, किसी कारणवश नोटिस में नाम नहीं चढ़ा, लेकिन हम ये स्थिति जानना चाहते थे, कि मौजूदा सरकार में उस शासनादेश के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में कौन सा ऐसा कब्रिस्तान है, कौन सी ऐसी मजार है, कौन सा ऐसा धर्म स्थल है जिसको दर्ज किया गया, बाउण्ड्री कराना तो दूर की बात है। लेकिन आज इस संवेदनशील मुद्दे पर जिस तरीके से हंसा जाता है, इन्होंने मिसाल दे दी है।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन है और यहां पार्लियामेण्ट्री सिस्टम है, यहां कभी हंसी का माहौल होता है, ऐसा नहीं है कोई हंस नहीं रहा है।

(एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा बोलने के लिये खड़े होने पर)

अभी आपने इनको बुलवा दिया है, अब कह रहे हैं कि हम बोलेंगे, अभी आपने कहा कि केवल वो बोलेंगे। ये क्या तरीका है, अभी 15 नोटिसें हमारी है। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, ये जितने मा0 सदस्य हैं, सभी बोलने के लिये कह रहे हैं, आगे हमें 13 सूचनायें और सुननी हैं। यह तो मैं सभी सूचनाओं को बन्द कर दूं और आप तय कर लीजिये, मैं इसी पर सुन लूंगा। मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आज की सभी सूचनायें मैं रोक नही रहा हूँ। इस पर जितने मा0 सदस्य बोल लें, जितनी सूचनायें हैं, मैं इनको कल ले लूंगा लेकिन आज सुनूंगा नहीं। यह व्यवस्था करा दीजिये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर)

मैंने इतनी गम्भीरता से इस नोटिस को लेकर के, इसका चयन किया है कि इसको सुनूंगा, तीसरे नम्बर की इस नोटिस का चयन किया है मैंने। अब इसके बाद अगर हर मेम्बर यह कहे कि हम नहीं बोल नहीं पाये, यह तो गलत तरीका है। मैंने इस नोटिस को गम्भीरता

से लिया है। चयन में भी हमने इसको प्राथमिकता पर लिया है। मैंने अपने कक्ष में भी लोगों से कहा कि इस नोटिस को मैं जरूर लूंगा। अपने समाज का एक विषय है, इसको मैं जरूर सुनूंगा लेकिन हर आदमी अगर बोलेगा तो हमारे पास अभी आगे 15 सूचनायें हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप हमारी मदद करें और आपके जितने विचार आधे, मैं सुन लूं। मैं इसलिये एक एडजस्टमेण्ट मांग रहा हूं तो आप लोग कह रहे हैं कि लोग हंस रहे हैं। कभी हंसी, कभी गुस्सा, कभी टकराव, क्रोध, यह सब चलता रहता है। मैंने नोटिस की गंभीरता को लिया है, सभी मा0 सदस्य बोल लिये। इसके बाद भी मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इनकी भावनाओं का मैंने आदर करते हुये व नेता प्रतिपक्ष जी ने अनुरोध किया तो मैंने स्वीकार कर लिया और सोचा कि नेता प्रतिपक्ष जी की बात को मान लेता हूं और एक-दो सदस्यों को और बुलवा देता हूं। मैंने उनका सम्मान किया लेकिन अब सब लोग बोलेंगे, तब तो हमारे सामने एक समस्या खड़ी होगी कि शेष नोटिसों का हम क्या करें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक सूचना पर सारे सदस्य हस्ताक्षर कर दें और सबको ग्राह्यता पर बुला लें, चर्चा भी हो तो सबको नहीं बुलाया जा सकता है, ग्राह्यता पर तो कोई औचित्य ही नहीं बनता। मान्यवर, सबकी सारी बातें आ गई हैं अब केवल उसी को घुमा फिरा कर कहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, मामला गम्भीर है, एक–दो लोगों को और बोल लेने दें।

आबकारी, लो0नि0, सिंचाई, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)–

मान्यवर, मामला गम्भीर है, 31 सदस्य विधान सभा के मुस्लिम हमारी तरफ है मैं 32वां हूं। मान्यवर, इनकी नीति है कि हल्ला बोलना। मान्यवर, यह तो वही बात है ''जितने साथी, जितने यार, सब बेकार''।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य इसके विरोध में अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूं और मुझे अपनी बात कहने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हैं आप, चलिये रोक के दिखा दीजिए। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं और जब मुसलमान बोलने के लिए खड़ा हो जाय तो विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त होकर अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, इन्होंने तो खुब कसीदे पढ़े, मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं, आगे नाम भी लूंगा। मान्यवर, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं– ''कैसा नारा कैसा कौल, अभी बदलता है माहौल, हल्ला बोल।''

"जितने साथी, जितने यार, सब बेकार, इनकी नीयत डावांडोल, हल्ला बोल।"

मान्यवर, मैं फिर कह दूं– **"इन्होंने गैरो पर तो इल्जाम लगा रखे हैं,**

अपने दामन के मगर दाग छुपा रखे हैं।"

अभी दाग बता रहा हूं, अगर मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं सभी सारे दाग खोल कर के रख दूं। मान्यवर, यह हंसने की बात कहते हैं। मान्ववर, पूरब की एक कहावत है, ''सूपवा तो सूपवा चलनी में बोलै जिकर बहत्तर छेद''

मान्यवर, ये 72 छेद वाले हमें बोलने से रोकेंगे, चलिये आ जाइये।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन की बेल में आ गये और नारे लगातार लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते, मान्यवर, आपने मुझे बोलने की अनुमति दे दी तो मैं बोलूंगा और इनको मेरी बात सुननी होगी। ये कौन सी बात हुई कि अपनी बात कह लेंगे और हमारी बात को नहीं सुनेंगे, सुनना होगा। मुसलमानों के इतने हमदर्द हो गये, तौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली। मुलायम सिंह यादव माफी मांग रहे हैं, किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं। मान्यवर, यह चाहे जितना माफी मांगे,

"निशाने चूक गये, सिर्फ निशान बाकी है,
शिकारगाह में खाली मचान बाकी है।"

मान्यवर, माफी मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। इनकी हैसियत बाई इलेक्शन में मुसलमानों ने इनको बता दी। डुमरियागंज में इनके कन्डीडेट की जमानत जब्त हो गई। मुलायम सिंह यादव के भर्थना में क्या हुआ ? मुलायम सिंह यादव के इटावा में क्या हुआ ? जमानत जब्त हो गई और आगे भी मुसलमान इनकी हैसियत इनको बता देगा।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, हमारी सरकार की नीतियां अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों की तरक्की के लिये है। अरबी-फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम किसने किया, हमारी सरकार ने किया। यहां पर अल्पसंख्यक आयोग गठित करने, मुस्लिमों के बच्चों को, उनके पढ़ने वाले बच्चों को, वजीफा देने का काम किसने किया है, बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। आप अपने गिरेबान में झांककर देखो आपके माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। माफी भी मांगोगे तो मुसलमान तुम्हें माफ नहीं करेगा।

(वेल में आये सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। अब बात हो गयी। डा0 शाह साहब आप लोगों को बैठवाइये। अब तो वह बैठ गये हैं। अब आप लोग अपनी बात वहां से जाकर कहिये। मैं आपकी बात सुनूंगा। विषय गंभीर है आप लोग बैठ जाइये। अगर आप लोग अपने विषय को गंभीरता देना चाहते हैं तो वहां पर जाकर बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इनके लोगों की चुनाव में जमानत तक जब्त हो गयी। अब इनके नेता माफी मांगते घूम रहे हैं। मान्यवर, इनकी पार्टी ने मुस्लिमों को केवल धोखा देने का काम किया है। इसी को लेकर मुस्लिमों ने इनको नकारने का प्रण कर लिया है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइये। सरकार का बयान सुन लीजिये। हल्ला करने से विषय का महत्व नहीं बढ़ता है आप बहस कीजिये उसका महत्व बढ़ जायेगा। आप अपनी बात कीजिये सरकार की बात सुनिये। आप चर्चा करिये सरकार का बयान आ जाने दें। आप बैठ जाइये बहस कीजिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप सदस्यों को बिठाइये। बहस कर लें सरकार का भी बयान देख लें अगर पसन्द करते हैं तो ठीक है।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

आपके वेल में आने से यह विषय हल्का हो जायेगा। आप वहां बैठिये।

श्री लालजी वमा–

मान्यवर, आज मुस्लिमों ने स्वीकार कर लिया है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता मुस्लिम विरोधी है। इसलिये वर्ष 2007 के चुनाव में इनको उन्होंने नकार दिया। बहुजन समाज पार्टी के आप देखें कितने मुस्लिम विधायक है 31 विधायक हैं। लोक सभा के चुनाव में इनका एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाया है। यह इस बात का परिचायक है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को धोखा देने का काम करती रही है। माननीय आजम खां साहब ने भी इस बात को कहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को धोखा देने के अलावा और कोई काम आज तक किया ही नहीं है। मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया है। आज प्रदेश के मंत्रिमंडल में 5–5 मंत्री मुस्लिम समाज से है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के पास 10 विभाग है और बड़े-बड़े विभाग है। इस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है।

अरबी-फारसी विश्वविद्यालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, मुस्लिम समाज की बच्चियों को शादी अनुदान देने का काम अगर किसी

ने किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इन घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों ने नहीं किया। मान्यवर, अब जब जनता ने इनको नकार दिया तो ये फिर से माफी मांगते घूम रहे हैं उसी का प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करते हुए मैं चाहूंगा कि आप दूसरी मद ले लें।

(वेल में बैठे हुए सदस्य बराबर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

एक अनुरोध कर रहा हूं डाक्टर साहब अभी यह बहस आपकी होती तो सरकार का बयान आता संतुष्ट होते, असंतुष्ट होते तब आप कहते। केवल प्रदर्शन करके और केवल वेल में आ करके हमारे अल्पसंख्यक समाज का आप भला नहीं कर पायेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इनको भला करना ही नहीं है यह तो सबसे बड़ी दुश्मन हैं अल्पसंख्यक समाज की समाजवादी पार्टी। अगर इस विधान सभा में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व को घटाने का काम किया है लोक सभा और विधान सभा में तो समाजवादी पार्टी ने घटाने का काम किया है। अगर बढ़ाने का काम किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाने का काम किया है। सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा अगर हिस्सेदारी मिली है, निष्पक्ष हिस्सेदारी मिली है तो बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत मिली है समाजवादी पार्टी ने तो केवल 3 जिलों में सारी नौकरियो की हिस्सेदारी बांट कर रख देने का काम किया था। अगर निष्पक्ष रूप से सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसी ने दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। इसलिए इनको उनके हित से कोई मतलब नहीं है। इनको जब उसने त्याग दिया, इनकी असलियत को पहचान लिया, मान्यवर, ऐसे लोगों को जिन्होंने इनका घर जलाया था ऐसे लोगों को समर्थन देते देख लिया तो इनको नकार कर जब इनका साथ छोड़ दिया तो उसकी पीड़ा से ये कराह रहे हैं। यह डर कर अपना हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। इनको उनके हित से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा आप लोग चलिये, चले आप लोग यह प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। आप लोग अपनी बहस करिये अपनी बात रखिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगली मद ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने विषय की गम्भीरता को लेते हुए सभी माननीय सदस्यों की बात को सुना है और इस विषय को मैंने खुद गम्भीरता से लिया है। मैं स्वयं आकर बैठा हूं कि चलिये एक

अल्पसंख्यक समाज के विषय से संबंधित उनकी समस्या है यह समस्याओं से जुड़ा है। मैं स्वयं सुनने के लिए आया हूं लेकिन आप लोग अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं। चलिये, आप लोग बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अगला विषय ले लीजिए। मान्यवर, यह दिखाई पड़ रहा है कि यह कितने मुस्लिम हितैषी है। मान्यवर, इनकी सूचना को अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री अब्दुल समद अंसारी, श्री साहिद मंजूर, श्री इमरान मसूद, श्री इकबाल महमूद, श्री आरिफ अनवर हाशिमी, सैय्यदा सादाब फातिमा, चौ0 गजाला वशीर, श्री जावेद अंसारी जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना यह नियम–56 में नहीं आती है मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(श्री श्याम देव राय चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अब इन सभी सूचनाओं को आज अग्राह्य कर दें और मद संख्या 21 ले लें।

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनाएं मैं अग्राह्य करता हूं। आज की सभी सूचनाएं अग्राह्य करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2010–2011 के अनुपूरक अनुदानों पर मतदान

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा, शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01 लगायत 05, 07, 09 लगायत 15, 18, 21 लगायत 22, 24 लगायत 27, 31 लगायत 32, 35 लगायत 38, 40 लगायत 44, 47 लगायत 53, 55 लगायत 60, 62 लगायत 63, 65, 68, 71 लगायत 73, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92, 94 लगायत 95 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच हजार चार सौ चौवन करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार (रुपये 5454,71,08,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदानों की मांगों का विवरण निम्नलिखित है।

अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत 15,85,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–02 आवास विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02 आवास विभाग के अन्तर्गत 4,90,93,16,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 56,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–22011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के अन्तर्गत 1,13,66,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–05 उद्योग विभाग (खादी और ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 34,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1,08,55,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–10 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–10 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 2,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–11 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 3,26,33,22,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–12 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि एवं जल संसाधन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–12 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत 1,26,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–13 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग
(ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–13 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास के अन्तर्गत 2,51,14,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग
(पंचायती राज)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–14 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 3,23,62,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–15 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग
(पशुधन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–15 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 7,53,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग
(सहकारिता)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21 खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 1,30,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–22 खेल विभाग के अन्तर्गत 19,33,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 18,00,00,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 2,64,07,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 2,09,32,35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 2,84,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 1,93,83,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 95,01,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 20,57,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 2,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 3,03,24,18,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 10,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत 1,52,41,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 27,65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–42 न्याय विभाग के अन्तर्गत 1,32,39,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 54,42,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 14,51,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,96,51,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 23,19,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग
(दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 57,64,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग
(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 26,99,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 5,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 4,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 60,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु) के अन्तर्गत 2,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) के अन्तर्गत 4,30,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 19,33,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–60 वन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–60 वन विभाग के अन्तर्गत 11,98,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 79,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 4,11,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अन्तर्गत 63,00,,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 8,98,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 15,05,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 2,41,11,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,02,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–79 समाज कल्याण विभाग (विकलॉग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 1,22,35,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 90,00,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 2,66,94,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 41,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–86 सूचना विभाग के अन्तर्गत 8,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–87 सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 1,45,11,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–89 संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 16,95,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–91 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 35,72,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–92 संस्कृत विभाग

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–92 संस्कृत विभाग के अन्तर्गत 5,06,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 1,92,46,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 11,39,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01 लगायत 05, 07. 09 लगायत 15, 18, 21, लगायत 22, 24, लगायत 27, 31 लगायत 32, 35, लगायत 38, 40 लगायत 44, 47 लगायत 53, 55

लगायत 60, 62 लगायत 63, 65, 68, 71 लगायत 73, 79 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92, 94 लगायत 95, के अन्तर्गत कुल रुपये पांच हजार चार सौ चौवन करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार (रुपये 54,54,71,08,000) की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विनियोग (2011–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांट दी जायें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–22011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 को पुरःस्थापित करता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

†दिनांक, 20 अगस्त, 2010 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) अधिनियम, 2010 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से 2010–2011 के लिये 54,61,72,07,000

2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2011 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5461,72,07,000 रुपये (पांच हजार चार सौ इकसठ करोड़ बहत्तर लाख सात हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्वः	54770	–––	54770
		पूंजीः	103800	–––	103800
02	आवास विभाग	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	4909316	–––	4909316
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्वः	5639	–––	5639
		पूंजीः	–––	–––	0
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्वः	11366	–––	11366
		पूंजीः	–––	–––	0
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्वः	40	–––	40
		पूंजीः	–––	–––	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः	5000	–––	5000
		पूंजीः	340000	–––	340000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्वः	85500	–––	85500
		पूंजीः	1000000	63996	1063996
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्वः	25001	–––	25001
		पूंजीः	–––	–––	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्वः	3017020	–––	3017020
		पूंजीः	246302	–––	246302
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्वः	510001	–––	510001
		पूंजीः	750000	–––	750000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्वः	1511424	–––	1511424
		पूंजीः	1000000	–––	1000000
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्वः	3236270	–––	3236270
		पूंजीः	–––	–––	0

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्वः	19225	–––	19225
		पूंजीः	56100	–––	56100
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्वः	1	–––	1
		पूंजीः	–––	–––	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्वः	–––	1	1
		पूंजीः	–––	–––	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्वः	625	–––	625
		पूंजीः	12428	–––	12428
22	खेल विभाग	राजस्वः	12471	–––	12471
		पूंजीः	180856	–––	180856
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उंद्योग)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	180000	–––	180000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्वः	120000	–––	120000
		पूंजीः	2520700	–––	2520700
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्वः	905010	–––	905010
		पूंजीः	1188225	–––	1188225
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्वः	22442	–––	22442
		पूंजीः	6000	–––	6000
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्वः	6967	–––	6967
		पूंजीः	1931335	–––	1931335
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	950106	–––	950106
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्वः	150000	–––	150000
		पूंजीः	55791	–––	55791
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्वः	200	–––	200
		पूंजीः	–––	–––	0

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
37	नगर विकास विभाग	राजस्वः	2832417	–––	2832417
		पूंजीः	200001	–––	200001
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्वः	1021	–––	1021
		पूंजीः	–––	–––	0
40	नियोजन विभाग	राजस्वः	1342072	–––	1342072
		पूंजीः	182085	–––	182085
41	निर्वाचन विभाग	राजस्वः	276500	–––	276500
		पूंजीः	–––	–––	0
42	न्याय विभाग	राजस्वः	1270539	6100	1276639
		पूंजीः	53437	–––	53437
43	परिवहन विभाग	राजस्वः	1	–––	1
		पूंजीः	–––	–––	0
44	पर्यटन विभाग	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	544227	–––	544227
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्वः	25170	–––	25170
		पूंजीः	120000	–––	120000
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्वः	965101	–––	965101
		पूंजीः	1000000	–––	1000000
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्वः	4	–––	4
		पूंजीः	–––	–––	0
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्वः	147102	–––	147102
		पूंजीः	84836	–––	84836
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्वः	576400	–––	576400
		पूंजीः	–––	–––	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्वः	29600	–––	29600
		पूंजीः	240370	–––	240370

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्वः	570	–––	570
		पूंजीः	–––	–––	0
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	45000	–––	45000
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	600000	–––	600000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	2100000	–––	2100000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	4300000	–––	4300000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	193399	–––	193399
60	वन विभाग	राजस्वः	92148	–––	92148
		पूंजीः	27704	–––	27704
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्वः	7998	2	8000
		पूंजीः	–––	–––	0
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्वः	36165	–––	36165
		पूंजीः	5000	–––	5000
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प–बचत आदि)	राजस्वः	6300	–––	6300
		पूंजीः	–––	–––	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्वः	86902	–––	86902
		पूंजीः	2904	–––	2904
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्वः	150501	–––	150501
		पूंजीः	–––	–––	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्वः	2411184	–––	2411184
		पूंजीः	–––	–––	0

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्वः	250000	–––	250000
		पूंजीः	1777000	–––	1777000
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्वः	157738	–––	157738
		पूंजीः	1065854	–––	1065854
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याणं)	राजस्वः	900003	–––	900003
		पूंजीः	–––	–––	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्वः	5000	–––	5000
		पूंजीः	–––	–––	0
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्वः	1871470	–––	1871470
		पूंजीः	798000	–––	798000
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्वः	4195	–––	4195
		पूंजीः	–––	–––	0
86	सूचना विभाग	राजस्वः	800	–––	800
		पूंजीः	–––	–––	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्वः	14511	–––	14511
		पूंजीः	–––	–––	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	169553	–––	169553
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्वः	357205	–––	357205
		पूंजीः	–––	–––	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्वः	600	–––	600
		पूंजीः	50000	–––	50000
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्वः	–––	–––	0
		पूंजीः	1924623	–––	1924623
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्वः	113967	–––	113967
		पूंजीः	–––	–––	0

1	2		3		
अनुदान	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
	योग	**राजस्वः**	**23632156**	**6103**	**23638259**
		पूंजीः	**30914952**	**63996**	**30978948**
	महायोग :		**54547108**	**70099**	**54617207**

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 पारित किया जायं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) विधेयक, 2010 पारित किया जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन में घोर व्यवधान जारी रहा)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 11–08–2010 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 65 सूचनाएं प्राप्त हुई, निम्न स्वीकृत सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिनका विवरण निमनवत हैः–

पहली सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल की लखीमपुर खीरी के थाना पलिया में हो रही हत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्रीमती मिथिलेश पाल की मुजफ्फरनगर के बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के भ्रष्टाचार की जांच एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशिमी की मा0 विधायक पर हमले को देखते हुये एक अतिरिक्त गनर दिये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री जमीर उल्ला खां की अलीगढ़ के अनूप शहर रोड स्थित इन्डट्रियल एरिया में भू–खण्ड आवंटन में की जा रही अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील विलासपुर से चकफेरी होते हुए नवाबगंज मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर की तहसील महमूदाबाद स्थित स्टेडियम में निर्मित एथेलेटिक्स हाल व तरणताल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की सुल्तानपुर की तहसील जय सिंहपुर निवासी मुस्लिम कुरैशी जाति को पिछड़ी जाति का प्रमाण–पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में।

नवीं सूचना श्री अशोक कंसल की मुजफ्फरनगर में भोपा बस अड्डा से पचेंडा रोड तक कच्चे मार्ग को सी0सी0 रोड कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री उदयराज, की उन्नाव स्थित टोपरा से देवलमंशा खेड़ा तक अधूरे मार्ग को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिह की प्रतापगढ़ में मनरेगा/नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामों को धनराशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2009–2010 का पूर्वांचल निधि का जिलांश में धन आवंटन की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलन्दशहर के अन्तर्गत नवनिर्मित अधूरे पड़े बिजली घरों को शीघ्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं में भूमि का प्रस्तावित सर्किल रेट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री सुनील शर्मा की गाजियाबाद नगर में भूमिगत जल प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की आजमगढ़ स्थिति मेहनगर टाउन में अधूरे पड़े डाक बंगले का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सतरहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की महिला कल्याण विभाग में विधवा अनुदान स्वीकृत करने में की जा रही अनियमितता की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

अट्ठाहरवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की इलाहाबाद के वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता श्री कृष्णकांत मिश्र के साथ अधिकारियों द्वारा अभद्रता किये जाने के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री महबूब अली की जनपद जे0पी0 नगर स्थित अमरोला चीनी मिल के अधिकारियों/कर्मचारियों को वी0आर0एस0 का लाभ एक मुश्त दिये जाने के सम्बन्ध में है।

बीसवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बांदा स्थित नगर कोतवाली अन्तर्गत कुमारी प्रीती की हत्या करने वाले हत्यारों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये गये सड़क निर्माण के कार्यों की जांच कराने एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बाइसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर स्थिति पुलिस चौकी पाकड़ से मिश्रीपुर बाई पास तक की जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा

तेइसवीं सूचना श्री महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर डिपो द्वारा संचालित मथुरा से लखनऊ की बस सेवा बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :–

1– श्री भोला पासवान,

2– श्रीमती मधुबाला पासी,

3– श्री विद्या सागर गुप्ता,

4– श्री काशीराम,

5– श्री सुखलाल,

6– श्री राघवलखन पाल शर्मा,

7– श्री जसवन्त सिंह,

8– श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह,

9– श्री श्यामदेव राय चौधरी,

10– श्रीमती सीमा द्विवेदी,

11– श्री राजाराम त्यागी,

12– डा0 राजेन्द्र सिंह,

13– श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

14– श्री विनोद सरोज,

15– श्री सुधीर कुमार,

16– श्री राजकिशोर सिंह,

17– श्री लल्लू सिंह,

18—चौ0 रवीन्द्र प्रताप,
19— श्री राजेन्द्र सिंह,
20— श्री राधेश्याम जायसवाल,
21— श्री जोखू लाल यादव,
22— श्री लालजी यादव,
23— श्री दुर्गा प्रसाद यादव,
24— डा0 अनिल चौधरी,
25— श्री जगन प्रसाद गर्ग,
26— श्री दीप नारायण सिंह,
27— डा0 पी0के0 राय,
28— श्री अनूप कुमार गुप्ता,
29— श्री इरफान सोलंकी,
30— श्री प्रजापालन वर्मा,
31— श्री कुबेर सिंह,
32— श्री अरविन्द सिंह यादव,
33— श्री दीनानाथ कुशवाहा,
34— श्री इकबाल महमूद,
35— श्री बैजनाथ दूबे,
36— श्री पूरन प्रकाश,
37— चौ0 सत्यपाल सिंह,
38— डा0 आर0ए0 उस्मानी,
39— श्री इमरान मसूद,
40— डा0 राधामोहन दास अग्रवाल,
41— श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप तथा
42— श्री सुन्दर सिह।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 04 मिनट पर/अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 11 अगस्त, 2010

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0 सं0–146 'क' का उत्तर पीछे पृष्ठ 110 पर)

क्र0	निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	कुल कार्य
1	2	3
1	01 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 31.05.07	8
2	02 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 21.01.08	2
3	03 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 24.01.08	26
4	04 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 18.02.08	11
5	01 / अ0अ0 / 2008–09, दि0 22.11.08	5
6	02 / अ0अ0 / 2008–09, दि0 17.12.08	8
7	03 / अ0अ0 / 2008–09, दि0 19.12.08	3
8	04 / अ0अ0 / 2008–09, दि0 13.02.09	5
9	02 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 12.09.07	12
10	03 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 12.09.07	9
11	01 / स0अ0–1 / 2007–08, दि0 24.04.07	3
12	07 / स0अ0–1 / 2008–09, दि0 11.11.08	2
13	12 / स0अ0–1 / 2008–09, दि0 17.01.09	2
14	01 / स0अ0–2 / 2008–09, दि0 14.07.08	3
15	02 / स0अ0–2 / 2008–09, दि0 16.07.08	1
16	13 / स0अ0–3 / 2007–08, दि0 12.11.08	1
17	08 / स0अ0–3 / 2008–09, दि0 02.12.08	4
18	12 / स0अ0–3 / 2008–09, दि0 11.12.08	2
19	11 / स0अ0–3 / 2008–09, दि0 09.12.08	1
20	06 / स0अ0–4 / 2008–09, दि0 23.01.09	2
21	03 / स0अ0–4 / 2008–09, दि0 03.10.08	3
22	02 / स0अ0–4 / 2009–10, दि0 29.05.09	1
23	04 / स0अ0–5 / 2007–08, दि0 02.01.08	5
24	05 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 18.09.07	3
25	06 / अ0अ0 / 2007–08, दि0 16.10.07	1

क्र0	निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	कुल कार्य
1	2	3
26	11/अ0अ0/2007–08, दि0 08.02.08	1
27	02/अ0अ0/2008–09, दि0 07.05.08	3
28	06/अ0अ0/2008–09, दि0 18.09.08	1
29	07/अ0अ0/2008–09, दि0 10.09.08	5
30	08/अ0अ0/2008–09, दि0 02.09.08	1
31	16/अ0अ0/2008–09, दि0 14.02.09	2
32	17/अ0अ0/2008–09, दि0 15.02.09	3
33	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 12.700, 19.01.07	1
34	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 3.760, 23.05.07	1
35	पथारी ताल माइनर वी0आर0बी0 0.870, 23.05.07	1
36	पथारी ताल माइनर वी0आर0बी0 3.530, 30.05.07	1
37	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 2.670, 02.06.07	1
38	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 8.340, 08.06.07	1
39	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 36.900, 08.06.07	1
40	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 35.020, 08.06.07	1
41	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 13.775, 08.06.07	1
42	खिरभा माइनर साइफन 6.800, 17.06.07	1
43	चाँदपुर डिवाई साइफन 3.300, 16.07.07	1
44	टिकरी ब्रान्च साइफन 12.100/12.600, 16.07.07	1
45	परसिया डिवाई साइफन 1.300/1.600, 16.07.07	1
46	टिकरी ब्रान्च डी0आर0बी0 26.350, 19.07.07	1
47	टिकरी ब्रान्च डी0आर0बी0 21.750, 19.07.07	1
48	टिकरी ब्रान्च डी0आर0बी0 24.660, 19.07.07	1
49	सोहांस माइनर साइफन 4.100/5.300, 19.07.07	1
50	पथरी ताल माइनर साइफन 0.700, 19.07.07	1
51	चाँदपुर डिवाई डी0आर0बी0 2.480, 19.07.07	1
52	परसिया डिवाई वी0आर0बी0 8.000, 19.07.07	1
53	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 12.170, 28.07.07	1
54	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 28.870, 20.09.07	1
55	दल्लापुर माइनर वी0आर0बी0 1.100, 20.09.07	1

क्र0	निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	कुल कार्य
1	2	3
56	परसिया डिवाई वी0आर0बी0 4.510, 20.09.07	1
57	टिकरी ब्रांच साइफन 10.325, 20.09.07	1
58	नरायनपुर डिवाई माइनर 12.600, 21.09.07	1
59	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 2.470, 30.10.07	1
60	खिरभा माइनर माइनर वी0आर0बी0 5.975, 30.10.07	1
61	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 6.450, 15.11.07	1
62	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 12.100, 01.12.07	1
63	नरायनपुर डिवाई साइफन 1.750/1.800, 27.12.07	1
64	टिकरी ब्रांच वी0आर0बी0 20.810, 02.01.08	1
65	टिकरी ब्रांच वी0आर0बी0 33.450, 02.01.08	1
66	टिकरी ब्रांच साइफन 13.800, 02.01.08	1
67	बेनीपुर डिवाई वी0आर0बी0 10.150, 02.01.08	1
68	बेनीपुर डिवाई वी0आर0बी0 7.425, 02.01.08	1
69	बेनीपुर डिवाई वी0आर0बी0 13.250, 02.01.08	1
70	बेनीपुर डिवाई साइफन 14.450, 02.01.08	1
71	बेनीपुर डिवाई साइफन 18.580, 02.01.08	1
72	बेनीपुर डिवाई साइफन 14.360, 02.01.08	1
73	चाँदपुर डिवाई साइफन 0.500, 02.01.08	1
74	परसिया डिवाई साइफन 7.100, 02.01.08	1
75	नरायनपुर डिवाई साइफन 9.600, 02.01.08	1
76	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 10.380, 11.01.08	1
77	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 5.100, 12.02.08	1
78	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 6.155, 20.03.08	1
79	भूमिहार माइनर वी0आर0बी0 1.280, 20.03.08	1
80	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 8.760, 20.03.08	1
81	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 9.150, 20.03.08	1
82	खिरभा माइनर वी0आर0बी0 0.440, 20.03.08	1
83	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 10.235, 20.03.08	1
84	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 3.350, 20.03.08	1
85	नरायनपुर डिवाई वी0आर0बी0 0.815, 09.04.08	1

क्र0	निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	कुल कार्य
1	2	3
86	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 12.300, 26.04.08	1
87	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 38.650, 26.04.08	1
88	परसिया डिवाई वी0आर0बी0 0.700, 26.04.08	1
89	परसिया डिवाई साइफन 9.470, 26.04.08	1
90	टिकरी ब्रान्च वी0आर0बी0 36.500, 16.09.08	1
91	टिकरी ब्रान्च साइफन 8.700, 04.10.08	1
92	सोहांस माइनर साइफन 0.850, 09.12.08	1
93	परसिया डिवाई वी0आर0बी0 4.200, 27.12.08	1
94	पथारी ताल साइफन 1.120, 21.02.09	1
95	परसिया डिवाई डी0आर0बी0 1.000, 28.02.08	1
	योग	**202**

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0 सं0–161 'ख' का उत्तर पीछे पृष्ठ 120 पर)

जनपद कानपुर नगर में वर्ष 2009–10 में नहरों की सिल्ट सफाई में व्यय धनराशि का विवरण–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	राजवाहा/अल्पिका का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)	मद
1	2	3	4	5
अ	सरसौल	हलवाखांडा	2.51	विभागीय
		सुभौली	0.36	,,
		हलवाखांडा	7.175	मनरेगा
		नरौरा	2.97	,,
		तिरमां	0.49	,,
		सवाइजपुर	0.80	,,
		नजबगढ़	0.57	,,
ब	विधनू	भैरमपुर माइनर	1.311	मनरेगा
		उदयपुर रजवाहा	3.453	विभागीय
			1.134	मनरेगा
		रामपुर एन0के0 माइनर	0.567	,,
		मगरासा माइनर	0.495	,,
		रमईपुर माइनर	0.904	,,
		मझावन माइनर	1.046	,,
		जगदीशपुर माइनर	1.067	,,
		जमरेही माइनर	0.847	,,
		कठारा माइनर	0.524	,,
		काकोरी माइनर	0.154	,,
		दलेलपुर माइनर	0.755	,,
		देवसढ़ माइनर	0.490	,,

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	राजवाहा/अल्पिका का नाम	व्यय की गयी धनराशि (लाख रु0 में)	मद
1	2	3	4	5
		सिंगरापुर माइनर	0.175	मनरेगा
		कुन्दौली माइनर	0.968	,,
स	घाटमपुर	घाटमपुर	0.570	मनरेगा
द	कल्यानपुर	कल्यानपुर	0.88	विभागीय
		कल्यानपुर	3.56	मनरेगा
		टिकरा	0.44	,,
		लोहारखेड़ा	0.19	,,
		बनी	0.44	,,
घ	बिल्हौर	सैबसू	0.90	विभागीय
		दुबियाना	1.53	,,
		जैसरमऊ	0.34	मनरेगा
		बिल्हौर	0.78	,,
	योग		38.395	

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्रश्न सं0–166 का उत्तर पीछे पृष्ठ 123 पर)

जनपद–मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों का गन्ना उत्पादन, गन्ना पेराई व चीनी शीरा, खुई व प्रेसमड का उत्पादन वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक

क्र0 सं0	नाम मिल	गन्ना उत्पादन (ला0 कु0)				गन्ना पेराई (ला0 कु0)				*चीनी उत्पादन (ला0 कु0)*			
		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	मंसूरपुर	151.86	149.34	116.85	150.80	106.87	88.77	70.04	84.11	9.97	8.52	6.38	7.65
2	खतौली	307.80	260.52	219.14	314.40	196.42	168.63	113.79	136.20	18.95	16.59	10.18	12.28
3	रोहाना	89.91	54.31	30.19	46.98	24.07	20.72	11.65	3.11	2.14	1.83	0.96	0.25
4	शामली	174.74	160.41	120.41	150.78	110.33	95.21	70.18	81.42	10.57	9.14	6.28	7.35
5	मोरना	115.27	84.91	82.04	104.06	48.27	40.18	25.74	31.05	4.39	3.73	2.27	2.82
6	तितावी	176.87	181.02	147.31	153.41	137.10	122.50	80.27	115.64	13.05	11.54	7.00	10.42
7	ऊन	90.70	81.99	64.82	78.31	59.90	52.66	31.61	40.16	5.84	5.16	2.83	3.69
8	टिकोला	150.7	133.72	79.80	111.49	59.13	60.74	44.51	64.17	5.86	6.03	4.21	6.10
9	थानाभवन	171.91	185.27	129.26	85.75	131.58	100.49	54.15	77.74	12.60	9.88	4.75	7.02
10	बुढ़ाना	149.43	172.80	155.64	98.65	133.04	116.38	57.75	98.12	12.41	11.65	5.10	9.17
11	खाईखेड़ी	0.00	51.99	51.01	67.94	32.85	33.22	21.73	30.85	3.19	3.43	2.05	2.94
	योग	**1579.19**	**1516.28**	**1205.47**	**1362.57**	**1039.56**	**899.50**	**581.42**	**762.57**	**98.97**	**87.50**	**52.01**	**69.69**

(महेन्द्र प्रकाश)
उप गन्ना आयुक्त (साँ)

जनपद–मुजफ्फरनगर की चीनी मिलों का गन्ना, चीनी शीरा, एवं खुई उत्पादन वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक

क्र0 सं0	नाम मिल	शीरा उत्पादन (ला0 कु0)				खोई उत्पादन (ला0 कु0)				प्रेसमड (ला0 कु0)			
		2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	मंसूरपुर	4.50	4.07	3.04	3.85	32.14	26.57	20.94	27.75	3.37	3.11	2.45	2.92
2	खतौली	10.10	8.46	5.83	7.43	58.93	49.95	33.94	41.17	7.86	5.44	4.55	5.45
3	रोहाना	1.25	1.03	0.58	0.15	8.07	6.73	3.68	1.02	0.86	0.78	0.41	0.11
4	शामली	5.31	4.57	3.29	4.25	35.73	30.84	23.33	26.73	4.04	3.78	3.11	0.33
5	मोरना	2.30	1.85	1.15	1.37	15.99	12.95	7.85	9.81	1.57	1.28	0.83	0.98
6	तितावी	6.37	5.84	3.77	6.01	40.99	37.15	23.94	35.11	5.43	4.83	3.41	4.94
7	ऊन	2.85	2.54	1.51	1.96	18.37	16.40	9.81	13.25	2.75	2.51	1.53	1.75
8	टिकोला	3.11	3.27	2.25	3.21	17.59	18.15	13.44	21.18	2.10	2.31	1.87	2.71
9	थानाभवन	6.33	4.73	2.72	4.14	40.61	29.55	15.84	25.65	4.93	4.33	2.69	3.90
10	बुढ़ाना	7.07	5.76	2.71	5.08	43.45	35.89	17.08	32.37	4.65	4.17	2.31	3.87
11	खाईखेड़ी	1.70	1.43	0.98	1.50	10.05	10.06	6.60	10.18	1.15	1.10	0.68	0.99
	योग	**50.89**	**43.55**	**27.83**	**38.95**	**321.92**	**274.24**	**176.45**	**244.22**	**38.71**	**33.64**	**23.84**	**27.95**

(महेन्द्र प्रकाश)
उप गन्ना आयुक्त (साँ)

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0 सं0–186 'घ' का उत्तर पीछे पृष्ठ 132 पर)
जनपद–मैनपुरी में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कुल 31 सड़कों का विवरण

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत लागत रु0 लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1	तरिहा रामनगर मार्ग से नहर की पटरी हवेली तक मार्ग का निर्माण।	1.60	37.59	10%
2	वि0ख0 सुल्तानगंज के ग्राम रजवाना से रामनगर होते हुए ग्राम सरैया तक मार्ग का निर्माण।	3.00	66.92	10%
3	हिमायुपुर की पुलिया का निर्माण 2 X 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया।		19.64	40%
4	मैनपुरी फर्दपुर बीलों मुख्य मार्ग से ग्राम संसारपुर ग्राम कन्या प्रा0पा0 के पीछे शिव मंदिर तक मार्ग।	1.50	21.66	0%
5	निजामपुर से संकिसा मार्ग।	2.00	43.17	10%
6	मैनपुरी इटावा मार्ग से मकरन्दपुर मार्ग।	2.50	70.38	40%
7	उझैया फकीरपुर से ईकरी मार्ग का निर्माण।	2.70	64.89	
8	जी0टी0 रोड गोविन्दपुर देवीनगर कालीनदी के पुल तक मार्ग का निर्माण।	2.00	44.10	10%
9	फतेहगंजपुर ग्राम सिरसा लिंक मार्ग की पुलिया तक मार्ग का निर्माण।	1.40	40.50	10%
10	प्रा0पा0 शिवसिंहपुर से नं0 बरी वाया नं0 शैतान मार्ग।	1.80	51.90	10%

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत लागत रु0 लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	2	3	4	5
11	जनपद मैनपुरी में जसरऊ से बढ़ेरी मार्ग का निर्माण एवं काक नदी पर 3 X 5 मी0 स्पान का पुल निर्माण।	2.70	107.00	10%
12	निगला अती से विक्रमपुर वाया नीलकंठपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	72.90	5%
13	विसेर खारजा बम्बा होकर कुड़ीना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.80	89.04	5%
14	अटाहार से महुआहार वाया नगला बीना मार्ग का निर्माण।	2.10	52.45	5%
15	नगला गजेन्द्र से धनीगढ़ी मार्ग का निर्माण।	3.20	78.89	5%
16	हिम्मतपुर उझियारी स्कूल से नगला जाटवान होकर कालूखेड़ा तक मार्ग का निर्माण।	2.00	48.11	5%
17	ताहरपुर से नं0 खेरी मार्ग का निर्माण एवं 4 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया।	2.50	68.32	5%
18	मोहकमपुर पुल से नगला कुंजल मार्ग का निर्माण।	2.20	54.83	5%
19	घिरोर कुरावली मार्ग से मधन गोपाल की मढ़ैया तक मार्ग निर्माण।	2.30	56.48	5%
20	नगला फेरती से ग्राम तिसाह नसीरपुर मार्ग का निर्माण एवं 6.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण।	2.00	60.19	5%
21	कुरावली घना मार्ग से नगला राय सम्पर्क मार्ग एवं 6.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण।	0.60	27.43	2%

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	स्वीकृत लागत रु0 लाख में	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में
1	2	3	4	5
22	शिकोहाबाद मार्ग से अलालपुर सम्पर्क मार्ग।	0.70	17.85	2%
23	कल्होर जवापुर मार्ग से पुरानी बम्होरी सम्पर्क मार्ग।	0.70	17.40	2%
24	बिघरई से बिलधरा सम्पर्क मार्ग।	1.00	27.95	2%
25	घिरोर करहल मार्ग से गोपीनाथ डिग्री कालेज तक मार्ग निर्माण।	0.35	8.64	2%
26	घोरासी से नगला इन्द्र मार्ग का निर्माण।	0.90	22.38	2%
27	कोसोन से नगला गुदेला मार्ग का निर्माण।	0.90	22.38	2%
28	कल्होर जवापुर मार्ग से नगला दशरथ मार्ग का निर्माण।	0.50	12.49	2%
29	घिरोर कुरावली मार्ग से नगला कन्ही मार्ग का निर्माण।	0.60	14.86	2%
30	मैनपुरी बरनाहल मार्ग से नगला मुकुट मार्ग का निर्माण।	0.40	10.15	30%
31	जवापुर कल्होर मार्ग से नगला दुर्जन अम्बेडकर पार्क तक मार्ग का निर्माण।	0.90	17.25	2%

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)–8 एल–131 विधान सभा–9-11-10–813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।